भारत के
नियन्त्रक – महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

सामाजिक, सामान्य तथा आर्थिक क्षेत्र
(गैर – सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम)

31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष

हरियाणा सरकार

वर्ष 2015 का प्रतिवेदन संख्या 2

विषय सूची

	संदर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ / टिप्पणियां
प्राक्कथन		vii
ओवरव्यू		ix
अध्याय – 1		
प्रस्तावना		
बजट प्रोफाइल	1.1	1
राज्य सरकार के संसाधनों का उपयोग	1.2	1
निरंतर बचतें	1.3	2
राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे हस्तांतरित निधियां	1.4	2
भारत सरकार से सहायता अनुदान	1.5	2
लेखापरीक्षा का आयोजन तथा संचालन	1.6	3
महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां तथा लेखापरीक्षा को सरकार के उत्तर	1.7	3
लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर वसूलियां	1.8	4
लेखापरीक्षा को सरकार की जवाबदेही में कमी	1.9	4
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्तन	1.10	5
राज्य विधान सभा में स्वायत्त निकायों के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतिकरण की स्थिति	1.11	5
लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रकट निष्पादन लेखापरीक्षाओं तथा अनुच्छेदों के वर्ष – वार विवरण	1.12	6
अध्याय – 2		
निष्पादन लेखापरीक्षा		
माध्यमिक शिक्षा विभाग माध्यमिक शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली	2.1	7
स्वास्थ्य विभाग राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	2.2	23
नगर एवं ग्राम आयोजना और शहरी संपदा विभाग (हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण) शहरी संपदाओं का विकास	2.3	41

	संदर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ / टिप्पणियां
अध्याय – 3		
अनुपालन लेखापरीक्षा		
कृषि विभाग **(हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड)** भूमि की लागत की अवसूली	3.1	75
विकास एवं पंचायत विभाग संपूर्ण स्वच्छता अभियान/निर्मल भारत अभियान	3.2	76
शिक्षा विभाग डयूल डैस्कों के प्रापण में परिहार्य व्यय	3.3	79
कटेनरों की विक्रेंद्रीकृत खरीद के कारण अतिरिक्त व्यय	3.4	80
पर्यावरण विभाग (हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड) **तथा स्वास्थ्य विभाग** हरियाणा में बायो-मैडिकल वेस्ट प्रबंधन नियमों का कार्यान्वयन	3.5	82
निधियों के अवरोधन के कारण ब्याज की हानि	3.6	87
वित्त विभाग अप्रयुक्त निधियों पर ब्याज का दावा न करना	3.7	88
सामान्य प्रशासन विभाग (हरियाणा लोक सेवा आयोग) तथा **तकनीकी शिक्षा विभाग** हरियाणा लोक सेवा आयोग के अधिकार क्षेत्र से पदों की वापसी	3.8	89
स्वास्थ्य विभाग अक्रियाशील ड्रग टैस्टिंग लैबोरेट्री तथा राज्य आयुर्वेदिक फार्मेसी पर निष्फल व्यय	3.9	90
गृह विभाग सरकारी निधियों का निष्फल व्यय/अवरोधन	3.10	91
पुलिस विभाग में मानव शक्ति की तैनाती	3.11	93
बागवानी विभाग राज्य में राष्ट्रीय बागवानी मिशन का क्रियान्वयन	3.12	97
सिंचाई विभाग निकास चैनल की एकल लेयर ईंट (ए.ले.ई.) लाईनिंग पर निष्फल व्यय	3.13	102
कमांड क्षेत्र विकास प्राधिकरण का कार्यचालन	3.14	104
जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग **(जल आपूर्ति एवं स्वच्छता बोर्ड)** बैंक के साथ करार न करने के कारण ब्याज की हानि	3.15	107
अक्रियाशील जल आपूर्ति स्कीम पर व्यर्थ व्यय	3.16	109

	संदर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ / टिप्पणियां
अक्षय ऊर्जा विभाग (हरियाणा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी) सोलर स्ट्रीट लाईटिंग सिस्टम कार्यक्रम का कार्यान्वयन	3.17	110
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग और स्वास्थ्य विभाग अपर्याप्त वित्तीय नियंत्रण के कारण गबन	3.18	115
खेलकूद एवं युवा मामले विभाग बास्केट बाल पोल की खरीद पर निष्फल व्यय	3.19	117
नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग पट्टा धन तथा अन्य प्रभारों की अवसूली	3.20	119
परिवहन विभाग आवश्यकता से अधिक बस परिचालकों की नियुक्ति	3.21	121
केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली का उल्लंघन करते हुए बसों के प्रापण के कारण परिहार्य हानि	3.22	122
महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य, अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण, सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता तथा शिक्षा विभाग 'कन्या शिशु के कल्याण तथा सुरक्षा' की स्कीमों के कार्यान्वयन में कमियां	3.23	123

परिशिष्ट

परिशिष्ट	विवरण	संदर्भ	
		अनुच्छेद	पृष्ठ
1.1	बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से इंगित की गई अनियमितताओं की प्रकृति के विवरण	1.9	129
1.2	वर्ष 2009-10, 2010-11 तथा 2011-12 के लिए लोक लेखा समिति में चर्चा किए जाने वाले बकाया अनुच्छेदों की सूची	1.10	130
1.3	वर्ष 2009-10, 2010-11 तथा 2011-12 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के अनुच्छेदों, जिनकी कृत कार्रवाई टिप्पणियां (कृ.का.टि.) 31 अगस्त 2014 को प्रतीक्षित हैं, के विवरण	1.10	131
1.4	अनुच्छेदों की सूची जिनमें वसूलियां इंगित की गई किन्तु प्रशासनिक विभागों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई	1.10	132
1.5	लोक लेखा समिति की 31 अगस्त 2014 के बकाया सिफारिशों के विवरण, जिन पर सरकार को अभी अंतिम निर्णय लेना था	1.10	133
2.1	माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा कार्यान्वित स्कीमों के विवरण	2.1.8	134
2.2	एवरऑन एजुकेशन लिमिटेड तथा कोर प्रोजेक्ट एण्ड टैक्नोलोजिज लिमिटेड से फीडबैक के विवरण दर्शाने वाली विवरणियां	2.1.8.1	137
2.3	2009-14 के दौरान सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों तथा सरकारी उच्च स्कूलों में विद्यार्थियों की पास प्रतिशतता के विवरण	2.1.9.1	138
2.4	अपग्रेड किए गए स्कूलों के विवरण जिन्होंने निर्धारित मानदण्ड पूर्ण नहीं किए	2.1.9.3	139
2.5	उम्मीदवारों के विवरण जिन्हें तैनाती आदेशों के जारी न होने के कारण बेकार वेतन का भुगतान किया गया	2.1.10.2	140
2.6	सा.स्वा.के. तथा प्रा.स्वा.के. में अपर्याप्त मूलभूत संरचना के विवरण	2.2.8.4	141
2.7	सा.स्वा.के. तथा प्रा.स्वा.के. में स्वास्थ्य सेवाओं की अनुपलब्धता के विवरण	2.2.8.6	142
2.8	अनिवार्य औषधियों की उपलब्धता दर्शाने वाले विवरण	2.2.10.1	143
2.9	गर्भवती महिलाओं की कुल संख्या तथा पहली तिमाही हेतु उनके पंजीकरण की स्थिति	2.2.11.1	144

परिशिष्ट	विवरण	संदर्भ	
		अनुच्छेद	पृष्ठ
2.10	परिवार कल्याण आयोजना के विभिन्न घटकों के लक्ष्यों एवं उपलब्धियों के विवरण	2.2.11.2	145
2.11	भूमि की बिक्री पर विकासकों द्वारा अर्जित लाभ के विवरण	2.3.10.1 (ix)	146
3.1	हैफेड को हस्तांतरित भूमि किंतु भूमि लागत वसूल नहीं की गई दर्शाने वाली विवरणी	3.1	147
3.2	कंटेनरों की खरीद हेतु अतिरिक्त व्यय दर्शाने वाले विवरण	3.4	148
3.3	पुलिस विभाग में 2009 – 14 के दौरान संस्वीकृत संख्या की तुलना में आई.पी.एस. तथा एच.पी.एस. अधिकारियों की वास्तविक संख्या	3.11	149
3.4	फोरेंसिक साईंस लैबोरेट्री में सैम्पलों की टैस्टिंग की लंबनता दर्शाने वाले विवरण	3.11	150
3.5	2012 – 13 तथा 2013 – 14 के दौरान परिचालकों की अधिक नियुक्ति पर किए गए अतिरिक्त व्यय दर्शाने वाले विवरण	3.21	151

प्राक्कथन

31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष का यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत हरियाणा राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में सामाजिक, सामान्य तथा आर्थिक क्षेत्रों (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों) के अंतर्गत हरियाणा सरकार के विभागों/स्वायत्त निकायों की निष्पादन लेखापरीक्षा तथा अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम शामिल हैं।

इस प्रतिवेदन में वे प्रकरण, जो वर्ष 2013-14 के दौरान नमूना-लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आये थे तथा वे, जो पूर्ववर्ती वर्षों में ध्यान में तो आये थे परन्तु पूर्ववर्ती प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित नहीं किए जा सके थे, उल्लिखित हैं; 2013-14 की अनुवर्ती अवधि से संबंधित मामले भी, जहां आवश्यक समझे गए, शामिल किए गए हैं।

लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए लेखापरीक्षण मानकों के अनुरूप की गई है।

ओवरव्यू

ओवरव्यू

इस प्रतिवेदन में (i) माध्यमिक शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली; (ii) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन; तथा (iii) शहरी संपदाओं का विकास, पर तीन निष्पादन लेखापरीक्षाएं तथा अधिक, अनियमित, निष्फल व्यय, परिहार्य भुगतान, राज्य सरकार को हानि, नियमों एवं कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में कमियां इत्यादि से संबंधित ₹ 1,036.62 करोड़ से आवेष्टित 23 अनुच्छेद शामिल हैं। कुछ मुख्य उपलब्धियां नीचे उल्लिखित हैं:

2009-14 के दौरान राज्य का कुल व्यय ₹ 31,305 करोड़ से 49 प्रतिशत बढ़कर ₹ 46,598 करोड़ हो गया, राज्य सरकार का राजस्व व्यय 2009-10 में ₹ 25,257 करोड़ से 66 प्रतिशत बढ़कर 2013-14 में ₹ 41,887 करोड़ हो गया जबकि 2009-14 की अवधि के दौरान पूंजीगत व्यय ₹ 5,218 करोड़ से 25 प्रतिशत घटकर ₹ 3,935 करोड़ रह गया।

निष्पादन लेखापरीक्षा

'माध्यमिक शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली' की निष्पादन लेखापरीक्षा की गई थी। कुछ मुख्य उपलब्धियां नीचे दी गई हैं:

- 2009-14 के दौरान योजनागत के अंतर्गत ₹ 56.23 करोड़ एवं ₹ 542.51 करोड़ के मध्य तथा गैर-योजनागत के अंतर्गत ₹ 67.50 करोड़ एवं ₹ 606.40 करोड़ के मध्य पर्याप्त बचतें थी। ₹ 8.87 करोड़ राशि की निधियां सरकारी खाते से बाहर रखी गई थी।

(अनुच्छेद 2.1.7 तथा 2.1.7.1)

- कंट्रेक्ट एग्रीमेंट के उल्लघंन में ₹ 1.06 करोड़ की अतिरिक्त अदायगी के द्वारा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी प्रयोगशालाओं के अनुरक्षण हेतु सर्विस प्रोवाइडर को अदेय लाभ दिया गया। सर्विस प्रोवाइडर द्वारा स्थापित सू.सं.प्रौ. प्रयोगशालाओं की कार्यप्रणाली 123 स्कूलों में से 102 जिनसे फीडबैक प्राप्त की गई थी द्वारा, घटिया मूल्यांकित की गई थी।

(अनुच्छेद 2.1.8.1)

- व्यय किए गए ₹ 39.75 लाख के संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी कैथल के पास वाउचर उपलब्ध नहीं थे तथा जि.शि.अ. नूहं द्वारा ₹ 4.99 लाख की सामग्री की अप्राप्ति थी, जो कि सरकारी धन के दुरूपयोग/गबन की राशि हो सकती है।

(अनुच्छेद 2.1.8.3)

- कक्षा 12 एवं 10 के विद्यार्थियों की पास प्रतिशतता क्रमश: 89.33 से 71.16 तक और 79.58 से 49.78 तक तीव्रता से घट गई। विभाग, द्वारा मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों का फीस ढांचा मानीटर नहीं किया गया था।

(अनुच्छेद 2.1.9.1 तथा 2.1.9.2)

- नमूना-जांच किए जिलों में अपग्रेड किए गए 91 स्कूलों में से, 55 स्कूलों द्वारा क्लासरूमज, विद्यार्थियों की संख्या, स्कूल परिसरों के क्षेत्र इत्यादि के निर्धारित मानक पूर्ण नहीं कर रहे थे। प्रधानाचार्यों, मुख्य अध्यापकों एवं लैक्चररों के कैडर में 37,236 संस्वीकृत पदों के विरूद्ध वास्तविक तैनाती 10,979 थी।

(अनुच्छेद 2.1.9.3 तथा 2.1.10.1)

'राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन' पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा की गई थी। कुछ मुख्य उपलब्धियां नीचे दी गई हैं:

- समग्र मिशन अवधि के लिए परिदृश्य योजना तैयार करने को सरल बनाने के लिए ग्रामीण स्तर पर आधार रेखा सर्वेक्षण तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सा.स्वा.के.) एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (प्रा.स्वा.के.) के सुविधा सर्वेक्षण 2013-14 तक आयोजित नहीं किए गए।

(अनुच्छेद 2.2.6)

- राज्य में चिकित्सा तथा अर्द्धचिकित्सा स्टाफ की 7 तथा 30 प्रतिशत के बीच श्रृंखलित कमी के अतिरिक्त, 125 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सा.स्वा.के.), 501 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (प्रा.स्वा.के.) तथा 3,006 उप-केंद्रों (उ.कें.) की आवश्यकता के विरूद्ध 112 सा.स्वा. के., 485 प्रा.स्वा.के. तथा 2,630 उप.के. उपलब्ध थे।

(अनुच्छेद 2.2.8.1 तथा 2.2.9)

- 2010-14 के दौरान नमूना-जांच किए गए सामान्य अस्पतालों, सा.स्वा.के. तथा प्रा.स्वा.के. में अनिवार्य दवाइयों की कमी थी। राज्य में 16,800 अधिकृत सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं में से 4,800 को औषधि किट प्रदान नहीं की गई। जहां एक फर्म अन्य निगम/राज्य द्वारा ब्लैकलिस्ट की गई है, विभाग द्वारा मामलों से संव्यवहार के लिए कोई दिशानिर्देश नहीं बनाए गए थे।

(अनुच्छेद 2.2.10.1 से 2.2.10.3)

- प्रथम तिमाही के समय पंजीकृत गर्भवती महिलाओं की बृहद् संख्या प्रसवपूर्व जांच के लिए नहीं दर्शाई गई। जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत अत्यधिक विलंब/प्रोत्साहनों के भुगतान न करने के मामले थे।

(अनुच्छेद 2.2.11.1)

- 2009-14 के दौरान 7.14 लाख मोतियाबिंद आप्रेशन किए जाने के लक्ष्य के विरूद्ध 6.42 लाख मोतियाबिंद आप्रेशन किए गए। अपवर्तक त्रुटियुक्त 1,22,966 विद्यार्थियों की पहचान के विरूद्ध केवल 44,320 विद्यार्थियों को ऐनक प्रदान की गई।

(अनुच्छेद 2.2.12)

'शहरी संपदाओं का विकास' की निष्पादन लेखापरीक्षा की गई। कुछ मुख्य उपलब्धियां नीचे दी गई है:

- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की आयोजना, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रीय आयोजना बोर्ड की क्षेत्रीय योजना के सामंजस्य में नहीं की गई थी।

(अनुच्छेद 2.3.6.1)

- भूमि अधिग्रहण अधिकारियों द्वारा भू-स्वामियों के मामलों को न्यायालयों के पास भेजने में विलंब के परिणामस्वरूप ₹ 3.17 करोड़ के ब्याज की अतिरिक्त अदायगी हुई। आगे, भूमि के बढ़े हुए मुआवजे की अदायगी करने में विलंब के कारण ₹ 4.67 करोड़ के ब्याज की अतिरिक्त अदायगी हुई।

(अनुच्छेद 2.3.7.1 एवं 2.3.7.2)

- गुड़गांव में आटो मार्किट के विकास पर ₹ 2.46 करोड़, पांच सीवर और स्टोर्म वाटर ड्रेनज के निष्पादन पर ₹ 19.52 करोड़ और चार सड़क निर्माण कार्यों के निष्पादन पर ₹ 1.90 करोड़ की राशि, कार्यों के घटिया कार्यान्वयन के कारण निष्फल बना दी गई।

(अनुच्छेद 2.3.8.1, 2.3.8.5 तथा 2.3.8.7)

- आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 'आशियाना स्कीम' के अंतर्गत उचित सर्वेक्षण किए बिना ₹ 93.88 करोड़ की लागत पर निर्मित 2,563 मकान, पात्र व्यक्तियों की अनुपलब्धता के कारण अनाबंटित रहे।

(अनुच्छेद 2.3.9.1)

- कालोनाइजरों द्वारा वाणिज्यिक क्षेत्रों के विकास में पारदर्शिता और निरंतरता की कमी, कालोनाइजरों के आवेदन पत्र प्रोसेस करने, विकसित किए जाने वाले क्षेत्र की सघनता का निर्णय लेने, आंतरिक सड़कों के विकास, वाणिज्यिक कालोनियां स्थापित करने के लिए क्षेत्र मानकों के नियत करने, वित्तीय पर्याप्तता के निर्धारण करने, विकास योजना की व्याख्या करने और लाईसैंसों के हस्तांतरण इत्यादि में दिखाई दी। परिणामत:, विशेष आवेदकों को अनुचित लाभ देने की संभावना का पता नहीं लगाया जा सका। पांच विकासकों ने परियोजनाओं को पूर्ण किए बिना भूमि की बिक्री पर ₹ 52.26 करोड़ की लागत पर ₹ 215.21 करोड़ का लाभ अर्जित किया।

(अनुच्छेद 2.3.10.1)

- हाऊसिंग स्कीमों को चलाने के लिए कालोनाइजरों के विज्ञापन पर विभाग की अपर्याप्त मानीटरिंग के कारण एक कालोनाइजर द्वारा आवेदकों से ₹ 55 करोड़ का अनधिकृत संग्रहण हुआ।

(अनुच्छेद 2.3.10.2)

अनुपालन लेखापरीक्षा

73 एकड़ भूमि की लागत के रूप में ₹ 28.96 करोड़ की राशि तथा उपर्युक्त राशि पर ₹ 12.35 करोड़ ब्याज के रूप में हरियाणा स्टेट को-आपरेटिव सप्लाई एण्ड मार्केटिंग फैडरेशन लिमिटेड (हैफेड) से वसूल किए जाने थे।

(अनुच्छेद 3.1)

22 ग्राम पंचायतों में 28 संस्थागत शौचालयों का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया था या अधूरा पड़ा रहा। ठोस एवं द्रव्य कचरा प्रबंधन परियोजनाएं आरंभ नहीं की गई थी। 196 सामुदायिक स्वच्छता परिसरों के लक्ष्य के विरूद्ध केवल 113 शौचालयों का ही निर्माण किया गया, 133 लाभर्थियों को शौचालयों का निर्माण सुनिश्चित किए बिना ₹ 3.46 लाख की प्रोत्साहन राशि दी गई तथा ₹ 3.10 लाख की प्रोत्साहन राशि का दो बार भुगतान किया गया।

(अनुच्छेद 3.2)

उच्च दरों पर डयूल डैस्क की खरीद के परिणामस्वरूप ₹ 7.61 करोड़ का अतिरिक्त परिहार्य व्यय हुआ।

(अनुच्छेद 3.3)

हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा स्वास्थ्य विभाग ने बायो-मैडिकल वेस्ट (मैनेजमैंट एण्ड हैंडलिंग) नियम, 1998 लागू नहीं किए क्योंकि बायो-मैडिकल वेस्ट (बा.मै.वे.) उत्पन्न करने वाली स्थापनाओं की पहचान नहीं की गई थी तथा प्राधिकृत स्वास्थ्य देख-रेख स्थापनाओं का निरीक्षण नहीं किया गया था। बायो-मैडिकल वेस्ट, रंग कोडिड कंटेनरों में अलग-अलग नहीं किए जा रहे थे न ही उचित प्रकार से निपटान किए जा रहे थे।

(अनुच्छेद 3.5)

विभिन्न सरकारी विभागों ने हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल विकास निगम (ह.रा.स.पु.वि.नि.) से अप्रयुक्त निधियों पर ₹ 20.21 करोड़ के ब्याज की वसूली नहीं की।

(अनुच्छेद 3.7)

ड्रग टैस्टिंग लैबोरेटरी तथा राज्य आयुर्वेदिक फार्मेसी के निर्माण पर ₹ 3.40 करोड़ का किया गया व्यय मानव शक्ति की अनुपलब्धता के कारण निष्फल रहा।

(अनुच्छेद 3.9)

अधिकारियों तथा आपरेशनल पुलिस फोर्स की कमी के बावजूद कुछ कार्यालयों में संस्वीकृत संख्या के आधिक्य में पुलिस कार्मिक तैनात थे। फारेंसिक साईस लेबोरेटरी में कमी 50 प्रतिशत की सीमा तक थी परिणामत: सैम्पलों की लंबनता में वृद्धि हुई। राज्य में अपराध अनुपात पड़ोसी राज्यों की तुलना में बहुत अधिक था।

(अनुच्छेद 3.11)

जैव खेती स्कीम के अंतर्गत चार सेवा प्रदाताओं द्वारा ₹ 1.58 करोड़, जो फार्म निवेशों के लिए अभिप्रेत थे, स्टॉफ वेतन हेतु विपथित किए गए थे। नए बागान स्कीम के अंतर्गत पौधों की उत्तरजीविता दर बहुत कम थी। 237 सामुदायिक टैंक अधूरे थे और पौधा स्वास्थ्य क्लीनिक अपेक्षित उद्देश्य हेतु प्रयुक्त नहीं किए गए थे।

(अनुच्छेद 3.12)

जल आपूर्ति एवं स्वच्छता बोर्ड द्वारा बचत बैंक खातों के प्रचालन के संबंध में कार्यक्रम दिशानिर्देशों की अननुपालना के परिणामस्वरूप ₹ 5.51 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।

(अनुच्छेद 3.15)

लाभभोगी विभाग से लिखित सहमति प्राप्त न करने के कारण ₹ 1.24 करोड़ का भारत सरकार अनुदान प्राप्त नहीं किया जा सका तथा पुराने विनिर्देशनों के साथ कम कार्य जीवन वाली 8,691 स्ट्रीट लाइटों के प्रापण पर ₹ 3.78 करोड़ का अधिक व्यय किया गया था। ₹ 2.96 करोड़ का लाभभोगी हिस्सा वसूलनीय था और एजेंसी को अनुचित लाभ दिया गया था।

(अनुच्छेद 3.17)

बसों की उपलब्धता के बिना परिचालकों की नियुक्ति के परिणामस्वरूप ₹ 9.93 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

(अनुच्छेद 3.21)

1,082 दावेदारों को विवाह शगुन जारी करने में पांच से 32 माह का विलंब देखा गया। लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता स्कीम के अंतर्गत सही सत्यापन के बिना 5,153 लाभार्थियों को ₹ 10.95 करोड़ भुगतान किए गए। 4,000 कन्या विद्यार्थी योग कक्षाओं तथा स्वयं सुरक्षा परीक्षण से वंचित रखी गई। 2009-14 अवधि के दौरान जींद तथा हिसार में कन्या शिशु का अनुपात घट गया था।

(अनुच्छेद 3.23)

अध्याय 1

प्रस्तावना

अध्याय – 1

प्रस्तावना

1.1 बजट प्रोफाइल

राज्य में 56 विभाग तथा 29 स्वायत्त निकाय हैं। वर्ष 2009-14 के दौरान बजट अनुमानों तथा राज्य सरकार द्वारा उनके विरूद्ध वास्तविकों की स्थिति **तालिका** 1.1 में दी गई है।

तालिका 1.1: 2009 – 14 के दौरान राज्य का बजट तथा वास्तविक व्यय

(₹ करोड़ में)

व्यय	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13		2013-14	
	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक
सामान्य सेवाएं	7,876	7,755	8,916	9,328	10,684	10,220	12,331	11,897	14,481	13,597
सामाजिक सेवाएं	9,783	9,902	11,349	10,904	13,969	12,642	15,935	14,516	18,563	15,414
आर्थिक सेवाएं	8,072	7,530	8,142	7,997	9,923	9,054	11,348	11,557	13,000	12,740
सहायता अनुदान एवं अंशदान	90	70	76	81	103	99	170	102	179	136
कुल (1)	**25,821**	**25,257**	**28,483**	**28,310**	**34,679**	**32,015**	**39,784**	**38,072**	**46,223**	**41,887**
पूंजीगत परिव्यय	3,973	5,218	3,516	4,031	4,641	5,372	4,661	5,762	5,766	3,935
संवितरित ऋण एवं अग्रिम	1,483	830	1,602	722	957	627	874	522	1,084	776
लोक ऋण का पुनर्भुगतान	3,686	2,746	5,954	3,971	6,666	4,037	9,221	5,951	13,105	7,968
आकस्मिक निधि	-	-	-	190	-	168	-	-	-	-
लोक लेखा संवितरण	52,628	14,320	66,505	15,324	73,595	17,051	75,894	21,074	94,863	24,560
अंतिम नकद शेष	-	493	-	377	-	2,162	-	2,697	-	6,007
कुल (2)	**61,770**	**23,607**	**77,577**	**24,615**	**85,859**	**29,417**	**90,650**	**36,006**	**1,14,818**	**43,246**
कुल योग (1+2)	**87,591**	**48,864**	**1,06,060**	**52,925**	**1,20,538**	**61,432**	**1,30,434**	**74,078**	**1,61,041**	**85,133**

स्रोत: वार्षिक वित्तीय विवरणियां तथा राज्य सरकार के बजट के स्पष्टीकरण ज्ञापन।

1.2 राज्य सरकार के संसाधनों का उपयोग

2013-14 के दौरान ₹ 1,61,041 करोड़ के कुल परिव्यय के विरूद्ध ₹ 85,133 करोड़ का कुल व्यय था। राज्य का कुल व्यय 2009-14 के दौरान ₹ 31,305 करोड़ से 49 प्रतिशत बढ़कर ₹ 46,598 करोड़ हो गया तथा राज्य सरकार का राजस्व व्यय 2009-14 के दौरान ₹ 25,257 करोड़ से 66 प्रतिशत बढ़कर ₹ 41,887 करोड़ हो गया। 2009-14 की अवधि के दौरान नॉन-प्लान राजस्व व्यय ₹ 19,542 करोड़ से 62 प्रतिशत बढ़कर ₹ 31,735 करोड़ तथा पूंजीगत व्यय ₹ 5,218 करोड़ से 25 प्रतिशत घटकर ₹ 3,935 करोड़ रह गया। 2009-14 की अवधि के दौरान राजस्व व्यय ने कुल व्यय का 81 से 90 प्रतिशत तथा पूंजीगत व्यय ने 8 से 17 प्रतिशत संघटित किया।

इस अवधि के दौरान कुल व्यय 13 प्रतिशत की वार्षिक औसत वृद्धि दर से बढ़ा जबकि 2009-14 के दौरान राजस्व प्राप्तियां 16 प्रतिशत की वार्षिक औसत वृद्धि दर से बढ़ी।

1.3 निरंतर बचतें

पिछले पांच वर्षों के दौरान तीन अनुदानों तथा एक विनियोजन में ₹ 10 करोड़ से अधिक की निरंतर बचतें थी जो कुल अनुदानों का 10 प्रतिशत या अधिक भी थी (**तालिका 1.2**)।

तालिका 1.2: 2009 – 14 के दौरान निरंतर बचतों वाले अनुदानों की सूची

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या एवं नाम	कुल प्रावधान से बचत की प्रतिशतता (बचत की राशि)				
		2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
राजस्व (वोटिड)						
1.	04 - राजस्व	33 (179.31)	22 (273.17)	47 (421.74)	39 (358.99)	33 (325.49)
2.	24 - सिंचाई	09 (366.75)	27 (311.48)	30 (409.81)	27 (375.55)	25 (382.54)
पूंजीगत (वोटिड)						
3.	45 - राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम	44 (653.58)	55 (880.53)	46 (532.72)	41 (366.19)	29 (313.67)
पूंजीगत (चार्जड)						
4.	लोक ऋण	43 (2,032.39)	41 (3,226.08)	37 (2,944.26)	40 (4,250.68)	38 (5,027.64)

(स्रोतः संबंधित वर्षों के **विनियोजन लेखे**)

1.4 राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे हस्तांतरित निधियां

2013 - 14 के दौरान, भारत सरकार ने राज्य बजट के माध्यम के बिना विभिन्न राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को ₹ 2,308 करोड़ हस्तांतरित किए (राज्य वित्तों पर भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक के 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए प्रतिवेदन का अनुच्छेद 1.2.2)। कार्यान्वयन एजेंसियों को भारत सरकार द्वारा सीधे ही हस्तांतरित निधियों तथा प्रमुख फ्लैगशिप स्कीमों तथा अन्य महत्वपूर्ण स्कीमों, जो राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं, पर विशेष वर्ष में कितना धन वास्तव में खर्च किया गया है, को मानीटर करने के लिए राज्य में एक भी एजेंसी नहीं है तथा कोई सुलभ डाटा उपलब्ध नहीं है।

1.5 भारत सरकार से सहायता अनुदान

वर्ष 2009 - 10 से 2013 - 14 के दौरान भारत सरकार से प्राप्त किए गए सहायता अनुदान **तालिका 1.3** में दिए गए हैं।

तालिका 1.3: भारत सरकार से सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
नॉन - प्लान अनुदान	1,617.34	1,765.98	1,246.51	851.62	2,256.17
राज्य प्लान स्कीमों के लिए अनुदान	920.37	749.74	674.54	727.75	856.66
केंद्रीय प्लान स्कीमों के लिए अनुदान	50.87	87.79	50.79	44.32	62.99
केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के लिए अनुदान	668.72	447.11	783.09	715.56	951.36
कुल	**3,257.30**	**3,050.62**	**2,754.93**	**2,339.25**	**4,127.18**

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

1.6 लेखापरीक्षा का आयोजन तथा संचालन

विभिन्न विभागों, स्वायत्त निकायों, स्कीमों/परियोजनाओं इत्यादि के जोखिम निर्धारण, गतिविधियों की विवेचनात्मकता/जटिलता, सौंपी गई वित्तीय शक्तियों के स्तर, आंतरिक नियंत्रणों तथा नागरिकों की अपेक्षाओं और पिछले लेखापरीक्षा परिणामों के आकलन के साथ लेखापरीक्षा प्रक्रिया शुरू होती है। जोखिम निर्धारण के आधार पर, लेखापरीक्षा की फ्रीक्वेंसी तथा सीमा निश्चित की जाती है और वार्षिक लेखापरीक्षा योजना तैयार की जाती है।

लेखापरीक्षा की समाप्ति के पश्चात, लेखापरीक्षा परिणामों से समाविष्ट निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अध्यक्ष को चार सप्ताह के भीतर उत्तर प्रस्तुत करने के आग्रह के साथ जारी किया जाता है। जब-जब उत्तर प्राप्त किए जाते हैं, लेखापरीक्षा परिणामों का या तो समाधान कर दिया जाता है अथवा अनुपालना के लिए अगली कार्रवाई का सुझाव दिया जाता है। इन निरीक्षण प्रतिवेदनों में इंगित की गई महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत हरियाणा के राज्यपाल को प्रस्तुत किए जाते हैं, में शामिल करने के लिए तैयार किया जाता है।

2013-14 के दौरान, राज्य के 1,097 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों तथा 29 स्वायत्त निकायों की अनुपालन लेखापरीक्षा प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हरियाणा के कार्यालय द्वारा की गई थी। इसके अतिरिक्त तीन निष्पादन लेखापरीक्षाएं[1] भी की गई थी।

1.7 महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां तथा लेखापरीक्षा को सरकार के उत्तर

पिछले कुछ वर्षों में लेखापरीक्षा ने चयनित विभागों में आंतरिक नियंत्रणों की गुणवत्ता के अतिरिक्त विभिन्न कार्यक्रमों/गतिविधियों के कार्यान्वयन में कई महत्वपूर्ण कमियों, जिनका विभागों के कार्यक्रमों तथा कार्यविधियों की सफलता पर निगेटिव प्रभाव है, पर रिपोर्ट की है। मुख्यत: विशिष्ट कार्यक्रमों/स्कीमों की लेखापरीक्षा तथा नागरिक सेवाओं में सुधार लाने हेतु कार्यकारियों को उपयुक्त सिफारिशें प्रदान करने पर जोर देना था।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखा एवं लेखापरीक्षा पर विनियम, 2007 के प्रावधान के अनुसार विभागों द्वारा छ: सप्ताह के भीतर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल करने के लिए प्रस्तावित प्रारूप लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों/प्रारूप अनुच्छेदों पर अपनी प्रतिक्रिया भेजनी अपेक्षित थी। यह उनके व्यक्तिगत ध्यान में लाया गया था कि भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन, जो कि हरियाणा विधान सभा को प्रस्तुत किया जाता है, में शामिल करने से पहले उनकी टिप्पणी वांछित थी। प्रतिवेदन में शामिल किए जाने के लिए प्रस्तावित इन ड्राफ्ट रिपोर्टों तथा अनुच्छेदों को संबंधित अपर मुख्य सचिवों/प्रधान सचिवों/सचिवों को भी उनके उत्तर प्राप्त करने के लिए अग्रेषित किया गया था। इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में तीन निष्पादन लेखापरीक्षाएं, 23 अनुपालन लेखापरीक्षा अनुच्छेद शामिल हैं, जो संबंधित प्रशासनिक सचिवों को अग्रेषित किए गए थे। सभी

[1] (i) माध्यमिक शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली, (ii) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन तथा (iii) शहरी संपदाओं का विकास।

तीन निष्पादन लेखापरीक्षाओं तथा सात अनुपालन लेखापरीक्षा अनुच्छेदों के उत्तर प्राप्त किए गए हैं जो कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से शामिल कर लिए गए हैं।

1.8 लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर वसूलियां

सरकारी विभागों के लेखाओं की नमूना-लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आए वसूलियों से आवेष्टित लेखापरीक्षा परिणाम, पुष्टि तथा लेखापरीक्षा को सूचना के अधीन आगे आवश्यक कार्रवाई हेतु विभिन्न विभागीय आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को भेजे गए थे। निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के पश्चात् विभिन्न विभागों द्वारा 2013-14 के दौरान 20 मामलों में ₹ 5.36 करोड़ की राशि वसूल की गई थी।

1.9 लेखापरीक्षा को सरकार की जवाबदेही में कमी

सरकारी विभागों के आवधिक निरीक्षणों के बाद प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) अगले उच्चत्तर प्राधिकारियों को प्रतियों के साथ लेखापरीक्षित कार्यालयों के अध्यक्षों को निरीक्षण प्रतिवेदन जारी करते हैं। कार्यकारी प्राधिकारियों से इंगित की गई त्रुटियों तथा चूकों को तत्परता से दूर करने और चार सप्ताह के भीतर प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को अनुपालना सूचित करने की प्रत्याशा की जाती है। छः माह से अधिक लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन की अर्ध-वार्षिक रिपोर्टें, लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की मानीटरिंग तथा अनुपालना को सुगम बनाने के लिए, विभागों के संबंधित प्रशासनिक सचिवों को भी भेजी जाती हैं।

जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के 56 मंडल कार्यालयों तथा 16 सर्कल कार्यालयों के मार्च 2014 तक जारी किए गए निरीक्षण प्रतिवेदनों की समीक्षा ने प्रकट किया कि ₹ 1,644.73 करोड़ के धन मूल्य वाले 238 निरीक्षण प्रतिवेदन के 658 अनुच्छेद जून 2014 के अंत तक बकाया थे जैसा **तालिका 1.4** में इंगित किया गया है।

तालिका 1.4: बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा अनुच्छेदों का वर्षवार विघटन

वर्ष	निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	अनुच्छेदों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1993-94 से 2008-09	61	73	43.69
2009-10	24	37	93.21
2010-11	33	51	54.40
2011-12	36	82	184.47
2012-13	39	133	365.06
2013-14	45	282	903.90
कुल	**238**	**658**	**1,644.73**

(स्रोतः प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) कार्यालय में अनुरक्षित आई.आर. रजिस्टरों से ली गई सूचना)

इन निरीक्षण प्रतिवेदन, जिनका 30 जून 2014 तक समाधान नहीं किया गया था, के माध्यम से इंगित की गई अनियमितताओं के श्रेणी-वार विवरण ***परिशिष्ट 1.1*** में इंगित किए गए हैं।

विभाग के प्रशासनिक सचिव, जिन्हें अर्ध-वार्षिक रिपोर्टों के माध्यम से स्थिति की सूचना दी गई थी, द्वारा लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर तुरंत एवं समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित नहीं की गई।

1.10 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्तन

हरियाणा सरकार, वित्त विभाग द्वारा जारी (अक्तूबर 1995) तथा मार्च 1997 एवं जुलाई 2001 में दोहराए गए अनुदेशों के अनुसार प्रशासनिक विभागों से नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रस्तुत किए गए सभी लेखापरीक्षा अनुच्छेदों तथा निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर, इस बात की परवाह किए बगैर कि क्या ये मामले लोक लेखा समिति द्वारा जांच हेतु लिए गए थे या नहीं, स्वत: सकारात्मक एवं निश्चित कार्रवाई आरंभ करनी अपेक्षित थी। प्रशासनिक विभागों से विधानमंडल को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतिकरण के तीन माह के भीतर उनके द्वारा की गई अथवा की जाने वाली सुधारात्मक कार्रवाई इंगित करते हुए लेखापरीक्षा द्वारा विधिवत् जांची गई विस्तृत टिप्पणियां प्रस्तुत करनी भी अपेक्षित थी।

31 मार्च 2014 को समाप्त अवधि तक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल किए गए अनुच्छेदों पर कृत कार्रवाई टिप्पणियों की प्राप्ति के संबंध में स्थिति की समीक्षा ने प्रकट किया कि 2009–10, 2010–11 तथा 2011–12 की अवधि के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधान–मंडल को प्रस्तुत[2] किए गए थे। इन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल किए गए 19 प्रशासनिक विभागों के 52 अनुच्छेदों तथा निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर अभी लोक लेखा समिति में चर्चा की जानी शेष थी ***(परिशिष्ट 1.2)***। बारह प्रशासनिक विभागों के मामले में 15 अनुच्छेदों तथा निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर कृत कार्रवाई टिप्पणियां ***परिशिष्ट 1.3*** में दिए गए विवरणों के अनुसार प्रस्तुत नहीं की गई थी। दस प्रशासनिक विभागों ने ***परिशिष्ट 1.4*** में दिए गए विवरणों के अनुसार 20 अनुच्छेदों तथा निष्पादन लेखापरीक्षाओं के संबंध में ₹ 235 करोड़ की राशि वसूल करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की।

आगे, लोक लेखा समिति की सिफारिशों की ओर प्रशासनिक विभागों की प्रतिक्रिया प्रोत्साहक नहीं थी क्योंकि 1971–72 से 2008–09 तक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित 426 सिफारिशें, ***परिशिष्ट 1.5*** में दिए गए विवरणों के अनुसार, संबंधित प्रशासनिक विभागों द्वारा अंतिम कार्रवाई अब तक वांछित थी।

1.11 राज्य विधान सभा में स्वायत्त निकायों के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतिकरण की स्थिति

शहरी विकास, आवास, श्रम कल्याण, कृषि, इत्यादि के क्षेत्र में सरकार द्वारा कई स्वायत्त निकाय स्थापित किए गए हैं। राज्य में 28 निकायों के लेखाओं की लेखापरीक्षा नियंत्रक–महालेखापरीक्षक को सौंपा गया है (संदर्भ 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य के वित्तों पर भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन का अनुच्छेद 3.3)। लेखापरीक्षा को लेखाओं के प्रस्तुतिकरण और विधान सभा में पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के रखने में विलंबों के अनुसार स्वायत निकायों के निरंतर वितरण को **तालिका 1.5** में संक्षेपित किया गया है।

[2] लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2009–10: मार्च 2011, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2010–11: फरवरी 2012 तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2011–12: मार्च 2013

तालिका 1.5: लेखाओं के प्रस्तुतिकरण और पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के पटल पर रखने में विलंब

लेखाओं के प्रस्तुतिकरण में विलंब (महीनों में)	स्वायत्त निकायों की संख्या	विलंब के कारण	विधानसभा में पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतिकरण में विलंब (वर्षों में)	स्वायत्त निकायों की संख्या	विलंब के कारण
1 – 2	6	स्वायत्त निकायों द्वारा लेखे तैयार नहीं किए गए थे।	1 - 2		विभागों द्वारा विलम्ब के कारणों को सूचित नहीं किया गया।
2 – 3	5		2 - 3	2	
3 – 4	1		3 - 4		
4 – 5	1		4 - 5		
5 एवं अधिक	8		5 एवं अधिक	22	
कुल	**21**			**24**	

आगे यह देखा गया कि 6[3] स्वायत्त निकायों ने अपने वार्षिक लेखे गत 17 वर्षों (1996-97 और उसके आगे) से प्रस्तुत नहीं किए थे।

1.12 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रकट निष्पादन लेखापरीक्षाओं तथा अनुच्छेदों के वर्ष-वार विवरण

गत दो वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रकट निष्पादन लेखापरीक्षाओं तथा अनुच्छेदों के वर्ष-वार विवरण उनके धन मूल्य के साथ **तालिका 1.6** में दिए गए हैं।

तालिका 1.6: 2012-13 के दौरान लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रकट समीक्षाओं तथा अनुच्छेदों से संबंधित विवरण

वर्ष	निष्पादन लेखापरीक्षा		अनुच्छेद		प्राप्त किए गए उत्तर	
	संख्या	धन मूल्य (₹ करोड़ में)	संख्या	धन मूल्य (₹ करोड़ में)	निष्पादन लेखापरीक्षा	ड्राफ्ट अनुच्छेद
2011-12	5	1,958.20	25	490.61	5	22
2012-13	5	1,166.63	21	786.57	2	10

2013-14 के दौरान ₹ 887.81 करोड़ मूल्य वाली तीन निष्पादन लेखापरीक्षाएं तथा ₹ 148.81 करोड़ मूल्य वाले 23 अनुच्छेद इस प्रतिवेदन में शामिल किए गए हैं। तीन निष्पादन लेखापरीक्षाओं तथा सात अनुच्छेदों के उत्तर प्राप्त कर लिए गए हैं जो उपयुक्त रूप से लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल कर लिए गए हैं।

[3] जिला कानूनी सेवाएं प्राधिकरण: गुड़गांव, झज्जर, पंचकूला, रेवाड़ी, रोहतक तथा सोनीपत।

अध्याय 2
निष्पादन लेखापरीक्षा

अध्याय – 2

निष्पादन लेखापरीक्षा

माध्यमिक शिक्षा विभाग

2.1 माध्यमिक शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली

माध्यमिक शिक्षा शैक्षिक अनुक्रम में एक निर्णायक चरण है क्योंकि यह विद्यार्थियों को उच्चतर शिक्षा और बाद में लाभदायी रोजगार के लिए भी तैयार करती है। माध्यमिक शिक्षा विभाग का मुख्य उद्देश्य माध्यमिक स्तर पर गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करना है।

कुछ महत्वपूर्ण परिणाम नीचे दिए गए है:

2009 – 14 के दौरान योजनागत के अंतर्गत ₹ 56.23 करोड़ एवं ₹ 542.51 करोड़ के मध्य तथा योजनेतर के अंतर्गत ₹ 67.50 करोड़ एवं ₹ 606.40 करोड़ के मध्य पर्याप्त बचतें थी। ₹ 8.87 करोड़ राशि की निधियां सरकारी खाते से बाहर रखी गई थी।

(अनुच्छेद 2.1.7 तथा 2.1.7.1)

कंट्रेक्ट एग्रीमेंट के उल्लघंन में ₹ 1.06 करोड़ की अतिरिक्त अदायगी के द्वारा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी प्रयोगशालाओं के अनुरक्षण हेतु सर्विस प्रोवाइडर को अदेय लाभ दिया गया। सर्विस प्रोवाइडर द्वारा स्थापित सू.सं.प्रौ. प्रयोगशालाओं की कार्यप्रणाली 123 स्कूलों में से 102 जिनसे फीडबैक प्राप्त की गई थी द्वारा, घटिया मूल्यांकित की गई थी।

(अनुच्छेद 2.1.8.1)

व्यय किए गए ₹ 39.75 लाख के संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी कैथल के पास वाउचर उपलब्ध नहीं थे तथा जि.शि.अ. नूहं द्वारा ₹ 4.99 लाख की सामग्री की अप्राप्ति थी, जो कि सरकारी धन के दुरूपयोग/गबन की राशि हो सकती है।

(अनुच्छेद 2.1.8.3)

कक्षा 12 एवं 10 के विद्यार्थियों की पास प्रतिशतता क्रमशः 89.33 से 71.16 तक और 79.58 से 49.78 तक तीव्रता से घट गई। विभाग, द्वारा मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों का फीस ढांचा मानीटर नहीं किया गया था।

(अनुच्छेद 2.1.9.1 तथा 2.1.9.2)

नमूना – जांच किए जिलों में अपग्रेड किए गए 91 स्कूलों में से, 55 स्कूलों द्वारा क्लासरूमज, विद्यार्थियों की संख्या, स्कूल परिसरों के क्षेत्र इत्यादि के निर्धारित मानक पूर्ण नहीं कर रहे थे। प्रधानाचार्यों, मुख्य अध्यापकों एवं लैक्चररों के कैडर में 37,236 संस्वीकृत पदों के विरूद्ध वास्तविक तैनाती 10,979 थी।

(अनुच्छेद 2.1.9.3 तथा 2.1.10.1)

2.1.1. प्रस्तावना

माध्यमिक शिक्षा, शैक्षणिक अनुक्रम में एक निर्णायक चरण है क्योंकि यह विद्यार्थियों को उच्चतर शिक्षा के लिए तैयार करती है। वैज्ञानिक एवं तकनीकी दुनिया में तीव्र परिवर्तन के साथ, यह आवश्यक हो गया है कि स्कूल छोड़ने वाले, उन्हें आठ वर्षों में प्रदान की गई मौलिक शिक्षा की तुलना में, ज्ञान एवं निपुणता का उच्चतर स्तर प्राप्त करें। माध्यमिक शिक्षा विभाग का मुख्य उद्देश्य माध्यमिक स्तर पर गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करना है।

2.1.2. संगठनात्मक ढांचा

अपर मुख्य सचिव (अ.मु.स.) हरियाणा सरकार, शिक्षा विभाग, विभाग का प्रशासनिक प्रमुख है और शिक्षा नीति के कार्यान्वयन और विभाग के प्रशासनिक कार्यों को निभाने के लिए उत्तरदायी है। महानिदेशक (म.नि.), माध्यमिक शिक्षा विभाग, विभाग का मुखिया है। राज्य में 21 जिला शिक्षा अधिकारी (जि.शि.अ.) है। दिसंबर 2013 को राज्य में 1,444 उच्च स्कूल[1] एवं 1,729 वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल[2] थे। राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (रा.शि.अ.प्र.प.) गुड़गांव एवं 27 जिला शैक्षणिक प्रशिक्षण संस्थान (जि.शि.प्र.सं.) राजकीय मौलिक अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान (रा.मौ.अ.प्र.सं.) अध्यापकों को प्रशिक्षण दे रहे हैं।

2.1.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

लेखापरीक्षा का मुख्य उद्देश्य यह मूल्यांकन करना था कि क्या:

- विभाग के उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए प्रभावी योजना एवं कार्यक्रम प्रबंधन अस्तित्व में है;
- विभाग का वित्तीय प्रबंधन दक्षतापूर्ण चलाया गया था;
- विद्यार्थियों के शैक्षणिक मानकों के सुधार करने की स्कीमें उचित रूप में कार्यान्वित की गई थी;
- मानव-शक्ति प्रबंधन दक्ष था; तथा
- एक प्रभावी आंतरिक नियन्त्रण प्रणाली विद्यमान थी।

[1] लड़के: 872, लड़कियां: 201, सह-शिक्षा: 371

[2] लड़कों के: 1,048, लड़कियों के: 292, सह-शिक्षा: 389

2.1.4 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं प्रणाली

विभाग की कार्य-प्रणाली से संबंधित 2009-14 के वर्षों के अभिलेख की, मा.नि., माध्यमिक शिक्षा विभाग और 21 जिलों में से सात[3] क्षेत्रीय कार्यालयों में फरवरी-जुलाई 2014 के दौरान नमूना-जांच की गई। जिले बिना परिवर्तन संभावित समानुपाति आकार विधि-प्रयोग करके चुने गये। अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग के साथ मार्च 2014 में एक एंट्री कांफ्रेंस की गई जिसमें लेखापरीक्षा के उद्देश्य, लेखापरीक्षा के मापदंड एवं लेखापरीक्षा के क्षेत्र पर चर्चा की गई।

निदेशक एवं अपर सचिव (नि. एवं अ.स.) माध्यमिक शिक्षा विभाग (मा.शि.वि.) के साथ नवंबर 2014 में हुई एग्जिट कांफ्रेंस में लेखापरीक्षा जांच परिणामों पर चर्चा की गई। विभाग के उत्तर एवं 'एग्जिट कांफ्रेंस' में हुए विचार-विमर्श प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से सम्मिलित किए गए हैं।

2.1.5. लेखापरीक्षा मापदंड

लेखापरीक्षा मापदंड निम्नलिखित स्रोत्रों से प्राप्त किए गए थे:

- पंजाब बजट मैन्यूअल, पंजाब वित्तीय नियम एवं पंजाब कोषालय नियम।
- विभिन्न स्कीमों के मार्ग निर्देश एवं समय-समय पर सरकार द्वारा जारी किए निर्देश।
- विभिन्न गतिविधियों के लिए नियत किए गए लक्ष्यों सहित वार्षिक कार्य योजना।
- विभिन्न स्तरों पर मानीटरिंग के लिए निर्धारित कार्यविधि।

2.1.6 आयोजना

माध्यमिक स्कूल स्तर पर मानव संसाधनों के विकास के लिए, विभाग ने, अपने लक्ष्य और उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अपनी गतिविधियां ग्यारहवीं एवं बारहवीं पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में आयोजित की। विभाग, स्कूलों में भवनों के निर्माण, विज्ञान प्रयोगशालाएं प्रदान करने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में संस्थानों की वास्तविक मांग देखे बिना निधियां दे रहा था क्योंकि स्थान की अनुपलब्धता के कारण संस्थानों में निधियां अप्रयुक्त पड़ी थी जैसा कि अनुच्छेद 2.1.7.1 में चर्चित है। आगे, स्कूल, उनके अपग्रेडेशन के लिए निर्धारित मानकों के सत्यापन किए बिना अपग्रेड किए गए थे जैसा कि अनुच्छेद 2.1.9.3 में चर्चित है। अत: विभाग की आयोजना क्षेत्रीय कार्यालयों से फीडबैक और समाज की मांग प्राप्त करने के बाद नहीं की गई।

नि. एवं अ.स., मा.शि.वि. ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया (नवंबर 2014) कि कुछ क्षेत्रों में क्षेत्रीय कार्यालयों से फीडबैक प्राप्त किया गया था और सभी स्कूलों से फीडबैक प्राप्त करना/सर्वेक्षण करना बहुत मुश्किल था और आश्वासन दिया कि भविष्य में आयोजन प्रक्रिया को अधिक व्यापक और सहभागी बनाने के लिए प्रयत्न किए जायेंगे।

[3] (i) हिसार (ii) कैथल (iii) करनाल (iv) कुरूक्षेत्र (v) मेवात (vi) रोहतक तथा (vii) यमुनानगर।

2.1.7 वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रण

केंद्रीय प्रायोजित और राज्य की स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए विभाग को निधियां, मुख्य शीर्ष 2202 सामान्य शिक्षा (योजनागत एवं योजनेतर) के अंतर्गत प्रदान की जाती है। गत पांच वर्षों के दौरान प्राप्त की गई और उनके विरूद्ध प्रयुक्त निधियों की स्थिति निम्न प्रकार थी:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	मूल बजट अनुमान योजनागत/योजनेतर		संशोधित अनुमान		व्यय		बचतें(-) मूल बजट अनुमान के सदर्भ में (प्रतिशतता)	
	योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर
2009-10	331.64	1485.65	337.65	1339.74	275.41	1307.30	(-) 56.23 (16.96)	(-) 178.35 (12.00)
2010-11	411.57	1591.09	503.74	1590.84	326.01	1514.83	(-) 85.56 (20.79)	(-) 76.26 (4.79)
2011-12	887.30	1574.95	560.48	1571.46	344.79	1507.45	(-) 542.51 (61.14)	(-) 67.50 (4.29)
2012-13	741.76	1667.70	497.27	1166.76	324.51	1061.30	(-) 417.25 (56.25)	(-) 606.40 (36.36)
2013-14	834.16	1336.29	814.10	1126.55	504.67	1062.77	(-) 329.49 (39.50)	(-) 273.52 (20.47)
कुल	**3206.43**	**7655.68**	**2713.24**	**6795.35**	**1775.39**	**6453.65**		

स्रोतः विस्तृत विनियोग लेखे।

जैसा कि उपरोक्त से स्पष्ट है, मूल बजट के संदर्भ में 2009-14 के दौरान पर्याप्त बचतें थी। अभिलेखों की जांच पड़ताल ने प्रकट किया कि बचतें मुख्यत: स्कीमों के कार्यान्वयन न होने, भारत सरकार (भा.स.) द्वारा निधियों के कम/न देने, आपूर्ति आदेशों को अन्तिम रूप न देने, वर्ष के बिलकुल अंत में निधियों की स्वीकृति देने, पदों को खाली रखने, इत्यादि के कारण थी। इसके आगे देखा गया कि बजट प्रस्ताव, सभी क्षेत्रीय कार्यालयों से फीडबैक प्राप्त किए बिना, निदेशालय स्तर पर बनाए गए। इस प्रकार, बजट वास्तविक आधार पर तैयार नहीं किया गया और स्कीमों का कार्यान्वयन, साम्रगी का क्रय, इत्यादि उचित रूप से नहीं किया गया।

नि. एवं अ.स., मा.शि.वि. ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया (नवंबर 2014) कि बचतें मुख्यत:, स्कीमों के कार्यान्वयन न होने, भारत सरकार द्वारा निधियों के न देने, आपूर्ति आदेशों को अन्तिम रूप न देने, वित्त विभाग द्वारा वर्ष के अंत में निधियों की संस्वीकृति जारी किए जाने, भारत सरकार से केंद्रीय हिस्से की विलंबित प्राप्ति के कारण थी।

2.1.7.1 अप्रयुक्त पड़ी निधियां

पंजाब वित्तीय नियम के अनुच्छेद 2.10 (बी)(5), जोकि हरियाणा में लागू है, प्रावधान करता है कि कोई भी पैसा खजाने से आहरित नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि उसकी शीघ्र संवितरण के लिए आवश्यकता न हो। इसके आगे, वित्त विभाग ने समेकित निधि से पैसा आहरित करने और उसे किसी भी रूप में सरकारी खजाने से बाहर रखने की मनाही की थी (मार्च 2011)। अभिलेखों की नमूना-जांच में दर्शाया कि निधियां बिना किसी शीघ्र आवश्यकता के खजाने से आहरित की गई थी और बैंक खातों में रखी गई थी जैसे कि नीचे चर्चित है:

- नमूना-जांच किए गए जिलों में जिला शिक्षा अधिकारियों ने आवश्यकता से पहले ही खजाने से निधियां आहरित की थी और उन्हें बैंक खातों में रखा था। 31 मार्च 2014 को ब्याज सहित ₹ 8.87 करोड़ की निधियां बैंक खातों में पड़ी थी। यह भी देखा गया कि इसमें से, चार खाते, जिसमें ₹ 1.32 करोड़ के चार खाते थे और इन खातों से कोई भी ब्याज अर्जित नहीं किया जा रहा था।

- शीर्ष 2204-खेलकूद एवं युवा कल्याण के अंतर्गत विभाग के अधिकार पर ₹ 10 करोड़ की निधियां खेल सामग्री (₹ 4.20 करोड़) के क्रय करने एवं खेल के

मैदानों (₹ 5.80 करोड़) के विकास के लिए रखे गए थे (2008-09)। चूंकि 15 मार्च के बाद पैसे के आहरण पर मनाही थी, वित्त विभाग ने इस शर्त पर पैसा आहरण करने की अनुमति दी (मार्च 2009) कि राशि केवल, पहले से ही दिए गए आपूर्ति आदेशों के विरूद्ध आहरित की जायेगी। मार्च 2009 में ₹ 4.20 करोड़ के लिए आपूर्ति आदेश दिए गए थे और राशि भी खजाने से आहरित की गई थी (मार्च 2009)। निदेशालय ने जि.शि.अ. को ₹ 5.80 करोड़ की शेष राशि के लिए भी संस्वीकृति इस निर्देश के साथ जारी की कि पैसे के उपयोग करने के मार्ग-निर्देश बाद में भेज दिए जायेगें। यह वित्त विभाग के निर्देश (मार्च 2009) के उल्लंघन में था। इसके बाद, मा.शि.वि. ने क्षेत्रीय कार्यालयों को निदेशालय को पैसा वापस करने के निर्देश जारी किए (मई 2010)। ₹ 5.80 करोड़ में से, ₹ 4.35 करोड़ की राशि 15 जि.शि.अ. द्वारा आहरित की गई थी। जिसमें से मात्र ₹ 0.62 करोड़ सात जि.शि.अ. द्वारा व्यय किए गए थे, मई 2010 और नवंबर 2013 के मध्य ₹ 3.51 करोड़ वापस किए और ₹ 0.22 करोड़ अभी भी जि.शि.अ. के पास पड़े थे।

- मा.शि.वि. ने खेल-कूद के विकास और उन्नति के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों को ₹ तीन करोड़ इस निर्देश के साथ दिए (मार्च 2011) कि निधियां 174 वरिष्ठ माध्यमिक/उच्च स्कूलों में बराबरी में बांटा जाएगा जहां कि ब्लाक स्तर पर राजीव गांधी स्पोर्टस कम्लैक्स पूर्ण कर लिए गए थे अथवा निर्मित किए जा रहे थे। क्षेत्रीय कार्यालयों को दिए गए ₹ तीन करोड़ में से, ₹ 2.63 करोड़ की राशि खेलकूद गतिविधियों पर खर्च की गई थी और ₹ 0.37[4] करोड़ की राशि अभी भी अंबाला, गुड़गांव, हिसार, सिरसा और यमुनानगर के जि.शि.अ. के पास पड़ी थी।
- कक्षा कक्षों के निर्माण के लिए ₹ 26.93 लाख की निधियां तीन[5] स्कूलों के पास पड़ी थी क्योंकि कक्षाओं के निर्माण के लिए कोई जगह नहीं थी।

नि. एवं अ.स., मा.शि.वि. ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया (नवंबर 2014) कि भविष्य में इस प्रकार की अनियमितताओं से बचने के लिए विभाग द्वारा कदम उठाये जायेगें।

2.1.8 स्कीमों का कार्यान्वयन

विभाग, सूचना एवं संचार तकनीक, माध्यमिक शिक्षा के ई-गवैंनस एवं कम्प्यूटराईजेशन, स्कूलों में कम्प्यूटर साक्षरता एवं अध्ययन, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, छात्रवृति स्कीमों, गैर-सरकारी स्कूलों को सहायता इत्यादि से संबंधित 46 योजनागत और 13 योजनेतर स्कीमों का ***(परिशिष्ट 2.1)*** कार्यान्वयन कर रहा है। 2009-14 की अवधि के लिए विभाग ने ₹ 8,229.04 करोड़ का कुल व्यय किया था। ₹ 7,032.05 करोड़ से आवेष्टित 34 (8-योजनागत और 26-योजनेतर) स्कीमों की नमूना-जांच की गई थी। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा बिंदुओं की नीचे चर्चा की गई है:

[4] अंबाला: ₹ 8.62 लाख, गुड़गांव: ₹ 2.17 लाख, हिसार: ₹ 18.97 लाख, सिरसा: ₹ 1.72 लाख तथा यमुनानगर: ₹ 5.17 लाख।

[5] स.व.मा.स्कू., बरसत (करनाल): ₹ 7.41 लाख, स.उ.स्कू., सुखपरा (रोहतक): ₹ 9.35 लाख तथा स.उ.स्कू., कन्साला (रोहतक): ₹ 10.17 लाख।

2.1.8.1 सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी

माध्यमिक चरण के विद्यार्थियों को, सू.सं.प्रौ. निपुणता में अपनी क्षमता बनाने और उन्हें कम्प्यूटर ऐडेड लर्निंग प्रोसेस के माध्यम से सीखने के योग्य बनाने के अवसर प्रदान करने के लिए स्कूलों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी दिसंबर 2004 में आरंभ की गई थी और 2010 में संशोधित की गई थी। ₹ 162.59[6] करोड़ के बजट प्रावधान के विरूद्ध, ₹ 125.16[7] करोड़ का व्यय 2009-14 के दौरान स्कीम के कार्यान्वयन पर किया गया था।

कम्प्यूटर शिक्षा सेवाएं प्रदान करने के समझौते में अनियमितताएं

- **सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी प्रयोगशालाओं की स्थापना एवं अनुरक्षण**

व्यापक कंप्यूटर एजुकेशन प्रोजैक्ट (व्या.कं.ए.प्रो.) ने सारे राज्य में 213 सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में प्रयोगशाला चलाने वाले स्टॉफ सहित, आई.टी. आधार संरचना की आपूर्ति, प्रतिष्ठापन एवं अनुरक्षण के लिए बिल्ड, ओन आपरेट/बिल्ड ओन आपरेट ट्रांसफर आधार पर प्राइवेट पार्टनर नियुक्त करने पर विचार किया।

मा.शि.वि. ने प्रस्ताव के लिए आवेदन (आर.एफ.पी.) जारी किया (मई 2009) जोकि बाद में समझौते का अभिन्न अंग बन गया। व्या.कं.ए.प्रो. के कार्यान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन में प्रविष्टि के लिए मा.शि.वि. द्वारा लेटर ऑफ इन्टैन्ट जारी किया गया था (अप्रैल 2010)। तदनुसार, सरकार और सफल बोलीदाता अर्थात् ऐवरन ऐजुकेशन लिमिटेड चेन्नई के मध्य एक समझौता हो गया था (मई 2010)। अभिलेख की जांच पड़ताल ने निम्नलिखित दर्शाया:

➢ समझौते की अनुसूची-1 की धारा 1 के अनुसार 90 प्रतिशत प्रयोगशालाओं के आरंभ होने से पहले कोई भी अदायगी नहीं की जानी थी यह देखा गया कि विभाग ने 24 सितंबर 2010 से अदायगी करनी आरंभ कर दी, यद्यपि 90 प्रतिशत प्रयोगशालाएं केवल 2 दिसंबर 2010 को कार्य करने लगी थी क्योंकि प्रयोगशाला सहायकों का 90 प्रतिशत इस तिथि से मुहैया कराया गया था। इस प्रकार, सर्विस प्रोवाईडर केवल 2 दिसंबर 2010 से अदायगी के लिए योग्य था। इस प्रकार, सर्विस प्रोवाईडर को 24 सितंबर 2010 से 1 दिसंबर 2010 तक की गई ₹ 1.06[8] करोड़ की अदायगी अनियमित थी क्योंकि प्रयोगशाला सहायकों का 90 प्रतिशत केवल 2 दिसंबर 2010 तक मुहैया कराया गया था विभाग ने सर्विस प्रोवाइडर को अनुचित लाभ दिया।

➢ आर.एफ.पी. के अनुभाग 1 की धारा 2 (ख) (iv) के अनुसार, विभाग को, परियोजना की जांच एंव मानीटरिंग के लिए एक एजेंसी लगानी थी जिसने परियोजना क्रियान्वयन के दौरान परियोजना प्रभाव मूल्यांकन और स्टेकहोल्डरज का पारस्परिक क्रिया का आयोजन करना था। यह

[6] सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (सू.सं.प्रौ.): ₹ 8 करोड़ और स्कूल में कंप्यूटर साक्षरता एवं अध्ययन; ₹ 154.59 करोड़।

[7] सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (सू.सं.प्रौ.): ₹ 5.58 करोड़ और स्कूल में कंप्यूटर साक्षरता एवं अध्ययन; ₹ 119.58 करोड़।

[8] 24 सितंबर 2010 से 23 दिसंबर 2010 तक (91 दिन) जारी कुल भुगतान; ₹ 1.40 करोड़। देय राशि (2 दिंसबर 2010 से 23 दिसंबर तक): ₹ 0.34 करोड़ तथा 24 सितंबर 2010 से 1 दिसंबर 2010 तक अधिक भुगतान (69 दिन): ₹ 1.06 करोड़।

देखा गया कि विभाग ने परियोजना की मानीटरिंग, प्रभाव मूल्यांकन इत्यादि के लिए कोई एजेंसी नहीं लगाई थी। इस प्रकार, परियोजना के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए उचित मानीटरिंग नहीं की गई थी जैसा कि परियोजना में विचार किया गया था।

नि. एवं अ.स., मा.शि.वि. ने बताया (नवंबर 2014) कि विभाग स्वयं ही परियोजना की मानीटरिंग कर रहा था और इस उद्देश्य के लिए बाहरी एजेंसी लगाने के लिए नहीं सोचा। उत्तर विश्वासोत्पादक नहीं था क्योंकि उत्तर के समर्थन में कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया था। आगे, सू.सं.प्रौ. प्रयोगशालाओं की कार्यप्रणाली बहुत ही घटिया/असंतोषजनक थी जैसे कि अनुवर्ती अनुच्छेदों में चर्चा की गई है। यदि विभाग ने मानीटरिंग एजेंसी लगाई होती तो सू.सं.प्रौ. प्रयोगशालाओं की कार्यप्रणाली सुधारी जा सकती थी।

- **सू.सं.प्रौ. प्रयोगशालाओं की घटिया/असन्तोषजनक कार्य प्रणाली**

सू.सं.प्रौ. प्रयोगशालाओं की कार्यप्रणाली और मुहैया कराई गई सेवा की गुणवत्ता के बारे लेखापरीक्षा द्वारा रैन्डम आधार पर स्कूलों से फीडबैक प्राप्त की गई थी। नमूना-जांच किए जिलों में ऐवरोन एजुकेशन लिमिटेड के संबंध में 72 स्कूलों में से 32 और कोर प्रोजैक्ट एंड टैक्नोलोजिज लिमिटेड के संबंध में 847 स्कूलों में से 123 से प्राप्त फीडबैक के ब्यौरे ***परिशिष्ट 2.2*** में दिए गए हैं। संक्षिप्त में स्थिति निम्न प्रकार से है:

- ऐवरोन एजुकेशन लिमिटेड द्वारा मुहैया कराई गई सेवाएं नमूना-जांच किए गए 32 में से तीन स्कूलों द्वारा घटिया और 14 स्कूलों द्वारा औसत मूल्यांकित की गई थी।

- कोर प्रोजैक्ट एंड टैक्नोलोजिज लिमिटेड द्वारा मुहैया कराई गए सेवाएं नमूना-जांच किए 123 स्कूलों में 102 में घटिया थी।

- नमूना-जांच किए गए 123 स्कूलों में से 84 स्कूलों में प्रयोगशाला उपकरण चालू स्थिति में नहीं थे, जहां सेवाएं, कोर प्रोजैक्ट एंड टैक्नोलोजिज लिमिटेड द्वारा मुहैया कराई गई थी।

- नमूना-जांच किए गए 123 स्कूलों में से जहां की सेवाएं कोर प्रोजैक्ट एंड टैक्नोलोजिज लिमिटेड द्वारा मुहैया करवाई गई थी, 121 स्कूलों में प्रयोज्य मुहैया नहीं कराये गए थे और 107 स्कूलों में इन्टरनैट कनैक्शनस कार्य नहीं कर रहे थे।

नि. एवं अ.स., मा.शि.वि. ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया (नवंबर 2014) कि सेवाओं में कमियों और अनुबंध देयताओं को निभाने में विफलता को इंगित करते हुए तथा उपचारी कार्रवाई करने के निर्देश के साथ सर्विस प्रोवाइडर को उपयुक्त आदेश जारी किए गए थे।

- **सरकारी स्कूलों में आई.टी प्रयोगशालाओं का प्रावधान न होना**

राज्य में 1,444 सरकारी उच्च स्कूल (स.उ.स्कू.) और 1,729 सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल (स.व.मा.स्कू.) थे। कंप्यूटर की सुविधा राज्य में सभी स.उ.स्कू. और स.व.मा.स्कू. में मुहैया करवाई जानी थी। सरकार ने नवंबर 2009 और सितंबर 2011 के मध्य राज्य में 3,104 उच्च स्कूलों और वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में 3,330 प्रयोगशालाएं स्थापित कर दी थी। यह देखा गया कि यद्यपि राज्य में आई.टी. प्रयोगशालाएं स्थापित करने का कार्य अक्टूबर 2011 में पूर्ण कर लिया गया था, यह सुविधा 69 स्कूलों में तब से मुहैया नहीं करवाई गई थी। विभाग ने इन स्कूलों में

सुविधा मुहैया करने के लिए कोई योजना नहीं बनाई थी। इस प्रकार, इन स्कूलों के विद्यार्थी कंम्यूटर शिक्षा की सुविधा से वंचित रहे थे।

नि. एवं अ.स., मा.शि.वि. ने बताया (नवंबर 2014) कि ये स्कूल बाद में 2011-13 के दौरान सरकारी मिडिल स्कूलों से सरकारी उच्च स्कूलों/वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में अपग्रेड हो गए थे और भारत सरकार एवं राज्य सरकार के अनुमोदन न होने के कारण कंम्यूटर शिक्षा की सुविधा मुहैया नहीं कराई जा सकी। तथापि, ये आश्वासन दिलाया गया था कि भविष्य में कंप्यूटर शिक्षा की सुविधा मुहैया कराने के लिए उचित कार्रवाई की जाएगी। तथापि, तथ्य यही है कि इन स्कूलों के विद्यार्थी कंम्यूटर शिक्षा की सुविधा से वंचित रहे थे।

2.1.8.2 सरकारी माडल स्कूलों का खोलना

सरकारी माडल स्कूलों के खोलने के उद्देश्य, ब्लाक स्तर पर माडल स्कूल स्थापित करने के माध्यम से प्रतिभाशाली ग्रामीण बच्चों को गुणवत्ता शिक्षा मुहैया करानी है। हरियाणा में, 213 सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल, माडल स्कूलों के रूप में अपग्रेड किए गए थे। स्कीम के अंतर्गत, आधारभूत संरचना का निर्माण करने स्टेडियमों के विकास, पंखे/डयूल डैस्क, इत्यादि मुहैया करने के लिए अनुदान दिए गए थे। स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए निधियों के देने व उनके विरूद्ध व्यय के बारे सूचना निदेशालय के पास उपलब्ध नहीं थी। नमूना-जांच किए गए जिलों में आधारभूत संरचना के विकास, स्टेडियमों के निर्माण और पंखे व डेस्कों के क्रय के लिए ₹ 19.67 करोड़ की एक राशि संस्वीकृत की गई थी। नमूना-जांच किए गए स्कूलों के अभिलेखों की जांच ने निम्नलिखित कमियां दर्शाई:

➢ 20 स्कूलों में, आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए मुहैया कराए गए ₹ 2.91 करोड़ की निधियां अनुपयोजित पड़ी थी। यह देखा गया कि न तो स्कूलों ने अव्ययित अनुदान वापस किए और न ही विभाग ने निधियों के उपयोग को मानीटर किया। इसके परिणामस्वरूप, निधियां स्कूलों के पास अवरूद्ध पड़ी रही।

नि. एवं अ.स., मा.शि.वि. ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया (नवंबर 2014) कि निधियों के उपयोग न करने के कारणों की जांच की जाएगी।

➢ स्टेडियम के लिए ₹ 1.32 करोड़ की संस्वीकृति के विरूद्ध ₹ 0.87 करोड़ की एक राशि प्रथम किश्त के रूप में नमूना-जांच किए गए जि.शि.अ. को दी गई थी। यह देखा गया कि किसी भी स्कूल ने स्टेडियमों का निर्माण नहीं किया था। इसके आगे यह देखा गया कि जि.शि.अ. यमुनानगर ने ₹ 0.12 करोड़ की सारी राशि स्टेडियम के निर्माण में खर्च करने के बजाए खेलकूद सामग्री के क्रय पर खर्च कर दी जो कि संस्वीकृति आदेशों के विरूद्ध था।

➢ आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए ₹ 57.40 लाख के अनुदान से संबंधित अभिलेख न तो संबंधित स्कूलों में उपलब्ध थे और न ही संबंधित जि.शि.अ. के पास थे। इस प्रकार, यह सत्यापित नहीं किया जा सका कि क्या वास्तव में अदायगियां की गई थी और आ.सं.अ. द्वारा व्यय किया गया था। ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

(₹ लाख में)

आ.सं.अ. का नाम	विवरण	राशि	अभ्युक्तियां
स.व.मा.स्कू. लाडवा (कुरूक्षेत्र)	निर्माण कार्यों के लिए मस्टर रोल	6.35	अभिलेखों के साथ संलग्न नहीं पाये गए
स.व.मा.स्कू. कुरूक्षेत्र	अगस्त 2011, सितंबर 2011, जनवरी 2012 एवं फरवरी 2012 माह में किए गए कार्य के लिए मस्टर रोल	0.69	-सम-
स.क.व.मा.स्कू., रोहतक	आधारभूत संरचना के लिए अनुदान	8.00	प्रिंसिपल ने बताया कि अभिलेख राज्य सतर्कता विभाग द्वारा ले लिया गया था
स.मा.व.मा.स्कू. तावडू (मेवात)	कमरा, प्रयोगशाला लाईब्रेरी, टी.टी.एच. कमरा, इत्यादि का निर्माण	42.36	स्कूल में अभिलेख उपलब्ध नहीं
कुल		**57.40**	

स्रोतः विभाग द्वारा दी गई सूचना।

नि. एवं अ.स., मा.शि.वि. ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया (नवंबर 2014) कि संबंधित स्कूल/जि.शि.अ. के पास अभिलेख की अनुपलब्धता एक गंभीर अनियमितता है और संबंधित जि.शि.अ./प्रिंसिपलों से स्पष्टीकरण मांगे गए थे। विभाग को तथ्यों का पता लगाने के लिए तथा उचित कार्रवाई करने के लिए शीघ्र कार्रवाई करनी चाहिए।

2.1.8.3 सरकारी माडल संस्कृति स्कूलों की स्थापना के लिए स्कीम

राज्य सरकार ने 20 स्कूलों को राज्य में माडल संस्कृति स्कूलों के रूप में घोषित किया। ये स्कूल, बुनियादी तौर पर बेहतर सुविधाओं के साथ माडल स्कूलों की रूपरेखा में थे। जो कि उच्च वर्गीय पद्धति पर चलाए जाने थे। आधारभूत संरचना मुहैया कराने के लिए ₹ 50 लाख का एकमुश्त अनुदान और साईस म्यूजियम मुहैया कराने के लिए ₹ पांच लाख सरकार द्वारा मार्च 2007 में दिए गए थे। जि.शि.अ. द्वारा अनुदान प्राप्त किए गए थे और बैंक खातों में रखे गए थे। अतिरिक्त उपायुक्त (अ.उपा.) की अध्यक्षता में जिला क्रय समितियों की सिफारिशों पर क्रय किए गए थे। चयनित जिलों में अभिलेखों की नमूना-जांच ने निम्नलिखित तथ्य दर्शाए:

➢ जि.शि.अ., कुरूक्षेत्र ने स.मा.व.मा.स्कू. इस्माइलाबाद के लिए सामान की आपूर्ति के लिए ₹ 10.42 लाख के क्रय आदेश दिए (सितंबर 2007) सामान समिति के अन्य सदस्यों के साथ, ए.डी.सी, कुरूक्षेत्र द्वारा निरीक्षित किया गया था और मा.शि.वि. को सूचित (अक्टूबर 2007) किया गया कि सामान कोई विस्तृत विनिर्देशन, आकार, मेक इत्यादि दिए बिना क्रय किया गया था और सामान घटिया गुणवत्ता का था। जि.शि.अ. को अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए पूछा गया (जनवरी 2008) और प्रिंसिपल को अगले आदेशों तक सामान को प्रयोग न करने के लिए कहा गया। जांच-पड़ताल रिपोर्ट जून 2012 में पूर्ण की गई थी। मा.शि.वि. ने आदेश दिया (जनवरी 2013) कि इतने विलंबित चरण पर जि.शि.अ. के विरूद्ध कोई भी अनुशासनिक कार्रवाई नहीं की जा सकती और आदेश दिया कि सामान निरीक्षित किया जाए और यह संतोषजनक पाया जाता है, तो फर्म को अदायगी कर दी जाए। विभाग ने, एजेंसी द्वारा जिला न्यायालय, अंबाला में दर्ज दावा याचिका के निपटान में एजेंसी को अदायगी कर दी (मई 2014)। लेखापरीक्षा की आपत्ति थी कि विभाग ने मामले की जांच पड़ताल मे सात वर्षो का लंबा समय लिया और अनुशासनिक कार्रवाई न लेने के लिए देरी तर्काधार बनी। आगे, सारा सामान स्टोर में पड़ा रहा और समय बीतने और मौसम की लहरों के साथ क्षतिग्रस्त हो गया। यदि विभाग ने अक्टूबर 2007 की निरीक्षण रिपोर्ट पर कार्रवाई की होती तो नुकसान से बचा जा सकता था और जिम्मेवारी नियत की जा सकती थी।

नि. एवं अ.स., मा.शि.वि. ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया (नवंबर 2014) कि जांच पड़ताल में देरी विभाग की ओर से एक चूक थी और भविष्य में इस प्रकार की संभावित घटना से बचने के लिए निरोधक कदम उठाए जाएंगे।

➢ **संदेहास्पद गबन**

जि.शि.अ. कैथल को 2007-09 के दौरान साईंस का सामान, माडल स्कूलों और माडल संस्कृति स्कूलों के विकास के लिए अनुदान के रूप में ₹ 3.75 करोड़ की निधियां दी गई थी। निधियों को दो बैंक खातों (एच.डी.एफ.सी. एवं एक्सिस बैंक) में रखा गया था। ब्याज और अन्य जमाओं सहित ₹ 3.90 करोड़ की एक राशि इन बैंक खातों में उपलब्ध थी। एच.डी.एफ.सी बैंक के साथ ट्रांजैक्शन बारे एक कैशबुक रखी गई थी परंतु एक्सिस बैंक की ट्रांजैक्शन के लिए कोई भी कैश बुक नहीं रखी गई थी।

इन दो बैंक खातों के अभिलेखों और बैंक विवरणियों की प्रविष्टियों की जांच पड़ताल ने दर्शाया कि ₹ 39.75 लाख के व्यय, किए गए के समर्थन में वाऊचर डी.ई.ओ. कार्यालय के पास उपलब्ध नहीं थे। इसके बाद, अभिलेखों की जांच ने प्रकट किया कि कैशबुक में की गई प्रविष्टियां सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं की गई थी। इस राशि में से, ₹ 21.86 लाख की एक राशि एच.डी.एफ.सी बैंक से आहरित की गई थी। तथापि, यह देखा गया कि इन आहरण के लिए कैशबुक में कोई प्रविष्टियां नहीं की गई थी। यह ₹ 39.75 लाख की निधियों के दुरूपयोग के बराबर हो सकता है।

इंगित किए जाने पर, ₹ 39.05 लाख की एक राशि बैंक खाते में जमा कर दी गई थी परंतु शेष राशि की वसूली के लिए विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। नि. एवं अ.स., मा.शि.वि. ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया (नवंबर 2014) कि मामले में एक जांच आरंभ की गई थी और उसका परिणाम लेखापरीक्षा को सूचित कर दिया जाएगा।

इसी प्रकार, सरकारी माडल वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल (स.मा.व.मा.स्कू.) सरोली (नूंह) में साईंस म्यूज़ियम स्थापित करने के लिए जि.शि.अ. नूंह द्वारा दिसम्बर 2007 में ₹ पांच लाख की एक राशि आहरित की गई और उसे सिंडिकेट बैंक में जमा कर दी गई। जि.शि.अ., नूंह द्वारा 11 जनवरी 2010 को ₹ 4.99 लाख का एक बैंक ड्राफ्ट, अत्युत्तम गुणवत्ता की फर्श की दरियों की आपूर्ति के लिए श्री श्याम इन्टरप्राईज़िज पंचकूला के पक्ष में तैयार किया गया। अभिलेखों की जांच पड़ताल ने दर्शाया कि ₹ 4.99 लाख के तीन बिल आ.सं.अ. द्वारा न तो अदायगी के लिए पारित किए गए थे और न ही क्रय समिति के किसी भी सदस्य द्वारा अनुमोदित किए गए थे। जि.शि.अ., नूंह के स्टाक रजिस्टर में कोई स्टाक प्रविष्टियां नहीं की गई थी। आगे, स्कूल के प्रिंसीपल ने भी पुष्टि की (जुलाई 2014) कि श्री श्याम इन्टरप्राईसिज, पंचकूला से कोई भी सामान प्राप्त नहीं हुआ था। यह ₹ पांच लाख के संदेहास्पद गबन के बराबर हो सकता है।

नि. एवं अ.स., मा.शि.वि. ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया (नवंबर 2014) कि संबंधित जि.शि.अ. से स्पष्टीकरण मांगा गया था और उसका परिणाम लेखापरीक्षा को सूचित कर दिया जायेगा।

2.1.8.4 आरोही स्कूलों की स्कीम

राज्य में 36 शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लाकों में केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत 2010 में आरोही स्कूल स्थापित किए गए थे। स्कीम का उद्देश्य उन विद्यार्थियों का विकास करना था जो कि जागरूक, सामाजिक तौर पर जिम्मेवार, सृजनात्मक, स्पष्ट सोच-विचार वाले और समाज को सकारात्मक रूप में योगदान करने में सक्षम हैं। स्कूल, हरियाणा प्राथमिक शिक्षा परियोजना परिषद (ह.प्रा.शि.प.प.) के अंतर्गत सोसायटी पद्धति में स्थापित किए गए थे। निर्माण कार्य के

लिए निधियां ह.प्रा.शि.प.प. के अधिकार में रखे गए थे। स्कूल, सरकारी स्कूलों के भवन में कार्यात्मक किए गए थे। इन स्कूलों की स्थापना पर 2010-14 के दौरान ₹ 53.52 करोड़ का व्यय किया गया था। स्कूलों के अभिलेखों की जांच-पड़ताल ने निम्न दर्शाया:

➢ 36 स्कूल भवनों में से, अक्तूबर 2014 तक केवल 10 पूर्ण किए गए थे तथा क्रियाशील बनाए गए थे और नौ स्कूल भवन भी पूर्ण किए गए थे परंतु पानी और बिजली कनैक्शनों, बाऊंडरी वाल इत्यादि की कमी के कारण अभी क्रियाशील बनाए जाने थे। 17 स्कूल भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर था जिसमें से 10 का कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि से दो से 30 महीने पीछे था।

➢ मुनधेता और नगीना स्थित आरोही स्कूलों में अध्यापकों की कमी देखी गई जहां कि 20 और 17 की संस्वीकृत संख्या के विरूद्ध क्रमश: केवल एक (हिन्दी पी.जी.टी.) और दो (एक प्रिंसिपल और एक जीव विज्ञान पी.जी.टी.) पद भरे गए थे।

➢ जि.शि.अ., मेवात ने फर्नीचर की प्राप्ति के लिए ₹ 17.87 लाख की एक राशि आहरित की (दिसंबर 2012) और वन विभाग, जगाधरी के बजाए वन विकास निगम, कुरूक्षेत्र को ड्राफ्ट भेजा (जनवरी 2013)। निगम में उसे वापस (जनवरी 2013) कर दिया क्योंकि राशि उसके कार्यालय से संबंध नहीं रखती थी। इसके बाद, विभाग ने बैंक को वन विभाग के खाते में राशि जमा करने का अनुरोध (13 फरवरी 2013) किया लेकिन गलत खाता संख्या उद्धृत करने के कारण राशि वन विभाग के खाते में हस्तान्तरित नहीं की जा सकी। तब से निधियां बैंक खाते में पड़ी थी और कोई भी क्रय नहीं किया गया था (अक्तूबर 2014)।

नि. एवं अ.स., मा.शि.वि. ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया (नवंबर 2014) कि अध्यापकों की कमी की समस्या शीघ्र ही सुलझा दी जाएगी और जि.शि.अ., मेवात को फर्नीचर के क्रय के लिए आंबटित निधियां शीघ्र ही उपयोजित करने के निर्देश दिए गए थे।

2.1.8.5 स्कूलों में सुरक्षा उपायों पर राज्य नीति का कार्यान्वयन

सरकारी, गैर-सरकारी (सहायता प्राप्त एवं बिना सहायता प्राप्त) स्कूलों में सुरक्षा उपायों पर राज्य नीति दिसंबर 2009 में बनाई गई थी। नीति के एक भाग के रूप में विभाग ने, राज्य में सरकारी स्कूलों के ऊपर से गुजर रही हाई टैंशन (एच.टी.) की लाईने हटाने की पहल की। मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक (मार्च 2013) में, बिजली कंपनियों को उनकी अपनी लागत पर 158 स्कूलों के ऊपर से गुजर रही एच.टी. लाईनों को हटाने का आदेश दिया गया था। नमूना-जांच किए गए अभिलेखों की जांच पड़ताल ने दर्शाया कि एच.टी. लाईने 13[9] स्कूलों, जहां कि एच.टी. लाईनें स्कूलों के ऊपर से गुजर रही थी, में से केवल पांच[10] स्कूलों से ही हटाई गई थी। शेष नमूना-जांच किए गए जिलों में, स्कूलों के ऊपर से गुजर रही एच.टी. लाईनों के हटाने के बारे सूचना उपलब्ध नहीं थी यद्यपि, इन जिलों में 36[11] स्कूलों के ऊपर से एच.टी. लाईनें गुजर रही थी। अत: मा.शि.वि. एवं संबंधित जि.शि.अ. ने स्कूलों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्कूलों के ऊपर की एच.टी. लाईनें हटाने को मानीटर नहीं किया था।

[9] हिसार; 7 स्कूल तथा कुरूक्षेत्र; 6 स्कूल।

[10] हिसार; 2 स्कूल तथा कुरूक्षेत्र; 3 स्कूल।

[11] कैथल; 19 स्कूल, करनाल; 6 स्कूल, रोहतक; 4 स्कूल तथा यमुनानगर; 7 स्कूल।

नि. एवं अ.स., मा.शि.वि. ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए आश्वासन (नवंबर 2014) दिया कि स्कूलों के ऊपर से गुजर रही हाई टैंशन तारें प्राथमिकता के आधार पर हटा दी जायेंगी।

2.1.8.6 सत्या भारती स्कूलों की स्थापना

भारती फाउंडेशन, नई दिल्ली ने, 83[12] गांवों में सत्या भारती स्कूलों की स्थापना करने के लिए पंचायत भूमि के आंबटन के लिये, पंचायत विभाग के पास प्रस्ताव किया (जून 2007 से जनवरी 2009)। फाऊंडेशन, स्थानीय निवासियों जिनकी भूमि पर स्कूल स्थित थे को रोजगार बच्चों को मुफ्त शिक्षा, मुफ्त वर्दी, मुफ्त किताबें, मुफ्त दोपहर का खाना इत्यादि प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध था। 83 गांवों में स्कूल खोलने के लिए सरकार द्वारा भूमि आबंटित की गई थी। फाउंडेशन ने 46[13] स्थानों में स्कूल स्थापित किए और 37 स्कूलों के लिए आंबटित भूमि, फाऊंडेशन द्वारा छोड़ दी गई थी। ये स्कूल, मान्यता की शर्तें पूर्ण नहीं कर रहे थे और अस्थाई मान्यता के आधार पर कार्य कर रहे थे।

हरियाणा स्कूल शिक्षा नियम, 2003 ने स्कूलों में उचित सुविधाओं, जैसे कि क्लासरूम, पुस्तकालय, कंम्यूटरों के लिए प्रयोगशाला, शौचालयों इत्यादि के लिए मानकों का प्रावधान किया। 46 स्कूलों मे से 32 का, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों के अंतर्गत गठित समितियों द्वारा निरीक्षण किया गया था। समिति ने इंगित किया (मार्च 2014) कि सभी 32 स्कूलों में क्लासरूम मानकों से कम थे। 32 स्कूलों में पुस्तकालय, कम्प्यूटरों के लिए प्रयोगशाला इत्यादि में व्यवस्था की कमी थी। समितियों द्वारा निरीक्षित सभी 32 स्कूलों में मानकों के अनुसार शौचालय नहीं बनाये गए थे। आगे, तीन स्कूलों के संबंध में क्या नियुक्त स्टाफ पर्याप्त रूप से योग्य था अथवा नहीं, अभिलेख में नहीं था। इस प्रकार, सत्या भारती स्कूल स्थापित करने का उद्देश्य पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हुआ था।

नि. एवं अ.स., मा.शि.वि. ने बताया (नवंबर 2014) कि 15 स्कूलों को अस्थाई मान्यता इस शर्त पर दी गई थी कि स्कूल प्रबंधन मार्च 2015 तक बाउंडरी वाल (चार दीवारी) बना देगा और बाकी 31 स्कूलों में, अतिरिक्त कक्षा कक्ष निर्माणधीन थे जैसे कि प्रबंधन द्वारा सरकार को प्रतिबद्धता दी गई थी। तथ्य यही रहा कि स्कूलों की स्थापना के लिए हरियाणा स्कूल शिक्षा नियम, 2003 की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए मानीटरिंग नहीं थी।

2.1.9 शैक्षिक गतिविधियां

2.1.9.1 विद्यार्थियों की पास प्रतिशतता में गिरावट

सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों और सरकारी उच्च स्कूलों में विद्यार्थियों की पास प्रतिशतता 2009-14 ***(परिशिष्ट 2.3)*** के दौरान तीव्रता से गिरी थी। अनुलग्नक के आंकड़े के विश्लेषण ने दर्शाया कि सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों और सरकारी उच्च स्कूलों में विद्यार्थियों की प्रतिशतता राज्य में क्रमश: 89.33 से 71.16 और 79.58 से 49.78 तक तीव्रता से गिरी थी। फरीदाबाद जिले का परिणाम 2013 में वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में न्यूनतम जोकि 38.09 प्रतिशत था। इसी प्रकार, उच्च स्कूलों में 2013 में फरीदाबाद जिले का भी परिणाम न्यूनतम जोकि 25.89 प्रतिशत था।

[12] अंबाला; 6, झज्जर; 11, कैथल; 25, कुरूक्षेत्र; 17, महेन्द्रगढ़; 10 तथा रेवाड़ी; 14

[13] झज्जर; 3, कैथल; 14, कुरूक्षेत्र; 11, महेन्द्रगढ़; 10 तथा रेवाड़ी; 8

वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों एवं उच्च स्कूलों में कम पास प्रतिशतता शिक्षा की घटिया गुणवत्ता को निर्देशित करता है।

पांच[14] जिलों के जि.शि.अ. ने निम्न पास प्रतिशतता, अध्यापकों को पढ़ाने के स्थान पर अन्य काम सौंपने, अध्यापकों की कमी कक्षा-8 तक विद्यार्थियों को फेल न करने की सरकार की नीति को आरोपित किया (जून-जुलाई 2014)। अत: सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए इन समस्याओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है। नि. एवं अ.स., मा.शि.वि. ने बताया (नवंबर 2014) कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए विभिन्न प्रकार की पहल, पास प्रतिशतता में सुधार के लिए की जा रही थी और अगले एक-दो वर्षो में बेहतर परिणाम प्राप्त कर लिए जाएंगे।

2.1.9.2 गैर-सरकारी स्कूलों द्वारा प्रभारित फीस

हरियाणा स्कूल शिक्षा नियम 2003 (नियम 158) प्रावधान करते हैं कि छात्रों से प्रभारित की जाने वाली फीस और निधियां प्रत्येक मान्यता प्राप्त स्कूल द्वारा अधिसूचित की जायेगी। इसके अतिरिक्त प्रत्येक मान्यता प्राप्त स्कूल का प्रबंधक, फार्म-VI में दी जाने वाली न्यूनतम सुविधाओं और प्रभारित की जाने वाली अधिकतम फीस का विवरण प्रस्तुत करेगा। वह, प्रत्येक सत्र के आरंभ होने से पहले शिक्षा विभाग के पास आगामी शैक्षिक सत्र के दौरान औचित्य के साथ फीस का पूर्ण विवरण और इन स्कूलों द्वारा लगाये गए सभी प्रकार की निधियों को फाईल करेगा।

2009-14 की अवधि के लिए निदेशालय के अभिलेखों की जांच पड़ताल ने दर्शाया कि न तो गैर-सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूलों के प्रबंधन, विभाग को आवश्यक सूचना प्रस्तुत कर रहे थे और न ही निदेशालय इस बारे में सूचना प्रस्तुत करने के लिए आग्रह कर रहा था। इस प्रकार विभाग, गैर-सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूलों की फीस संरचना को मानीटर नहीं कर रहा था और लेखापरीक्षा में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि ये स्कूल मानकों के अनुसार फीस प्रभारित कर रहे थे।

नि. एवं अ.स., मा.शि.वि. ने एग्जिट कान्फ्रैंस (नवंबर 2014) के दौरान बताया कि पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में एक फीस कमेटी इस संबंध में गठित की गई थी।

2.1.9.3 स्कूलों का अपग्रेडेशन

मिडिल स्कूल से उच्च स्कूल और उच्च स्कूल से वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल में अपग्रेड करने के लिए शिक्षा नियम 2003 में निर्धारित मानदंड के अनुसार, 6 से 8 कक्षाओं और 9 से दसवीं कक्षाओं में कम से कम क्रमश: 150 विद्यार्थी ऑनरोल होने चाहिए। उच्च स्कूल और वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल के लिए दो एकड़ भूमि अपेक्षित थे। मिडिल से उच्च स्कूल और उच्च से वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों के लिए क्रमश: 10 एवं 12 कमरे भी अपेक्षित थे। राज्य सरकार ने

[14] (i) हिसार, (ii) कैथल, (iii) करनाल, (iv) कुरूक्षेत्र तथा (v) मेवात।

वर्ष 2009-14 के दौरान 282[15] स्कूल उच्च स्कूलों और वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में अपग्रेड किए।

नमूना-जांच किए गए जिलों में आधारभूत संरचना आंकड़े की जांच में दर्शाया कि 91 अपग्रेड किए गए स्कूलों में से 55 स्कूल निर्धारित मानदंड पूर्ण नहीं कर रहे थे परन्तु विभाग ने स्कूल अपग्रेड कर दिए ***(परिशिष्ट 2.4)*** थे।

नि. एवं अ.स., मा.शि.वि. ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया (नवंबर 2014) कि शीघ्र ही सुधारात्मक कार्रवाई की जायेगी।

2.1.10 मानव संसाधन विकास

2.1.10.1 अध्यापन कैडर में रिक्तियां

प्रिंसिपल, मुख्य अध्यापक और लैक्चरारों (प्राध्यापकों) के कैडर में 37,236 संस्वीकृति पदों के विरूद्ध मार्च 2014 को वास्तविक संख्या 10,979 थी जबकि 26,257 (70.52 प्रतिशत) पद रिक्त पड़े थे जैसे कि नीचे विवरणित है:

अध्यापन कैडर	संस्वीकृत	भरे गये	रिक्त	प्रतिशत
प्रिंसीपल	1755	1466	289	16.47
मुख्य अध्यापक	1500	426	1074	71.60
लैक्चरार	33981	9087	24894	73.26
कुल	**37236**	**10979**	**26257**	

स्रोतः आंकड़े शिक्षा विभाग की वैबसाइट से लिए गए।

यद्यपि, 2,981 गेस्ट लैक्चरर नियुक्त किए गए थे और 176 प्रिंसिपल/मुख्य अध्यापक/लैक्चरर्स पुनः नियुक्त किए गए थे, अभी भी 23,100 पदों का अंतर था।

नि. एवं अ.स., मा.शि.वि. ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया (नवंबर 2014) कि रिक्त पदों को भरने के लिए अध्यापकों के विभिन्न कैडर में पदोन्नति और सीधी भर्ती प्रक्रिया प्रगति पर थी।

2.1.10.2 तैनाती आदेश जारी करने में विलंब के परिणामस्वरूप वेतन

2013-14 में सरकार द्वारा विभिन्न शाखाओं में बहुत बड़ी संख्या में लैक्चरर्स की नियुक्तियां की गई थी। उम्मीदवारों को 14 दिसंबर 2013 और 18 जनवरी 2014 के मध्य विभाग की वैबसाईट के माध्यम से नियुक्ति पत्र जारी किए गए थे और उसकी अनुपालना में नये नियुक्त लैक्चरर्स ने संबंधित जि.शि.अ. के कार्यालय में पदभार ग्रहण कर लिया था। नमूना-जांच के दौरान यह पाया गया कि संबंधित स्कूलों में इन लैक्चरर्स के तैनाती आदेश केवल 27 जनवरी 2014 को किए गए थे यद्यपि कैडर में रिक्त पद मौजूद थे। तदनुसार, उनके द्वारा कार्य वास्तव में 9 से 44 दिनों के अंतर के बाद आरंभ किया गया और इस अवधि के दौरान लैक्चरर्स बेकार रहे और

[15] मिडिल से उच्च स्कूल: 43 (2009-10: 3, 2011-12: 28, 2013-14 : 12), मिडिल से वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल: 26 (2012-13: 4, 2013-14: 22), उच्च से वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल: 213 (2009-10: 27, 2011-12: 5, 2012-13: 87, 2013-14: 94)।

जिसके परिणामस्वरूप 3,586 लैक्चरर्स को बिना किसी कार्य ***(परिशिष्ट 2.5)*** के ₹ 16.02 करोड़ राशि के वेतन का भुगतान हुआ।

नि. एवं अ.स., मा.शि.वि. ने बताया (नवंबर 2014) कि इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए थे। एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान यह भी आश्वासन दिया गया कि भविष्य में अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी।

2.1.10.3 अध्यापक प्रशिक्षण

1979 में स्थापित रा.शि.अ.प्र.प., गुड़गांव अध्यापकों को इन-सर्विस प्रशिक्षण दे रहा था। संस्थान, स्कूल शिक्षा में विभिन्न सोपानकों में समग्र गुणात्मक सुधार लाने के लिए स्थापित किया गया था। संस्थान का उद्देश्य निरन्तर प्रशिक्षण सत्रों, कार्यशालाओं और अन्य उपायों के माध्यम से स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में लायी गयी नवीनता से अध्यापकों को परिचित कराना है। जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान (जि.शि.प्र.सं.) अध्यापकों को प्रशिक्षण देने के लिए स्थापित किए गए थे।

चयनित जिलों में जि.शि.प्र.सं. के अभिलेखों की नमूना-जांच ने निम्न दर्शाया:

- जि.शि.प्र.सं., कैथल का छात्रावास जि.शि.अ./खं.शि.अ. कार्यालय के लिए कार्यालय परिसर के रूप में प्रयोग किया जा रहा था। इस प्रकार, छात्रावास निर्माण का उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ था।

- जि.शि.प्र.सं., पलवल (जिला कुरूक्षेत्र) का छात्रावास कार्यात्मक नहीं था क्योंकि वहां कोई भी रहने वाला नहीं था, प्रिंसीपल ने सूचित किया कि संस्थान दूरवर्ती क्षेत्रों में स्थित था और इसलिए वहां कोई भी रहने वाले नहीं थे।

2.1.11 आंतरिक नियंत्रण

आंतरिक नियंत्रण, लागू नियमों और विनियमनों की अनुपालना के बारे प्रावधान को उचित आश्वासन देता है। स्कीमों के कार्यान्वयन, निर्माण कार्यों की मानीटरिंग इत्यादि के लिए विभाग में आंतरिक नियंत्रण अपर्याप्त था।

- यद्यपि, एक मुख्य लेखा अधिकारी, दो लेखा अधिकारियों, दो अनुभाग अधिकारियों, दो कनिष्ठ लेखापरीक्षकों और प्रत्येक जिले में एक अनुभाग अधिकारी से समाविष्ट एक लेखापरीक्षा कक्ष था लेकिन लेखापरीक्षा स्टाफ मुख्यत: विभाग के दिनचर्या कार्य में लगा हुआ था। आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की जा रही थी।

- पंजाब वित्तीय नियम का नियम 15.16 जो कि हरियाणा को लागू है, प्रावधान करता है कि विभागाध्यक्ष अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी भी अन्य अधिकारी द्वारा प्रति वर्ष कम से कम एक बार सभी स्टोरज का भौतिक सत्यापन किया जाना चाहिए। मा.शि.वि. की कंप्यूटर शाखा में, यह देखा गया कि सितंबर 2009 से पूर्व के स्टाक रजिस्टर निदेशालय के पास उपलब्ध नहीं थे। सितंबर 2009 से पूर्व का कंम्यूटरर हार्डवेयर और सहबद्ध मदें नये स्टाक रजिस्टर में आगे नहीं लाई गई थी। कंम्यूटर हार्डवेयर और अन्य सहबद्ध मदों का भौतिक सत्यापन अप्रैल 2009 से नहीं किया गया था।

- विभागाध्यक्ष के रूप में डी.जी. कार्यक्रमों के कार्यान्वयन, स्कीमों और विभाग की अन्य गतिविधियों की मानीटरिंग के लिए जिम्मेवार था। प्रबंधन के यंत्र के रूप में प्रयोग किए जाने के लिए संस्थानों से मासिक प्रगति रिपोर्टें मांगी और संग्रहीत की जानी अपेक्षित थी और जहां कही कमी थी, उपचारी कदम उठाये जाने अपेक्षित थे। यह देखा गया कि मानीटरिंग प्रणाली अस्तित्व में नहीं थी।

नि. एवं अ.स., मा.शि.वि. ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया (नवंबर 2014) कि विभाग में भविष्य में प्रभावी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली और मानीटरिंग प्रणाली स्थापित की जाएगी।

2.1.12 निष्कर्ष

वहां अपर्याप्त बजटीय नियंत्रण था जिससे स्कीमों का त्रुटिपूर्ण कार्यान्वयन हुआ। विभाग ने कंट्रेक्ट एग्रीमेंट के उल्लंघन में अदायगी करके सर्विस प्रोवाइडर को अनुचित लाभ दिया। सू.सं.प्रौ. प्रयोगशालाओं का कार्यचालन घटिया था। किए गए व्यय के समर्थन में वाउचर जिला शिक्षा अधिकारी, कैथल के पास उपलब्ध नहीं थे जोकि सरकारी धन के गबन का मामला हो सकता है। पास प्रतिशतता तीव्रता से गिर गई थी। मानव संसाधन का प्रबंधन अपर्याप्त था। विभाग, प्राइवेट मान्यता प्राप्त स्कूलों की फीस संरचना मानीटर नहीं कर रहा था। स्कूल, उनके अपग्रेडेशन के लिए निर्धारित मानको की जांच किए बिना; अपग्रेड किए गए थे। प्रिंसिपलों, मुख्य अध्यापकों और लैक्चरर्स के कैडर में भारी कमी थी। विभाग में आंतरिक नियंत्रण अपर्याप्त था।

2.1.13 सिफारिशें

सरकार विचार करे:

(i) यह सुनिश्चित करने के लिए एक प्रणाली स्थापित करें कि बिना किसी आवश्यकता के खजाने से निधियां आहरित नहीं की जाती हैं;

(ii) यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कदम उठाना कि सर्विस प्रोवाइडरस को अदायगियां सही अर्थ में समझौते की शर्तो के अनुसार की गई थी;

(iii) संदेहास्पद गबन की विस्तृत जांच-पड़ताल तथा अनुवर्ती कार्रवाई करना;

(iv) प्रिंसिपलों, मुख्य अध्यापकों, लैक्चरर्स, इत्यादि के खाली पदों को भरना तथा अध्यापकों को अध्यापन अन्य कार्य सौंपने से बचना; तथा

(v) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली-आंतरिक लेखापरीक्षा, भंडारों का भौतिक सत्यापन, कार्यक्रमों, स्कीमों इत्यादि का कार्यान्वयन मानीटरिंग का-सुदढ़ीकरण।

स्वास्थ्य विभाग

2.2 राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

ग्रामीण लोगों विशेषत: निर्धन एवं कमजोर वर्गों के लोगों को सुगम, संभव एवं गुणवत्ता स्वास्थ्य देख-भाल प्रदान करने के विचार से राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (रा.ग्रा.स्वा.मि.) अप्रैल 2005 में आरंभ किया गया। रा.ग्रा.स्वा.मि. की नीति, स्वास्थ्य देख-भाल सुविधाओं में अंतराल को पूरा करना तथा स्वास्थ्य सैक्टर में विकेंद्रीयकृत आयोजना की सुविधा प्रदान करना है। कुछ महत्वपूर्ण परिणाम नीचे प्रस्तुत किए गए हैं:

समग्र मिशन अवधि के लिए परिदृश्य योजना तैयार करने को सरल बनाने के लिए ग्रामीण स्तर पर आधार रेखा सर्वेक्षण तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सा.स्वा.के.) एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (प्रा.स्वा.के.) के सुविधा सर्वेक्षण 2013-14 तक आयोजित नहीं किए गए।

(अनुच्छेद 2.2.6)

राज्य में चिकित्सा तथा अर्द्धचिकित्सा स्टाफ की 7 तथा 30 प्रतिशत के बीच श्रृंखलित कमी के अतिरिक्त, 125 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सा.स्वा.के.), 501 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (प्रा.स्वा.के.) तथा 3,006 उप-केंद्रों (उ.कें.) की आवश्यकता के विरूद्ध 112 सा.स्वा.के., 485 प्रा.स्वा.के. तथा 2,630 उप.के. उपलब्ध थे।

(अनुच्छेद 2.2.8.1 तथा 2.2.9)

2010-14 के दौरान नमूना-जांच किए गए सामान्य अस्पतालों, सा.स्वा.के. तथा प्रा.स्वा.के. में अनिवार्य दवाइयों की कमी थी। राज्य में 16,800 अधिकृत सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं में से 4,800 को औषधि किट प्रदान नहीं की गई। जहां एक फर्म अन्य निगम/राज्य द्वारा ब्लैकलिस्ट की गई है, विभाग द्वारा मामलों से संव्यवहार के लिए कोई दिशानिर्देश नहीं बनाए गए थे।

(अनुच्छेद 2.2.10.1 से 2.2.10.3)

प्रथम तिमाही के समय पंजीकृत गर्भवती महिलाओं की बृहद् संख्या प्रसवपूर्व जांच के लिए नहीं दर्शाई गई। जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत अत्यधिक विलंब/प्रोत्साहनों के भुगतान न करने के मामले थे।

(अनुच्छेद 2.2.11.1)

2009-14 के दौरान 7.14 लाख मोतियाबिंद आप्रेशन किए जाने के लक्ष्य के विरूद्ध 6.42 लाख मोतियाबिंद आप्रेशन किए गए। अपवर्तक त्रुटियुक्त 1,22,966 विद्यार्थियों की पहचान के विरूद्ध केवल 44,320 विद्यार्थियों को ऐनक प्रदान की गई।

(अनुच्छेद 2.2.12)

2.2.1 प्रस्तावना

ग्रामीण लोगों विशेषत: निर्धन एवं कमजोर वर्ग के लोगों को सुगम, संभव एवं गुणवत्ता स्वास्थ्य देख-भाल प्रदान करने के विचार से राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (रा.ग्रा.स्वा.मि.) अप्रैल 2005

में आरंभ किया गया। रा.ग्रा.स्वा.मि. की नीति स्वास्थ्य देख-भाल सुविधाओं में अंतराल को पूरा करना, स्वास्थ्य सैक्टर में विकेंद्रीयकृत आयोजना सुगम बनाने को सुविधा प्रदान करना, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के विद्यमान कार्यक्रमों को पूर्ण आवरण प्रदान करना है।

2.2.2 संगठनात्मक ढांचा

एन.आर.एच.एम., मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य स्वास्थ्य मिशन (रा.स्वा.मि.) के समग्र मार्गदर्शन में कार्य करता है। मिशन के अंतर्गत गतिविधियों को राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी (रा.स्वा.सो.) के माध्यम से किया जाता है। सोसाइटी के शासी निकायों की अध्यक्षता राज्य के मुख्य सचिव द्वारा की जाती है। इसकी कार्यकारी समिति की अध्यक्षता अपर मुख्य सविच, हरियाणा सरकार, स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जाती है। मिशन निदेशक की अध्यक्षता में एक राज्य कार्यक्रम प्रबंधन समर्थन इकाई (रा.का.प्र.स.इ.) एस.एच.एस. के सचिवालय के रूप में कार्य करता है।

जिला स्तर पर, प्रत्येक जिले में उपायुक्त की अध्यक्षता में एक जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सोसाइटी (जि.स्वा.प.क.सो.) है तथा इसकी कार्यकारी समिति की अध्यक्षता सिविल सर्जन द्वारा की जाती है। उप-केंद्र (उ.कें.); प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (प्रा.स्वा.कें.), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सा.स्वा.कें.) ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते हैं।

2.2.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा के मुख्य उद्देश्य में यह सुनिश्चित करना था कि:

- मिशन की आयोजना, मानीटरिंग एवं मूल्यांकन प्रक्रियाएं पर्याप्त थी;
- वित्तीय प्रबंधन प्रभावी था;
- मिशन ने भौतिक आधारभूत संरचना प्रदान करने, भारतीय जन-स्वास्थ्य स्तर की सुविधाओं के उन्नयन तथा विभिन्न स्तरों पर मानव शक्ति की उपलब्धता बढ़ाने के लक्ष्य प्राप्त कर लिए थे;
- उपकरण, औषधियां तथा सेवाएं प्राप्त करने की प्रणालियां मूल्य प्रभावी तथा कार्यकुशल थी;
- प्रजनन, शिशु स्वास्थ्य देख-भाल, प्रतिरक्षण तथा रोग नियंत्रण कार्यक्रमों के निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए थे;

2.2.4 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं पद्धति

राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी (रा.स्वा.सो.), आठ जिलो[1] के सा.स्वा.कें., प्रा.स्वा.के. तथा उप-केंद्रों (उ.के.) सहित जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सोसाइटियों के अभिलेखों की नमूना-जांच द्वारा 2009-14 की अवधि को आवृत करते हुए अक्तूबर 2013 से जून 2014 के दौरान निष्पादन लेखापरीक्षा की गई। 21 जिलों में से सात जिलों का चयन बिना परिवर्तन संभावित समानुपातिक आकार (बि.प.सं.स.आ.) पद्धति प्रयोग करके किया गया था। मेवात जिले का चयन विभाग के सुझाव पर किया गया क्योंकि यह पिछड़ा जिला था। लेखापरीक्षा के दौरान स्वास्थ्य केंद्रों का भौतिक सत्यापन किया गया तथा देखी गई कमियां रिपोर्ट में भी शामिल की गई हैं।

[1] (i) यमुनानगर (ii) सिरसा (iii) फतेहाबाद (iv) भिवानी (v) नारनौल (vi) पलवल (vii) अंबाला तथा (viii) मेवात।

स्कीम की पहले भी समीक्षा की गई थी तथा 31 मार्च 2009 को समाप्त वर्ष के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) हरियाणा सरकार में शामिल की गई तथा 2013-14 के दौरान लोक लेखा समिति द्वारा चर्चा की गई थी। लेखापरीक्षा करते समय रिपोर्ट के परिणामों को ध्यान में रखा गया था।

अपर मुख्य सचिव (अ.मु.स.), हरियाणा सरकार, स्वास्थ्य विभाग के साथ 25 अप्रैल 2014 को एक एंट्री कांफ्रेंस आयोजित की गई जिसमें लेखापरीक्षा उद्देश्यों, लेखापरीक्षा मानदण्डों तथा लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र पर चर्चा की गई। लेखापरीक्षा परिणामों पर अ.मु.स., स्वास्थ्य विभाग के साथ नवंबर 2014 में आयोजित एग्जिट कांफ्रेंस में चर्चा की गई थी। विभाग के उत्तर तथा एग्जिट कांफ्रेंस के विचार-विमर्शों को रिपोर्ट में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है।

2.2.5 लेखापरीक्षा मानदण्ड

निम्नलिखित दस्तावेजों के प्रावधान लेखापरीक्षा मानदण्ड के रूप प्रयोग किए गए:

- स्कीम पर भारत सरकार के दिशानिर्देश तथा समय-समय पर जारी निर्देश।
- भारतीय जन-स्वास्थ्य मानक (भा.ज.स्वा.मा.)।
- भारत सरकार द्वारा अनुमोदित राज्य कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाएं (का.का.यो.)।
- हरियाणा में लागू पंजाब वित्तीय नियम तथा पंजाब कोषालय नियम।

लेखापरीक्षा परिणाम

2.2.6 आयोजना

मिशन के दिशानिर्देशों के अनुसार, रा.ग्रा.स्वा.मि. ने 2005-14 की अवधि के लिए परिदृश्य योजना तैयार करने के लिए 2008 तक परिवारों तथा स्वास्थ्य सुविधाओं का आधार रेखा सर्वेक्षण करना था तथा ग्राम स्वास्थ्य कार्य योजना (ग्रा.स्वा.का.यो.) तथा खण्ड स्वास्थ्य कार्य योजना (ख.स्वा.का.यो.) भी आगे जिला स्वास्थ्य कार्य योजना (जि.स्वा.का.यो.) में समेकन हेतु तैयार करनी थी। मिशन की गतिविधियो में शामिल करने के लिए स्वैच्छिक संगठनों तथा एन.जी.ओज़ को रा.ग्रा.स्वा.मि. के कुल ले-आऊट का पांच प्रतिशत दिया जाना अपेक्षित था।

लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि कोई आधार रेखा तथा स्वास्थ्य सुविधाएं सर्वेक्षण नहीं किया गया। ग्रा.स्वा.का.यो. तथा ख.स्वा.का.यो. तैयार किए बिना जि.स्वा.का.यो. तैयार की गई थी। आगे यह देखा गया कि नमूना-जांच किए गए आठ जिलों में से छः में रा.ग्रा.स्वा.मि. के कार्यान्वयन में एन.जी.ओज. की भूमिका केवल राष्ट्रीय दृष्टिविहीनता नियंत्रण कार्यक्रम तक सीमित थी। नमूना-जांच किए गए जिलो में एन.जी.ओज़ को आबटित राशियां पांच प्रतिशत से कम (शून्य से 3.82 प्रतिशत के बीच श्रृंखलित) थी।

आगे, मिशन ने आयोजन एवं निष्पादन में महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य एवं स्वाच्छता, लोक निर्माण तथा पंचायती राज संस्थाओं का सहयोग प्राप्त कर स्वास्थ्य देख-भाल के प्रति अंतर्क्षेत्रीय अभिमुखी दृष्टिकोण पर विचार किया था। अन्य सामाजिक सैक्टरों जैसे महिला एवं बाल विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता से कभी कोई इनपुट प्राप्त नहीं किए गए। संयुक्त भौतिक सत्यापन

के दौरान यह देखा गया कि नारनौल जिले में छ:[2] उ.के. के पहुंच सड़क बहुत बुरी हालत में थी। दो[3] उ.के. में पहुंच सड़क उपलब्ध भी नहीं थी। यह समस्या, संबंधित विभागों के साथ उचित विचार-विमर्श तथा सहयोग के साथ सुलझाई जा सकती थी।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान अ.मु.स. ने बताया कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण का डाटा आयोजना के लिए प्रयोग किया गया था। तथ्य रहता है कि कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया।

जहां तक ग्रा.स्वा.का.यो. तथा ख.स्वा.का.यो. का संबंध है यह बताया गया कि इस प्रयोजन के लिए कोई बजट प्रावधान नहीं था लेकिन फील्ड अधिकारियों के साथ परामर्श करके जि.का.यो. बनाई गई। एग्जिट कांफ्रेंस में अ.मु.स. ने बताया कि ग्रामीण स्तरीय एवं खंड स्तरीय अधिकारियों को शामिल करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं था। तथ्य रहता है कि ग्रा.स्वा.का.यो. तथा ख. स्वा.का.यो. तैयार नहीं की गई थी।

जहां तक अन्य सामाजिक सैक्टरों के साथ अभिमुखता का संबंध है यह बताया गया कि अन्य विभागों अर्थात् महिला एवं बाल विकास विभाग, शिक्षा, पंचायती राज, ग्रामीण विकास इत्यादि के मंत्री, राज्य स्वास्थ्य मिशन के बोर्ड में थे जहां, उनके बहुमूल्य इनपुटस विस्तारपूर्वक लिए गए थे। संबंधित मंत्रियों के, मिशन के बोर्ड पर होने के बावजूद स्कीम/गतिविधियों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए मूल स्तरीय अभिमुखता एवं समन्वय स्पष्ट नहीं था जैसा कि अनुच्छेद 2.2.8.3 तथा 2.2.8.5 में बाद में प्रकट किया गया है।

2.2.7 वित्तीय प्रबंधन

केंद्र एवं राज्य सरकार के मध्य रा.ग्रा.स्वा.मि. की निधियां 2009-12 तथा 2012-14 के दौरान क्रमश: 85:15 तथा 75:25 के अनुपात से बांटनी थी।

2009-14 की अवधि में आरम्भिक शेष, भारत सरकार से प्राप्त निधियां, उनके विरूद्ध किया गया व्यय तथा अंत शेष की स्थिति **तालिका 2.2.1** में दी गई है।

तालिका 2.2.1: उपलब्ध निधियां तथा उनके विरूद्ध किए गए व्यय को दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आरंभिक शेष	भारत सरकार से प्राप्त निधियां	राज्य का हिस्सा	कुल	किया गया व्यय	अंत शेष	अंत शेष की कुल उपलब्ध निधियों से प्रतिशतता
2009-10	156.16	135.68*	25.15	316.99	274.19	42.80	14
2010-11	42.80	219.69	32.14	294.63	293.55	1.08	शून्य
2011-12	1.08	297.35	42.56	340.99	294.21	46.78	14
2012-13	46.78	292.22**	96.38	435.38	367.99	67.39	15
2013-14	67.39	314.41**	101.64	483.44	468.27	15.17	03

टिप्पणी:* उपर्युक्त के अतिरिक्त, 2009-10 में भारत सरकार से मूलभूत सरंचना के रख-रखाव के लिए प्राप्त ₹ 70.49 करोड़ भी व्यय किए गए।

**** 2012-13 तथा 2013-14 के दौरान क्रमश: ₹ 6.05 करोड़ तथा ₹ 1.53 करोड़ के अनुदान वस्तुओं के रूप में अनुदान भी प्राप्त किए गए।**

[2] (i) नावा (ii) जेरपुर (iii) नांगल दारगु (iv) गनवाड़ी जाट (v) चेक मलिकपुर तथा (vi) ढाणी भथोटी।

[3] (i) मेघोट कलां तथा (ii) भूंगरका।

जैसा कि देखा जा सकता है, प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर (2010 - 11 के सिवाय) अंत शेष थे जिसने इंगित किया कि स्कीम का कार्यान्वयन मंद था। स्कीमों के मंद कार्यान्वयन के कारण सा.स्वा.के., प्रा.स्वा.के. तथा उ.के. की कमी, सा.स्वा.के. तथा प्रा.स्वा.के. में मूलभूत सुविधाओं की कमी थी जैसा कि अनुच्छेद 2.2.8 में चर्चा की गई है।

मिशन निदेशक ने बताया (नवंबर 2014) कि प्रत्येक वर्ष का अंत शेष अगले वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही में चल रही गतिविधियों पर प्रयोग किया गया था क्योंकि निधियां प्रत्येक वर्ष जून माह में प्राप्त की गई थी। इस प्रकार, स्कीम के तीव्र कार्यान्वयन के लिए वर्ष के आरंभ में निधियां प्राप्त करने के लिए उचित प्रणाली विकसित किए जाने की आवश्यकता है।

आगे, अभिलेखों की सवींक्षा ने दर्शाया कि 2009 - 14 के दौरान राज्य सरकार ने अपना हिस्सा ₹ 28.44 करोड; कम जारी किया। मिशन निदेशक ने बताया (नवंबर 2014) वित्तीय वर्ष 2014 - 15 के दौरान राज्य हिस्से के बकाया जारी करने के लिए राज्य वित्त विभाग को अनुरोध किया गया था।

2.2.7.1 उपयोगिता प्रमाणपत्रों की अप्राप्ति

- ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता पोषाहार समिति (ग्रा.स्वा.स्व.पो.स.) वार्षिक आधार पर ₹ 10,000 तक खुला अनुदान प्राप्त करती है। 2009 - 13 के दौरान ग्रा.स्वा.स्व.पो.स. से उपयोगिता प्रमाण - पत्र प्राप्त किए बिना ₹ 15.29 करोड़ की राशि व्यय के रूप में बुक की गई। यह अवलोकित किया गया कि मिशन निदेशक, रा.ग्रा.स्वा.मि. ने ग्रा.स्वा.स्व.पो.स. को जारी की राशियों को, उपयोगिता प्रमाण - पत्र अथवा आवश्यक दस्तावेज़ प्राप्त किए बिना व्यय के रूप में बुक करने हेतु निदेश जारी किए थे (अप्रैल 2009)। मिशन निदेशक, रा.ग्रा.स्वा.मि. के निर्देश दिशा निर्देशों के उल्लंघन में थे। आगे यह अवलोकित किया गया कि यह सुनिश्चित करने के लिए कोई नियंत्रण यंत्रावली विकसित नहीं की गई कि खुले अनुदान को विचारित गतिविधियों पर उपयोग किए जा रहे थे। इसके अभाव में निधियों के दुरूपयोग के अवसरों का पता नहीं लगाया जा सकता।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान अ.मु.स. ने बताया कि 2011 - 12 से उपयोगिता प्रमाण - पत्र प्राप्त किए बिना व्यय को बुक करने की प्रथा बंद कर दी गई थी। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर कि प्रथा बंद नहीं की गई थी, अ.मु.स. ने आश्वासन दिया कि निर्देश दोहराए जाएंगे।

- लिंग असमानता को संबोधित करने तथा कन्या भ्रूणहत्या के विरूद्ध जागरूकता बढ़ाने के लिए सर्वोच्च लिंग अनुपात अथवा लिंग अनुपात में वृद्धि की अत्यधिक प्रतिशतता वाले गांव को ₹ एक लाख का पुरस्कार तथा राज्य में उत्तम निष्पादन करने वाले गांव को ₹ पांच लाख का पुरस्कार दिया जाना था। 2012 - 13 से जिले में द्वितीय उत्तम गांव को ₹ 25,000 का पुरस्कार भी प्रारंभ किया गया। धन प्रसवपूर्व नैदानिक तकनीकी (प्र.पू.वै.त.) गतिविधयों के लिए आगे सूचना, शिक्षा तथा संचार (सू.शि.स.) पर व्यय किया जाना था।

नमूना - जांच किए गए सात जिलों में 2010 - 13 के दौरान स्कीम के अंतर्गत 16 पंचायतों को जि.स्वा.प.क.सो. द्वारा ₹ 17.75 लाख की राशि पुरस्कार दी गई। संबंधित जि.स्वा.प.क.सो. के पास कोई उपयोगिता प्रमाण - पत्र (उ.प्र.) उपलब्ध नहीं थे। विभाग ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रणाली विकसित नहीं की थी कि संबंधित संरपंचो द्वारा प्र.पू.नै.त. गतिविधियों के लिए सू.शि.स. पर व्यय किया गया था।

मिशन निदेशक ने बताया (नवंबर 2014) कि ₹ 5.25 लाख के उ.प्र. प्राप्त कर लिए गए हैं तथा शेष राशि के उ.प्र. एकत्रित किए जा रहे है। तथ्य रहता है कि प्र्याप्त राशि के पुरस्कार धन की सही उपयोगिता सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

2.2.8 मूलभूत संरचना

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का लक्ष्य विद्यमान भौतिक मूलभूत सरंचनाओं जैसे स्वास्थ्य केंद्र भवन तथा नव निर्माण या नवीनीकरण, जहां आवश्यकता थी, के पुनरूत्थान के माध्यम से क्रियात्मक स्वास्थ्य सेवाएं स्थापित करके ग्रामीण स्वास्थ्य मूलभूत संरचनाओं की वर्तमान क्षमता में अंतराल को पूरा करना था। स्वास्थ्य केंद्रो के विभिन्न स्तरों के लिए भारतीय जन-स्वास्थ्य स्तरों (भा.ज.स्व.स्त.) को उपलब्ध सुविधाओं के उन्नयन हेतु भी मिशन ने मांग की।

2.2.8.1 सा.स्वा.के., प्रा.स्वा.के. तथा उ.के. की कमी

भा.ज.स्व.स्त. के अनुसार प्रत्येक 80,000 से 1,20,000 की जनसंख्या के लिए एक सा.स्वा.के. होना चाहिए, 20,000 से 30,000 की जनसंख्या के लिए एक प्रा.स्वा.के. होना चाहिए तथा प्रत्येक 5,000 की जनंसख्या के लिए उप-केंद्र होना चाहिए।

मिशन निदेशालय के अभिलेखों की सवींक्षा ने दर्शाया कि **तालिका 2.2.2** में दिए गए विवरणानुसार सा.स्वा.के., प्रा.स्वा.के. तथा उ.के. के संबंध में मूलभूत सरंचनाओं की कमी थी।

तालिका 2.2.2: सा.स्वा.के., प्रा.स्वा.के. तथा उ.के. की कमी का विवरण

श्रेणी	आवश्यकता	उपलब्ध	कमी	कमी की प्रतिशतता
सा.स्वा.के.	125	112	13	10
प्रा.स्वा.के.	501	485	16	3
उ.के.	3006	2630	376	13

स्रोतः कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना 2012 – 13

जैसा कि उपर्युक्त से स्पष्ट है कि सा.स्वा.के. की 10 प्रतिशत की सीमा तक, प्रा.स्वा.के. की तीन प्रतिशत की सीमा तक तथा उ.के. की 13 प्रतिशत की सीमा तक कमी थी।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान अ.मु.स. ने बताया कि भा.ज.स्वा.स्त. मानक प्रेरणादायक थे तथा मार्गदर्शन मानकों के रूप में काम किया तथा आगे और बताया कि विभाग भा.ज.स्वा.स्त. द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास कर रहा था।

2.2.8.2 सा.स्वा.के., प्रा.स्वा.के. तथा उ.के. का निमार्ण

रा.ग्रा.स्वा.मि. ने आरंभ से ही राज्य में अंतराल को पूरा करने के लिए 22 नए सा.स्व.के., 78 नए प्रा.स्व.के. तथा 282 नए उ.के. के निर्माण का लक्ष्य 2013-14 के दौरान पूर्ण किए जाने के लिए निर्धारित किया था। **तालिका 2.2.3** में दिए गए विवरणानुसार यह अवलोकित किया गया कि इन केंद्रों के निर्माण के निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किए गए थे (नवंबर 2014)।

तालिका 2.2.3 : सा.स्वा.के. प्रा.स्वा.के. तथा उ.के. के निर्माण के लक्ष्यों एवं उपलब्धियों के विवरण

श्रेणी	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशतता	प्रगति में	कार्य आरंभ नहीं किए गए
	(संख्या में)				
सा.स्वा.के.	22	19	86	03	0
प्रा.स्वा.के.	78	71	91	06	1
उ.के.	282[4]	202	82	32	11[5]
कुल	**382**	**292**		**41**	**12**

स्रोत: रा.स्वा.सो. द्वारा प्रदान की गई सूचना।

लोक निर्माण विभाग ने (भवन एवं सड़कें) स्वास्थ्य विभाग के निर्माण कार्य निष्पादित किए। मिशन निदेशक, रा.ग्रा.स्वा.मि. के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार ₹ 332.66 करोड़ के प्रशासनिक अनुमोदनों के विरूद्ध अक्तूबर 2013 तक कुल व्यय ₹ 170 करोड़ था। अभिलेखों की संवीक्षा ने निम्नलिखित इंगित किया:

- यद्यपि निर्माण कार्यों की पूर्ति की लक्ष्यित तिथि इंगित की गई थी परंतु किसी प्रकरण में पूर्ति की वास्तविक तिथि विनिर्दिष्ट नहीं की गई थी। इसकी अनुपस्थिति में अधिक लिए गए समय को सुनिश्चित नहीं किया जाना संभव नहीं था। नमूना-जांच किए गए जिलों में उपलब्ध डाटा से लेखापरीक्षा ने देखा कि नौ[6] निर्माण कार्य ₹ 8.15 करोड़ की अनुमानित लागत के विरूद्ध ₹ 9.76 करोड़ की लागत पर पूर्ण किए गए परिणामत: ₹ 1.61 करोड़ की अधिक लागत आई अर्थात् 20 प्रतिशत तक वृद्धि, होडाली प्रा.स्वा.के. के प्रकरण में अधिक लागत की मात्रा 64 प्रतिशत तक थी। निष्पादन एजेंसियों द्वारा समय और लागत के आधिक्य को स्वास्थ्य विभाग द्वारा मॉनीटरिंग या विश्लेषण इंगित करने हेतु अभिलेख में कोई सबूत नहीं था।

- यद्यपि सा.स्वा.के. मुलाना के निर्माण के लिए प्रशासनिक अनुमोदन सितंबर 2011 में प्रदान किया गया था, कार्य के आबंटन हेतु निविदा प्रक्रिया अभी तक आरंभ नहीं की गई थी (जनवरी 2014)। प्रा.स्वा.के. वाया (कुरूक्षेत्र जिला) तथा प्रा.स्वा.के. गुड़यानी (रेवाड़ी जिला) के निर्माण के लिए प्रशासनिक अनुमोदन क्रमश: अगस्त 2009 तथा सितंबर 2008 में प्रदान की थी। परंतु भूमि की अनुपलब्धता/भूमि के विवाद के कारण निर्माण आरंभ नहीं किया जा सका। इसी प्रकार, उ.के. के भवन भूमि विवाद तथा भूमि की अनुपलब्धता के कारण आरंभ नहीं किए जा सके। विभाग ने वैकल्पिक स्थल प्राप्त करने के कोई प्रयास नहीं किए थे।

मिशन निदेशक ने बताया (नवंबर 2014) कि ₹ 1.71 करोड़ से ₹ 6.58 करोड़ तक लागत वृद्धि के कारण सा.स्वा.के. मुलाना का निर्माण नहीं किया जा सका। प्रा.स्वा.के. वाया के संबंध में यह बताया गया कि प्रा.स्वा.के. के निर्माण के लिए भूमि अब, निदेशक विकास एवं पचायत विभाग द्वारा जारी कर दी गई थी तथा प्रा.स्वा.के. गुडयानी के निर्माण के लिए वृक्ष हटाने के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार से अनुमति प्राप्त कर ली गई थी। तथापि, तथ्य रहता है कि भूमि जारी करवाने में अत्यधिक विलंब थे।

[4] इनमें से 37 वापस ली गई।

[5] इनमें से 9 उ.के. निर्मित किए जाने अपेक्षित नहीं थे क्योंकि कुरूक्षेत्र जिले में भवन विद्यमान थे।

[6] (i) सा.स्वा.के., बेरी (ii) प्रा.स्वा.के., होडली तथा (iii) बिढ़लान, (iv) उ.के., लाण्डा (v) चांग, (vi) नांगल (vii) कारेवाड़ी, (viii) रोहणा तथा (ix) भाण्डरी।

2.2.8.3 प्रा.स्वा.के./उ.के. के असमुचित कार्यचालन

सितंबर 2009 तथा अप्रैल 2012 के बीच 29 उ.के. ₹ 3.99 की लागत पर फतेहाबाद तथा सिरसा जिलों में पूर्ण किए गए परंतु ये उ.के. सही ढंग से कार्य नहीं कर रहे थे (जनवरी 2014) क्योंकि तीन ए.एन.एम. के मानदण्ड के विरूद्ध केवल एक आक्सीलरी नर्स मिडवाइफ (ए.एन.एम.) लगाई गई थी। आगे यह अवलोकित किया गया कि महा निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं (म.नि.स्वा.से.) द्वारा मानव शक्ति संस्वीकृत नहीं की गई थी। इसी प्रकार, भिवानी जिले में दो[7] प्रा.स्वा.के. के भवन जुलाई 2013 में ₹ 2.20 करोड़ की लागत पर पूर्ण किए गए थे परंतु विभिन्न सुविधाओं जैसे दरवाजे, खिड़कियां, जलापूर्ति, चार दीवारी इत्यादि की कमी के कारण विभाग को नहीं सौंपे गए थे (अक्तूबर 2014)।

संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान, यह देखा गया (अगस्त 2014) कि फतेहाबाद में प्रा.स्वा.के. रोही तथा बाडोपुर के डाक्टरों के आवास तथा स्टाफ कवार्टर्स एवं सिरसा जिले में सा.स्वा.के. के माधोसिंघाना अंतर्गत उ.के. नावर बुरी हालत में थे तथा परित्यक्त पड़े हुए थे। प्रा.स्वा.के., सहलांग की चारदीवारी भी टूटी हुई अवस्था में थी।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान अ.मु.स. ने बताया कि मामले को ध्यान में रखा जाएगा तथा सुधारक कदम शीघ्र उठाए जाएंगे।

2.2.8.4 सा.स्वा.के. तथा प्रा.स्वा.के. में मूलभूत सुविधाओं की कमी

भा.जन.स्वा.से. के अनुसार, सा.स्वा.के. तथा प्रा.स्वा.के. में ये सेवाएं जैसे प्रतीक्षालय, लेबररूम, आप्रेशन थियेटर, क्लीनिक रूम, आपातकालीन सेवाएं, पुरूषों तथा महिलाओं के लिए अलग इकाइयां होनी चाहिए। लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि नमूना-जांच किए गए जिलों की लेखापरीक्षा के दौरान सा.स्वा.के. तथा प्रा.स्वा.के. में ***परिशिष्ट 2.6*** में दिए गए विवरणानुसार मूलभूत सरंचनाए अपर्याप्त थी। प्रा.स्वा.के में आप्रेशनथियेटरों, आपातकलीन/दुर्घटना सेवाओं तथा पुरूषों एवं महिलाओं के लिए पृथक इकाइयों के संबंध में भारी अपर्याप्तता थी क्योंकि 129 प्रा.स्वा.के. में से ये सुविधाएं क्रमश: 93 (72 प्रतिशत), 69 (53 प्रतिशत) तथा 40 (31 प्रतिशत) में उपलब्ध नहीं थी।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान अ.मु.स. ने बताया कि सा.स्वा.के./प्रा.स्वा.के. में मूलभूत सरंचनाओं का डाटा मानकों के अनुसार तैयार किए गए थे, जो आदर्शवादी थे तथा आधारभूत स्तर पर मांग को प्रतिबिम्बित नहीं करते। इस प्रकार, तथ्य यह रहा कि निधियां निर्धारित मानकों के आधार पर जारी नहीं की गई थी।

2.2.8.5 उपकेंद्रो में मूलभूत सुविधाओं की कमी

चयन किए जिलों में उ.के. के भौतिक निरीक्षण के दौरान यह देखा गया कि **तालिका 2.2.4** में दिए गए विवरणानुसार उ.के. मूलभूत सुविधाओं जैसे पानी, बिजली, शौचालय इत्यादि के बिना कार्यशील थे।

[7] बलकरा तथा संतोखपुरा।

तालिका 2.2.4: मूलभूत सुविधाओं के बिना कार्यशील उ.के. के विवरण

जिले का नाम	मूलभूत सुविधाओं के बिना कार्यशील उ.के. की संख्या चल रहे थे				
	जलापूर्ति	जलभंडारण	बिजली	बाथरूम तथा शौचलय की उपलब्धता	निराकृत/खराब हालत वाले भवन
नारनौल	20	17	24	6	6
पलवल	12	10	8	7	4

स्रोत: संबंधित जि.स्वा.प.क.सो. द्वारा प्रदत्त डाटा

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान अ.मु.स. ने उ.के. में मूलभूत सुविधाओं की कमी मामले को गंभीरता से नोट किया तथा इन समस्याओं को सुलझाने के लिए विभागीय अधिकारियों को तुरंत कदम उठाने के लिए निदेश दिए।

2.2.8.6 स्वास्थ्य सुविधाओं की अनुपलब्धता

भा.ज.स्वा.से. के अनुसार स्वास्थ्य केंद्रों में प्रदान की जानी अपेक्षित मूलभूत स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं जैसे रक्त भण्डारण, नवजात देखरेख, अंतरंग रोगी, एक्स-रेज, अल्ट्रासाऊंड इत्यादि। ***परिशिष्ट 2.7*** में दिए गए विवरण के अनुसार नमूना-जांच किए गए सा.स्वा.के. तथा प्रा.स्वा.के. में उपलब्ध नहीं थी। सा.स्वा.के. में मुख्य कमी रक्त भण्डारण (89 प्रतिशत), एक्सरेज (41 प्रतिशत), अल्ट्रासाउण्ड (100 प्रतिशत), ई.सी.जी. (52 प्रतिशत), स्त्रीरोगों का आंतरिक परीक्षण (55 प्रतिशत) तथा बालचिकित्सा सेवाएं (75 प्रतिशत) के संबंध में थी। इसी प्रकार, प्रा.स्वा.के. में रक्त भण्डारण (89 प्रतिशत), एक्स-रेज (92 प्रतिशत), अल्ट्रा साउंड (100 प्रतिशत), ई.सी.जी. (95 प्रतिशत), प्रसूति सेवाएं (75 प्रतिशत), आपातकालीन सेवाएं (66 प्रतिशत) नलबंदी/नसबंदी (90 प्रतिशत), स्त्रीरोगों का आंतरिक परीक्षण (76 प्रतिशत) तथा बालरोग सेवाएं (83 प्रतिशत) के संबंध में स्वास्थ्य सेवाओं की कमी थी।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान अ.मु.स. ने बताया कि इन सेवाओं के प्रदान करने के लक्ष्य की ओर विभाग निरंतर संघर्षशील था।

2.2.8.7 दंतचिकित्सा के लिए समुचित आयोजना की कमी

कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं में यह विचार किया गया था कि राज्य में सभी सा.स्वा.के. तथा प्रा.स्वा.के. में दंत उपकरणों तथा दंत इकाइयों सहित दांतो के डाक्टर उपलब्ध करवाए जाने चाहिए। नमूना-जांच किए जिलों के अभिलेखों ने दर्शाया कि तीन प्रा.स्वा.के. में डाक्टर उपलब्ध थे परंतु डैंटलचेयर्स उपलब्ध नहीं थी। पांच सा.स्वा.के. तथा 15 प्रा.स्वा.के. में डैंटल चेयर्स उपलब्ध थी परंतु डाक्टर उपलब्ध नहीं थे। एक सा.स्वा.के. तथा 12 प्रा.स्वा.के. में न तो डाक्टर तथा न ही डैंटल चेयर्स उपलब्ध थी।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, नमूना-जांच किए गए जिलों में किसी भी सा.स्वा.के./प्रा.स्वा.के. में डैंटल एक्स-रे मशीनें उपलब्ध नहीं थी। अत: ग्रामीण जनता दत्स चिकित्सा की सुविधाओं से वंचित रही।

मिशन निदेशक, ने बताया (नवंबर 2014) कि रिक्तियों के विरूद्ध डाक्टर तैनात किए जाएंगे तथा नई एक्स-रे मशीनों के क्रय के लिए निदेशक, आपूर्ति एवं निपटान द्वारा टैंडर पहले ही अरंभ किए जा चुके हैं।

2.2.9 मानव संसाधन

मिशन का लक्ष्य जनशक्ति की उपलब्धता में वृद्धि था क्योंकि चिकित्सा देखभाल की गुणवत्ता तथा कार्यकुशलता मानव संसाधनों की उपलब्धता पर अधिकांशत: निर्भर करती है। इस प्रकार, स्वास्थ्य विभाग द्वारा विद्यमान रिक्त पदों को भरा जाना था। यह अवलोकित किया गया कि चिकित्सा/अर्द्धचिकित्सा स्टाफ की कुल 14 प्रतिशत की कमी थी। आगे, एस.एम.ओज़, एम.ओज. तथा महिला चिकित्सा अधिकारियों की कमी क्रमश: 10, 22, तथा 84 प्रतिशत थी जबकि अर्द्धचिकित्सा स्टाफ की कमी 7 तथा 30 प्रतिशत के बीच श्रृंखलित थी।

चिकित्सा/अर्द्धचिकित्सा स्टाफ की कमी संबंधित प्रकरण भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की 31 मार्च 2009 को समाप्त हुए वर्ष की रिपोर्ट (सिविल) हरियाणा सरकार, में प्रकट किया गया था तथा लोक लेखा समिति ने सिफारिश की कि अर्द्धचिकित्सा स्टाफ की भर्ती यथा शीघ्र की जाए। पी.ए.सी. की सिफारिशों के बावजूद स्थिति वही रही जैसाकि उपर्युक्त से स्पष्ट है।

मिशन निदेशक ने बताया (नवंबर 2014) कि चिकित्सा एवं अर्द्ध-चिकित्सा स्टाफ की कमी थी और यह प्रक्रिया चल रही है तथा कमी कम करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

2.2.9.1 अधिकृत सामाजिक स्वास्थ्य सक्रिय कार्यकर्त्ता

जनसंख्या के कमजोर वर्गों विशेषत: महिलाएं व बच्चे जिन्हें जन-स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचना कठिन लगता है, की स्वास्थ्य संबंधी मांगों के लिए, सामुदायिक आधारित स्वास्थ्य कार्यकर्ता, अधिकृत सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (अ.सा.स्वा.स.) की महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्य द्वारा यह विचार किया गया कि इन स्वास्थ्य संबंधित स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं तथा सामुदायिक संचालकों की चरणबद्ध पद्धति में पहचान की जाएगी। यह देखा गया कि अ.सा.स्वा.स. कार्यकर्ताओं की पहचान का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया क्योंकि 2009-14 के दौरान लक्ष्यों की प्राप्ति 86 और 98 प्रतिशत के बीच अस्थिर रही। 2013-14 में यह 93 प्रतिशत थी।

अ.सा.स्वा.स. की कमी ने समुदाय को महिलाओं को जन्म तत्परता, सुरक्षित प्रसव के महत्व, स्तनपान इत्यादि पर परामर्श के अतिरिक्त स्वास्थ्य के निर्धारकों जैसे पोषाहार, मूल स्वच्छता तथा स्वास्थ्य कार्यों से वंचित रखा।

मिशन निदेशक ने बताया (नवंबर 2014) कि अ.सा.स्वा.स. की भर्ती एक निरंतर प्रक्रिया थी तथा अ.सा.स्वा.स. की भर्ती में महत्वपूर्ण वृद्धि थी अर्थात 2014-15 में लक्ष्यों का 96 प्रतिशत। तथापि, तथ्य रहता है कि अ.स.स्वा.स. की कमी ने समुदाय को पूर्ववर्ती वर्षों में सेवाओं से वंचित रखा तथा पूर्णतया प्राप्ति अभी शेष थी।

2.2.9.2 दुर्गम क्षेत्रों में अर्द्धचिकित्सा स्टाफ को प्रोत्साहनों का अभुगतान

परियोजना कार्यान्वयन योजनाओं में यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण माना गया है कि रोगियों को वांछित स्तर की सेवाएं प्रदान करने हेतु मानव शक्ति की सही संख्या सही मिश्रण में सही स्थान पर, सही समय पर प्रेरणायुक्त सही निपुणताओं के साथ उपलब्ध हैं। मेवात क्षेत्र (दुर्गम क्षेत्र) में उचित मानव शक्ति प्रदान करने के विचार से रा.ग्रा.स्वा.मि. के अंतर्गत डाक्टरों तथा अर्द्धचिकित्सा स्टाफ को प्रौत्साहन देकर वेतन को बढ़ाने की नीति अपनाई गई थी।

यह देखा गया कि 2012-14 के दौरान विशेष प्रोत्साहन डाक्टरों को दिया गया था परंतु अर्द्धचिकित्सा स्टाफ को यह प्रोत्साहन नहीं दिया गया था। यह अवलोकित किया गया कि जून 2013 तथा 2014 में सिविल सर्जन मेवात, ने अर्द्धचिकित्सा स्टाफ को प्रोत्साहन धन का

भुगतान करने के लिए ₹ 48 लाख का बजट प्रदान करने के लिए मिशन निदेशक को अनुरोध किया था परंतु मिशन निदेशक ने अभी तक बजट प्रदान नही किया था (जून 2014)।

इस प्रकार, दुर्गम क्षेत्रों में कार्य करने के लिए स्टाफ को आकर्षित करने के लिए अपनाई गई नीति उचित ढंग से लागू नहीं की गई थी परिमाणत: वहां अर्द्धचिकित्सा स्टाफ की भारी कमी रही क्योंकि मेवात जिले में के 314 संस्वीकृत पदो के विरूद्ध केवल 67 अर्द्धचिकित्सा स्टाफ तैनात थे।

एग्जिट काफ्रेंस के दौरान अ.मु.स. ने बताया (नवंबर 2014) कि अन्य स्टाफ से सदृश मांग करने की आशंका से अर्द्धचिकित्सा स्टाफ को प्रोत्साहन नहीं दिया गया। उत्तर युक्त्युक्त नहीं था दुर्गम क्षेत्र, मेवात क्षेत्र में उचित मानव शक्ति प्रदान के लिए नीति के एक हिस्सा के रूप में क्योंकि अर्द्धचिकित्सा स्टाफ को प्रोत्साहन दिया जाना था।

2.2.9.3 कर्मचारी के राज्य बीमा अंशदान की कटौती न करना

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के सैक्शन 1(5) में यह प्रावधान है कि 20 या इससे अधिक व्यक्तियों को रोजगार देने वाली संस्था अधिनियम के अंतर्गत आवृत थी। स्कीम के अंतर्गत आवृत एक कर्मचारी को मजदूरी का 1.75 प्रतिशत अंशदान करना पड़ता है जबकि नियोक्ता का अंशदान कर्मचारी को भुगतान योग्य मजदूरी का 4.75 प्रतिशत है। राज्य स्वास्थ्य सोसाईटी (रा.स्वा.सो.) तथा नमूना-जांच की गई जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सोसाइटियों (जि.स्वा.प.क.सो.) के अभिलेखों की संवीक्षा ने दर्शाया कि यद्यपि सोसाइटियां अप्रैल 2005 में स्थापित की गई थी तथा राज्य बीमा अधिनियम 1948 के सैक्शन 1(5) के अंतर्गत आवृत थी, उनके कर्मचारी स्कीम के अंतर्गत आवृत नहीं किए गए थे।

मिशन निदेशक ने बताया (नवंबर 2014) कि रा.ग्रा.स्वा.मि. पर ई.एस.आई. अधिनियम लागू होने संबंधी स्पष्टीकरण ई.एस.आई. आयुक्त, नई दिल्ली, से मांगा गया था। आगे प्रगति प्रतीक्षित थी (जनवरी 2015)।

2.2.10 प्रापण प्रणाली

2.2.10.1 अनिवार्य औषधियों की आशिक उपलब्धता

औषधियों के प्रापण तथा उनका विवेकपूर्ण प्रयोग बढ़ाने हेतु को एक मार्ग दर्शन प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्कीम के अंतर्गत अनिवार्य औषधि सूचि (प.औ.सू.) की धारणा 2009 में व्यवस्थित ढंग से आरंभ की गई। सा.अ., सा.स्वा.के. तथा प्रा.स्वा.के. के लिए प.औ.सू. 2010 में संशोधित की गई जिसमें क्रमश: 627, 246 तथा 186 दवाइयां शामिल थी औषधि नीति जुलाई 2013 में संशोधित की गई तथा जुलाई 2013 से लागू की गई जिसके अंतर्गत सा.अ., सा.स्व.के. तथा प्रा.स्वा.के के लिए क्रमश: 703, 251 तथा 178 दवाईयां अनिवार्य मानी गई।

नमूना-जांच किए गए जिलों, में सामान्य अस्पतालों, 35 सा.स्वा.के. तथा 94 प्रा.स्वा.के. में अनिवार्य औषधियों की उपलब्धता संबंधी अभिलेख की जांच की गई। यह अवलोकित किया गया कि ***परिशिष्ट 2.8*** में दिए विवरणानुसार 2010-14 के दौरान सभी अस्पतालों, सा.स्वा.के. तथा प्रा.स्वा.के. में अनिवार्य दवाइयों की कमी थी। अनिवार्य दवाइयो की उपलब्धता आशिंक अर्थात् 13 प्रतिशत और 96 प्रतिशत के बीच थी इस प्रकार सभी को अनिवार्य दवाइयां आपूर्ति हेतु नीति पूर्ण रूप से लागू नहीं की गई।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान अ.मु.स. ने बताया कि 1 जुलाई 2013 से प्रभावी, एक नई केन्द्रियकृत प्रापण नीति लागू की गई थी तथा रा.ग्रा.स्वा.मि. के लिए दवाइयों का प्रापण करने के लिए एक प्रापण निगम (हरियाणा चिकित्सा सेवाएं निगम) की स्थापना की गई थी तथा अनिवार्य दवाइयों की कम आपूर्ति की समस्या संबोधित की जाएगी।

2.2.10.2 अ.सा.स्वा.स. के लिए औषधि किटों का प्रावधान

छोटी बिमारी के लिए प्रत्येक अ.सा.स्वा.स. को प्राथमिक चिकित्सा देखभाल प्रदान करने की आशा की जाती हैं। साधारण बिमारियों के लिए ऐलोपैथिक सूत्र तथा जैनरिक आयुष से समाविष्ट औषधि किट प्रदान करने का प्रावधान किया गया था। 2010-13 के दौरान कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं में 19,000 औषधि किटों के प्रापण के लिए प्रावधान किए गए थे।

अभिलेखों की जांच ने दर्शाया कि 31 मार्च 2012 तक कोई औषधि किट क्रय नहीं की गई थी। 2012-13 में केवल 12,000 अ.सा.स्वा.स. किट प्राप्त की गई थी। इस प्रकार, 2009-12 के दौरान अ.सा.स्वा.स. को औषधि किट प्रदान नहीं की गई। 2013-14 के दौरान राज्य में 16,800 अ.सा.स्वा.स. थे जिसके विरूद्ध 12,000 किटें प्रदान की गई थी। इस प्रकार, 4,800 अ.सा.स्वा.स. औषधि किटों के बिना कार्य कर रहे थे। यद्यपि 2013-14 में ₹ 55 लाख का बजट प्रावधान किया गया था केवल ₹ 1.82 लाख (3.3 प्रतिशत) व्यय किया गया। इसके परिणामस्वरूप ग्रामीण लोगों को अ.सा.स्वा.स. के माध्यम से प्रभावशाली सेवाएं प्रदान नहीं की जा सकी।

मिशन निदेशक ने बताया (नवंबर 2014) कि कमी की मांग पूरी करने के लिए 10,000 औषधि किटें प्राप्त की जाएंगी।

2.2.10.3 ब्लैकलिस्ट की गई फर्म से अवशोषक सूती ऊन का प्रापण

ड्रग्स तथा कासमैटिक्स अधिनियम, 1940 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में यह प्रावधान है कि दवाईयों की आपूर्ति के समय इनकी शैल्फलाईफ के दौरान किसी भी समय तथा जब कभी कोई त्रुटि देखी जाती है, सरकारी/सरकार द्वारा अनुमोदित प्रयोगशाला से दवाइयों का नियमित तथा रैंडम परीक्षण किया जाएगा। यदि किसी दवाई/दवाइयों के स्तर में मुख्य दोष पाया जाता है तो उस दवाई का प्रयोग तुरंत बंद किया जाना अपेक्षित है तथा फर्म जिसमें घटिया दवाई आपूरित की थी, को ब्लैकलिस्टिड/बहिष्कृत किया जाना चाहिए।

रा.स्वा.सो. के अभिलेखों की संवीक्षा ने दर्शाया कि मै. जींद सर्जिकल, हांसी रोड़, जींद एक अवशोषक सूती ऊन आपूर्तिकर्ता को 9 नवंबर 2011 से 8 नवंबर 2016 तक की अवधि के लिए तामिलनाडू मेडिकल सेवाएं निगम द्वारा 13 अक्तूबर 2011 को ब्लैकलिस्टिड किया गया था। तथापि, रा.स्वा.सो. तथा नमूना-जांच किए गए जि.स्वा.प.क.सो. के अभिलेखों की संवीक्षा ने दर्शाया कि इस आपूर्तिकर्ता से नवंबर 2011 तथा मई 2013 के बीच अर्थात् फर्म के ब्लैकलिस्टिंग की तिथि के पश्चात् ₹ 1.08 करोड़ के मूल्य की अवशोषक सूती ऊन खरीद की गई थी। मामलों, जहां एक फर्म, अन्य निगम/राज्य द्वारा ब्लैकलिस्ट की गई है, से संव्यवहार के लिए कोई दिशा निर्देश नहीं बनाए गए थे।

मिशन निदेशक ने बताया (नवंबर 2014) कि महानिदेशक, आपूर्ति एवं निपटान द्वारा किए गए रेट कांट्रेक्ट के आधार पर खरीद की गई थी। उत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि स्वास्थ्य विभाग

को मामलों, जहां एक फर्म, अन्य निगम/राज्य द्वारा ब्लैकलिस्ट की गई है, से संव्यवहार के लिए दिशानिर्देश के लिए दिशानिर्देश बनाने चाहिए।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान अ.मु.स. ने आश्वासन दिया कि आपूर्तिकर्ताओं से उनके ब्लैकलिस्टिंग न होने संबंधी शपथ-पत्र प्राप्त करने की प्रणाली आरंभ की जाएगी।

2.2.10.4 रोगियों को मिलावटी/नकली दवाइयां प्रदान करना

सरकारी विश्लेषक द्वारा जि.स्वा.प.क.सो. भिवानी, अंबाला, मेवात, नारनौल तथा रा.स्वा.सो. पंचकूला द्वारा मार्च 2010 तथा सितंबर 2013 के बीच प्राप्त की गई ₹ 10.21 लाख के मूल्य की दवाइयां मिलावटी/नकली घोषित की गई। इसमें से ₹ 6.57 लाख के मूल्य की मिलावटी/नकली दवाइयां रोगियों को प्रदान की गई तथा ₹ 3.64 लाख के मूल्य की अंबाला में गोदाम में परिव्यक्त पड़ी हुई थी (अगस्त 2014)।

दवाइंयों के भण्डार की आगे संवीक्षा में यह देखा गया (अगस्त 2014) कि जि.स्वा.प.क.सो., मेवात तथा सैंट्रल स्टोर, अंबाला द्वारा सैंपलों की रिपोर्ट, सैंपल लेने के 305 और 575 दिनों की बीच श्रृंखलित अवधि के पश्चात् प्राप्त की गई थी। इस प्रकार, जिलों में सैंपलों के परिणाम सूचित करने में अत्यधिक विलंब था। यदि परीक्षणों के परिणाम शीघ्र सूचित किए जाते तो मिलावटी/नकली दवाइयों को प्रदान करने से बचा जा सकता था। आगे, आपूर्ति आदेशों के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार, ऐसी दवाइयों के समस्त बैच को बदलने के लिए अथवा समस्त बैच का पूरा भुगतान करने के लिए फर्म बाध्य थी चाहे समस्त या आपूर्ति के एक भाग उपयोग कर लिया है, परंतु न तो दवाइयां बदली गई तथा न ही समस्त बैच की राशि की वसूली की गई थी।

मिशन निदेशक ने बताया (नवंबर 2014) कि रेट कांट्रेक्ट के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार प्रश्नाधीन दवाइयों की आपूर्ति बदलने के लिए फर्म को निदेश दिया गया था।

2.2.11 परिवार कल्याण, प्रजनक एवं बाल स्वास्थ्य

मिशन के उद्देश्यों में बाल तथा मातृ की मृत्यु दर में कटौती, जनसंख्या स्थिरीकरण, लिंग एवं जनसांख्यिक संतुलन, आहार एवं पोषण के लिए सार्वजनिक सेवाओं तक व्यापक पहुंच, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य, जन-स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं, महिलाओं तथा बच्चों के स्वास्थ्य पर बल सहित तथा सर्वव्यापक प्रतिरक्षण शामिल थे। परिवार नियोजन, रूटीन प्रतिरक्षण, पल्स पोलियो प्रतिरक्षण इत्यादि के संबंध भौतिक लक्ष्य निर्धारित किए गए।

2.2.11.1 मातृ स्वास्थ्य

- ***पंजीकरण तथा परीक्षण***

मातृ-मृत्युदर तथा रूग्णता को रोकने के लिए प्रसूति पूर्व जांचों द्वारा गर्भावस्था के दौरान जटिलताओं का शीघ्र पता लगाना महत्पूर्ण हैं। मातृ स्वास्थ्य के लिए गर्भवती महिलाओं का पहल तीन मास में पंजीकरण, गुणवत्ता परीक्षण, उच्च जोखिम प्रकरणों की पहचान तथा उनको उच्चतर सुविधाओं को समय पर योजना तथा अनुवर्तन बहुत महत्वपूर्ण हैं। पंजीकृत गर्भवती महिलाओं की कुल संख्या, पहली तिमाही के समय पंजीकृत गर्भवती महिलाओं की कुल संख्या की स्थिति ***परिशिष्ट 2.9*** में दी गई है। डाटा के विश्लेषण ने दर्शाया कि पहली तिमाही के समय केवल 44 से 51 प्रतिशत गर्भवती महिलाएं पंजीकृत की गई थी।

मिशन निदेशक ने बताया (नवंबर 2014) कि पहली तिमाही के स्तर पर गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण यद्यपि धीमी गति से बढ़ रहा था तथा इसे बढ़ाने के लिए विभाग ने उच्च जोखिम वाले गर्भवती मामलों की पहचान करने, भेजना तथा प्रबंधन आरंभ कर दिया था।

➢ *आयरन फोलिक एसिड प्रबंधन*

रक्तक्षीणता को मातृ मृत्युदर का मुख्य कारण माना जाता है तथा रक्तस्राव, पूतिदोष, विषाक्तता इत्यादि में वृद्धिकारक घटक है। गर्भवती महिला में पौषणिक रक्तक्षीणता के विरूद्ध रोग निरोधन हेतु आयरन फोलिका एसिड (आई.एफ.ए.) गोलिया की एक दैनिक खुराक 100 दिनों की अवधि के लिए दी जानी अपेक्षित है। अभिलेखों की सवींक्षा ने प्रकट किया कि 2009-14 के दौरान टैटनिस टोक्सिड की खुराक दी गई गर्भवती महिलाओं की प्रतिशतता 87 और 88 के बीच थी जबकि रोग निरोधन के लिए आई.एफ.ए. गोलियां 65 से 88 प्रतिशत गर्भवती महिलाओं को दी गई थी।

मिशन निदेशक ने बताया (नवंबर 2014) कि गर्भवती महिलाओं के रक्तक्षीणता में सुधार लाने के लिए सुधारात्मक कार्यवाही की जा रही थी तथा 2014 के अंत तक गर्भवती स्त्रियों में रक्तक्षीणता में महत्वपूर्ण सुधार होने की आशा है।

➢ संस्थागत प्रसूति देखभाल

संस्थागत प्रसूति को प्रोत्साहित करने के लिए जननी सुरक्षा योजना ने सभी ग्रामीण बी.पी.एल. गर्भवती महिलाओं को ₹ 700 की एक नगद सहायता प्रदान की। कुल प्रसूतियों के, 2009-10 के दौरान 70 प्रतिशत तथा 2010-14 के दौरान 80 प्रतिशत संस्थागत प्रसूतियों के लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए थे क्योंकि यह 2009-10 में 70 प्रतिशत तथा 2010-14 के दौरान 82 से 85 प्रतिशत ही थी।

➢ जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत भुगतान में विलंब/भुगतान न करना

संस्थागत प्रसव में बढ़ौतरी तथा प्रोत्साहन द्वारा मातृत्व तथा शिशु मृत्युदर को कम करने के लक्ष्य से अप्रैल 2005 में जननी सुरक्षा योजना (ज.सु.यो.) प्रारंभ की गई। स्कीम के अंतर्गत सभी श्रेणियों की बी.पी.एल. महिलाओं को घर अथवा संस्थाओं में हुए प्रसव पर सहायता दी जाती है। केवल सरकारी संस्थाओं अथवा मान्य प्राईवेट संस्थाओं में शिशु जन्म देने वाली, बी.पी.एल., एस.सी./एस.टी. महिलाओं के लिए भी स्कीम लागू है। उत्तम आहार तथा देखभाल को सुनिश्चित करने के लिए माता को नगद प्रोत्साहन प्रसवोत्तर अवधि के दौरान दिया जाता है। संस्थागत प्रसवों के लिए शहरी क्षेत्रों में ₹ 600 तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ₹ 700 का प्रोत्साहन दिया जाना था जबकि दोनो शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में घर पर हुए प्रसवों के लिए ₹ 500 का प्रोत्साहन दिया जाना था।

स्कीम के मार्गनिर्देशों के अनुसार प्रसव की तिथि से पांच दिनों के अंदर प्रोत्साहन की राशि दी जानी अपेक्षित थी। चयन किए गए जिलों में 7,027 ज.सु.यो. लाभार्थियों के अभिलेखों की नमूना-जांच ने यह दर्शाया कि 2011-12 से 2013-14 के दौरान 4,632 लाभार्थियों को ₹ 30.80 लाख की राशि का भुगतान 38 और 2,721 दिनों के बीच श्रृंखलित विलंब के पश्चात् तथा 2,395 लाभार्थियों को ₹ 16.38 लाख की राशि का भुगतान 49 तथा 1,309 दिनों के मध्य श्रृंखलित समय बीत जाने के बाद भी अभी भी किया जाना शेष था।

स्कीम, प्रसवकाल में माता के स्वास्थ्य लाभ के लिए अभिप्रेत थी। प्रसव के वर्षों पश्चात् किए गए भुगतान ने स्कीम के मूल उद्देश्य को विफल कर दिया।

मिशन निदेशक ने बताया (नवंबर 2014) कि यह मुख्यत:दस्तावेज प्रक्रिया में विलंब तथा लाभार्थियों द्वारा बैंकों में खाता न खोलना, क्योंकि राशि का भुगतान चैक के माध्यम से किया जाता है, के कारण थे। आगे, प्रोत्साहन की राशि बहुत कम थी तथा दस्तावेजों की प्रक्रिया बहुत बोझिल थी। एग्जिट काफ्रैंस के दौरान अ.मु.स. ने बताया कि भविष्य में प्रोत्साहन के समय पर भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रसवपूर्वकाल के दौरान दस्तावेज प्रक्रिया पूर्व कर ली जाएगी।

2.2.11.2 विभिन्न परिवार नियोजन पद्धतियों का निष्पादन

कुल जन्म दर को कम करने के लिए परिवार नियोजन सेवाओं की उपयोगिता की वृद्धित पहुंच रा.ग्रा.स्वा.मि. के उद्देश्यों में से एक है। 2009 - 14 अवधि के लिए परिवार कल्याण आयोजना के विभिन्न घटकों के लक्ष्य एवं उपलब्धियां ***परिशिष्ट 2.10*** में दी गई हैं।

परिशिष्ट के डाटा के विश्लेषण ने यह दर्शाया कि 2009 - 13 के दौरान सभी पद्धतियों के संबंध में लक्ष्यो ंकी उपलब्धियां कम हो गई। यह नसबंदी के संबंध में 39 से 27 प्रतिशत, नलबंदी में 81 से 79 प्रतिशत, आई.यू.डी. में 81 से 73 प्रतिशत, सी.सी. प्रयोक्ताओं में 77 से 62 प्रतिशत तथा ओ.पी. प्रयोक्ताओं में 108 से 96 प्रतिशत तक कम हो गई थी।

मिशन निदेशक ने बताया (नवंबर 2014) कि प्रतिशतता उपलब्धि परिवार नियोजन कार्यक्रम की प्रगति एवं सुधार देखने के लिए पैरामीटर नहीं थे। ओ.पी. प्रयोक्ताओं तथा सी.सी. खण्डों की उपलब्धियों के संबंध में यह बताया गया कि भारत सरकार द्वारा ओरल गर्भनिरोधक तथा कण्डोम संख्या की आपूर्ति अनियमित तथा अपर्याप्त मात्रा में थी। उत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि लक्ष्य स्वयं विभाग द्वारा निर्धारित किए जाते है तथा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए गर्भ निरोधकों की आपूर्ति सुनिश्चित की जानी चाहिए।

2.2.11.3 बाल स्वास्थ्य एवं प्रतिरक्षण

केवल सर्वव्यापक प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत ही नही बल्कि रा.ग्रा.स्वा.मि. के अंतर्गत भी तपेदिक, डिपथीरिया, कुक्करखांसी, टैटनस, पोलियो तथा खसरा नामक छ: निवारणीय बीमारियों के विरूद्ध बच्चों का प्रतिरक्षण दैनिक प्रतिरक्षण की आधारशिला है। यह देखा गया कि 2011 - 14 के दौरान, खसरे में (6 से 17 प्रतिशत) डी.पी.टी. में (8से 93 प्रतिशत), ओ.पी.वी. में (9 से 28 प्रतिशत) तथा एफ.आई. में (6 से 17 प्रतिशत) प्रतिरक्षण के लक्ष्यों की उपलधि में कमी थी।

माध्यमिक प्रतिरक्षण के लिए 5 से 6 वर्ष के आयुवर्ग के बच्चों की क्रमश: डी.टी. (डिपथीरिया तथा टैटनैस) तथा 10 और 16 वर्ष की आयु में टैटनैस टोक्सिड (टी.टी.) की दो खुराके दी जानी अपेक्षित थी। माध्यमिक प्रतिरक्षण के लक्ष्यों में कमी डी.टी. के लिए 9 से 43 प्रतिशत, टी.टी. (10) के लिए 8 से 48 प्रतिशत तथा टी.टी. (16) के लिए 25 से 57 प्रतिशत तक श्रृंखलित थी।

मिशन निदेशक ने बताया (नवंबर 2014) कि प्रत्येक टीकारहित बच्चे को, समय पर प्रतिरक्षण सेवाएं प्रदान करने के लिए संघटित करने हेतु ए.एन.एमज तथा अ.सा.स्वा.स. को प्रोत्साहित किया जा रहा था।

2.2.12 राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम

- **नैशनल वैक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम**

नैशनल वैक्टर बोर्न डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम (एन.पी.बी.डी.सी.पी.) का लक्ष्य स्थानीय क्षेत्रों में मलेरिया, डेंगु, चिकनगुनियां तथा जापानी मस्तिष्क ज्वर के कारण होनी वाली मृत्युदर तथा रूग्णता को कम करके वैक्टर उत्पन्न बीमारियों पर नियंत्रण करना है। लेखापरीक्षा ने देखा कि डेंगु के मामले 2009 में 125 से बढ़कर 2013 में 1,770 हो गए।

- **संशोधित राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम**

संशोधित राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम (सं.रा.त.नि.का.) के अंतर्गत प्रतिवर्ष कफ परीक्षण के लक्ष्य निर्धारित किए जाते है।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि यद्यपि नए कफ प्रकरणों के उपचार के समग्र लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए थे, कफ परीक्षण के लक्ष्य की उपलब्धियां 90 और 99 के मध्य श्रृंखलित थी तथा 2010 में नए स्मीयर पोजिटिव मामले 13,387 से बढ़कर 2013 में 14,170 हो गए थे।

- **राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम**

राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम (रा.कु.उ.का.) का लक्ष्य ग्यारवीं योजना की समाप्ति तक अर्थात् 2005 तक कुष्ठ रोग को जड़ से समाप्त करना था। राज्य ने यह लक्ष्य अर्थात् प्रति 10,000 जनसंख्या में एक से कम प्रकरण, प्राप्त कर लिया था तथापि, राज्य में कुष्ठ से प्रभावित 2009-10 में लोगों की संख्या से 365 बढ़कर 2013-14 में 561 हो गई।

- **राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम**

राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम (रा.अ.नि.क.) का उद्देश्य, मोतियाबिंद शल्यचिकित्सा, स्कूलों में आंखों की जांच तथा चश्मों के मुफ्त वितरण वृद्धि से 2020 तक अंधता प्रकरणों की व्यापकता को 0.3 प्रतिशत तक कम करना था।

➢ **मोतियाबिंद आप्रेशन का निष्पादन**

मार्गनिर्देशों के अनुसार सरकारी तथा प्राईवेट सैक्टरो में मोतियाबिंद आप्रेशन का अनुपात की दर 1:1 अनुरक्षित किया जाना अपेक्षित था।

यह देखा गया आया कि 2009-10 के दौरान 7.14 लाख मोतियाबिंद आप्रेशन करने के लक्ष्य के विरूद्ध 6.42 लाख मोतियाबिंद आप्रेशन निष्पादित किए गए। इनमें से 28 प्रतिशत सरकारी सैक्टरों में, 27 प्रतिशत एन.जी.ओज द्वारा जबकि 45 प्रतिशत प्राईवेट प्रैक्टिशनरो द्वारा निष्पादित किए। प्राईवेट प्रैक्टिशनरों तथा एन.जी.ओज द्वारा आप्रेशन प्रमुखत: शिविरों में किए गए जिनकी सफलता दर तथा अनुवर्ती परिणामों पर डाटा उपलब्ध नहीं था।

मिशन निदेशक ने बताया (नवंबर 2014) कि सरकारी नेत्र संर्जनों को उन्नत नेत्र देखभाल सुविधाओं का प्रशिक्षण दिया गया था तथा इसके परिणामस्वरूप सरकारी सैक्टर में मोतियाबिंद शल्य चिकित्सा संचालन में सुधार हुआ था।

➢ अपवर्तक विकृति तथा ऐनकों का वितरण

अपवर्तक विकृतियुक्त विद्यार्थियों को ऐनकों का मुफ्त वितरण कार्यक्रम में विचारित था। 2009 - 10, 2010 - 11, 2011 - 12, 2012 - 13 तथा 2013 - 14 के दौरान अपवर्तक विकृतियुक्त के 29,097, 20,652, 15,037, 43,414 तथा 14,766 मामलों की कुल पहचान के विरूद्ध क्रमशः 14,992, 9,233, 9,487, 7,476 तथा 3,231 ऐनकें जारी की गई। इस प्रकार अपवर्तक विकृति के पहचान किए 1,22,966 विद्यार्थियों में से 44,320 विद्यार्थियों को ऐनकें प्रदान की गई। इस प्रकार, अपवर्तक विकृतियुक्त केवल 36 प्रतिशत विद्यार्थियों को ऐनकें प्रदान की गई।

नमूना - जांच किए गए तीन जिलों[8] में 2011 - 14 के दौरान अपवर्तक विकृतियुक्त 5,072 विद्यार्थियों की पहचान की गई परंतु मुफ्त ऐनकें प्रदान नहीं की गई। पलवल जिले में 2011 - 14 के दौरान अपवर्तक विकृतियुक्त पहचान किए गए 644 विद्यार्थियों में से केवल 138 विद्यार्थियों को मुफ्त ऐनकें प्रदान की गई।

मिशन निदेशक ने बताया (नवंबर 2014) कि भविष्य में अपवर्तक विकृतियुक्त सभी विद्यार्थियों को मुफ्त एनकें प्रदान की जाएगी।

2.2.13 इम्पैक्ट निर्धारण

मिशन के मार्गनिर्देश के अनुसार उच्च शिशु मत्यु दर, मातृ मृत्यु दर तथा कुल प्रजनन दर नियंत्रित की जानी थी। 2009 - 10 के आरंभ में तथा वर्ष 2013 - 14 के अंत तक स्वास्थ्य सेवाओं के निष्पादन को निर्धारण करने हेतु इन मूल स्वास्थ्य सूचकों की उपलब्धि **तालिका 2.2.5** में दी गई है।

तालिका 2.2.5: स्वास्थ्य सूचकों की उपलब्धि का विवरण

स्वास्थ्य सूचक का नाम	वर्ष 2009 – 10 में स्थिति	वर्ष 2013 – 14 की स्थिति	2011 – 12 के लिए भारत सरकार के लक्ष्य	2012 – 17 के लिए भारत सरकर के लक्ष्य
शिशु मृत्यु दर (प्रति 1000 सजीव जन्म)	48	42	30	25
मातृ मृत्यु दर (प्रति एक लाख सजीव जन्म)	153	146	100	100
कुल प्रजनन दर	2.3	2.3	2.1	2.1

स्रोतः रा.स्वा.सं. द्वारा आपूरित डाटा।

यद्यपि 2009 - 10 से 2013 - 14 तक मूल स्वास्थ्य सूचकों में सुधार हुआ था राज्य की उपलब्धि, भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों से काफी पीछे थी। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि यह मूलभूत संरचनाओं के अभाव तथा स्टाफ की कमी इत्यादि के कारण था जैसा कि अनुच्छेद 2.2.8 तथा 2.2.9 में चर्चा की गई है।

2.2.14 आंतरिक नियंत्रण

आंतरिक नियंत्रण लागू नियमों तथा विनियमों की अनुपालना के प्रति प्रबंधन को उचित आश्वासन प्रदान करता है। विभाग में आंतरिक नियंत्रण अपर्याप्त था क्योकि ग्र.स्वा.सा.पो.स. से

[8] (i) सिरसा (ii) फतेहाबाद तथा (iii) मेवात।

उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं किए गए थे। नियंत्रण गतिविधियों स्वास्थ्य सेवाएं, दंत चिकित्सा की सुविधा इत्यादि पर मॉनीटरिंग की कमी थी। विभाग ने स्वास्थ्य केंद्रों में अनिवार्य दवाइयों की उपलब्धता तथा अ.सा.स्वा.स. के लिए औषधि किटो के प्रावधान को भी मॉनीटर नहीं किया। कमजोर आंतरिक नियंत्रण, दवाइयों के परीक्षण परिणाम सूचित करने में विलंब के कारण मिलावटी/नकली दवाइयों का वितरण से भी स्पष्ट है।

2.2.15 निष्कर्ष

ग्राम स्तर पर परिवार का सर्वेक्षण तथा स.स्वा.के. तथा प्रा.स्वा.के. का सुविधा सर्वेक्षण नहीं किया गया था। परिवार सर्वेक्षण तथा सुविधा सर्वेक्षण न करने ने मिशन की आयोजना प्रक्रिया को कमजोर बनाया क्योंकि ग्रामीण लोगो की स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं तथा स्वास्थ्य संस्थाओं में सुविधाओं की कमियों की पहचान नहीं की जा सकी तथा आयोजन प्रक्रिया में संबोधित नहीं की जा सकी। राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया अपना हिस्सा कम था। सा.स्व.के., प्र.स्वा.के. तथा उ.के. की संख्या मानदण्डो से कम थी। चिकित्सा अधिकारियों, अर्द्धचिकित्सा स्टाफ, अनिवार्य दवाइयों तथा अ.सा.स्वा.स. के लिए औषधि किटस की कमी थी। विभाग द्वारा मामलों, जहां एक फर्म, अन्य निगम/राज्य द्वारा ब्लैकलिस्ट की गई है, से संव्यवहार करने के लिए कोई दिशानिर्देश नहीं बनाए गए थे। पंजीकृत गर्भवती महिलाओं की बृहद् संख्या प्रसवपूर्व जांच के लिए नहीं दर्शाई गई। जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन के भुगतान न करने/भुगतान विलंब से करने के पर्याप्त मामले थे। मोतियाबिंद आप्रेशन करने के निर्धारित लक्ष्य प्रापत नहीं किए गए। अपवर्तक विकृतियुक्त केवल 36 प्रतिशत विद्यार्थियों को ऐनकें प्रदान की गई। राज्य, शिशु मृत्यु दर तथा मातृ मृत्यु दर से संबंधित भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में पीछे था। विभाग में आंतरिक नियंत्रण यंत्रावली कमजोर थी।

2.2.16 अनुशंसाएं

सरकार विचार करे:

(i) परिवार तथा सुविधा सर्वेक्षण करने के पश्चात् प्रत्येक जिले के लिए परिदृश्य योजना तैयार करना;

(ii) भा.ज.स्वा.स्त. मानकों के अनुसार नए सा.स्व.के., प्रा.स्वा.के. तथा उ.के. की स्थापना करना तथा भा.ज.स्वा.स्त. के अनुसार सभी केंद्रों पर समुचित स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना;

(iii) भा.ज.स्वा.स्त. के अनुसार डाक्टरों तथा अर्द्धचिकित्सा स्टाफ के पदों को भरना;

(iv) मामला, जहां, विक्रेता एक ब्लैकलिस्ट की गई फर्म है, से संव्यवहार करने के लिए दिशानिर्देश बनाना; तथा

(v) उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की प्राप्ति के लिए, निर्माण गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए, सुविधाएं प्रदान करने के लिए, दवाइयों की जांच के परिणाम सूचित करने इत्यादि के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण।

नगर एवं ग्राम आयोजना और शहरी संपदा विभाग
(हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण)

2.3 शहरी संपदाओं का विकास

राज्य विधानसभा ने, चल एवं अचल, दोनों संपति के अधिग्रहण, विक्रय एवं निपटान के अधिकार के साथ सुव्यवस्थित और योजनाबद्ध ढंग से शहरी क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा देने और सुरक्षित करने के लिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1977 बनाया। शहरी संपदाओं के विकास की निष्पादन लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण कमियां प्रकट की:

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की आयोजना, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रीय आयोजना बोर्ड की क्षेत्रीय योजना के सामंजस्य में नहीं की गई थी।

(अनुच्छेद 2.3.6.1)

भूमि अधिग्रहण अधिकारियों द्वारा भू–स्वामियों के मामलों को न्यायालयों के पास भेजने में विलंब के परिणामस्वरूप ₹ 3.17 करोड़ के ब्याज की अतिरिक्त अदायगी हुई। आगे, भूमि के बढ़े हुए मुआवजे की अदायगी करने में विलंब के कारण ₹ 4.67 करोड़ के ब्याज की अतिरिक्त अदायगी हुई।

(अनुच्छेद 2.3.7.1 एवं 2.3.7.2)

गुड़गांव में आटो मार्किट के विकास पर ₹ 2.46 करोड़, पांच सीवर और स्टोर्म वाटर ड्रेनज के निष्पादन पर ₹ 19.52 करोड़ और चार सड़क निर्माण कार्यों के निष्पादन पर ₹ 1.90 करोड़ की राशि, कार्यों के घटिया कार्यान्वयन के कारण निष्फल बना दी गई।

(अनुच्छेद 2.3.8.1, 2.3.8.5 तथा 2.3.8.7)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 'आशियाना स्कीम' के अंतर्गत उचित सर्वेक्षण किए बिना ₹ 93.88 करोड़ की लागत पर निर्मित 2,563 मकान, पात्र व्यक्तियों की अनुपलब्धता के कारण अनाबंटित रहे।

(अनुच्छेद 2.3.9.1)

कालोनाइजरों द्वारा वाणिज्यिक क्षेत्रों के विकास में पारदर्शिता और निरंतरता की कमी, कालोनाइजरों के आवेदन पत्र प्रोसेस करने, विकसित किए जाने वाले क्षेत्र की सघनता का निर्णय लेने, आंतरिक सड़कों के विकास, वाणिज्यिक कालोनियां स्थापित करने के लिए क्षेत्र मानकों के नियत करने, वित्तीय पर्याप्तता के निर्धारण करने, विकास योजना की व्याख्या करने और लाईसैंसों के हस्तांतरण, इत्यादि में दिखाई दी। परिणामतः, विशेष आवेदकों को अनुचित लाभ देने की संभावना का पता नहीं लगाया जा सका। पांच विकासकों ने परियोजनाओं को पूर्ण किए बिना भूमि की बिक्री पर ₹ 52.26 करोड़ की लागत पर ₹ 215.21 करोड़ का लाभ अर्जित किया।

(अनुच्छेद 2.3.10.1)

हाऊसिंग स्कीमों को चलाने के लिए कालोनाइजरों के विज्ञापन पर विभाग की अपर्याप्त मानीटरिंग के कारण एक कालोनाइजर द्वारा आवेदकों से ₹ 55 करोड़ का अनधिकृत संग्रहण हुआ।

(अनुच्छेद 2.3.10.2)

2.3.1 प्रस्तावना

राज्य विधानसभा ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1977 बनाया और चल एवं अचल, दोनों संपत्ति के अधिग्रहण, विक्रय एवं निपटाने के अधिकार के साथ सुव्यवस्थित और योजनाबद्ध ढंग से शहरी क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा देने और सुरक्षित करने के लिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा) को आदेश दे दिया। इस उद्देश्य के लिए, भूमि, भूमि-अधिग्रहण (भू.अ.) अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के अनुसार अधिगृहीत की जाती है।

चूंकि हुडा के साधन घट गए थे और सैक्टरों के विकास मंहगे हो गए थे और मुकद्दमों के कारण अधिक समय लग रहा था, राज्य सरकार ने शहरी विकास के लिए प्राइवेट सैक्टर को भी एक महत्वपूर्ण भूमिका सौंपने का निर्णय किया (मार्च 2000)। महानिदेशक (म.नि.), नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग (न.ग्रा.आ.वि.), शहरी क्षेत्र अधिनियम, 1975 का हरियाणा विकास एवं नियमन और उसके अधीन बनाए गए नियमों के सैक्शन-3 की शर्तों के अनुसार लाइसैंस देता है।

2.3.2 संगठनात्मक ढांचा

प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, नगर एवं ग्राम आयोजना और शहरी संपदा विभाग, सरकारी स्तर पर प्रशासनिक मुखिया है। शहरी संपदा विभाग (श.सं.वि.) हुडा के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए जिम्मेवार है। म.नि., न.ग्रा.आ.वि., राज्य में एकीकृत योजनाबद्ध शहरी विकास के लिए नोडल अधिकारी है। राज्य में पांच[1] भूमि अधिग्रहण अधिकारी (भू.अ.अ.) और 18 संपदा कार्यालय हैं।

विभिन्न प्रयोक्ताओं की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए, न.ग्रा.आ.वि., शहरी क्षेत्रों का विकास एवं विनियमन अधिनियम, 1975 के प्रावधानों के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में आवासीय और वाणिज्यिक कालोनियों के विकास के लिए प्राईवेट विकासकों को लाइसैंस दे रहा था। विकासकों द्वारा स्वयं ही सीधे भू-स्वामियों से गैर-सरकारी भूमि खरीदी जाती है। यदि इस प्रकार की भूमि हुडा के सैक्टरों में पड़ती है, तब हुडा, ऐसे विकासकों से बाहरी विकास प्रभार (बा.वि.प्र.) प्राप्त करने के बाद, बाहरी विकास कार्यों जैसे कि सीवर, सड़कों, बिजली इत्यादि के लिए जिम्मेवार है। गैर-सरकारी भूमि के लाइसैंस प्राप्त क्षेत्र के अंदर सारे विकास की गतिविधियां स्वयं विकासकों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं।

[1] फरीदाबाद, गुड़गांव, हिसार, पंचकुला तथा रोहतक।

2.3.3 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए की गई कि क्या:

- विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों को कार्यान्वित करने की योजना प्रभावी थी;
- भूमि का अधिग्रहण किफायती और प्रभावी ढंग से किया गया था;
- विकासात्मक एवं रख–रखाव गतिविधियां किफायती, प्रभावी और निपुण ढंग से कार्यान्वित की गई थी;
- प्लाटों और भवनों की आबंटन की नीति का सख्ती से पालन किया गया था;
- विकासकों को लाइसैंस उचित ढंग से दिए गए थे और विकासक अपनी सांविधिक दायित्व पूरा कर रहे थे; और
- आंतरिक नियंत्रण तंत्र मौजूद था।

2.3.4 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र और पद्धति

2009–14 की अवधि को आवृत्त करते हुए निष्पादन लेखापरीक्षा फरवरी–जुलाई 2014 के दौरान की गई। लेखापरीक्षा करने के लिए, बिना परिवर्तन संभावित समानुपातिक आकार (बि.प.सं.स.आ.) विधि को अपनाते हुए शहरी संपदाओं के निदेशालयों एवं न.ग्रा.आ.वि. के साथ हुडा के तीन[2] मंडल, पांच भूमि अधिग्रहण अधिकारियों (भू.अ.अ.) में से तीन[3] और 18 संपदा कार्यालयों, में से छ:[4] का चयन किया गया था। अपर मुख्य सचिव (अ.मु.स.), हरियाणा सरकार, न.ग्रा.आ.वि. के साथ 22 अप्रैल 2014 को एक एंट्री कांफ्रेंस की गई थी जिसमें लेखापरीक्षा का क्षेत्र, लेखापरीक्षा के उद्देश्य और पद्धति पर चर्चा की गई थी। लेखापरीक्षा परिणामों पर अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, नं.ग्रा.आ.वि. के साथ फरवरी 2015 में हुई 'एग्जिट कांफ्रेंस' में चर्चा की गई थी। सरकार के उत्तर भी प्राप्त हो चुके हैं (अनुच्छेद 2.3.10.1 को छोड़कर)। विभाग के उत्तर और एग्जिट कांफ्रेंस में हुए विचार–विमर्श को उपयुक्त रूप में रिपोर्ट में शामिल कर दिया गया है।

2.3.5 लेखापरीक्षा का मापदंड

लेखापरीक्षा के मापदंड निम्नलिखित स्रोतों से लिए गए थे:

- विभिन्न नगरों और शहरों की मास्टर विकास योजनाएं।
- भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 और राजस्व विभाग के स्थाई आदेश।
- हुडा अधिनियम 1977 के प्रावधान।

[2] रोहतक, फरीदाबाद तथा गुड़गांव।

[3] रोहतक, फरीदाबाद तथा गुड़गांव।

[4] संपदा कार्यालय, 1 एवं 2, गुड़गांव, बहादुरगढ़, रोहतक, फरीदाबाद तथा रेवाड़ी।

- हुडा की आबंटन एवं पट्टा नीतियां।
- हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास एवं नियमन अधिनियम, 1975 और उनके अधीन बनाए गए नियम।

लेखापरीक्षा परिणाम

2.3.6 योजना

2.3.6.1 रा.रा.क्षे.यो.बो. की क्षेत्रीय योजना के सामंजस्य में योजना का न बनाया जाना

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (रा.रा.क्षे.) के योजनाबद्ध ढंग से विकास के लिए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (रा.रा.क्षे.यो.बो.) अधिनियम, 1985 बनाया गया था। अधिनियम के अनुभाग 17 के अनुसार प्रत्येक भाग लेने वाले राज्य को उस राज्य के अंदर उप-क्षेत्र के लिए एक उप-क्षेत्रीय योजना तैयार करनी अपेक्षित थी। इसके आगे, अधिनियम के अनुभाग-19 के अनुसार, प्रत्येक भाग लेने वाले राज्य को इस प्रकार की योजना बोर्ड को भेजनी थी ताकि बोर्ड को यह सुनिश्चित हो सके कि ऐसी योजना क्षेत्रीय योजना की अनुरूपता में थी। राज्य को उप-क्षेत्रीय योजना, यह सुनिश्चित करने के बाद कि यह क्षेत्रीय योजना के अनुरूप में थी, को अंतिम रूप देना अपेक्षित था।

रा.रा.क्षे. के लिए क्षेत्रीय योजना 2021 रा.रा.क्षे.यो.बो. द्वारा सितंबर 2005 में अधिसूचित की गई थी। लेखापरीक्षा में देखा गया कि हरियाणा के लिए उप-क्षेत्रीय योजना, रा.रा.क्षे.यो. बोर्ड, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा उठाए गए भूमि उपयोग से संबंधित रा.रा.क्षे. में न पड़ने वाले कुछ नगरों को मास्टर विकास योजना में सम्मिलित करने, जियो रेफरेन्सड जिला वन नक्शा बनाने, प्राकृतिक संरक्षण क्षेत्र (प्रा.सं.क्षे.) का रेखांकन इत्यादि से संबंधित मामलों का समाधान किए बिना मई 2014 में अधिसूचित की गई थी।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, अ.मु.स. ने बताया कि 30 जनवरी 2015 को एक बैठक की गई थी जहां कि रा.रा.क्षे.यो.बो., पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की टिप्पणियों की चर्चा की गई थी और रा.रा.क्षे.यो.बो. और एम.ओ.ई.एफ. की चिंताओं का समाधान किया गया था। तथापि, जनवरी 2015 में हुई बैठक के कार्यवृत्त से यह स्पष्ट है कि यद्यपि प्रा.सं.क्षे. से संबंधित मामलों का समाधान कर लिया गया है लेकिन राज्य सरकार द्वारा विर्निदिष्ट समयसीमा के अंदर इनके कार्यान्वयन पर निगरानी की आवश्यकता है। सरकार प्रतिबद्ध है कि जब तक प्रा.सं.क्षे. रेखांकित नहीं किया जाता, प्रा.सं.क्षे. के अंदर पड़ने वाले क्षेत्र में किसी भी लाइसैंस/भूमि के प्रयोग में बदलाव नहीं दिया जाएगा जैसा कि 2005 में अधिसूचित क्षेत्रीय योजना 2021 में दर्शाया गया है।

2.3.6.2 शहरीकरण की उपलब्धि का अमूल्यांकन

पंजाब अनुसूचित सड़क एवं नियंत्रित क्षेत्र प्रतिबंध का अनियमित विकास अधिनियम, 1963 के अनुभाग 5(7) एवं 25(2)(ख) जैसा कि हरियाणा को लागू है, के अनुसार शहर की प्रक्षेपित जनसंख्या का प्रबंध करने के लिए जहां प्रस्तावित विशिष्ट क्षेत्र शहरीय बनाने के लिए उल्लिखित

किया जा रहा था, न.ग्रा.आ.वि. द्वारा प्रत्येक प्रमुख शहर की आवधिक अंतिम विकास योजनाएं तैयार की जा रही थी।

अभिलेखों की जांच-पड़ताल ने दर्शाया कि अंतिम विकास योजना के सामंजस्य में 2009-14 के दौरान शहरीय/विकसित की जाने वाली और कालोइनाइजरों द्वारा वास्तव में विकसित की गई कुल भूमि को दर्शाती हुई राज्य की बृहद तस्वीर, उपलब्धियों का मूल्यांकन करने के लिए न.ग्रा.आ.वि. के पास उपलब्ध नहीं थी।

लेखापरीक्षा का मत है कि विभाग को नियमित/आवधिक आधार पर शहरीय बनाई जाने वाली कुल भूमि और वास्तव में विकसित भूमि दर्शाते हुए राज्य की विकास योजनाओं को उचित रूप से मानीटर करना चाहिए जो कि जब कभी आवश्यक हो मध्यावधि सुधारों को सरल करेगा।

एग्जिट काफ्रेंस के दौरान, अ.मु.स. ने लेखापरीक्षा की सिफारिश को स्वीकार किया।

2.3.7 भूमि अधिग्रहण

राज्य में शहरी विकास के लिए भूमि यू.ई.डी. द्वारा अधिगृहीत की जाती है। भूमि अधिग्रहण के बाद, यह शहरी संपदाओं में आगे विकास के लिए हुडा को सौंप दी जाती है। 2009-14 के दौरान यू.ई.डी. द्वारा हुडा के लिए 14,504 एकड़ अधिगृहीत की गई थी और ₹ 9,388 करोड़ का मुआवजा दिया गया था।

भूमि अधिग्रहण में किए गए अतिरिक्त व्यय के मामलों की नीचे चर्चा की गई है:

2.3.7.1 मामलों को न्यायालयों में भेजने में विलंब के कारण ब्याज की अतिरिक्त अदायगी

भूमि अधिग्रहण (भू.अ.) अधिनियम, 1894 का अनुभाग 18 विचार करता है कि कोई व्यक्ति जिसने अधिनिर्णय स्वीकार नहीं किया है, क्लैक्टर को लिखित आवेदन दे सकता है। कलैक्टर के लिए विवाद को सुलझाने के लिए मामला न्यायालय में भेजना आवश्यक है। न्यायालयों को भेजने में अनुचित विलंब के परिणामस्वरूप विलंबित अवधि के लिए भी संबंधित न्यायालयों द्वारा दी गई वृद्धि पर भू-स्वामियों को प्रतिवर्ष 15 प्रतिशत के ब्याज की अदायगी करनी होती है।

अगस्त, 2010 में म.नि., न.ग्रा.आ.वि. द्वारा आयोजित समीक्षा बैठक में यह देखा गया कि एक बड़ी[5] संख्या (2857) में मामलों में भू-स्वामियों द्वारा दायर किए गए संदर्भित मामले समय पर न्यायालयों को नहीं भेजे जा रहे थे जिसके परिणामस्वरूप राजकोष को भारी वित्तीय हानि उठानी पड़ी। यह निर्णय लिया गया कि राजकोष को हुई वित्तीय हानि दोषी अधिकारियों से वसूल की जानी चाहिए।

मु.प्र., हुडा ने सभी हुडा प्रशासकों को सभी संदर्भित मामलों, जो कि तीन वर्षों से अधिक समय से लंबित पड़े थे, के संबंध में राजकोष को हुई वित्तीय हानि की गणना के लिए दो अधिकारियों का

[5] फरीदाबाद: 345; गुड़गांव: 250; हिसार: 438 तथा रोहतक: 1,824

एक दल प्रतिनियुक्त करने और इसे उन भू.अ.अ. और सहायक जिला अटार्नी से वसूल करने के निर्देश दिए (अगस्त 2010) जो कि इन संदर्भित मामलों की लम्बनता से तैनात किए गए थे। तथापि, यू.ई.डी. के निर्देशों के बावजूद इन दोषी कर्मचारियों के विरूद्ध भू.अ.अ. द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। इसे केवल एक बार ही पूरा करना था जिसका भी उचित रूप से पालन नहीं किया गया। उन मामलों के बारे में जहां कि विवाद की प्रकृति और न्यायालयों को संदर्भित मामलों के बारे विवाद था, कोई भी आंकड़ा भू.अ.अ. द्वारा अनुरक्षित नहीं किया गया था। अत: नियंत्रण यंत्रावली बहुत कमजोर थी। अभिलेखों की जांच ने आगे निम्नानुसार दर्शाया:

- पांच अधिनिर्णयों में मुआवजा बढ़ाने के लिए ₹ 79.88 करोड़ की अदायगी के लिए जुलाई 2012 से सितंबर 2013 के दौरान संस्वीकृति देते समय, प्रशासक ने भू.अ.अ., पंचकुला को सूचित किया कि न्यायालयों को मामले भेजने में विलंब के कारण हुडा ने ₹ 2.46 करोड़ का अतिरिक्त ब्याज अदा किया था। तथापि, हुडा द्वारा दोषी कर्मचारियों के विरूद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई थी (जनवरी 2015)।

- भू.अ.अ., गुड़गांव में अवार्ड सं. 66 दिनांक 23 दिसंबर 2009 में आवेष्टित 57 संदर्भित याचिकाओं में से 48 की नमूना-जांच की गई थी, मामलों को संबंधित न्यायालयों में भेजने में विलंब 77 और 306 दिनों के बीच था जिसके परिणामस्वरूप राजकोष को ₹ 70.84 लाख की हानि हुई।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, अ.मु.स. लेखापरीक्षा की अभ्युक्तियों से सहमत था। तथापि, उसने बताया कि इन मामलों को मानीटर करने में कुछ स्टाफ की बाध्यताएं थी लेकिन जहां कहीं आवश्यक हो वे निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे।

2.3.7.2 बढ़े हुए भूमि मुआवजे की अदायगी में विलंब

अधिनियम के अनुभाग-28 के अनुसार, भू.अ.अ. के लिए, कलैक्टर को भूमि का आधिपत्य लेने की तिथि से अदायगी की तिथि तक प्रथम वर्ष के लिए 9 प्रतिशत और अनुवर्ती वर्षों के लिए प्रतिवर्ष 15 प्रतिशत की दर पर न्यायालय द्वारा दिए गए अधिनिर्णयों पर बढ़े हुए मुआवजे पर ब्याज देना आवश्यक था।

न्यायालयों द्वारा दिए गए अधिनिर्णयों पर बढ़े हुए भूमि मुआवजा की अदायगी करने में असाधारण विलंब था। भू.अ.अ. फरीदाबाद और गुड़गांव में, न्यायालय के निर्णय के पश्चात~ भुगतान करने में 3 से 31 माह के बीच विलंब था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 4.67 करोड़ के ब्याज का अतिरिक्त भुगतान हुआ।

लेखापरीक्षा ने देखा कि भू-स्वामियों को अदायगी करने में विलंब मुख्यत: भू.अ.अ. कार्यालयों द्वारा राशि की गणना और हुडा को निधियों के लिए मांग अग्रेषित करने के विलंब के कारण था।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, अ.मु.स. लेखापरीक्षा की अभ्युक्तियों से सहमत था। तथापि, उसने बताया कि इन मामलों की मानीटरिंग की स्टाफ की कुछ बाध्यताएं थी लेकिन जहां कहीं आवश्यक हुआ, वे निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे।

2.3.8 हुडा द्वारा शहरी संपदाओं का विकास

शहरी संपदाओं के विकास के लिए हुडा, सड़कों, भवनों, जलापूर्ति, सीवर प्रणाली, स्टोर्म वाटर निकासी प्रणाली के निर्माण, और पार्कों के विकास, स्ट्रीट लाइटों इत्यादि से संबंधित कार्यों के निष्पादन का बीड़ा उठाता है। 2009-13 के दौरान ₹ 4,280 करोड़ के बजट प्रावधान के विरूद्ध हुडा ने विकास कार्यों पर ₹ 4,360.42 करोड़ का व्यय किया। इसके आरंभ होने से अधिगृहीत भूमि, विकसित की गई भूमि/उपयोग में लाई गई और अविकसित पड़ी भूमि की 31 मार्च 2014 को स्थिति **तालिका 2.3.2** में दिए गए अनुसार थी।

तालिका 2.3.2: इसके आरंभ होने से अधिगृहीत की गई भूमि और विकसित/उपयोजित भूमि की स्थिति

क्षेत्र का नाम	कुल अधिगृहीत भूमि	कुल उपयोजित/योजित भूमि	कुल अनुपयोजित/अनायोजित भूमि
	(एकड़ में)		
फरीदाबाद	15463.72	15463.72	शून्य
गुड़गांव	18165.74	15966.63	2199.11
हिसार	10145.96	8149.49	1996.47
पंचकुला	18362.09	14646.55	3715.54
रोहतक	18901.70	16493.55	2408.15
कुल	**81039.21**	**70719.94**	**10319.27**

स्रोत: विभाग द्वारा दिए गए आंकड़े

यह देखा गया कि योजनाओं का खाका तैयार करने के बाद भूमि विकसित दर्शाई गई थी जबकि इसे विकसित तभी समझा जाना चाहिए जब आवश्यक सेवाएं जैसे, जलापूर्ति, सीवर, सड़कें, सुविधाएं, इत्यादि मुहैया कराई जाएं। जैसा कि उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है, फरीदाबाद के अंतर्गत कुल अनुपयोजित भूमि शून्य दर्शाई गई थी जबकि 9.31 एकड़ भूमि फरीदाबाद नगर में अतिक्रमण अधीन थी। अत: हुडा द्वारा आपूरित सूचना सही तस्वीर नहीं दर्शा रही थी। यह मूल्यांकन करने के लिए कोई मानीटरिंग यंत्रावली नहीं थी कि निर्धारित समय-सूची के अंदर खाका योजना के अनुसार भूमि वास्तव में विकसित की गई थी।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, अ.मु.स. ने बताया कि हुडा भूमि को विकसित समझता है जब विशेष क्षेत्र में आधारभूत सुविधाएं जैसे आंतरिक जलापूर्ति, पहुंच सड़क, विद्युतीकरण और स्ट्रीट लाइटें मुहैया कराई जाती हैं। तथापि, उसने लेखापरीक्षा की अभ्युक्ति को नोट किया और सहमत हुआ कि आंकड़े को अलग करने और एक प्रपत्र में रखने की आवश्यकता है जो कि स्वयं ही इसकी उचित मानीटरिंग के लिए सहायक होता है।

अभिलेखों की जांच ने विकास गतिविधियों में निम्नलिखित कमियां दर्शाई:

2.3.8.1 आटो मार्किट के विकास पर निष्फल व्यय

आटो शॉपस की अव्यवस्थित वृद्धि से बचने के लिए सैक्टर-10, गुड़गांव में 39.85 एकड़ भूमि पर एक आटो मार्किट योजित की गई थी। सड़कों के निर्माण और आटो मार्किट में पार्किंग स्थान के विकास के लिए ₹ 2.70 करोड़ का रफ लागत अनुमान, मु.प्र., हुडा द्वारा अनुमोदित किया गया था (अगस्त 2002)।



आटो मार्किट का क्षेत्र कूड़ा-करकट के रूप में प्रयुक्त

आटो मार्किट में कूड़ा-करकट के निपटान, मिट्टी कार्य, जलापूर्ति मुहैया कराने, सीवर सुविधाओं, इत्यादि पर सितंबर 2006 तक ₹ 2.46 करोड़ की एक राशि खर्च की गई थी। आटो मार्किट कार्यात्मक नहीं बनाई गई थी। हुडा के स्टाफ के साथ लेखापरीक्षा द्वारा प्रत्यक्ष सत्यापन के दौरान, यह देखा गया कि स्थान उपयोग में नहीं था और लोगों द्वारा एक कूड़े के ढेर का स्थल बनाया गया था। अधिग्रहण के बाद भूमि के विकास के लिए कोई समय-सूची नियत नहीं की गई थी। इसके परिणामस्वरूप आटो मार्किट के विकास पर किया गया सारा व्यय व्यर्थ हो गया था।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, अ.मु.स. ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को नोट किया और बताया कि निर्देश जारी किए गए थे कि जहां भूमि अधिगृहीत की गई थी और आंशिक अथवा पूर्ण रूप से विकसित की गई थी, वहां आबंटन प्राथमिकता पर की जानी चाहिए और शॉपस, इत्यादि के आबंटन के लिए कार्रवाई की जा रही थी।

2.3.8.2 अधिगृहीत भूमि का विकास न करना

गांव उमरी (कुरूक्षेत्र) के राजस्व संपदा में ट्रांसपोर्ट नगर के विकास के लिए 69.55 एकड़ भूमि अक्तूबर 2005 में अधिगृहीत की गई थी। लेखापरीक्षा ने देखा कि भूमि के अधिग्रहण के नौ वर्षों के बाद भी, ट्रांसपोर्ट नगर विकसित नहीं किया गया था और वह स्थानीय लोगों के विरोध के कारण अविकसित पड़ा था (फरवरी 2015)। इस प्रकार, भूमि के अधिग्रहण का उद्देश्य प्राप्त नहीं हुआ था। लेखापरीक्षा द्वारा प्रत्यक्ष सत्यापन ने दर्शाया कि स्थान आबादकारों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया था।


ट्रांसपोर्ट नगर का अतिक्रमण की गई भूमि

विभाग ने बताया (जनवरी 2015) कि जिन भू-स्वामियों की भूमि अधिगृहीत की गई थी, वे हुडा को विकास गतिविधियां आरंभ करने के लिए जबरदस्ती रोक रहे थे। यहां तक कि 2007 और 2013 में अनधिकृत कब्जा करने वालों को हटाने के लिए पुलिस बल का प्रयोग करना पड़ा था। अतिक्रमणियों के विरूद्ध अक्तूबर 2013 में प्रा.सू.रि. दर्ज की गई थी। विभाग ने आगे तर्क दिया कि कुछ भू-स्वामियों द्वारा वर्ष 2013 में सी.डब्ल्यू.पीस. दर्ज की गई थी। माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा जुलाई 2014 में यथा स्थिति स्वीकृत की गई थी। तथ्य यही है कि विभाग ने देरी से 2013 में प्र.सू.रि. दर्ज की थी यद्यपि समस्या की गंभीरता 2007 से साफ-साफ प्रकट थी और अधिगृहीत भूमि अभिप्रेत उद्देश्य के लिए विकसित नहीं की जा सकी (फरवरी 2015)।

2.3.8.3 एक ठेकेदार को अनुमत असामान्य दरें

जून 2009 और मई 2011 के बीच रोहतक में सड़कों के निर्माण से संबंधित एक ही प्रकार के कार्यों के आबंटन में दरों में असामान्य विभिन्नताएं थी। उच्चतम दरों (उ.द.) से 17.28 प्रतिशत ऊपर पर सैक्टर-7 और 37, रोहतक में 60 मीटर चौड़ी सड़क से संबंधित एक कार्य के आबंटन के मामले में मु.प्र., हुडा ने देखा (फरवरी 2009) कि दरें उच्चतर दिशा में थी और ठेकेदारों द्वारा मिल जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। मुख्य अभियंता ने अधीक्षक अभियंता, हुडा मंडल, रोहतक को निविदाएं पुन: आमंत्रित करने और दिल्ली आधारित सी.पी.डब्ल्यू.डी. और डी.डी.ए. के सभी पंजीकृत ठेकेदारों को निम्नतर दरों की संभावना की छानबीन करने का भी निर्देश दिया (मार्च 2009)।

कार्यकारी अभियंता, डिवीजन-1, रोहतक द्वारा जिला लोक संपर्क अधिकारी को निविदा सूचना प्रकाशन के लिए भेजा गया परंतु मुख्य चुनाव अधिकारी ने चुनावों के कारण प्रकाशन स्थगित करने का परामर्श दिया (मार्च 2009)। यद्यपि, कार्य आबंटन करने में वित्तीय संलिप्तता ₹ 4 करोड़ तक थी और कार्य अत्यावश्यक प्रकृति का नहीं था, निविदा का प्रकाशन स्थगित नहीं किया गया और कार्य सी.आर. से 17.28 प्रतिशत ऊपर में आबंटित किया गया (जून 2009)।

लेखापरीक्षा ने देखा कि इस कार्य के आबंटन के बाद, रोहतक में सैक्टर की सड़कों के निर्माण के एक ही प्रकार के कार्यों से संबंधित ₹ 38.64 करोड़ की एक समेकित निविदा आमंत्रित की गई और सी.आर. से 10.11 प्रतिशत नीचे कार्य आबंटित किया गया था (अगस्त 2009)। इस प्रकार, निम्नतर दरों की संभावना की छानबीन किए बिना मैसर्ज महाशिव प्रमोटर्ज प्राइवेट लिमिटिड को सी.आर. से 17.28 प्रतिशत ऊपर जून 2009 में कार्य का आबंटन विवेकपूर्ण नहीं था और परिणामस्वरूप ₹ 4.18 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान मुख्य अभियंता, हुडा ने दोहराया कि चुनावों से जुड़े आचार संहिता के लग जाने के कारण निविदाएं दोबारा आमंत्रित नहीं की गई थी। उसने आगे बताया कि दरें प्रतिस्पर्धात्मक थी और सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित थी। तथ्य यही है कि मोल-तोल के बावजूद, दरें, उच्चतर दिशा में थी, जो कि फरवरी 2009 में की गई मु.प्र. हुडा की अभ्युक्तियों और सी.आर. से 10.11 प्रतिशत नीचे अगस्त 2009 में एक ही प्रकार के कार्यों के लिए बाद में आबंटन द्वारा पुष्टि हो गई है।

2.3.8.4 कार्यों का निष्पादन हुडा के क्षेत्र में नहीं

हुडा अधिनियम के अनुसार, सड़कें, जलापूर्ति, स्ट्रीट लाइटिंग, सीवर, जल निकास, पार्कों, खुले स्थान, खेल के मैदान, प्राकृतिक दृश्य एवं क्लबों जैसी सुविधाएं, हुडा द्वारा विकसित सैक्टरों में प्लाट धारकों को मुहैया कराई जानी हैं। चयनित डिविजनों के अभिलेखों की जांच-पड़ताल ने दर्शाया कि हुडा द्वारा नगरपालिकाओं/निगमों के क्षेत्राधिकार में पड़ने वाले क्षेत्रों में कुछ कार्य इसकी अपनी निधियों से निष्पादित किए गए थे। इस तरह के मामलों के उदाहरण नीचे तालिकाबद्ध किए गए हैं:

क्र. सं.	कार्य का नाम	व्यय (₹ लाख में)	अनियमितता की प्रकृति
1	झज्जर रोड, रोहतक स्थित नगर पार्क का निर्माण	93.85	पार्क, हुडा द्वारा विकसित क्षेत्रों में स्थित नहीं था इसलिए यह हुडा की निधियों पर प्रभारित करना उचित नहीं था।
2	माल गोदाम रोड, पलवल में दशहरा मैदान पार्क का विकास	54.48	भूमि का स्वामित्व स्पष्ट नहीं था क्योंकि जिस भूमि पर पार्क विकसित होना था, वह शामलात भूमि थी। शमशान भूमि सुधार समिति ने उच्च न्यायालय में समादेश-याचिका दायर की। माननीय उच्च न्यायालय ने भूमि की यथा स्थिति बनाए रखने के आदेश दिए (22 अप्रैल 2009)। कार्य पिछले पांच वर्षों से परित्यक्त पड़ा था।
3	दीनबंधु छोटू राम स्मारक परिसर गढ़ी सांपला, रोहतक का विकास	874.15	स्मारक परिसर, हुडा द्वारा विकसित क्षेत्रों में स्थित नहीं था इसलिए यह हुडा की निधियों पर प्रभारित करना उचित नहीं था।
कुल		**1,022.48**	

विभाग ने बताया (जनवरी 2015) कि पार्कों पर व्यय, 4 जून 2007 को हुई प्राधिकरण की 99वीं बैठक में किए गए निर्णय के अनुसार, ब्याज की आय में से किया गया था। सर छोटू राम स्मारक के बारे में यह बताया गया कि हुडा द्वारा इसकी अपनी लागत पर स्मारक निर्माण करने का निर्णय अक्तूबर 2004 में मु.म. की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया था।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, अ.मु.स. ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति नोट की और बताया कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि राज्य सरकार के पास निहित विवेकाधीन अधिकार का दुरूपयोग न हो, हुडा अधिनियम के अनुभाग 21 (2) (घ) के आह्वान से संबंधित कार्यविधि को सुचारू और कारगर बनाने के लिए कार्यवाही की जाएगी।

2.3.8.5 सीवर और स्टोर्म वाटर ड्रेनेज कार्य

हुडा के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले सैक्टरों में सीवर और स्टोर्म वाटर ड्रेनेज कार्य हुडा द्वारा निष्पादित किए जाते हैं। नमूना-जांच किए गए जिलों में इन कार्यों के विश्लेषण ने निम्नानुसार प्रकट किया:

- **भूमि के उचित सर्वेक्षण/स्पष्ट स्वामित्व के बिना कार्यों का निष्पादन**

पी.डब्ल्यू.डी. नियमावली अनुच्छेद 15.1.4 प्रावधान करता है कि जिस भूमि/स्थान पर निर्माण कार्य होना है, संबंधित विभाग के आधिपत्य में होनी चाहिए या भूमि के प्रभारी विभाग की अनुमति अवश्य प्राप्त की गई हो। इसके आगे अनुच्छेद 15.2.1 प्रावधान करता है कि कार्य के निष्पादन के लिए कुछ निश्चित अनुमतियों, उपयोगी वस्तुओं का पुन: स्थान निर्धारण और अनुमति पत्रों का प्राप्त करना आवश्यक है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि पांच मामलों में नियमावली प्रावधानों का पालन न करने के कारण सीवर कार्यों पर खर्च किए गए ₹ 19.52 करोड़ व्यर्थ हो गए थे जिसका व्यौरा नीचे दिया गया है:

शहरी संपदा	आबंटन की तिथि/पूर्ण करने की नियत तिथि	व्यय (₹ लाख में)	अभ्युक्तियां
आवासीय सैक्टर-1, पटौदी में स्टोर्म वाटर ड्रेनेज का निर्माण	30 मार्च 2011/ 31 दिसंबर 2011	132.09	भूमि का एक भाग जिसमें नाली बिछाई जानी थी, वह नगर परिषद् पटौदी की सम्पति थी। नगर परिषद ने सीवर और स्टोर्म निकासी को बिछाने की अनुमति नहीं दी क्योंकि मकान सीवर की सीध में थे। स्कीम, किसी उचित सर्वेक्षण और नगर परिषद् से अनुमति प्राप्त किए बिना निर्मित की गई थी।
मास्टर सीवरेज लेग नं. V गुड़गांव का मुहैया करना	30 मार्च 2012/ 30 सितंबर 2012	1,130.69	एजैंसी ने 90 प्रतिशत क्षेत्र में सीवर पाईप लाइन बिछा दी है। लेकिन यह शेष भाग में नहीं बिछाई जा सकी क्योंकि आई.ओ.सी. पाइपलाइन पार करने के लिए भारत सरकार से अनुमति प्राप्त नहीं की गई थी जो कि कार्य आरंभ करने के लिए पूर्व अपेक्षित थी। अत: कार्य, किसी उचित सर्वेक्षण और भूमि विवादों को सुलझाए बिना आरंभ किया गया था।
मास्टर सीवर पार्ट- V, सोनीपत मुहैया करना	16 अगस्त 2012/ 15 जनवरी 2013	204.98	कुछ क्षेत्रों में सीवर बिछाई गई है और मुकद्दमों और स्थानीय बाधाओं के कारण अपूर्ण पड़ी थी। सीवरेज ट्रीटमैंट प्लांट के लिए भूमि और सैक्टर से एस.टी.पी. तक सीवर बिछाने के लिए ड्रेन नं. 8 के साथ-साथ 24 मीटर चौड़ी पतली पट्टी अधिगृहीत नहीं की गई थी। इस प्रकार स्कीम भूमि की उपलब्धता के बारे बिना किसी उचित सर्वेक्षण के बनाई गई थी।
राजीव गांधी एजुकेशन सिटी फेस- I, सोनीपत में सीवरेज मुहैया करना	27 फरवरी 2009/ 26 फरवरी 2010	253.16	सीवर कार्यात्मक नहीं की गई थी क्योंकि वहां पर बाधाएं थी अर्थात् आई.ओ.सी. पाइपलाइन का गुजरना, पंचायत भूमि, 1.03 कि.मी. के भू-भाग में न्यायालयों द्वारा स्थगन दिया जाना। इसके अतिरिक्त, सीवर लाइनों को जोड़ने के लिए एस.टी.पी. का निर्माण नहीं किया गया था।
मौजूदा मास्टर सीवरेज सिस्टम लैग नं. III, गुड़गांव का संवर्धन	15 फरवरी 2011/ 14 अगस्त 2011	231.00	1,550 मीटर सीवर बिछाने के बाद यह देखा गया कि हिमगिरी पब्लिक स्कूल के साथ स्थान की अनुपलब्धता, 475 मीटर की लंबाई में सैक्टर 10-ए/37 रोड में पटौदी के नजदीक विद्युत सब-स्टेशन के कारण 570 मीटर लंबाई में सीवर बिछाना संभव नहीं था। डी.एन.आई.टी. तैयार करते समय इस स्थिति पर विचार नहीं किया गया था। यह प्रस्तावित किया गया कि बाकी का कार्य क्यूरड इन फेसड पाइप टैक्नोलाजी (सी.आई.पी.पी.) विधि द्वारा निष्पादित कराया जाएगा, जिसमें खुदाई की आवश्यकता नहीं थी। सिद्धांत में प्रशासक द्वारा 24 अक्तूबर 2011 को अनुमोदन दिया गया था परंतु कार्य के लिए निविदाएं मई 2014 में खोली गई थी। आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी। अत: कार्य बिना उचित सर्वेक्षण के आरंभ किए गए थे।
	कुल	**1,951.92**	

विभाग ने बताया (जनवरी 2015) कि कुछ गलतियां हुई थी और इनका संज्ञान लेते हुए, अ.मु.स., न.ग्रा.आ.वि. ने दोषी कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिए थे। इन कार्यों को पूर्ण करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे थे।

- **समझौता दस्तावेजों की हानि**

सैक्टर 2-10, सोनीपत में एस.डब्ल्यू. पाईप मुहैया कराने, कम करने, काटने और जोड़ने का कार्य आर.सी.सी. मेनहोल्ज का निर्माण और उससे संबंधित अन्य कार्यों को एक ठेकेदार को आबंटित किया गया था (दिसंबर 2007) कार्य की अनुमानित लागत ₹ 3.80 करोड़ थी और आबंटन की तिथि से आठ महीनों के अंदर पूर्ण किया जाना था।

फर्म ने 29 जनवरी 2008 तक कार्य आरंभ नहीं किया। कार्य के निष्पादन में विलंब के कारण ₹ 34.18 लाख की पैनल्टी लगाई गई थी (मार्च 2008)। उसके बाद जोखिम एवं लागत कार्यवाहियां भी आरंभ की गई थी (17 अप्रैल 2008)। निविदाएं आमंत्रित की गई थी (18 जुलाई 2008) और कार्य दूसरे ठेकेदार को आबंटित किया गया था। ₹ 2.19 करोड़ की राशि ठेकेदार से जोखिम एवं लागत के रूप में वसूलनीय थे। मामला मूल समझौता दस्तावेज के साथ मुख्य अभियंता को भेजा गया था। तथापि, समझौता मुख्य अभियंता के कार्यालय में गुम हो गए थे जिसके परिणामस्वरूप डिविजन विवाचक के सामने अपना मामला प्रस्तुत नहीं कर सका था। उन कर्मचारियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई थी जिनकी अभिरक्षा में ये समझौता दस्तावेज गुम हो गए थे।

विभाग ने बताया (जनवरी 2015) कि इन समझौता दस्तावेजों की अभिरक्षा के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही की जा रही थी।

- **फरीदाबाद में सीवर कार्य का त्रुटिपूर्ण निष्पादन**

सैक्टर 75 से 89, फरीदाबाद की आवश्यकताओं का प्रबंध करने के लिए ₹ 56 करोड़ की अनुमानित लागत पर मास्टर सीवर प्रणाली बिछाने के लिए एक प्लान बनाया (नवंबर 1991) जिसे कि गांव बादशाहपुर के नजदीक स्थापित किया जाना था। क्योंकि क्षेत्र प्राइवेट विकासकों द्वारा विकसित किया जा रहा था, आंतरिक सीवर विकासकों द्वारा बिछाया जाना था और सभी आंतरिक सीवर को जोड़ते हुए मास्टर सीवर हुडा द्वारा बिछाया जाना था।

कार्य पूर्ण होने के बाद तीन वर्षों की त्रुटि दायित्व अवधि के साथ कार्य के लिए निविदाएं आंमत्रित की गई थी और 18 महीनों के अंदर पूर्ण किए जाने की शर्त के साथ ₹ 38.95 करोड़ की अनुमानित लागत पर कार्य मैसर्ज के.के. स्पन को आबंटित किया गया था (मार्च 2012)। यह देखा गया कि जि.न.यो. और हुडा के बीच समन्वय की कमी थी। विकासकों को एन.ओ.सी. देते समय, जि.न.यो. ने हुडा द्वारा बिछाई जा रही मास्टर सीवर की गहराई के संबंध में संबंधित डिवीजन से न तो पूछताछ की और न ही सुनिश्चित किया कि विकासक, अपने क्षेत्रों में आंतरिक सीवरों के स्तर, हुडा द्वारा बिछाये गए मास्टर सीवर की स्तर के अनुरूपता में, कायम कर रहे थे।

कार्य आरंभ करने के बाद एक प्राइवेट विकासक के प्रतिनिधि के साथ हुई बैठक में यह देखा गया कि विकासक द्वारा बिछाई गई आंतरिक सीवर का इन्वर्ट स्तर, विकासकों और हुडा के सीवरों के स्तरों के बीच बेमेल होने के कारण, हुडा के सीवर से घनत्व के कारण नहीं जुड़े क्योंकि हुडा द्वारा बिछाई जा रही मास्टर सीवर के इन्वर्ट स्तरों को, इस चरण पर समायोजन करना व्यवहार्य नहीं था, यह निर्णय किया गया कि सैक्टर-75-77 की सीवरेज योजना को सैक्टर-80-89 की योजना से अलग किया जाए। सैक्टर-75 से 77 के लिए सीवर की गहराई को बदल दिया गया और इन सैक्टरों के लिए एक अलग एस.टी.पी. का प्रस्ताव किया गया। इसके अतिरिक्त, 2,615 मीटर भूमि पर बाधाएं थी जिस पर कि सीवर बिछाया जाना था। समन्वय की कमी के कारण न केवल परियोजना विलंबित हुई बल्कि व्यय में भी वृद्धि हुई।

अगस्त 2014 तक ₹ 30.83 करोड़ का व्यय किया गया था। सितंबर 2013 तक पूर्ण किया जाने वाला कार्य अभी तक अपूर्ण था (जनवरी 2015)।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, मु.प्र. हुडा ने बताया कि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि दो एस.टी.पीस. की लागत एक अकेले एस.टी.पी. की लागत के अंदर थी। तथापि, इस पर, कार्य के अंतिम रूप से पूर्ण होने और व्यय के अंतिम रूप से दर्ज होने तक निगरानी रखने की आवश्यकता है।

2.3.8.6 गुड़गांव में जलापूर्ति कार्य

गुड़गांव में जलापूर्ति बढ़ाने के दृष्टिकोण से चन्दू वढ़ेरा में निर्माण कार्य के लिए हुडा डिवीजन 3, गुड़गांव द्वारा ₹ 140.92 करोड़ का एक रफ अनुमान तैयार किया गया था। परियोजना में सारे जल कार्यों के लिए, कच्चे पानी की संग्रहण प्रणाली, वाटर ट्रीटमैंट प्लांट/स्वच्छ पानी संग्रहण और संचारण प्रणाली, स्थाई जलाचयन प्रणाली, ट्रांसफारमर की आपूर्ति और उत्थापन, पूर्ण सुपरवाइसरी कंट्रोल एंड डाटा एक्वीजीशन (एस.सी.ए.डी.ए.) प्रणाली का रूपांकन और आपूर्ति और उत्थापन करना और टेलीमीटर प्रणाली का निर्माण सम्मिलित था।

कार्य, 24 महीनों के अंदर पूर्ण किए जाने की शर्त के साथ ₹ 132 करोड़ की अनुमानित लागत पर मैसर्ज प्रतिभा - एस.एम.सी.जे.वी. को आबंटित किया गया था। (4 दिसंबर 2009)। डी.एन.आई.टी. के अनुसार, 335 एम. X 280 एम. के आकार का स्टोरेज एवं सेडीमैंटरी टैंक (एस. एंड एस. टैंक) निर्मित किया जाना था। टैंक उचित रूप से निर्मित नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरूप टैंक का मध्य आकार 69825 के.एलस. तक घट गया। मुख्य अभियंता - I ने एस.ई. - I को दोषी अधिकारियों की जिम्मेवारी नियत करने और टैंक की घटी क्षमता के कारण हुडा को हुई वित्तीय हानियों की वसूली के लिए कार्यवाही आरंभ करने के निर्देश दिए (31 अक्तूबर 2011 और 31 मई 2013)। यह देखा गया कि तीन वर्षों के बाद भी न तो ठेकेदार के विरूद्ध और न ही छोटे टैंक के निर्माण के लिए जिम्मेदार कर्मचारियों/अधिकारियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही की गई थी। यहा तक कि हानि की भी गणना नहीं की गई थी।

यह देखा गया कि एस.सी.ए.डी.ए. प्रणाली और 66 के.वी.ए. ट्रांसफारमरों के उत्थापन का 4 दिसंबर 2011 को पूर्ण किए जाने के लिए नियत किया गया कार्य इस तिथि को पूर्ण नहीं किया गया था। इस बीच, मार्च 2014 को ₹ 134.46 करोड़ का व्यय करने के बाद भी प्लांट 50 प्रतिशत की क्षमता पर चल रहा है जिसके परिणामस्वरूप कम पानी की आपूर्ति हुई।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, मु.प्र. हुडा ने बताया कि ठेकेदार से ₹ 2.75 करोड़ की पैनल्टी वसूल की जा चुकी है। मु.प्र. ने आगे बताया कि यद्यपि प्लांट 50 प्रतिशत की क्षमता पर चल रहा था, यह वर्तमान आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त था। तथ्य यही है कि जिस उद्देश्य के लिए यह भारी निवेश किया गया है, उस किए गए निवेश पर पूर्ण प्रतिफल को इसके तर्कसंगत निष्कर्ष को सुनिश्चित करने के लिए मानीटर किया जाना चाहिए।

2.3.8.7 सड़कों का विकास

- **सांहितीय प्रावधान का पालन न करना**

पी.डब्ल्यू.डी. संहिता और मुख्य प्रशासक, हुडा द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेश अन्य बातों के साथ-साथ विचार करते हैं कि कोई भी निविदा आमंत्रित नही की जानी थी जब तक कि

कार्य स्थल सभी बाधाओं से मुक्त न हो। इसके अतिरिक्त, पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार ने निर्देश दिया कि जहां वन भूमि किसी विकास कार्य की सीध में पड़ती है, उसे आरंभ नहीं किया जाना चाहिए जब तक मंत्रालय/वन विभाग का पूर्व अनुमोदन प्राप्त न हुआ हो। अभिलेखों की नमूना-जांच ने दर्शाया कि हुडा द्वारा सड़कों के विकास में निवेश की गई निधियां अवरूद्ध पड़ी थी क्योंकि या तो पूर्ण भाग पर भूमि का स्वामित्व हुडा के पास नहीं था अथवा अन्य विभागों से अनुमतियां प्राप्त नहीं की गई थी। इस प्रकार के कुछ मामले नीचे चर्चित किए गए है:

शहरी संपदा	आबंटन की तिथि/ पूर्ण करने की नियत की गई तिथि	व्यय (₹ करोड़ में)	अभ्युक्तियां
(द्वारका से खेरकी दौला) (एन.एच. 8), गुड़गांव तक नार्दर्न पैरीफिरियल रोड़ का निर्माण	अप्रैल 2011/ मार्च 2012	62.63	18 कि.मी. भू-भाग में से, हुडा के आधिपत्य में स्पष्ट भूमि केवल 15.602 कि.मी. की थी। सड़क पूर्ण नहीं की जा सकी क्योंकि सीध में पड़ने वाली भूमि अनधिकृत कालोनियों के निवासियों के आधिपत्य में थी जिसे कि अधिगृहीत नहीं किया गया था। हुडा ने अभी तक इस प्रकार के व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए कोई नीति नहीं बनाई है। इसके अतिरिक्त, भूमि के अधिग्रहण न करने, ट्रांसमिशन लाइनों के स्थानान्तरण न करने और पर्यावरण मंत्रालय/वन विभाग से अनुमोदन प्राप्त न करने के कारण विभिन्न भू-भागों पर सड़क अपूर्ण पड़ी थी।
सैक्टर 81 से 95 और बाहरी सड़क, गुड़गांव के बीच 75 मीटर और 60 मीटर चौड़ी मास्टर रोड़ के निर्माण के लिए सात कार्य	मार्च 2011 और अप्रैल 2012 के बीच/ जून 2011 से जनवरी 2013 के बीच	112.74	सड़के अपूर्ण पड़ी थी क्योंकि कार्यस्थल साफ नहीं था और भूमि का अधिकार, जिन पर ये सड़कें निर्मित की जानी थी, हुडा के पास नहीं थी। भौतिक प्रगति रिपोर्ट के अनुसार, 38.61 कि.मी. में से 8.95 कि.मी. सड़क अभी निर्मित की जानी थी (अगस्त 2014)।
सैक्टर 60 और 64, सोनीपत के 45 मीटर चौडी बाहरी सड़क का निर्माण	6 जनवरी 2011/ 5 सितंबर 2011	7.27	3.07 कि.मी. सड़क में से ठेकेदार ने 0.56 कि.मी. सड़क निर्मित नहीं की थी क्योंकि जिस क्षेत्र में सड़क निर्मित की जानी थी वह उस क्षेत्र में पड़ रही थी जिसके लिए भूमि के विकसित करने के लिए लाइसैंस न.ग्रा..आ.वि. द्वारा टी.डी.आई. को दिया गया था।
सैक्टर 59/60, 64/59 और 60, सोनीपत के बीच 30 मीटर चौड़ी मास्टर रोड का निर्माण	24 अक्तूबर 2011/ 23 जून 2012	7.31	3.87 कि.मी. सड़क में से ठेकेदार 1.30 कि.मी. सड़क का निर्माण नहीं कर पाएगा क्योंकि 1.23 कि.मी. का भू-भाग जिस पर सड़क निर्मित की जानी थी, वह उस क्षेत्र में पड़ रहा था जिसके लिए भूमि के विकास के लिए लाइसैंस न.ग्रा..आ.वि. द्वारा टी.डी.आई. को दिया गया था। इसके अतिरिक्त, जिस क्षेत्र में 70 मीटर सड़क निर्मित की जानी थी, वह अधिगृहीत नहीं किया गया था।
	कुल	**189.95**	

विभाग ने बताया (जनवरी 2015) कि कुछ गलतियां हुई थी और इनका संज्ञान लेते हुए, अ.मु.स., न.ग्रा.आ.वि. ने दोषी कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिए निदेश दिया था और इन कार्यों को पूर्ण करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे थे।

- **सड़क के लिए भूमि का गलत सीमांकन निर्धारण के कारण हानि**

सैक्टर 57 पार्ट-I, गुड़गांव, हुडा द्वारा मार्च 2004 में आरंभ किया गया था। मु.प्र. द्वारा इस सैक्टर की सीमांकन योजना अक्तूबर 2004 में अनुमोदित की गई थी। आंतरिक विकास का कार्य मैसर्ज लारसैन एंड टोबरो लिमिटेड को जून 2007 में आबंटित किया गया था जो 18 महीनों के अंदर ₹ 45.90 करोड़ की लागत पर पूर्ण किया जाना था।

विकास कार्यों का निष्पादन करते हुए प्लाट नं. 1,093 से 1,103 के सामने सड़क गलत बिछाई गई थी जिसके परिणामस्वरूप ऊपर उल्लिखित प्लाटों की गहराई 18 मीटर से 13 मीटर तक कम कर दी गई जिसके परिणामस्वरूप इस ब्लाक में सीमांकन योजना का संशोधन हुआ। एस.ई., हुडा परिमंडल – I ने बताया (19 फरवरी 2013) कि पहले से बिछी सेवाओं को पुन: बिछाने और तोड़ने से विभाग को भारी हानि होगी और मुकद्दमा को भी आमंत्रित कर सकता था। इस प्रकार ग्यारह प्लाट (नं. 1093 से 1103) क्षेत्र की भूमि के गलत सीमांकन के कारण परित्यक्त रहे और जिसके परिणामस्वरूप ₹ 3.35[6] करोड़ की हानि हुई। लेखापरीक्षा ने देखा कि ठेकेदार को कार्य का आबंटन करने से पहले कार्यस्थल का सर्वेक्षण उचित रूप से नहीं किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप गलत नक्शे और खाका तैयार हुए।

प्रशासक ने सड़क को गलत बिछाने के लिए दोषी कर्मचारियों की जिम्मेवारी नियत करने के निर्देश दिए (फरवरी 2013) परंतु अभी तक कोई कार्रवाई प्रारंभ नहीं की गई थी (अगस्त 2014)।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, सी.ए. हुडा ने बताया कि इस मामले को पुन: देखने की आवश्यकता होगी कि क्या समस्या अतिक्रमण के कारण थी अथवा गलत सीमांकन निर्धारण करने के कारण थी तथा इसके पश्चात् कार्रवाई की जाएगी।

2.3.8.8 वाणिज्यिक – कांपलैक्सों के लिए भूमि का विकास न करना

हुडा ने अपने संसाधनों से कुछ स्थानों पर सरकार की तरफ से वाणिज्यिक कांप्लैक्सों के विकास के लिए नए भवनों का निर्माण किया। ऐसे व्ययों को पूरा करने के लिए, सरकार ने भूमि, जिस पर पुराने भवन विद्यमान थे, मुफ्त में उपलब्ध करवाई। नमूना – जांच किए गए मामलों में अभिलेखों की जांच ने दर्शाया कि स्थल वाणिज्य कांपलैक्सों के रूप में विकसित नहीं किए गए जैसा कि नीचे वर्णन किया गया है:

➢ 13 सितंबर 1996 को आयोजित हाई पावर्ड मीटिंग में, जिला जेल, गुड़गांव को गांव भौंडसी में शिफ्ट करने का फैसला किया गया। निर्माण लागत हुडा द्वारा वहन की जानी थी तथा बदले में हुडा को जिला जेल की वर्तमान जगह को वाणिज्यिक कांपलैक्स बनाने की योजना और विकास करने हेतु अनुमति दी गई।



ओल्ड जेल काम्पलैक्स का स्थान कूड़ा – करकट के मैदान के रूप में प्रयोग किया जा रहा

अभिलेखों की जांच ने दर्शाया कि गांव भोंडसी में माडर्न जेल का निर्माण कार्य ₹ 33.33 करोड़ की लागत से 2003 में पूरा किया गया तथा जेल ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया था।

यह देखा गया कि हुडा ने फेस I के अंतर्गत जेल क्षेत्र के खुले स्थान का विकास किया परंतु फेस II के अंतर्गत निवासियों के नए जेल कांपलैक्स में स्थानांतरित होने के बाद निर्मित जेल क्षेत्र को वाणिज्यिक कांपलैक्स में विकसित नहीं किया गया था। स्थान को नगरपालिका द्वारा कूड़ा – करकट के मैदान के रूप में प्रयोग किया जा रहा था।

[6] 11 प्लाट X 167.22 वर्गमीटर X ₹ 18,200 प्रति वर्गमीटर की दर पर = ₹ 3.35 करोड़।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, सी.ए. हुडा ने बताया कि स्थानों की नीलामी आरंभ की गई थी तथा बचे हुए स्थानों की चरण-बद्ध तरीके से नीलामी की जाएगी।

तथ्य यही है कि फेस-II के अंतर्गत अधिगृहीत किया गया पुराना जेल कांपलैक्स का स्थान, जेल के वासियों के नए कांपलैक्स में स्थानांतरित होने के 12 वर्ष बाद भी वाणिज्यिक कांपलैक्स में विकसित नहीं किया गया था।

➢ पुरानी आई.टी.आई. बिल्डिंग, रोहतक का 18 एकड़ 5 कनाल और 15 मरला क्षेत्र नई आई.टी.आई. भवन के निर्माण पर किए जाने वाले व्यय के बदले वाणिज्यिक कांपलैक्स के विकास हेतु हुडा को स्थानांतरित कर दिया गया था (जुलाई 2007)। आई.टी.आई. भवन का निर्माण कार्य ₹ 65.81 करोड की लागत पर 2012 में पूर्ण किया गया था।

पुराने आई.टी.आई. पर शापिंग सैंटर की ड्राइंग अगस्त 2012 में सी.ए. द्वारा अनुमोदित की गई तथा आधारशिला मार्च 2013 में रखी गई। भूमि विकसित नहीं की गई थी परिणामत: नवंबर 2014 तक राजस्व नहीं कमाया जा सका था।

विभाग ने बताया (जनवरी 2015) कि जुलाई 2007 में स्थानांतरित 18 एकड़ 5 कनाल तथा 15 मरला भूमि में से, 11 एकड़ 3 कनाल भूमि का भौतिक स्वामित्व मार्च 2013 में दिया गया था तथा शेष 7 एकड़ भूमि का स्वामित्व अभी तक हुडा को नहीं दिया गया था और क्षेत्र के विकास कार्य प्रगति पर थे। तथ्य यही है कि पुरानी आई.टी.आई. भवन का स्थान वाणिज्यिक कांपलैक्स में विकसित नहीं किया गया था यद्यपि नया आई.टी.आई. भवन 2012 में पूर्ण किया गया था।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, सी.ए. हुडा ने बताया कि इस कार्य की योजना आरंभ की गई है तथा उनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होगा कि निवेश से अच्छा प्रतिफल था।

2.3.9 हुडा द्वारा प्लाटों का आबंटन

2.3.9.1 आशियाना स्कीम के अंतर्गत ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी हेतु फ्लैटों का आबंटन

मलिन बस्ती वासियों को मूल सुविधाओं के साथ स्वच्छ रहने योग्य जगह प्रदान करने के विचार से, हुडा ने 'इन्टीग्रेटिड हाउसिंग एंड स्लम डिवलरज प्रोग्राम' '(आई.एच.एस.डी.पी.)' के अंतर्गत आशियाना परियोजना को अनुमोदित किया (दिसंबर 2006)। स्कीम के अंतर्गत, हुडा को विभिन्न शहरी संपदाओं में निम्न लागत के निवास यूनिटों का निर्माण करना था। सरकारी/हुडा भूमि के अतिक्रमण करने वालों को वरीयता दी जानी थी जो लंबे समय से विद्यमान झुग्गी/झोपड़ी कालोनियों को नियमित करने के लिए तथा निष्कासन से पहले वैकल्पिक आश्रय प्रदान करने हेतु न्यायालयों में चले गए थे। मुख्य अभियंता, हुडा ने उनके क्षेत्राधिकार में स्कीम के अंतर्गत जिला शहरी विकास प्राधिकरण के साथ विचार-विमर्श से हुडा के सभी प्रशासकों को लाभार्थियों की पहचान करने के लिए सितंबर 2009 में निर्देश जारी किए।

फरीदाबाद तथा गुड़गांव शहरी संपदाओं के अभिलेखों की जांच ने दर्शाया कि निर्माण कार्य से पूर्व योग्य व्यक्तियों की पहचान नहीं की गई थी परिणामत: 2,563 यूनिट अनाबंटित रह गए यद्यपि

इन मकानों का निर्माण अक्तूबर तथा नवंबर 2010 के बीच में पूर्ण किया गया था जैसा कि **तालिका 2.3.3** में विवरणित है।

तालिका 2.3.3: मकानों के निर्माण के विवरण

शहरी संपदा का नाम	निर्माण की लागत (₹ करोड़ में)	निर्मित किए गए यूनिटों की संख्या	पूर्ण होने की नियत तिथि	पूर्ण होने की वास्तविक तिथि	अनाबंटित यूनिटों की संख्या	अवरूद्ध राशि (₹ करोड़ में)
फरीदाबाद	112.60	3080	नवंबर 2009	नवंबर 2010	2003	73.23
गुड़गांव	20.65	560	अक्तूबर 2009	अक्तूबर 2010	560	20.65
कुल	**133.25**	**3640**			**2563**	**93.88**

स्रोत: संबंधित मंडलों द्वारा आपूरित डाटा

उपर्युक्त के अतिरिक्त, 528 अधिक मकान गुड़गांव मे ₹ 18.78 करोड़ की लागत पर स्कीम के अंतर्गत निर्मित किए गए थे। परंतु आकस्मिक कार्य (9 प्रतिशत) हुडा तथा भू-मालिकों के झगड़े के कारण अधूरे पड़े रहे।

फरीदाबाद में, 4,189 व्यक्तियों के लिए सर्वेक्षण किया गया परंतु केवल 1,077 योग्य पाए गए। इसी प्रकार, गुड़गांव के संबंध में, 204 आवेदन प्राप्त किए गए परंतु कोई भी आवेदक योग्य नहीं पाया गया था। इस प्रकार, बिना उचित सर्वेक्षण के तथा फरवरी 2010 में हुडा द्वारा नियत किए गए मापदंड के अनुसार योग्य व्यक्तियों का मूल्यांकन किए बिना आवासीय यूनिट निर्मित किए गए।

एग्जिट कांफ्रैंस के दौरान, अ.मु.स. ने मामले के बारे में अपनी चिंता प्रकट की तथा बताया कि यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे थे कि भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अंतर्गत इन फ्लैटों का उचित उपयोग हो ताकि इन मकानों पर खर्च की गई धनराशि व्यर्थ न हो। तथ्य यही है कि निर्माण कार्य आरंभ करने से पूर्व योग्य व्यक्तियों की ठीक प्रकार से पहचान नहीं की गई थी।

2.3.9.2 आरक्षित श्रेणियों के अंतर्गत प्लाटों के आबंटन में अनियमितताएं

समाज के शोषित वर्गों से संबंधित व्यक्तियों सहित समाज के विभिन्न स्तरों को आबंटन अवसर तथा वहन करने योग्य मकानों को सुनिश्चित करने के लिए, हुडा द्वारा आरक्षण नीति बनाई गई थी (जनवरी 1987)। आरक्षण श्रेणियों के अंतर्गत प्लाटों के आबंटन को शासित करने वाली शर्तें अन्य बातों के साथ-साथ निर्धारण करती है कि आबंटी यह प्रमाणित करते हुए एक शपथ-पत्र प्रस्तुत करेगा कि उसके अपने नाम अथवा अपने पति या पत्नी के नाम अथवा अपने पर आश्रित परिवार के सदस्यों के नाम हरियाणा में शहरी संपदा में आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत कोई प्लाट कभी भी आबंटित नहीं किया गया था।

मु.प्र., हुडा ने आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत आबंटन की जांच-पड़ताल हेतु, प्रशासक, हुडा (मुख्यालय) की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया (अक्तूबर 2013)। आबंटियों से संबंधित केंद्रीयकृत डिजिटाईज्ड डाटा की क्रास लिंकिंग के द्वारा, यह पाया गया था कि 402 आबंटियों द्वारा झूठे शपथ-पत्र प्रस्तुत करके विभिन्न आरक्षित श्रेणियों के अंतर्गत एक से अधिक प्लाटों का आबंटन प्राप्त किया गया था। हुडा ने इन आबंटियों के विरूद्ध एफ.आई.आरज दर्ज की थी।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, लेखापरीक्षा (अगस्त 2014) द्वारा अभिलेखों की जांच ने दर्शाया कि संपदा कार्यालय-II, गुड़गांव तथा ई.ओ., पंचकुला के अंतर्गत, आरक्षित श्रेणियों के 32 आबंटियों ने झूठे शपथ-पत्र प्रस्तुत करके एक से अधिक बार आरक्षण का लाभ प्राप्त किया था जो कि संबंधित संपदा कार्यालयों द्वारा ढूंढ़े नहीं गए थे। झूठे शपथ-पत्र देकर आबंटियों द्वारा की गई धोखाधड़ी नहीं देखी गई क्योंकि केंद्रीयकृत डाटाबेस होने के बावजूद, मुख्यालय में आवेदनों की जांच करने के लिए कोई यंत्रावली विकसित नहीं की गई थी तथा आबंटियों के फोटोग्राफ आबंटन फाइलों में नहीं लगाए गए थे यद्यपि यह आवश्यक था।

विभाग ने बताया (जनवरी 2015) कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए गए 32 मामलों के विरूद्ध कार्रवाई प्रारंभ की गई है। चूंकि लेखापरीक्षा ने नमूना-जांच के आधार पर स्वयं इन मामलों का पता लगाया था, विभाग को दोहरे आबंटन की किसी दूसरी संभावना से बचने हेतु इसके पास उपलब्ध डिजीटाईज्ड डाटा को प्रयोग करते हुए सभी मामलों की पूर्ण जांच करनी चाहिए।

एग्जिट कांफ्रैंस के दौरान, अ.मु.स. लेखापरीक्षा टिप्पणियों तथा दोहरे आबंटन की किसी दूसरी संभावना से बचने हेतु सभी मामलों की पूर्ण जांच करने बारे लेखा सिफारिशों से भी सहमत हुए।

2.3.10 प्राइवेट कालोनाइजरों से संबंधित मामले

शहरों के चारों ओर अव्यवस्थित विकास से बचने के लिए, सरकार ने पंजाब शेडयूल्ड रोडस एंड कंट्रोल्ड एरियास रिस्ट्रिक्शन आफ अनरेगुलेटिड डिवलपमैंट एक्ट, 1963 (जो हरियाणा में भी लागू है), के सैक्शन-4 के अंतर्गत म्यूनिसिपल टाउन की सीमा के बाहर के किसी क्षेत्र अथवा किसी अन्य क्षेत्र जो इसके विचार में, बिल्डिंग, औद्योगिक, वाणिज्यिक, सांस्थानिक अथवा मनोरंजनात्मक गतिविधियों के लिए संभावित हो, को एक नियंत्रित क्षेत्र घोषित करता है। इसके पश्चात्, पंजाब शेडयूल्ड रोडस एंड कंट्रोल्ड एरियास रिस्ट्रिक्शन आफ अनरेगुलेटिड डिवलपमैंट नियम, 1965 के नियम-8 के अंतर्गत प्रमुख भूमि उपयोगों जैसे कि आवासीय, औद्योगिक, वाणिज्यिक इत्यादि के लिए आरक्षित क्षेत्रों को इंगित करते हुए 'नियंत्रित क्षेत्र' के रूप में घोषित क्षेत्रों के लिए विकास योजनाएं तैयार की जाती हैं। हुडा के लिए, राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिगृहीत की जाती है। प्राईवेट विकासक भू-मालिकों से भूमि खरीदते हैं तथा म.नि., न.ग्रा.आ.वि. हरियाणा डिवलपमैंट एंड रेगुलेशन आफ अर्बन एरियास एक्ट, 1975 के सैक्शन-3 के निबंधनों के अनुसार उन्हें लाइसैंस प्रदान करते हैं। 2006-14 की अवधि के दौरान, विभाग ने राज्य में कालोनाइजरों को 1,003[7] लाइसैंस जारी किए, जिनमें से 225[8] लाइसैंस फाइलों की जांच-पड़ताल की गई थी।

इसके अतिरिक्त, सैक्टर-83 में विकासकों को उनके लिए चिन्हित 50 प्रतिशत क्षेत्र में वाणिज्यिक क्षेत्रों के विकास हेतु लाइसैंस प्रदान करने से संबंधित प्रक्रियाओं की नमूना-जांच के रूप में जांच की गई थी। परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में चर्चित किए गए हैं:

[7] 2006-07: 104, 2007-08: 197, 2008-09: 139, 2009-10: 112, 2010-11: 109, 2011-12: 119, 2012-13: 116 तथा 2013-14: 107

[8] 2006-07: 39, 2007-08: 39, 2008-09: 28, 2009-10: 24, 2010-11: 21, 2011-12: 21, 2012-13: 30 तथा 2013-14: 23

2.3.10.1 सैक्टर 83 , गुड़गांव में कालोनाइजर्स द्वारा वाणिज्यिक क्षेत्रों का विकास

गुड़गांव - मानेसर के नियंत्रित क्षेत्रों की विकास योजनाएं फरवरी 2007 में अधिसूचित की गई। 23 मई 2007 को अनुमोदित सैक्टर - 83 की सैक्टरल योजना के अनुसार, सैक्टर क्षेत्र[9] 518.20 एकड़ था, जिसमें से, 126.80 एकड़ वाणिज्यिक बैल्ट के अंतर्गत दर्शाया गया था। विकास योजना - 2021 के अनुच्छेद - VII के अनुसार, लाइसैंस प्राप्ति के बाद, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित ले - आउट योजना के अनुसार प्राइवेट विकासकों को वाणिज्यिक बैल्ट के 50 प्रतिशत तक का विकास करने की अनुमति दी गई थी। शेष 50 प्रतिशत पूर्णतया सरकार द्वारा अथवा सरकारी उपक्रम द्वारा अथवा सरकार द्वारा अनुमोदित लोक प्राधिकारी द्वारा विकसित किया जाना था। नौ फर्मों ने मार्च 2008 को 14 वाणिज्यिक लाइसैंसों हेतु आवेदन किया था।

लाइसैंस प्रदान करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने तथा सरकार एवं इसकी एजेंसियों के हितों की सुरक्षा हेतु उनके लिए चिन्हित 50 प्रतिशत क्षेत्र में विकासकों को लाइसैंस देने बारे प्रक्रियाओं तथा नीतियों की जांच की गई। देखे गए महत्वपूर्ण परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में वर्णित किए गए हैं:

(i) प्राइवेट विकासकों से आवेदन - पत्र आमंत्रित करने हेतु प्रक्रिया

वाणिज्यिक कालोनियों के लिए लाइसैंस प्रदान करने के लिए विकासकों से आवेदन पत्रों की प्राप्ति में पारदर्शिता का अभाव था। वर्तमान में, इच्छुक पार्टियां लाइसैंस के लिए आवेदन करती हैं तथा ये 'पहले आओ, पहले पाओ आधार पर' जांच की जाती है जब तक प्राइवेट विकासकों के लिए चिन्हित क्षेत्र की अंतिम सीमा समाप्त नहीं हो जाती है। यह देखा गया कि एक फर्म मैसर्ज पिकाडली होटलज प्राईवेट लिमिटेड ने 30 जनवरी 2007 को वाणिज्यिक कालोनी के विकास हेतु लाइसैंस के लिए आवेदन किया था जबकि गुड़गांव - मानेसर की विकास योजना 5 फरवरी 2007 को अधिसूचित की गई थी। वह क्षेत्र, जिसमें प्राइवेट विकासकों को वाणिज्यिक कालोनियों के लिए लाइसैंस प्रदान किए जाएंगे, के लिए विज्ञापन करना, आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अतिंम तिथि, कुल क्षेत्र जिसके लिए लाइसैंस दिए जाने हैं, इत्यादि के लिए कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गई थी। यहां तक कि यह सूचना विभाग की वेबसाईट पर नहीं डाली गई थी। यह सूचना कि प्राइवेट विकासकों द्वारा लाइसैंस प्राप्ति हेतु अंतिम सीमा समाप्त हुई है अथवा नहीं, जनता को उपलब्ध नहीं करवाई गई।

(ii) विकसित किए जाने वाले क्षेत्र की सघनता

सरकारी एजेंसियां उनके लिए अलग से रखे गए 50 प्रतिशत क्षेत्र के विकास में प्रमुख स्टेकहोल्डर थी। यह देखा गया था कि उन तरीकों जिसमें सरकारी एजेंसियां सघन रूप में इसके 50 प्रतिशत भाग को अधिग्रहण करने में सक्षम होगी, पर विचार नहीं किया गया था। विकासकों ने कमर्शियल जोन में विभिन्न स्थानों पर लाइसैंस के लिए आवेदन किया था जिसके परिणामस्वरूप सरकारी

[9] सैक्टर क्षेत्र या कालोनी क्षेत्र का अर्थ सैक्टर के मामले में आरेखन और कालोनी के मामले में अनुमोदित विन्यास योजना पर दर्शाई मुख्य सड़क व्यवस्था के भीतर परिबद्ध मुख्य सड़क और उनसे मिलती हरित पट्टी की भूमि, यदि कोई है तो, तथा सैक्टर या कालोनी जैसा भी, प्रकरण हो, के भीतर भवन विकास के अयोग्य क्षेत्र को छोड़ते हुए, क्षेत्र से है।

एजेंसियों तथा प्राइवेट विकासकों के लिए अलग से रखा गया 50 प्रतिशत क्षेत्र बिखरा हुआ पड़ा था। प्राइवेट विकासकों के आवेदनों का मूल्यांकन करते हुए यह चिन्ता विभाग के अधिकारियों द्वारा भी व्यक्त की गई थी लेकिन समाधानित नहीं की गई थी। इस स्थिति के अंतर्गत, सरकार या इसकी एजेंसियों द्वारा क्षेत्र को योजनाबद्ध ढंग से विकसित किए जाने की संभावना कम होगी।

(iii) आंतरिक सरकुलेटिंग तथा अप्रोच सड़कों का विकास

हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास तथा विनियमन नियम, 1976 के नियम-5 तथा नियम-11 के अंतर्गत प्राइवेट विकासक, पूर्णता प्रमाणपत्र के जारी होने की तिथि से पांच वर्षों की अवधि के लिए कालोनियों में सड़कों को पक्का करने, फुटपाथों, स्ट्रीट लाइटों तथा उनके रख-रखाव के लिए जिम्मेदार है। बाहरी विकास कार्य सरकार या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी द्वारा किए जाते हैं।

यह देखा गया कि सैक्टर-83, गुड़गांव में विकासकों को लाइसैंस प्रदान करते हुए, विकासकों द्वारा अधिकृत क्षेत्र परंतु 24 मीटर के अंतर्गत पड़ते हुए भी सर्कुलेटिंग रोड़ इस शर्त पर आवृत्त किए गए थे कि आवेदक उनके स्थान से गुजरते हुए सर्कुलेटिंग सड़क को अपनी लागत पर बनाएगा तथा सड़क के अंतर्गत क्षेत्र मुफ्त में सरकार को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। जिस तरीके से इन सड़कों की सीध तथा निरंतरता की जाएगी, पर विचार नहीं किया गया है।

आगे, मौजूदा प्रथा के अनुसार, वाणिज्यिक स्थान, आंतरिक सड़कों द्वारा पहुंचनीय होनी चाहिए। मैसर्ज स्काईलाइट होसपिटेलिटी प्राईवेट लिमिटेड के मामले में, स्थान पहुंचनीय नहीं था। तथापि, विभाग ने इस आधार पर इस शर्त को छोड़ने का निर्णय लिया (मार्च 2008) कि अप्रोच, वाटिका लैंडबेस प्राईवेट लिमिटेड के सहयोग से ओंकारेश्वर प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड तथा मार्क बिल्डटैक प्राईवेट लिमिटेड की प्लोटिड कालोनी के माध्यम से लाइसैंसधारक द्वारा की जाएगी।

जि.न.यो. (मु.ल.) ने प्रकट किया (17 मार्च 2008) कि विभाग अतिरिक्त लाइसैंसों को देने के लिए मौजूदा कालोनियों के लिए अप्रोच सड़क पर विचार कर रहा था तथा ऐसे कोई पूर्व उदाहरण नहीं थे जहां पर अप्रोच अन्य लाइसैंसड कालोनी की प्लाटिड कालोनी के माध्यम से दी जानी थी। यद्यपि, इस संबंध में कोई विशिष्ट दिशानिर्देश अथवा पूर्व उदाहरण नहीं थे, वर्तमान मामले में अनुमति दी गई थी।

(iv) वाणिज्यिक कालोनी की स्थापना के लिए क्षेत्र मानक

वाणिज्यिक कालोनियों की स्थापना के लिए क्षेत्र मानक के लिए नीति दिशानिर्देश दिसंबर 2006 में बना दिए गए थे। इन दिशानिर्देशों के अनुसार, हाइपर पोटेंशियल जोन में, वाणिज्यिक कालोनी की स्थापना हेतु न्यूनतम क्षेत्र मानक दो एकड़ था। गुड़गांव को हाइपर पोटेंशियल जोन के रूप में घोषित किया गया है। यह देखा गया कि दो एकड़ भूमि से कम माप वाले क्षेत्र के लिए सैक्टर-83, गुड़गांव में परियोजनाएं इस तर्क पर स्वीकृति की गई थी कि यदि आवेदित भूमि पहले से ही लाईसैंस क्षेत्र के साथ सटे हुए थे, तब दोनों सटे हुए प्लाटों के क्षेत्र को गणना में लिया जाना है। उदाहरण के लिए, ए. एण्ड डी. इस्टेट प्राईवेट लिमिटेड ने एक एकड़ भूमि के लिए आवेदन किया था तथा इस तर्क पर लाइसैंस (फाईल संख्या 1866) दिया गया था कि यह उस साइट से सटा हुआ था जिसके लिए लाइसैंस के लिए आवेदन पहले ही जमा कर दिए गए थे।

आगे, दो एकड़ के निर्धारण के संबंध में कोई स्पष्ट रूप से निर्धारित मानक नहीं थे और क्या यह सड़कों तथा हरित पट्टी सहित था। इस प्रकार, मैसर्ज स्काईलाइट होसपिटेलिटी प्राईवेट लिमिटेड के लाइसैंस का मूल्यांकन करते हुए, यह देखा गया कि 3.531 एकड़ के आवेदन किए गए क्षेत्र में से 0.83 एकड़ आवासीय जोन में पड़ता था तथा 1.35 एकड़, 24 मीटर आंतरिक सर्कुलेशन प्लान रोड़ में आता था। इन क्षेत्रों को निकालकर वाणिज्यिक लाइसैंस के लिए निवल क्षेत्र 1.351 एकड़ रह गया। कालोनाइजर का यह मूल्यांकन किया गया था कि उसने दो एकड़ के न्यूनतम क्षेत्र की आवश्यकता पूरी कर ली है।

आगे, गुड़गांव-मानेसर 2021 की अंतिम विकास योजना के अनुसार, सड़कों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र निवल योजनागत क्षेत्र की तरफ गिना नहीं जाना था तथा फ्लोर एरिया रेशो (एफ.ए.आर.) की तरफ लाभ केवल सड़कों के अंतर्गत आने वाली भूमि के हस्तांतरण के लिए दिया जाना था। जबकि यह सिद्धान्त बारह[10] मामलों में लागू किया गया था, इन आवेदकों में से प्रत्येक के विरूद्ध दर्शाया गया निवल क्षेत्र, सैक्टर सड़कों, आदि के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को घटाने के बाद था, सड़कों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र सहित समस्त क्षेत्र मैसर्ज स्काईलाइट होसपिटेलिटी प्राईवेट लिमिटेड के संबंध में दर्शाया गया है। यह स्पष्ट नहीं था कि मैसर्ज स्काईलाइट होसपिटेलिटी प्राईवेट लिमिटेड के संबंध में ऐसी भिन्नता क्यों की गई थी।

(v) वित्तीय पर्याप्तता निर्धारण करने के लिए प्रक्रिया

विकासकों से लाइसैंस देने के लिए आवेदन की प्राप्ति पर, भू-स्वामित्व से संबंधित मामले, एक कालोनी को विकसित करने की क्षमता, कालोनी का ले-आऊट, आदि वाणिज्यिक कालोनी के लिए उपलब्ध क्षेत्र की प्रतिशतता, आवेदक की वरिष्ठता, आदि न.ग्रा.आ.वि. द्वारा निरीक्षित किए जाने थे। यह देखा गया था कि लाइसैंसों के लिए आवेदन करने वाली फर्मों की पूंजी पर्याप्तता तथा मजबूती को सुनिश्चित करने के लिए कोई विशिष्ट निर्धारित पैरामीटर नहीं थे।

सैक्टर 83, गुड़गांव के संबंध में मार्च 2008 में 9 फर्मों ने 14 कमर्शियल लाइसैंसों के लिए आवेदन किया था। न.ग्रा.आ.वि. द्वारा आवेदकों की वित्तीय क्षमता, कंपनी (3 मामले)[11] के तुलन पत्र के आधार पर, बैंक विवरणियों पर (1 मामला)[12], प्रमोटर की टर्नओवर पर (1 मामला)[13],

10 पिकाडली होटलस प्राईवेट लिमिटेड (लाईसैंस फाईल नं. 1260 और 1271), ए. एंड डी. इस्टेटस प्राईवेट लिमिटेड (लाईसैंस फाईल नं. 1220, 1220-ए, 1620, 1620-ए), उप्पल हाउसिंग प्राईवेट लिमिटेड (लाईसैंस फाईल नं. 1643), एस.वी. हाउसिंग प्राईवेट लिमिटेड (लाईसैंस फाईल नं. 1802), त्रिशूल इंडस्ट्रीज (लाईसैंस फाईल नं. 1841), मार्क बिल्डटैक प्राईवेट लिमिटेड (लाईसैंस फाईल नं. 1869), श्रीटम लैंड एंड हाऊसिंग प्राईवेट लिमिटेड (लाईसैंस फाईल नं. 1355-ए), और डी.एल.एफ. यूनिवर्सल लिमिटेड (लाईसैंस फाईल नं. 1708-बी)।

11 मैसर्ज पिकाडली होटलस प्राईवेट लिमिटेड (2 लाईसैंस), मैसर्ज मार्क बिल्डटैक प्राईवेट लिमिटेड (1 लाईसैंस)।

12 मैसर्ज श्रीटम लैंड एंड हाऊसिंग प्राईवेट लिमिटेड (1 लाईसैंस)।

13 त्रिशूल इंडस्ट्रीज (1 लाईसैंस)।

दूसरे लाईसैंसधारक (5 मामलों)[14] के संबद्ध/सहायक होने के आधार पर, पूर्व लाईसैंस (2 मामले)[15] पूर्व लाईसैंस के देने पर, और आवेदक फर्म के (1 मामला)[16] की बजाए अन्य कंपनी से वित्तीय और तकनीकी समर्थन के आश्वासन पर निर्धारित किया गया था। एक मामले[17] में यह उल्लेख किया गया था कि आवेदक ने केवल निदेशक के नाम को छोड़कर वित्तीय क्षमता के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है।

उपर्युक्त से यह देखा गया कि वित्तीय पर्याप्तता के निर्धारण के लिए कोई एक समान मापदंड/बैंचमार्क नहीं अपनाए गए थे, परिणामस्वरूप मूल्यांकन तदर्थ था तथा मामला-दर-मामला भिन्न था।

वित्तीय पर्याप्तता के निर्धारण में विशिष्ट मापदंड की कमी के कारण आंशिक रूप से 2 अप्रैल 2012 को जारी निर्देशों द्वारा विनिर्दिष्ट करते हुए संबोधित किए गए थे कि लाइसैंस के लिए आवेदन करते समय कंपनी (सहायक या अन्य) की प्रदत्त पूंजी जांच फीस जमा परिवर्तन प्रभार जमा लाइसैंस फीस का 25 प्रतिशत तथा अप्लाइड एरिया के आई.डी.सी. (अगले एक करोड़ के गुणक को पूर्ण करना) के समान होनी चाहिए। लागू लाइसैंस फीस की शेष 75 प्रतिशत राशि पूंजी के तौर पर, नियम 10 के अंतर्गत मांग-पत्र प्राप्त करने के बाद, लेकिन लाइसैंस जारी करने से पहले ली जा सकती है। एक ज्यादा व्यापक तथा सुदृढ़ यंत्रावली जहां पर लाईसैसियों की वित्तीय पर्याप्तता कंपनियों की विभिन्न वित्तीय विवरणियों के विश्लेषण द्वारा निर्धारित की जा सके, विकसित की जाने की आवश्यकता है।

(vi) सैक्टर 83 से संबंधित डाटा में असंगतियां तथा परिवर्तन

23 मई 2007 में दिए गए सैक्टर 83 के नक्शे के अनुमोदन के अनुसार, कुल सैक्टर एरिया 518.20 एकड़ था जिसमें से 126.80 एकड़ कमर्शियल बैल्ट के अंतर्गत था। 31 दिसंबर 2007 को अनुमोदित नक्शे के अनुसार कुल सैक्टर एरिया 511.45 एकड़ था जिसमें से 124.98 एकड़ कमर्शियल बैल्ट के अंतर्गत था। यह नक्शा 21 अक्तूबर 2008 को अनुमोदित नक्शे द्वारा हटा दिया गया था जिसमें कुल सैक्टर क्षेत्र 502.80 एकड़ दर्शाया गया था तथा वाणिज्यिक क्षेत्र के अंतर्गत 126.90 एकड़ था। मैसर्ज ए. एंड डी. इस्टेटस प्राईवेट लिमिटेड का आवेदन 31 दिसंबर 2007 को अनुमोदित नक्शे को प्रयोग करते हुए मूल्यांकित किया गया था। मैसर्ज स्काइलाईट होसपिटेलिटी प्राईवेट लिमिटेड के आवेदन का 21 अक्तूबर 2008 को अनुमोदित नक्शे का प्रयोग करके मूल्यांकन किया गया था जबकि उसका आवेदन 10 मार्च 2008 को प्राप्त हुआ था।

लेखापरीक्षा, अभिलेखों से कुल सैक्टर एरिया में 518.20 से 511.45 एकड़ की कमी को उचित सिद्ध करने हेतु कोई प्रमाण प्राप्त नहीं कर सका। जिला नगर योजनाकार, गुड़गांव ने निदेशक,

[14] मैसर्ज ए. एंड डी. इस्टेटस प्राइवेट लिमिटेड (5 लाईसैंस)।

[15] मैसर्ज डी.एल.एफ. रिटेल डिवेलपर्ज लिमिटेड के सहयोग के साथ मैसर्ज सनस्टार बिल्डर्ज प्राइवेट लिमिटेड एवं मैसर्ज विटनैस कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड (1 लाईसैंस), मैसर्ज उप्पल हाऊसिंग प्राईवेट लिमिटेड के सहयोग के साथ मैसर्ज बोटिल ऑयल टूल्स इंडियां प्राईवेट लिमिटेड (1 लाईसैंस)।

[16] एस.वी. हाऊसिंग प्राईवेट लिमिटेड (1 लाईसैंस)।

[17] मैसर्ज स्काईलाईट होसपिटेलिटी प्राईवेट लिमिटेड (1 लाईसैंस)।

न.ग्रा.आ.वि. को सूचित किया (4 जनवरी 2008) कि गांव शिकोहपुर तथा गांव लखनौला के राजस्व संपदा से गुजरते हुए एन.एच.-8 की सीध वास्तव में गलत थी तथा 81-83 के सैक्टोरल प्लान में सम्मिलित किए जाने हेतु प्रस्तावित किया गया था, जिसके कारण अक्तूबर 2008 में नक्शे में संशोधन करना पड़ा।

21 अक्तूबर 2008 को अनुमोदित सैक्टर 83, गुड़गांव के नक्शे से यह देखा गया कि यद्यपि कुल सैक्टर क्षेत्र 518.20 एकड़ से घटकर 502.80 एकड़ हो गया क्योंकि वाणिज्यक बैल्ट के अंतर्गत क्षेत्र पहले 126.80 एकड़ से घटकर 124.98 एकड़ हुआ और फिर 124.98 एकड़ से बढ़कर 126.90 एकड़ हो गया। आवेदनों के मूल्यांकन की प्रक्रिया के दौरान क्षेत्र के आंकड़ों में परिवर्तन, डाटा की विश्वसनीयता और प्रक्रिया में पारदर्शिता पर संदेह प्रकट करता है।

(vii) विकास योजना के प्रावधानों की व्याख्या

सैक्टर 83 गुड़गांव का कुल वाणिज्यिक क्षेत्र 126.80 एकड़ था, जिसमें से 63.40 एकड़ प्राइवेट विकासकों को दिया जाना था। 31 मार्च 2008 को, 14 आवेदन थे जिसमें से मैसर्ज स्काईलाईट होसपिटेलिटी प्राईवेट लिमिटेड क्र.सं. 14 पर थी।

अभिलेखों की जांच ने दर्शाया कि यदि मैसर्ज स्काईलाईट होसपिटेलिटी प्राईवेट लिमिटेड के आवेदन पर विचार किया जाना था तो 71.202 एकड़ का एक क्षेत्र वाणिज्य उद्देश्यों के लिए प्राइवेट विकासकों को दिया जा सकता था जो कि 63.40 एकड़ की अनुमत सीमा से 8.712 एकड़ आधिक्य में था।

मैसर्ज स्काईलाइट होसपिटेलिटी प्राईवेट लिमिटेड के मामले का मूल्यांकन करते हुए, डी.टी.पी. (मुख्यालय) ने बताया कि लाइसैंस पर विचार करने के लिए उपलब्ध क्षेत्र निर्धारित करने के लिए की जा रही गणनाओं द्वारा आवेदन पर विचार नहीं किया जा सकता था। यह तर्क दिया गया था कि 71.202 एकड़ के प्रयुक्त क्षेत्र में से 9,223 एकड़ हरित पट्टी के अधीन पड़ता है। यह क्षेत्र लाईसैंस प्रदान करने के लिए वाणिज्यिक क्षेत्र के प्रति शामिल नहीं किया गया था, इसलिए इस क्षेत्र को वाणिज्यिक क्षेत्र में गिना जाना अपेक्षित था जो कि तब 72.623[18] एकड़ बन जाएगा। इस पर आधारित, 2.701 एकड़ के लिए वाणिज्यिक लाईसैंस प्रदान करने के लिए मैसर्ज स्काइलाईट होसपिटेलिटी प्राईवेट लिमिटेड के आवेदन पर विचार किया गया था (मार्च 2008)। विभाग द्वारा आगे बताया गया कि यदि मैसर्ज स्काइलाईट होसपिटेलिटी प्राईवेट लिमिटेड का आवेदन इस तर्काधार पर ठीक समझा गया था तो यह सभी मामलों में लागू किया जाएगा। अत: मैसर्ज ए. एंड डी. इस्टेटस प्राईवेट लिमिटेड जिसने पहले आवेदन किया था, ने भी इस तर्काधार का लाभ प्राप्त किया था। इसके बाद, दो और फर्मों यानि मैसर्ज ओरिस इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड और मैसर्ज डी.एल.एफ. यूनिवर्सल लिमिटेड ने भी क्रमश: 22 सितंबर 2011 और 9 जनवरी 2012 को आवेदन किया। मैसर्ज डी.एल.एफ. यूनिवर्सल लिमिटेड को 6 सितंबर 2012 को लाइसैंस दिया गया, जबकि दूसरा आवेदन प्रक्रियाधीन था।

[18] 63.40 + 9.223 एकड़।

विकास योजना के अनुच्छेद-4 के अनुसार, हरित पट्टी और सैक्टर रोड के अधीन क्षेत्र शुद्ध योजनाबद्ध क्षेत्र के अधीन सम्मिलित नहीं किए जाएंगे। वाणिज्यिक क्षेत्र और आवासीय क्षेत्रों के अधीन क्षेत्र इस प्रकार आंतरिक सरकुलेटिंग सड़कों और सेवा सड़कों के अधीन क्षेत्र को सम्मिलित कर के थी। तथापि, न.ग्रा.आ.वि. ने, वाणिज्यिक क्षेत्र के अधीन पड़ने वाली शुद्ध क्षेत्र की गणना करते हुए, दोबारा 24 मीटर सरकुलेटिंग रोड और सर्विस रोड को जोड़ दिया। मैसर्ज स्काईलाइट होसपिटेलिटी प्राईवेट लिमिटेड के मामले पर विचार करते हुए आंतरिक सरकुलेटिंग रोड और हरित पट्टी के अधीन क्षेत्र को दोबारा सम्मिलित करने का निर्णय मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार नहीं था यद्यपि, 50 प्रतिशत की सीमा, गणना की पूर्व विधि के अनुसार पहले ही समाप्त हो चुकी थी। इस प्रकार, क्षेत्र उपलब्धता की गणना करने के लिए स्पष्ट निर्धारित कार्यविधि, स्पष्टता और निरंतरता के अभाव में विशेष आवेदकों को अनुचित लाभ देने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

(viii) चकबंदी बनाम शहरीकरण

पूर्वी पंजाब जोत-क्षेत्र (चकबंदी और विखंडन का निवारण) अधिनियम, 1948 की धारा 30 में अन्य बातों के साथ-साथ निर्धारित किया गया है कि चकबंदी कार्यवाही के लंबन के दौरान चकबंदी अधिकारी की स्वीकृति के बिना किसी भी भू-स्वामी या काश्तकार को, हस्तांतरण या अन्य प्रकार से अपने मूल जोत-क्षेत्र के किसी भाग के निपटान, जो किसी दूसरे भू-स्वामी के अधिकार को प्रभावित करता है, करने का अधिकार नहीं है।

शहरीकरण उद्देश्य हेतु नियंत्रण क्षेत्र के अंतर्गत गांवों को घोषित करते समय न.ग्रा.आ.वि. ने यह सुनिश्चित नहीं किया कि उक्त क्षेत्र की चकबंदी प्रगति में है।

गुड़गांव जिले के गांव शिकोहपुर के 2331 एकड़ क्षेत्र की चकबंदी अक्तूबर 1985 में अधिसूचित हुई थी। स्कीम 27 नवंबर 2004 को अंतिम रूप से प्रकाशित हुई। जब भूमि की चकबंदी प्रगति में थी, न.ग्रा.आ.वि. ने इस गांव को शहरीकरण योग्य क्षेत्र के भाग के रूप में अधिसूचित किया (5 फरवरी 2007)। इसके अनुसरण में, 14 मार्च 2008 को गांव शिकोहपुर की चकबंदी की अधिसूचना इस आधार पर वापस ले ली गई थी कि गांव चकबंदी के लिए अयोग्य था; ग्रामवासी सहयोग नहीं दे रहे थे क्योंकि गांव का अधिकतर क्षेत्र एन.सी.आर. के अंतर्गत आ चुका था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि क्षेत्र के चकबंदी के अधीन होने के बावजूद भी 2004 और 2008 के बीच गांव शिकोहपुर में विक्रय/स्थानान्तरण के लेन-देन जारी थे और कुल 1,117 इंतकाल संस्वीकृत किए गए थे।

चकबंदी विभाग द्वारा 2008 की सी.डब्ल्यू.पी. नं. 13,278 के द्वारा माननीय न्यायालय में दायर एक शपथ-पत्र के आधार पर, गांव शिकोहपुर को चकबंदी हेतु पुन: अधिसूचित किया गया (अगस्त 2011)। यह देखा गया कि चकबंदी विभाग द्वारा न्यायालय को कभी भी इस तथ्य से सूचित नहीं किया गया कि फरवरी 2007 में न.ग्रा.आ.वि. द्वारा प्रकाशित विकास योजना 2021 के अनुसार गांव शिकोहपुर में पड़ने वाली कुल 2,333 एकड़ भूमि में से, 1,954 एकड़ भूमि शहरीकृत घोषित हो चुकी थी। आगे, यह भी देखा गया था कि भूमि का लेन-देन जारी था क्योंकि गांव शिकोहपुर में 2011 और अक्तूबर 2012 के बीच 132 विक्रय-पत्र और 359 इंतकाल संस्वीकृत किए गए थे।

यह देखा गया कि जब चकबंदी का कार्य प्रगति में था तब मैसर्ज स्काईलाइट होसपिटेलिटी प्राईवेट लिमिटेड द्वारा भूमि क्रय की गई थी (12 फरवरी 2008) और अगस्त 2011 में जब पुनः अधिसूचित हुई, बेच दी गई थी (18 सितंबर 2012)।

महानिदेशक, चकबंदी विभाग के निर्णयानुसार मैसर्ज स्काईलाइट होसपिटेलिटी प्राईवेट लिमिटेड और मैसर्ज डी.एल.एफ. यूनिवर्सल लिमिटेड के बीच भूमि के लेन–देन के इंतकाल को निरस्त कर दिया गया था (15 अक्तूबर 2012) क्योंकि अधिनियम, की धारा 30 के अंतर्गत चकबंदी अधिकारी की अनुमति नहीं ली गई थी (15 अक्तूबर 2012)। तथापि, निरस्तीकरण के आदेशों की जांच के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित तीन सदस्यीय समिति द्वारा प्रस्तुत (दिसंबर 2012) रिपोर्ट के अनुसरण में, इंतकाल के निरस्तीकरण आदेश को क्रियान्वित नहीं किया गया था।

आगे, न.ग्रा.आ.वि. मैसर्ज स्काईलाइट होसपिटेलिटी प्राईवेट लिमिटेड की लाइसैंसड भूमि के स्वामित्व की स्थिति की पुष्टि करने के लिए महानिदेशक, चकबंदी को लिख चुके थे (फरवरी 2014) ताकि विभाग लाइसैंस के नवीकरण करने में सक्षम हो। लेखापरीक्षा द्वारा मामला चकबंदी विभाग और न.ग्रा.आ.वि. के साथ तथ्यों के पुष्टिकरण/स्पष्टीकरण और उनकी अभ्युक्तियों को प्राप्त करने के लिए उठाया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था।

उपर्युक्त से यह देखा जाएगा कि भू–उपयोग के मामले में न.ग्रा.आ.वि. और चकबंदी विभाग के बीच असमाधानित मामले थे। इन मामलों का समाधान किए जाने की आवश्यकता है।

(ix) भूमि की बिक्री पर लाभ

कालोनियों[19] के विकास के लिए विकासकों को लाईसैंस दिए जाते हैं। वाणिज्यिक कालोनी को स्थापित करने के लिए लाईसैंस प्रदान करने के पश्चात् भूमि की कीमत में निरपवाद रूप में वृद्धि होती है। हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास एवं विनियमन नियम, 1976 (उस समय के विद्यमान प्रावधान) का नियम 3 अन्य बातों के साथ–साथ निर्धारित करता है कि भू–स्वामी द्वारा लाईसैंस के लिए आवेदन किया जा सकता है। हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास एवं विनियमन नियम, 1976 (उस समय के विद्यमान प्रावधान) के नियम 17 के अनुसार, निदेशक के पूर्व अनुमोदन के बिना नियम 12 के अंतर्गत दिए गए लाईसैंस को कोई भी कालोनाइजर किसी दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं करेगा।

द्विपक्षीय अनुबंध के अनुसार, फर्मो को, भूमि पर वाणिज्यिक कालोनियों को स्थापित करना और सांविधिक करों के प्रावधान करने के पश्चात् कुल परियोजना लागत का 15 प्रतिशत निवल लाभ प्राप्त करना अपेक्षित था और 15 प्रतिशत से अधिक निवल लाभ परियोजना अवधि के पूर्ण होने के दो मास के भीतर सरकार के पास जमा करवाया जाना था। फर्मों द्वारा, चार्टर्ड अकाऊंटेंट से परियोजना के अंतिम रूप से पूर्ण होने के तीस दिनों के अंदर निदेशक को एक प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जाना भी अपेक्षित था कि समग्र निवल लाभ (करों के भुगतान के लिए प्रावधान करने के

[19] हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास एवं विनियमन अधिनियम, 1975 (उस समय के विद्यमान प्रावधान) की धारा 2 के अनुसार 'कालोनी' का अर्थ, भूमि के उस क्षेत्र से है जो आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक, साईबर सिटी या साईबर पार्क उद्देश्यों के लिए या ग्रुप हाऊसिंग के रूप में फ्लैटों के निर्माण के लिए या एकीकृत वाणिज्यिक परिसरों के निर्माण के लिए प्लाटों या फ्लैटों में विभाजित किया गया या विभाजित किए जाने के लिए प्रस्तावित किया गया हो।

पश्चात्) स्कीम की कुल परियोजना लागत के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं हुए हैं। इस प्रकार, अनुबंध के अनुसार, पूर्ण की गई परियोजनाओं की कुल लागत का 15 प्रतिशत से अधिक निवल लाभ सरकार के पास जमा करवाया जाना है। सामंजस्य बनाए रखने के लिए, परियोजना पूर्ण किए बिना विकासकों द्वारा भूमि की बिक्री के मामले में भी यह लागू किया जाना चाहिए था।

पांच[20] लाइसैंसधारियों ने ₹ 267.47 करोड़ में भूमि बेच दी जोकि उन्होंने ₹ 52.26 करोड़ में खरीदी थी और ऐसे लेन-देनों में ₹ 215.21 करोड़ का लाभ अर्जित किया ***(परिशिष्ट 2.11)***, जबकि सरकार निवल लाभ के अपने हिस्से से वंचित रही थी। दो मामलों (मैसर्ज सन स्टार बिल्डर्ज प्राईवेट लिमिटेड और मैसर्ज विटनेस कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड; तथा मैसर्ज बोटिल ऑयल टूल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जोकि पहले मैसर्ज बेकर ऑयल टूल्स (भारत) प्राइवेट लिमिटेड के नाम से प्रचलित था) में लाईसैंसों की प्रदानगी के कुछ माह के भीतर उनके सहयोगी/विकासक को भूमि की मूल लागत से क्रमश: 303 गुणा तथा 880 गुणा पर भूमि बेच दी थी। मैसर्ज उप्पल हाउसिंग प्राईवेट लिमिटेड ने मार्च 2013 में अपनी सबसिडियरी कंपनी मैसर्ज सौम्य रियलटेक प्राईवेट लिमिटेड को ₹ 69.50 करोड़ में भूमि बेच दी। मैसर्ज स्काईलाइट होसपिटेलिटी प्राईवेट लिमिटेड के मामले में लाईसैंस के हस्तांतरण के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किए जाने (अप्रैल 2012) के बाद भूमि को मूल लागत के 7.73 गुणा पर इसके सहयोगी (मैसर्ज डी.एल.एफ. यूनिवर्सल लिमिटेड) को बेच दिया गया था।

इस प्रकार, विभाग ने लाइसैंसों के हस्तांतरण के लिए न तो सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करते समय और न ही औपचारिक अनुमोदन प्रदान करते समय यह सुनिश्चित किया कि कुल लागत का 15 प्रतिशत से अधिक निवल लाभ राजकोष को उपार्जित होता है। इसने विकासकों को केवल भूमि बेचकर अत्यधिक लाभ अर्जित करने हेतु समर्थ बना दिया जबकि सरकार को बड़ी राशि छोड़नी पड़ी थी।

उपर्युक्त टिप्पणियों के दृष्टिगत, लेखापरीक्षा सिफारिश करता है कि वाणिज्यिक कालोनियों को विकसित करने के लिए आवेदनों के लेने हेतु विधियां, क्षेत्र के मानकों को निश्चित करने हेतु मानदंड, परियोजनाओं को पूर्ण करने हेतु समय सीमा, आदि को स्पष्ट रूप से बताए जाने की आवश्यकता है। समस्त प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और स्पष्ट बनाने की अति आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, लाईसैंस आवेदनों को ध्यानपूर्वक और उचित जांच के पश्चात् सच्चे विकासकों को दिए जाने चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए एक उचित यंत्रावली स्थापित किए जाने की आवश्यकता है कि उन मामलों में, जहां भूमि, परियोजना की पूर्णता के बिना बेची गई है, ऐसी बिक्री पर कुल लागत का 15 प्रतिशत से अधिक निवल लाभ सरकार के पास जमा किया जाना चाहिए।

[20] (i) मैसर्ज स्काईलाइट होसपिटेलिटी प्राईवेट लिमिटेड, (ii) मैसर्ज सन स्टार बिल्डर्ज प्राईवेट लिमिटेड तथा मैसर्ज विटनेस कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड, (iii) मैसर्ज बोटिल ऑयल टूल्ज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, (iv) मैसर्ज उप्पल हाउसिंग प्राईवेट लिमिटेड और (v) मैसर्ज मार्क बिल्डटैक प्राईवेट लिमिटेड।

कालोनाईजरों से संबंधित अन्य मामले

225[21] लाईसैंस फाइलों की जांच ने निम्नानुसार प्रकट किया:

2.3.10.2 कालोनाईजरों पर अपर्याप्त नियंत्रण

सैक्टर - 103 गुड़गांव में 11.70 एकड़ भूमि पर ग्रुप हाउसिंग कालोनी विकसित करने के लिए मैसर्ज आइडेन्टिटी बिल्डटैक प्राइवेट लिमिटेड को एक लाईसैंस (नं. 32) दिया गया था (अप्रैल 2012)। लाईसैंस की शर्तों के अनुसार, बिल्डिंग प्लान के अनुमोदन से पहले प्लाटों/फ्लैटों की बिक्री हेतु विज्ञापन नहीं दिया जाना था। डी.जी., न.ग्रा.आ.वि. ने राज्य के सभी टाउन प्लानरों को अनुदेश जारी किए (मई 2011) कि लाईसैंसधारी आवासीय, वाणिज्यिक औद्योगिक और आई.टी. कालोनियों में प्लाटों/फ्लैटों की बिक्री के संबंध में विज्ञापनों की जांच करें कि क्या वे विभाग के अनुदेशों के अनुसार जारी किए गए थे। यह भी उल्लेख किया गया था कि यदि कोई विज्ञापन विभाग के अनुदेशों के उल्लंघन में जारी किया गया था तब ऐसे दोषी कालोनाईजरों के प्रकरण को उनके लाईसैंसों के संचालन को स्थगित करने हेतु कार्यवाही करने के लिए, विभाग के ध्यान में लाया जाए। कालोनाइजर ने अप्रैल 2012 में परियोजना पहले ही प्रारंभ कर दी और ₹ 55 करोड़ एकत्रित करके लगभग 400 ग्राहकों से फ्लैटों की बुकिंग हेतु रसीदें जारी की, यद्यपि, बिल्डिंग प्लान अप्रैल 2013 में अनुमोदित किए गए थे। आइडेन्टिटी बिल्ड-टैक प्राइवेट लिमिटेड को 100 प्रतिशत हिस्सेदारी के क्रय हेतु, इरा लैंड माकर्स लिमिटेड, आइडेन्टिटी बिल्ड-टैक प्राईवेट लिमिटेड और अंसल हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड के बीच हिस्सा क्रय अनुबंध 18 दिसंबर 2012 को निष्पादित किया गया था। आइडेन्टिटी बिल्ड-टैक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा यह नहीं बताया गया था कि उसने संभाव्य ग्राहकों से ₹ 55 करोड़ एकत्रित किए थे। न तो राशि वापस की गई थी और न ही संभाव्य ग्राहकों को फ्लैट/प्लाट दिए गए थे।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि यद्यपि, जिला शहरी योजनाकार को लाईसैंस दी गई कालोनियों में प्लाटों/फ्लैटों की बिक्री के संबंध में विज्ञापन की जांच नियमित रूप से की जानी अपेक्षित थी फिर भी डी.टी.पी. ने अप्रैल 2012 में कालोनाईजर द्वारा दिए गए विज्ञापन का कोई संज्ञान नहीं लिया था।

विभाग ने बताया (जनवरी 2015) कि किसी भी समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन विभाग के ध्यान में नहीं आया था जिस पर डी.टी.पी. (प्रवर्तन), गुड़गांव कालोनाईजर के विरूद्ध कार्यवाही कर सके। अ.मु.स., न.ग्रा.आ.वि. 4 जुलाई 2014 के टाईम्स आफ इंडिया में आई समाचार मद का संज्ञान, कालोनाईजर के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु अपने आप ले चुके थे। यह भी बताया गया था कि डी.जी., न.ग्रा.आ.वि. के मई 2011 में जारी अनुदेश परियोजना के पूर्व प्रारंभ करने या लाइसैंस की शर्तों एवं विशर्तों के उल्लंघन करने से संबंधित नहीं थे। उत्तर विश्वासोत्पादक नहीं था क्योंकि मई 2011 के म.नि., न.ग्रा.आ.वि. के अनुदेशों में स्पष्ट रूप से बताया गया था कि कालोनाइजर द्वारा दिए गए ऐसे विज्ञापनों की जांच पर निगरानी नियमित रूप से रखनी चाहिए और यदि ये विभाग के

[21] 2006 - 07: 39, 2007 - 08: 39, 2008 - 09: 28, 2009 - 10: 24, 2010 - 11: 21, 2011 - 12: 21, 2012 - 13: 30 और 2013 - 14: 23

अनुदेशों के अनुसार जारी नहीं किए गए थे तब ऐसे दोषी कालोनाइजरों की रिपोर्ट, उनके लाईसैंसों के संचालन को स्थगित करने की कार्यवाही शुरू करने हेतु, मुख्यालय को भेजी जाए। इस प्रकार, अप्रैल 2012 के विज्ञापन सहित ऐसे विज्ञापनों की मानीटरिंग और उन पर उचित कार्यवाही करने का उत्तरदायित्व विभाग का था।

आगे, यह बताया गया कि आपराधिक कार्रवाई आरंभ की जा चुकी थी और कालोनाईजर ने सूचित किया था कि वे आबंटियों को प्लाट प्रदान कर रहे थे या जो धन वापसी की मांग कर रहे थे उन्हें राशि वापस की जा रही थी।

लेखापरीक्षा का मत है कि ऐसी अनियमितताओं, जैसे बिल्डिंग प्लान के अनुमोदन के बिना विक्रय के लिए विज्ञापन करना और विभाग की अनुमति के बिना लाईसैंसी कंपनी की हिस्साधारी को अन्य कंपनियों के पक्ष में हस्तांतरण करने, जैसा कि नियमों में प्रावधान किया गया था, की घटना से बचने के लिए अधिक प्रभावी प्रणाली अपनानी चाहिए।

एग्जिट कांफ्रैंस के दौरान, म.नि., न.ग्रा.आ.वि. ने बताया कि शेयर होल्डिंग पैटर्न, अधिकारों का हस्तांतरण, विकासकों में परिवर्तन, इत्यादि से संबंधित मामला महत्वपूर्ण था। उसने बताया कि इस संबंध में विभाग एक नीति को अंतिम रूप दे चुका था जो उनकी वेबसाइट पर भी डाल दी जाएगी।

2.3.10.3 अधिगृहीत भूमि पर आवासीय कालोनी विकसित करने के लिए अनुमति प्रदान करना

हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास एवं नियमन अधिनियम, 1975 के प्रावधानानुसार उस भू-स्वामी के नाम भूमि का स्वामित्व स्पष्ट होना चाहिए जो उस भूमि पर कालोनी स्थापित करने के लिए इच्छुक है।

गांव बोहर, सैक्टर-33 एवं 33-ए रोहतक में 118.188 एकड़ भूमि पर एक ग्रुप आवासीय कालोनी विकसित करने के लिए मैसर्ज पार्श्वनाथ डिवलपर्ज लिमिटेड ने लाईसैंस हेतु आवेदन किया (मई 2007) और मई 2010 में लाईसैंस प्रदान किया गया जो कि मई 2014 तक वैध था। इसमें से 14.15 एकड़ भूमि मैसर्ज पार्श्वनाथ डिवलपर्ज लिमिटेड को लाईसैंस जारी करने से पहले, जुलाई-अगस्त 2009 में घोषित अवार्ड सं. 4, एवं 5 के द्वारा औद्योगिक माडल टाउन (औ.मा.टा.) स्थापित करने हेतु सरकार द्वारा पहले ही अधिग्रहण की जा चुकी थी और इस भूमि का कब्जा अवार्ड घोषित होने की तिथि को हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम (ह.रा.औ.वि.नि.) को हस्तांतरित किया गया था।

विभाग भूमि के स्वामित्व को सुनिश्चित नहीं कर सका और उस भूमि, जो ह.रा.औ.वि.नि. के कब्जे में थी, के लिए भी लाईसैंस जारी कर दिया जिससे मैसर्ज पार्श्वनाथ डिवलपर्ज लिमिटेड की विकास गतिविधियां रूक गई। भूमि अविकसित रही क्योंकि न तो डिवलपर और न ही ह.रा.औ.वि.नि. भूमि को विकसित करने की स्थिति में था।

एग्जिट कांफ्रैंस के दौरान, म.नि., न.ग्रा.आ.वि. लेखापरीक्षा आपत्ति से सहमत था और बताया कि ह.रा.औ.वि.नि. के कब्जे के अधीन 14.15 एकड़ भूमि का लाईसैंस रद्द कर दिया था।

2.3.10.4 बैंक गारंटियों का पुनर्वैध न करना

हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास एवं नियमन नियम, 1976 का नियम 11 प्रावधान करता है कि कालोनाइजरों को विकास कार्यों की अनुमानित लागत के 25 प्रतिशत के बराबर बैंक गारंटियां प्रस्तुत करनी अपेक्षित हैं। कालोनाईजरों द्वारा किसी अनुबंध की उल्लंघना पर डी.जी. उनको प्रदान किए गए लाईसैंसों को रद्द कर सकता है और उस अवस्था में बैंक गारंटियों को जब्त करना अपेक्षित है।

न.ग्रा.आ.वि. के निदेशालय में बैंक गारंटी रजिस्टरों की लेखापरीक्षा जांच ने दर्शाया कि ₹ 10.54 करोड़ की नौ बैंक गारंटियों की वैधता अवधि यद्यपि दिसंबर 2009 और जून 2014 के बीच समाप्त हो चुकी थी, को कालोनाइजरों से पुनर्वैध नहीं करवाया गया था (जुलाई 2014) क्योंकि बैंक गारंटियों की पुनवैधता पर निगरानी रखने की प्रणाली विद्यमान नहीं थी।

विभाग ने बताया (जनवरी 2015) कि संबंधित कालोनाईजरों को बैंक गारंटियों की पुनर्वैधता हेतु नोटिस जारी कर दिए गए थे और अंसल प्रोपर्टीज, गुड़गांव द्वारा अक्तूबर 2014 मे ₹ 73.59 लाख की ताजा बैंक गारंटियां प्रस्तुत की जा चुकी थी। आगे, यह भी बताया गया कि मैसर्ज सनो टैम्प इंजिनियरिंग कंपनी का लाईसैंस, बैंक गारंटी के पुनर्वैध न करवाने के कारण, 6 फरवरी, 2013 को निरस्त किया जा चुका था।

उत्तर विश्वासोत्पादक नहीं था क्योंकि बैंक गारंटियां लेने का पूर्ण उद्देश्य सरकार के वित्तीय हित की रक्षा करना था और उन्हें किसी भी शर्तों एवं विशर्तों की उल्लंघना, जिसके लिए बैंक गारंटी प्राप्त की थी, के प्रकरण में भुनाया जाना चाहिए था। वर्तमान प्रकरण में, बैंक गारंटी कंपनी के माध्यम से भुनाई नहीं गई थी। बार-बार अनुस्मारक पत्रों के बावजूद ई.डी.सी./आई.डी.सी. जमा नहीं करवाई गई थी और यद्यपि कंपनी का लाईसैंस 24 जनवरी 2010 को समाप्त हो चुका था, बी.जीस की वैधता 25 जून 2010 तक दावा अवधि के साथ 25 दिसंबर 2009 तक थी। यदि विभाग, बैंक गारंटी को भुना कर उचित कार्यवाही करता, तो ₹ 4.60 करोड़ उगाहे जा सकते थे। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा का मत है कि बैंक गारंटियों की वैधता पर निगरानी रखने के लिए उचित विधि बनाई जानी चाहिए।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, अ.मु.स. ने बताया कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करेंगे कि पुनर्वैधता वास्तविक समय आधार पर की जाती है।

2.3.10.5 निम्न लागत/वहन करने योग्य आवासीय कालोनियों का पूर्ण न होना

हरियाणा सरकार ने निम्न एवं मध्यम आय वर्ग के लोगों के वहन करने योग्य निवास इकाइयां प्रदान करने की एक नीति बनाई (मई 2009)। नीति (अगस्त 2009 में संशोधित) के अनुसार, विकासक/लाईसैंसी को लाईसैंस प्रदान करने के पश्चात बिल्डिंग प्लान के अनुमोदन हेतु अधिकतम छः माह का समय दिया जाएगा, जिसमें विफल हो जाने पर लाईसैंस निरस्त कर दिया जाएगा और लाईसैंस फीस जब्त कर ली जाएगी। आगे, इस स्कीम के अंतर्गत लाईसैंस, परियोजना को पूर्ण करने हेतु, अधिकतम तीन वर्ष के लिए दिया जाएगा और योग्य आवेदकों को इकाइयों का कब्जा दिया जाएगा। पांच प्रतिशत की दर से बाह्य विकास प्रभारों के दंडित भुगतान की शर्त के साथ अवधि अधिकतम एक वर्ष के लिए विस्तारणीय थी।

मैसर्ज डी.एल.एफ.एस.ई.जेड होल्डिंग लिमिटेड, गुड़गांव को राजस्व संपदा, गांव हयातपुर, सैक्टर-93, गुड़गांव के अंतर्गत 10.056 एकड़ क्षेत्र के लिए निम्न लागत/वहन करने योग्य आवासीय परियोजनाओं के निर्माण हेतु अक्तूबर 2010 में लाईसैंस नं. 83 जारी किया गया था। यह देखा गया कि डिवलैपर ने लाईसैंस प्रदान करने के छ: माह के भीतर न बिल्डिंग प्लान अनुमोदित करवाई थी और न ही कार्य प्रारंभ किया था (जुलाई 2014) लेकिन विभाग ने लाईसैंस निरस्त नहीं किया था और न ही अब तक लाईसैंस फीस की राशि जब्त की थी।

विभाग ने बताया (जनवरी 2015) कि उसने कालोनाईजर के अनुरोध पर लाईसैंस को वापस करने की कार्यवाही शुरू कर दी थी और लाईसैंस वापस करने के पश्चात परिवर्तन प्रभारों सहित लाईसैंस फीस, आई.डी.सी. (ब्याज सहित) और ई.डी.सी. पर ब्याज को जब्त कर लिया जाएगा।

2.3.10.6 लाईसैंसों का नवीकरण न करना

हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास एवं नियमन नियम, 1976 का नियम 13 कालोनियों में विकास कार्यों को पूर्ण करने में कालोनाइजर के विफल हो जाने की स्थिति में, लाईसैंस का नवीकरण करवाने का प्रावधान करता है। कालोनाइजर को लाईसैंस जारी करने के लिए निर्धारित फीस के 10 प्रतिशत की दर से, जहां पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया गया था और निर्धारित फीस के 2.5 प्रतिशत की दर से जहां आंशिक पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया गया था, के प्रकरण में नवीकरण फीस के साथ नवीकरण हेतु आवेदन करना अपेक्षित है।

31 मार्च 2001 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (सिविल) हरियाणा सरकार, के पैरा 3.16 (v) में ''लाईसैंसों का नवीकरण न करना'' के संबंध में उल्लेख किया गया था। इस प्रकार की अनियमितता को 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (सिविल)-हरियाणा सरकार के पैरा सं. 4.3.10 (क) के द्वारा भी इंगित किया गया था। लोक लेखा समिति ने मार्च 2007 में पैरा परिचर्चित करते समय अनुशंसा की कि विभाग को, लाईसैंस के नवीकरण की तिथि को जानने और इसके लिए वसूल की जाने वाली राशि के लिए, अपनी प्रभावी एवं तीव्रगामी प्रणाली तैयार करनी चाहिए।

लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि गुड़गांव, फरीदाबाद, झज्जर, सोनीपत, पानीपत और कैथल में 20 कालोनाइजरों के लाईसैंस दिसंबर 2006 और मार्च 2014 के बीच नवीरकण नहीं किए गए थे यद्यपि, कालोनियों के लिए विकास कार्य[22] अधूरे थे। नवीकरण में विलंब 1 से 5 वर्षों के बीच था। इन लाईसैंसों के नवीकरण न करने के कारण ₹ 19.28 करोड़ राशि की नवीकरण फीस की वसूली नहीं हुई।

विभाग ने बताया (जनवरी 2015) कि 13 कालोनाइजरों ने ₹ 6.62 करोड़ राशि की लाईसैंस नवीकरण फीस जमा करवाई थी और शेष प्रकरणों में नोटिस जारी किए जा चुके थे और लाईसैंस

[22] आंतरिक विकास कार्य-सड़कों की मैटलिंग करना और फुटपाथ तैयार करना, खुले स्थानों पर तृणभूमि एवं वृक्षों सहित पौधारोपण, स्ट्रीट लाईटिंग, पर्याप्त एवं स्वास्थ्यकर जलापूर्ति, मल-निकास एवं ड्रेनज।

बाह्य विकास कार्य-जलापूर्ति, मल-निकास ड्रेन, मल एवं वर्षा पानी, सड़कें, बिजली कार्य, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं निपटान, बूचड़खाने, महाविद्यालय, हस्पताल, स्टेडियम/खेल परिसर, अग्निशमन केंद्र, ग्रिड सब स्टेशन आदि।

को निरस्त करने के लिए कार्यवाही शुरू की जा चुकी थी। आगे, लेखापरीक्षा संवीक्षा ने प्रकट किया कि यद्यपि, लाईसैंस नवीकरण फीस जमा करवाई जा चुकी थी, उनके नवीकरण के औपचारिक आदेश जारी नहीं किए गए थे। तथापि, विभाग ने लाईसैंसों की नवीकरण तिथि के बारे में निगरानी रखने और इससे वसूल की जाने वाली राशि के लिए, मार्च 2007 में पी.ए.सी. की सिफारिशों के अनुसार, प्रणाली तैयार नहीं की थी।

2.3.10.7 नवीकरण लाईसैंस फीस की कम वसूली

दिनांक 6 अगस्त 2013 की अधिसूचना के द्वारा लाईसैंस फीस की दरें संशोधित की गई थी और संशोधित दरें 1 जून 2012 से लागू थी। अभिलेखों की जांच ने दर्शाया कि पांच विकासकों के छः प्रकरणों में नवीकरण फीस पूर्व संशोधित दरों से प्रभारित की गई जिसके परिणामस्वरूप ₹ 44.41 लाख राशि की नवीकरण फीस कम प्रभारित हुई।

एग्जिट कांफ्रैंस के दौरान, अ.मु.स. ने बताया कि ब्याज सहित पूरी वसूली की जा चुकी है। लेखापरीक्षा का मत है कि सही राशि की वसूली को सुनिश्चित करने हेतु लाईसैंस फीस के नवीकरण के समस्त प्रकरणों की पुनः जांच विभाग द्वारा की जानी चाहिए।

2.3.10.8 बिल्डिंग प्लानों का अनुमोदन न होना

सुव्यवस्थित, प्रभावी एवं तीव्र विधि में शहरी सैक्टर के विकास के नियमन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास एवं नियमन अधिनियम, 1975 प्रावधान करता है कि मूल सुविधाएं जैसे सीवर, सड़कें, जलापूर्ति, बिजली, लाईसैंस में विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुसार, दो या चार वर्षों के भीतर प्रदान करनी चाहिए।

अभिलेखों की जांच ने दर्शाया कि सात प्रकरणों में, लाईसैंस जारी करने के छः से सात वर्षों के पश्चात भी बिल्डिंग प्लान अनुमोदित नहीं किए गए थे यद्यपि, बिल्डिंग प्लान विभाग से तीन माह के भीतर अनुमोदित करवाए जाने अपेक्षित थे। आगे, यह भी देखा गया था कि कालोनाईजरों ने सेवा प्लान/अनुमान एवं क्षेत्रीय प्लान भी तैयार नहीं किए थे। यह दर्शाता है कि प्राईवेट कालोनाइजरों द्वारा परियोजनाओं की समय पर पूर्णता पर निगरानी रखने के लिए विभाग द्वारा उचित नियंत्रण यंत्रावली नहीं बनाई गई थी।

विभाग ने बताया (जनवरी 2015) कि पांच प्रकरणों में लाईसैसियों के विरूद्ध लंबित देयों के कारण बिल्डिंग प्लान अनुमोदित नहीं किए गए थे, एक प्रकरण में न्यायिक मामला लंबित था और एक प्रकरण में लाईसैंस निरस्त करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन थी। तथ्य यही है कि शहरी क्षेत्र में विकास गतिविधियां विलंबित हो रही थी और इस विलंब के मामलों का विभाग द्वारा समाधान किए जाने की आवश्यकता है।

2.3.10.9 परियोजनाओं को समस्त रूप में पूर्ण किए जाने के लिए समय – सारणी

हरियाणा विकास एवं नियमन शहरी क्षेत्र नियम, 1976 का नियम 12 प्रावधान करता है कि कालोनियों में विकास कार्य दो वर्षों के अंदर पूर्ण किए जाने चाहिए और न.ग्रा.आ.वि. से

नियम 16 के अंतर्गत पूर्ण करने का एक प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाये। तथापि, परियोजनाओं के समस्त रूप में पूर्ण करने और रख-रखाव के लिए सरकार को सौंपने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

लेखापरीक्षा ने, 31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए, सामाजिक, सामान्य तथा आर्थिक क्षेत्र (गैर-सा.क्षे.उ.) के प्रतिवेदन में अनुच्छेद 4.3.10 (ग) द्वारा विकास कार्यों के पूर्ण न होने के बारे अभ्युक्ति की थी। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बावजूद, परियोजनाओं को समस्त रूप में पूर्ण करने के लिए अभी तक नियमों में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई। विकासक, नियमों में इस कमी का लाभ उठा रहे थे और परियोजनाओं के पूर्ण होने से संबंधित अपने दायित्वों को समय सीमा के अनुसार नहीं निभा रहे थे।

2.3.10.10 लेखा विवरणियों का प्रस्तुत न करना

नियम 27 तत्रैव आगे प्रावधान करता है कि कालोनाइजर लेखा संख्या और अनुसूचित बैंक के पूरे विवरण सूचित करेगा जहां कि कालोनी में आंतरिक विकास कार्यों को पूरा करने के लिए प्लाट धारकों से उसके द्वारा वसूल की गई राशि का तीस प्रतिशत जमा किया गया था। इसके अतिरिक्त, नियम 28 के अनुसार, कालोनाइजर प्रत्येक मास के पांचवें दिन फार्म ए.सी. में, उसके द्वारा प्रत्येक प्लाट धारकों से वसूल की गई राशि और पिछले मास के दौरान उसके द्वारा अनुसूचित बैंक में जमा की गई राशि, सूचित करेगा।

कालोनाइजरस की लाइसैंस फाइलों की जांच ने दर्शाया कि नियम 27 तत्रैव की अनुपालना में सात मामलों में लाईसैंसधारकों ने प्लाट धारकों से वसूल की गई (₹ 81.85 करोड़) 30 प्रतिशत राशि अलग बैंक लेखाओं में जमा नहीं कराई। यह देखा गया था कि ऊपर उल्लिखित नियमों की पालना न करने के लिए संबंधित कालोनाइजरों के विरूद्ध विभाग ने कोई कार्यवाही नहीं की थी। इस प्रकार, कालोनाइजरों द्वारा आंतरिक विकास कार्यों पर निधियों का उपयोजन सुनिश्चित करने के लिए विभाग इस पहलू को मानीटर नहीं कर रहे थे।

विभाग ने बताया (जनवरी 2015) कि कालोनाइजरों ने अलग-अलग बैंक खाताओं में अपने खाते खोले हैं परंतु प्लाट/फ्लैट धारकों से एकत्रित राशि नामित लेखा में जमा नहीं की तथापि, चाटर्ड अकाउंटैंट द्वारा प्रमाणित लेखा विवरणों से स्थापित हो गया है कि आंतरिक विकास कार्यों (आ.वि.का.) पर 30 प्रतिशत से अधिक व्यय किया गया था। तथ्य यही है कि निर्धारित प्रक्रिया से विपथन था। इसके आगे, लेखापरीक्षा द्वारा सूचीबद्ध सात मामलों के अतिरिक्त, विभाग को, प्लाट धारकों से वसूल की गई 30 प्रतिशत राशि अलग बैंक खातों में जमा करने की शर्त की पालना न करने की संभावना से बचने के लिए, इस प्रकार के मामलों की जांच करनी चाहिए।

एग्जिट कांफ्रैंस के दौरान, अ.मु.स. ने प्रक्रिया से विपथन की लेखापरीक्षा की चिंता को नोट किया और बताया कि वे, यह सुनिश्चित करने के लिए, कि प्लाट प्रयोक्ताओं से वसूल किया गया पैसा आंतरिक विकास कार्यों की दिशा में खर्च किया गया था, आवश्यक कदम उठायेंगे।

2.3.10.11 ई.डी.सी./आई.डी.सी. की अवसूली

हरियाणा शहरी क्षेत्र अधिनियम, 1975 के अनुभाग 3 (3) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के नियम 11 (ग) के अनुसार, आवेदक आनुपातिक ई.डी.सी.एस. अदा करने की जिम्मेवारी लेगा। प्रभार, लाइसैंस के देने की तिथि से तीस दिन के अंदर या ब्याज के साथ आठ समान तिमाही किश्तों में अदा किया जाना चाहिए। अधिनियम का अनुभाग-3-क आगे प्रावधान करता है कि कोई भी कालोनाइजर जिसे लाइसैंस दिया गया है, इन्फ्रास्ट्रक्चर डिवलपमैंट चार्ज (आई.डी.सी.) दो समान किश्तों में जमा करेगा। प्रथम किश्त लाइसैंस देने की तिथि से 60 दिनों के अंदर और दूसरी किश्त छः मास के अंदर जमा की जाएगी।

अभिलेखों की जांच ने दर्शाया कि सात मामलों में ई.डी.सी. और आई.डी.सी. के कारण ₹ 373.86 करोड़ की राशि तीन से छः वर्षों से वसूली के लिए लंबित पड़ी थी।

विभाग ने बताया (जनवरी 2015) कि ई.डी.सी./आई.डी.सी. की अदायगी के लिए कालोनाइजरों को नोटिस जारी किए गए थे और बैंक गारंटियों के रद्द/लाइसैंस धारकों को निरस्त करने के लिए कार्यवाही आरंभ की गई थी।

2.3.11 आंतरिक नियंत्रण एवं मानीटरिंग

आंतरिक नियंत्रण, लागू नियमों एवं विनियमनों के अनुपालन बारे प्रबंधन को उचित आश्वासन देता है। हुडा के आंतरिक नियंत्रण की समीक्षा ने दर्शाया कि आंतरिक नियंत्रण, लेन-देनों की प्रकृति और आकार के अनुरूप नहीं था। मु.प्र. हुडा द्वारा, भूमि का ब्यौरा, आयोजन की तिथि, विकास की पूर्ण करने की तिथि, उपयोजन/आबंटन की तिथि, विकसित भूमि के अंतिम निपटान की तिथि दर्शाता हुआ विस्तृत डाटा बैंक या परिसंपत्ति रजिस्टर, एक केंद्रीयकृत ढंग से नहीं रखा गया था।

नमूना-जांच ने दर्शाया कि सभी कार्यों के आरंभ होने से पहले यह सुनिश्चित नहीं किया गया था कि भूमि सभी बाधाओं से मुक्त थी। यद्यपि, कार्य आरंभ करने से पहले बहुत सी बाधाओं का इंजीनियरी स्टाफ द्वारा पुर्वानुमान लगाया जा सकता था, संबंधित विभागों, जहां कहीं आवश्यक था, से अनुमति कार्य आरंभ करने से पहले नहीं ली गई थी। केंद्रीकृत डाटाबेस रखने के बावजूद, यह देखने के लिए कि आरक्षण का लाभ एक से अधिक बार नहीं लिया जाना है, मामलों की जांच के लिए यंत्रावली विकसित नहीं की गई थी।

इसी प्रकार, न.ग्रा.आ.वि. में प्राइवेट विकासकों द्वारा दी गई बैंक गारंटियां उनकी समाप्ति के बाद पुनः वैधीकृत नहीं की जा रही थी क्योंकि बैंक गारंटियों के पुनः वैधीकरण की निगरानी रखने की प्रणाली विद्यमान नहीं थी। यंत्रावली के किसी भी प्रकार की मानीटरिंग के अभाव में, यद्यपि कालोनियों के विकास कार्य अपूर्ण थे, विकासक, लाइसैंसों को नवीकृत कराए बिना अपना कार्य जारी रख रहे थे।

2.3.12 निष्कर्ष

राष्ट्रीय राजधानी योजना बोर्ड द्वारा उठाए गए विशेषकर एन.सी.जेड की रूपरेखा से संबंधित मामले अभी पूर्ण रूप से कार्यान्वित किए जाने हैं। मामलों को न्यायालयों को संदर्भित करने और भूमि के मुआवजे की बढ़ी हुई अदायगी में विलंब के परिणामस्वरूप अतिरिक्त भुगतान हुआ। गुड़गांव में

आटो मार्किट के कार्य न करने से इसके विकास पर निवेश निष्फल रहा। हुडा द्वारा सीवर और स्टोर्म ड्रेनेज कार्य उचित सर्वेक्षण या भूमि के स्पष्ट अधिकार प्राप्त किए बिना निष्पादित किए गए थे, परिणामस्वरूप पांच कार्य अपूर्ण रहे। भूमि के स्वामित्व और अपेक्षित अनुमतियों के बिना हुडा द्वारा सड़कों के विकास में किया गया निवेश अवरूद्ध पड़ा था। उपयुक्त व्यक्तियों की उचित पहचान किए बिना आशियाना स्कीम के अंतर्गत वहनीय मकान प्रदान करने पर व्यय के परिणामस्वरूप फ्लैट अब तक अनाबंटित रहे। आरक्षित श्रेणियों के अंतर्गत प्लाटों के आबंटन में अनियमितताएं थी। प्राईवेट कालोनाइजरों को लाईसैंस देने की प्रक्रिया में पारदर्शिता और सामंजस्य की कमी थी। पांच विकासकों ने परियोजनाओं को पूर्ण किए बिना भूमि की बिक्री की लागत पर लाभ अर्जित किया। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली अपर्याप्त थी जैसे कि बैंक गारंटियों के पुनर्वैध न करवाने, लाईसैंसों के नवीकरण न करने एवं लाईसैंस फीस नवीकरण की कम वसूली आदि, कालोनाइजर द्वारा आवेदकों से अनधिकृत संग्रहण में भी दर्शाया गया है।

2.3.13 सिफारिशें

सरकार विचार कर सकती है:

(i) उप-क्षेत्रीय योजना का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रीय आयोजना बोर्ड के क्षेत्रीय योजना के साथ सामंजस्य को सुनिश्चित करना, राज्य की विकास योजनाओं का नियमित आधार पर मानीटरिंग करना और योजित भूमि और उपयोजित भूमि से संबंधित डाटा को अलग करना;

(ii) भू-स्वामियों के मामलों को समयबद्ध ढंग से न्यायालयों में भेजने के लिए एक प्रणाली विकसित करना और बढ़े हुए भूमि मुआवजे की शीघ्र अदायगी करना;

(iii) कार्यान्वयन एजेंसियों के बीच उचित समन्वय और कार्यों के समय पर पूर्ण करने के लिए सुनिश्चित करना कि कार्यों के निष्पादन से पहले सांहितीय प्रावधानों की पालना की गई है;

(iv) वहन करने योग्य आवासीय स्कीमों के लिए सही तरीके से लाभार्थियों की पहचान करना और आरक्षित श्रेणियों को प्लाट आबंटन की उनकी प्रणाली में सुधार करना;

(v) वाणिज्यिक कालोनियों के विकास करने के लिए आवेदनों को स्वीकार करने, क्षेत्र मानकों का निर्धारण करने, वित्तीय क्षमताओं का मूल्यांकन करने, परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए समय सीमा, इत्यादि के लिए विशेष मापदंड परिभाषित करना तथा जहां भूमि की बिक्री, परियोजना को पूर्ण किए बिना की गई है, वहां कुल लागत के 15 प्रतिशत से अधिक निवल लाभ को एकत्र करने के लिए एक उपयुक्त यंत्रावली स्थापित करना; तथा

(vi) बैंक गारंटियों, नवीकरणों, कम वसूलियों इत्यादि की उचित मानीटरिंग और आवेदकों से अनधिकृत संग्रहण के मामलों से बचने के लिए और लाईसैंस दिए गए क्षेत्र में समयबद्ध ढंग से सुविधाएं प्रदान करने में भी समर्थ बनाने के लिए नियंत्रण प्रणालियों को सुदृढ़ करना।

अध्याय 3
अनुपालन लेखापरीक्षा

अध्याय – 3

अनुपालन लेखापरीक्षा

कृषि विभाग
(हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड)

3.1 भूमि की लागत की अवसूली

73 एकड़ भूमि की लागत के रूप में ₹ 28.96 करोड़ की राशि तथा उपर्युक्त राशि पर ₹ 12.35 करोड़ ब्याज के रूप में हैफेड से वसूल किए जाने थे।

हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड (ह.रा.कृ.वि.बो.) (अचल संपत्ति की बिक्री) नियम, 2000 के नियम 3 (2)(ii) के प्रावधान के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, सरकारी समितियों तथा हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति एवं मार्केटिंग फैडरेशन लिमिटेड (हैफेड) की सहकारी मार्केटिंग समितियों, जो कृषि उत्पाद अथवा इनपुट से संबंधित हैं, को एक स्थल का आबंटन आरक्षित मूल्य के 35 प्रतिशत से अधिक पर किया जा सकता है।

सरकार ने ह.रा.कृ.वि.बो. से भूमि उपलब्ध करवाने के द्वारा खाद्य भंडारण गोदाम/स्तंभ के निर्माण द्वारा हैफेड के अंतर्गत अतिरिक्त भंडारण क्षमता स्थापित करने का निर्णय लिया (अगस्त 2009)। मुख्य प्रशासक (मु.प्र.), ह.रा.कृ.वि.बो. ने 12[1] मार्किट कमेटियों (मा.क) की प्रारंभिक 95 एकड़ भूमि हस्तांतरित करने हेतु स्वीकृति प्रदान की (नवंबर 2009) तथा संबंधित मार्किट कमेटियों के कार्यकारी अधिकारियों को इस संबंध में प्रस्ताव पास करने तथा भूमि का कब्जा तुरंत सौंपने हेतु निदेश दिए। भूमि की लागत के संबंध में यह निदेश दिए गए थे कि बोर्ड की संपत्ति नियम/नीति के अनुसार इसकी गणना की जाएगी तथा बाद में सूचित की जाएगी। तथापि, भूमि की लागत ह.रा.कृ.वि.बो. से मांग करने के बाद हैफेड के द्वारा 15 दिनों के अंदर संबंधित मार्किट कमेटी के पास जमा की जानी थी तथा न जमा करवाए जाने पर, 15 प्रतिशत की दर से ब्याज प्रभार्य था।

लेखापरीक्षा के दौरान (दिसंबर 2012), यह देखा गया कि सितंबर 2009 और फरवरी 2010 के मध्य 12 मार्किट कमेटियों ने ₹ 33.57 करोड़ की लागत की 97 एकड़ 2 कनाल 4 मरला भूमि हैफेड को हस्तांतरित कर दी थी ***(परिशिष्ट 3.1)***। ह.रा.कृ.वि.बो. ने दिसंबर 2009 तथा 2011 के मध्य 10 मार्किट कमेटियों से संबंधित 76 एकड़ 6 कनाल 5 मरला भूमि के लिए केवल ₹ 31.30 करोड़ की मांग की थी जिसके विरूद्ध हैफेड ने दो मार्किट कमेटियों[2] की 24 एकड़ एक कनाल तीन मरला भूमि के लिए केवल ₹ 4.61 करोड़ जमा करवाए। ₹ 2.27 करोड़ के लिए दो मार्किट कमेटियों[3] द्वारा मांग इस तर्क पर नहीं की गई थी कि ह.रा.कृ.वि.बो. मुख्यालय ने भूमि के रेट तय नहीं किए थे तथा बिल मुख्यालय स्तर पर जारी किए जाने थे। इस प्रकार ₹ 28.96 करोड़ की

1 (i) बरवाला (बरवाला), (ii) नारनौंद (नारनौंद), (iii) शाहबाद (अजराना कलां), (iv) कालांवाली (बड़ा गुड्डा), (v) सोनीपत (दीपालपुर), (vi) सोनीपत (पुंगथला), (vii) गन्नौर (गन्नौर), (viii) बहल (बहल), (ix) थानेसर (किरमच), (x) मडलौडा (छिछराना), (xi) (रानिया) (खारिया), (xii) डबवाली (चौटाला)।

2 खारिया: 8 एकड़ 2 कनाल 13 मरला तथा चौटाला:15 एकड़ 6 कनाल 10 मरला।

3 किरमिच: 10 एकड़ 3 कनाल 19 मरला तथा छिछराना: 10 एकड़।

राशि की 73 एकड़ 1 कनाल तथा 1 मरला माप की भूमि की लागत तथा इस राशि पर ₹ 12.35 करोड़[4] के रूप में उपार्जित ब्याज हैफेड से वसूलनीय था।

नियंत्रक, वित्त एवं लेखा, ह.रा.कृ.वि.बो. ने सूचित किया (जून 2014) कि संबधित मार्किट कमेटियों द्वारा हैफेड के साथ भूमि की लागत ब्याज सहित जमा करवाने हेतु जैसा कि ह.रा.कृ.वि.बो. नियमों के अंतर्गत उद्गृहीत किया जाना था, मार्च 2013 से मई 2014 तक के बीच मामला लगातार उठाया गया था। उत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि भूमि के हस्तांतरण के चार वर्षों के बाद भी भूमि की लागत के रूप में ह.रा.कृ.वि.बो. द्वारा शीघ्र कार्रवाई न किए जाने के कारण ₹ 41.31 करोड़ ब्याज सहित वसूलनीय थे (जनवरी 2015)।

मामला अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि विभाग को संदर्भित किया गया (जुलाई 2014); उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2015)।

विकास एवं पंचायत विभाग

3.2 संपूर्ण स्वच्छता अभियान/निर्मल भारत अभियान

22 ग्राम पंचायतों में 28 संस्थागत शौचालयों का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया था या अधूरा पड़ा रहा। ठोस एवं द्रव्य कचरा प्रबंधन परियोजनाएं आरंभ नहीं की गई थी। 196 सामुदायिक स्वच्छता परिसरों के लक्ष्य के विरूद्ध केवल 113 शौचालयों का ही निर्माण किया गया, 133 लाभर्थियों को शौचालयों का निर्माण सुनिश्चित किए बिना ₹ 3.46 लाख की प्रोत्साहन राशि दी गई तथा ₹ 3.10 लाख की प्रोत्साहन राशि का दो बार भुगतान किया गया।

भारत सरकार (भा.स.) ने ग्रामीणों के जीवन की गुणवत्ता में उचित स्वच्छता सुविधाओं के द्वारा, सुधार हेतु तथा महिलाओं को गोपनीयता तथा गरिमा प्रदान करने के उद्देश्य से केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम (कें.ग्रा.स्व.का.) 1986 में आरंभ किया। कार्यक्रम को 1999 में संशोधित किया गया तथा इसे संपूर्ण स्वच्छता अभियान (सं.स्व.अ.) का नाम दिया गया जिसे आगे अप्रैल 2012 में निर्मल भारत अभियान (नि.भा.अ.) का नाम दिया गया। व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों (व्य.घ.शौ.) के निर्माण एवं प्रयोग हेतु गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किए गए। ठोस एवं द्रव्य कचरा प्रबंधन (ठो.द्र.क.प्र.) के अंतर्गत गतिविधियों के अतिरिक्त स्कूल शौचालयों, आंगनबाड़ी शौचालयों तथा सामुदायिक स्वच्छता परिसरों (सा.स्व.प.) के निर्माण हेतु भी सहायता को बढ़ाया गया था। 2009-14 के दौरान ₹ 250.66 करोड़ की निधियों की उपलब्धता के विरूद्ध ₹ 119.18 करोड़ का व्यय किया गया जिससे ₹ 131.48 करोड़ का अव्ययित शेष रह गया जिसने स्कीम पर प्रतिकूल प्रभाव डाला।

जून 2014 से सितंबर 2014 के दौरान राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन तथा पांच[5] चयनित जिला जल एवं स्वच्छता मिशन जो कि जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों (जि.ग्रा.वि.ए.) के कार्यालय में स्थित हैं, 96 ग्राम पंचायतों (ग्रा.पं.) के साथ 10 खण्ड संसाधन केंद्रों के अभिलेखों की जांच-पड़ताल की

[4] मई 2014 तक 15 प्रतिशत की दर पर।

[5] (i) करनाल (ii) यमुनानगर (iii) हिसार (iv) फतेहाबाद तथा (v) सिरसा।

गई। पांच नमूना-जांच किए गए जिलों में कुल 882 लाभार्थियों को भी संयुक्त भौतिक सत्यापन हेतु चुना गया। महत्वपूर्ण निष्कर्ष निम्नानुसार हैं:

लेखापरीक्षा परिणाम

(i) आयोजना

वर्ष 2012 में किए गए सर्वेक्षण के आधार पर वार्षिक कार्यान्वयन योजनाएं तैयार की जा रही थी, जिसमें व्यक्तिगत घरेलू शौचालय रहित परिवारों की पहचान की गई। तथापि, सर्वेक्षण के बाद अस्तित्व में आए अतिरिक्त परिवारों को शामिल करने हेतु कोई प्रक्रिया नहीं थी तथा योजना के अंतर्गत निर्मित सामुदायिक शौचालयों के रख-रखाव हेतु कोई रणनीति नहीं थी।

(ii) सामुदायिक स्वच्छता परिसर

निर्मल भारत अभियान दिशा-निर्देशों के अनुच्छेद 5.7 के अनुसार, गांव में एक स्थान पर, जो सभी को स्वीकार्य एवं सुगम हो, एक उचित संख्या वाले शौचालय सीट, स्नानघर, कपड़े धोने वाले प्लेटफार्म, वाश बेसिन इत्यादि से समायुक्त सामुदायिक स्वच्छता परिसर बनाए जा सकते हैं। सामुदायिक स्वच्छता परिसरों के रख-रखाव की लागत पी.आर.आईज द्वारा उचित प्रक्रिया जैसे उपभोगता प्रभार द्वारा पूरी की जानी थी। नमूना-जांच किए गए पांच जिलों में से नमूना-जांच किए गए चार[6] जिलों में 196 के लक्ष्य के विरूद्ध 2009-14 के दौरान 113[7] स्वच्छता परिसरों के निर्माण पर ₹ 2.26 करोड़ का व्यय किया गया। इस प्रकार, 83 सामुदायिक स्वच्छता परिसर निर्मित नहीं किए जा सके।

अपर मुख्य सचिव, विकास एवं पंचायत विभाग (अ.मु.स., वि.पं.वि.) ने बताया (नवंबर 2014) कि सामुदायिक स्वच्छता परिसरों के संचालन तथा रख-रखाव हेतु निधियों का प्रावधान नहीं था तथा कुछ ग्राम पंचायतों के पास रख-रखाव के लिए अपनी निधियां नहीं थी, अतः, वे सामुदायिक स्वच्छता परिसरों के निर्माण को नहीं अपना रहे थे। उत्तर तर्कसंगत नहीं था, क्योंकि यह दिशानिर्देशों में पहले ही वर्णित किया गया था कि भारत सरकार द्वारा रख-रखाव हेतु कोई निधियां प्रदान नहीं की गई थी तथा सामुदायिक स्वच्छता परिसरों के रख-रखाव की लागत पी.आर.आईज द्वारा उपभोगता प्रभार द्वारा पूरी की जानी थी। आगे, 83 गांवों की ग्रामीण जनसंख्या को योजना में दर्शाए गए सामुदायिक स्वच्छता परिसरों के लाभ से वंचित रखा गया।

(iii) संस्थागत शौचालय (स्कूल/आंगनबाड़ी)

निर्मल भारत अभियान दिशा-निर्देशों के अनुच्छेद 5.8 के अनुसार, राजकीय भवनों में स्थित सभी प्रकार के राजकीय स्कूलों तथा आंगनबाड़ियों में शौचालय निर्मित किए जाने चाहिए।

2009-14 के दौरान 45 ग्राम पंचायतों को 85 स्कूल/आंगनबाड़ी शौचालय के निर्माण हेतु ₹ 27.15 लाख की अनुदान राशि का भुगतान किया गया। लेखापरीक्षा द्वारा जिला तथा खण्ड के प्रतिनिधि के साथ भौतिक सत्यापन के दौरान, 22 ग्राम पंचायतों में देखा गया (जून 2014 से सितंबर 2014) कि 28 संस्थागत शौचालयों के निर्माण हेतु ₹ 9.08 लाख अनुदान राशि दी गई।

[6] करनाल को छोड़कर जहां कार्यक्रम का यह घटक लागू नहीं किया था।

[7] यमुनानगर: 60 के लक्ष्य के विरूद्ध 15; हिसार: 40 के लक्ष्य के विरूद्ध 29, फतेहाबाद: 46 के लक्ष्य के विरूद्ध 19; सिरसा: 50 के लक्ष्य के विरूद्ध 50.

तथापि, 15 शौचालयों का निर्माण कार्य आरंभ नहीं हुआ था तथा 13 शौचालय अधूरे पड़े रहे। अ.मु.स., वि.पं.वि. ने बताया (नवंबर 2014) कि संबंधित ए.डी.सीज को जांच करने तथा रिपोर्ट करने हेतु कहा गया था। अंतिम कार्रवाई प्रतीक्षित थी (जनवरी 2015) तथा तथ्य यह है कि अभीष्ट लाभ प्राप्त नहीं किए जा सके।

(iv) ठोस एवं द्रव्य कचरा प्रबंधन

निर्मल भारत अभियान दिशा-निर्देशों (जुलाई 2012) के अनुच्छेद 5.9 के अनुसार, इस घटक के अंतर्गत, सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत बायो-गैस प्लांट, कम लागत वाले निकासी, सोकेज नालियां/गड्ढे, बेकार जल का पुन: प्रयोग करने तथा घरेलू कचरे को एकत्रित करने, अलग करने एवं निपटान करने हेतु प्रणाली, इत्यादि कार्य किए जा सकते हैं। नमूना-जांच किए गए जिलों में ठोस एवं द्रव्य कचरा प्रबंधन परियोजनाएं नहीं बनाई गई थी (मार्च 2014) अर्थात् निर्मल भारत अभियान दिशा-निर्देश जारी होने के लगभग दो वर्ष तक भी। उत्तर में संबंधित जिला ग्रामीण विकास एजेंसी ने बताया (जुलाई 2014) कि एस.एल.डब्ल्यू.एस. परियोजनाएं विचाराधीन थी जो 2014-15 के दौरान पूरी की जाएंगी। तथ्य यह रहा कि परियोजनाओं के बनाने में देरी से ग्रामीण आबादी को स्वच्छता सुविधाएं प्रदान करने में देरी हुई।

(v) व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों का निर्माण

निर्मल भारत अभियान दिशा-निर्देशों के अनुच्छेद 5.4 के अनुसार, घरेलू शौचालयों का निर्माण परिवार द्वारा स्वयं ही किया जाना चाहिए था तथा इसके पूर्ण होने और शौचालय का प्रयोग करने पर इसकी उपलब्धि की पहचान के रूप में परिवार को नकद प्रोत्साहन दिया जा सकता है।

लेखापरीक्षा द्वारा संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान, यह देखा गया कि 2013-14 के दौरान पांच जिलों के नौ खण्डों[8] में ₹ 3.46 लाख का प्रोत्साहन उन 133 लाभार्थियों को दिया गया जिन्होंने निर्माण आरंभ नहीं किया था (95 मामले) अथवा व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों का निर्माण अधूरा था (38 मामले)। इस प्रकार, संबंधित जिला ग्रामीण विकास एजेंसी ने सुनिश्चित नहीं किया था कि लाभार्थियों को प्रोत्साहन जारी करने से पहले शौचालय निर्मित किए गए। अ.मु.स., वि.पं.वि. ने बताया (नवंबर 2014) कि मामला जिला प्रशासन के साथ उठाया जा रहा था तथा संबंधित जिलों से टिप्पणियां प्राप्त होने के पश्चात् कार्रवाई की जाएगी।

गांव-वार लाभार्थियों की सूची न बनाने तथा परिवारों को प्रोत्साहन राशि जारी करने से पहले मामलों की पर्याप्त छानबीन नहीं करने के कारण हिसार, यमुनानगर तथा सिरसा जिलों में 2013-14 के दौरान 83 लाभार्थियों को ₹ 3.10 लाख की प्रोत्साहन राशि का दो बार भुगतान किया गया। अ.मु.स., वि.पं.वि. ने बताया (नवंबर 2014) कि मामला जिला प्रशासक के साथ उठाया जा रहा था तथा संबंधित जिलों से टिप्पणियां प्राप्त होने के बाद कार्रवाई की जाएगी। ए.डी.सी., हिसार ने बताया (नवंबर 2014) कि अब ₹ 1,04,500 की राशि की वसूली की जा चुकी है।

इस प्रकार, 2009-14 के दौरान ₹ 250.66 करोड़ की कुल उपलब्ध निधियों में से ₹ 131.48 करोड़ की राशि अव्ययित रही। सामुदायिक शौचालयों के रख-रखाव हेतु कोई योजना नहीं बनाई गई थी। चार जिलों में 196 सामुदायिक स्वच्छता परिसरों के लक्ष्य के विरूद्ध, केवल

[8] (i) निसिंग (ii) इंद्री (iii) जगाधरी (iv) सढ़ौरा (v) हिसार-I (vi) फतेहाबाद (vii) टोहाना (vii) रानिया तथा (ix) ऐलनाबाद।

113 परिसर निर्मित किए गए थे। भौतिक सत्यापन के दौरान, 22 ग्राम पंचायतों के 28 संस्थागत शौचालय अधूरे पाए गए। 83 लाभार्थियों को ₹ 3.10 लाख के प्रोत्साहन का दो बार भुगतान पाया गया।

शिक्षा विभाग

3.3 डयूल डैस्कों के प्रापण में परिहार्य व्यय

उच्च दरों पर डयूल डैस्क की खरीद के परिणामस्वरूप ₹ 7.61 करोड़ का अतिरिक्त परिहार्य व्यय हुआ।

पंजाब वित्तीय नियम (पं.वि.नि.) वाल्यूम-1 के नियम 2.10 (ए), जो कि हरियाणा सरकार द्वारा अपनाए गए हैं, के प्रावधान के अनुसार राज्य के राजस्व में से व्यय करने अथवा स्वीकृत करने में प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को वित्तीय औचित्य के उच्च मानकों द्वारा मार्गदर्शित किया जाना चाहिए। नियम 2.10 (ए) (1) आगे प्रावधान करता है कि प्रत्येक सरकारी कर्मचारी द्वारा सरकारी धन से किए जाने वाले व्यय के बारे में उसी सावधानी का पालन करने की आशा की जाती है जैसे एक सामान्य विवेक वाला व्यक्ति अपने स्वयं के धन को खर्च करने के संबंध में करेगा।

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा (नि.प्रा.शि.), हरियाणा, के अभिलेखों की संवीक्षा (नवंबर 2013) ने दर्शाया कि नि.प्रा.शि. ने स्कूल विद्यार्थियों के लिए ₹ 40 करोड़ की राशि के डयूल डैस्कों की खरीद के लिए संविदा दर हेतु निदेशक, आपूर्ति एवं निपटान (नि.आ. एवं नि.) हरियाणा को मांग भेजी। नि.आ. एवं नि. ने निविदाएं आमंत्रित की (फरवरी 2012) तथा पांच फर्मों ने अपनी दरें उद्धृत की जिनमें से तीन फर्मों द्वारा प्रस्तुत न्यूनतम दरें जैसा कि **तालिका 3.1** में दर्शाया गया है:

तालिका 3.1: उत्पाद शुल्क के कारण किए गए अधिक भुगतान दर्शाने वाली विवरणी

फर्म का नाम (मैसर्ज)	फर्म द्वारा प्रस्तुत कुल दर (उ.शु. सहित) (₹ प्रति इकाई)	मोलभाव के बाद प्रस्तुत दर (उ.शु. के बिना) (₹ प्रति इकाई)	देय उत्पाद शुल्क (₹ प्रति इकाई)	आपूरित डयूल डैस्क की संख्या	उत्पाद शुल्क के कारण अतिरिक्त भुगतान (₹ लाख में)
ओ.के. प्ले इंडिया लिमिटेड, मेवात	5,801.06	4,300	531.48	1,07,755	572.70
स्पेसवुड फर्निशर्ज प्राईवेट लिमिटेड, नागपुर	5,880.00	4,300	531.48	35,448	188.40
डिजाईन ऐज इंटीरियरज प्राईवेट लिमिटेड, बद्दी (सेज में स्थित)	5,745.00	4,300	शून्य	35,448	--
कुल				**1,78,651**	**761.10**

(स्रोतः विभागीय अभिलेखों से ली गई सूचना)

उपर्युक्त तालिका दर्शाती है कि मोल-तोल के पश्चात् इन तीन न्यूनतम फर्मों ने ₹ 4,300 (उत्पाद शुल्क के बिना) प्रति डयूल डैस्क अपनी दरें प्रस्तुत की। मांगकर्त्ता विभाग की सिफारिशों पर उच्च अधिकारप्राप्त क्रय कमेटी (उ.अ.क्र.क.) ने उपर्युक्त फर्मों के मध्य क्रमशः 60:20:20 के अनुपात में मात्रा के आबंटन के साथ ₹ 4,300 प्रति डयूल डैस्क जमा यथा लागू उत्पाद शुल्क[9] की दर पर डयूल डैस्कों की खरीद को अनुमोदित किया (मई 2012)।

[9] मौजूदा उत्पाद शुल्क 12 प्रतिशत तथा उस पर 3 प्रतिशत शिक्षा उपकर की दर पर लागू था।

उपर्युक्त तालिका से यह भी स्पष्ट है कि मैसर्ज डिजाईन एज इंटीरियर्स प्राइवेट लिमिटेड, बद्दी के मामले में विशेष आर्थिक क्षेत्र (वि.आ.क्षे.) में स्थित होने के कारण कोई उत्पाद शुल्क देय नहीं था। परंतु, तीनों फर्मों द्वारा प्रस्तुत दरों की तुलनात्मक विवरणी को तैयार करते समय, ई.डी. को ध्यान में नहीं रखा गया जिसके कारण मूल दर जिस पर मोल-तोल के पश्चात् पहुंचा गया था की अपेक्षा दो फर्में नामक मैसर्ज ओ.के. प्ले इंडिया लिमिटेड, मेवात तथा मैसर्ज स्पेसवुड, नागपुर के मामले में एफ.ओ.आर. दर/सकल दर कहीं अधिक थी। इस प्रकार, सभी तीनों फर्मों द्वारा प्रस्तुत दरों की तुलनात्मक विवरणी ठीक से तैयार नहीं की गई थी तथा प्राधिकारियों द्वारा दरों की त्रुटिपूर्ण तुलनात्मक विवरणी पर आधारित कथित निर्णय लेने में गलती की गई थी।

प्रधान सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग ने बताया (दिसंबर 2014) कि सरकारी राजकोष को कोई हानि नहीं थी क्योंकि विभाग द्वारा दिया गया उत्पाद शुल्क भारत सरकार के खाते में गया था और किसी प्राइवेट पार्टी के खाते में नहीं गया था। अतः, सरकारी राजकोष को कोई 'निवल हानि' नहीं है। विभाग ने पूर्ण रूप से उच्च अधिकारप्राप्त क्रय कमेटी द्वारा लिए गए निर्णयों के अनुसार क्रय आदेश जारी किए थे।

उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि उपर्युक्त तीनों फर्मों से 60:20:20 के अनुपात में आबंटित क्रय में उच्च अधिकारप्राप्त क्रय कमेटी तथा मांगकर्ता विभाग का निर्णय उचित नहीं था, जैसा कि मैसर्ज डिजाईन एज इंटीरियर्स प्राइवेट लिमिटेड, बद्दी (हि.प्र.) ने पूर्ण आपूर्ति आदेश को निभाने में अपनी असमर्थता को नहीं दर्शाया था। मैसर्ज डिजाईन एज इंटीरियर्स प्राईवेट लिमिटेड, बद्दी (हि.प्र.) एफ.ओ.आर. आधारित न्यूनतम निविदाकर्ता था, इस प्रकार 100 प्रतिशत क्रय आदेश, इसे आबंटित किया जाना चाहिए था। निदेशक, प्राथमिक शिक्षा तथा माध्यमिक शिक्षा ने इन दो अयोग्य फर्मों से 1,43,203[10] डयूल डैस्क खरीदे जिसके परिणामस्वरूप ₹ 7.61 करोड़[11] का अतिरिक्त परिहार्य व्यय हुआ। यदि विभाग द्वारा न्यूनतम योग्य निविदाकर्ता को संपूर्ण आपूर्ति आदेश जारी किया होता तो ₹ 7.61 करोड़ की राशि को बचाया जा सकता था।

3.4 कंटेनरों की विक्रेंद्रीकृत खरीद के कारण अतिरिक्त व्यय

वित्तीय नियमों तथा प्रापण नीति की अननुपालना तथा दरों के विश्लेषण में विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 1.06 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

पंजाब वित्तीय नियमों के नियम 15.2 वाल्यूम-I, जो कि हरियाणा राज्य द्वारा अपनाया गया है, के प्रावधान के अनुसार क्रय अधिकतम मितव्ययिता से की जानी चाहिए। उच्चतर प्राधिकारी की संस्वीकृति प्राप्त करने से बचने के लिए क्रय आदेशों को विखंडित नहीं करना चाहिए। जब भंडारण की खरीद खुले बाजार से की जानी हो, तब खुले प्रतिस्पर्धात्मक निविदा की प्रणाली को अपनाना चाहिए तथा खरीद, जब तक कि इसके विपरीत कुछ विशेष कारण न हो, न्यूनतम निविदाकर्ता से की जानी चाहिए।

[10] मैसर्ज ओ.के. प्ले इंडिया लिमिटेड, मेवात: 1,07,755 डयूल डैस्क तथा मैसर्ज स्पेसवुड फर्नीशर्स प्राईवेट लिमिटेड, नागपुर: 35,448 डयूल डैस्क।

[11] डयूल डैस्कों की संख्या: 1,43,203 x ₹ 531.48 = ₹ 7.61 करोड़।

कार्यालय महानिदेशक, प्राथमिक शिक्षा (प्रा.शि.), हरियाणा के अभिलेखों की संवीक्षा (नवंबर 2013) ने दर्शाया कि विभाग ने मिड-डे-मील स्कीम के अंतर्गत 5,285 प्राथमिक स्कूलों तथा 3,875 उच्च प्राथमिक स्कूलों में, खाद्यान्नों के संग्रहण के लिए प्रत्येक स्कूल हेतु दो कंटेनरों की खरीद हेतु प्रस्ताव किया। महानिदेशक, प्रा.शि. ने राज्य के सभी जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारियों (जि.प्रा.शि.अ.) को उनकी आवश्यकताओं को भेजने बारे निर्देश दिए (जून 2011)। क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त मांग तथा कुटेशन के आधार पर विभाग ने कंटेनरों की खरीद हेतु संबंधित स्कूलों के अध्यक्षों के बैंक खातों में ₹ 3.30 करोड़ की राशि स्थानांतरित कर दी (अप्रैल 2013)। पूरे राज्य में स्कूल स्तर पर खरीद की गई।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि प्रमुख समाचार-पत्रों में विज्ञापन दे कर निविदाएं खोलने की बजाय, जिला स्तर पर सभी जि.प्रा.शि.अ. द्वारा कुटेशन प्राप्त किए गए तथा अनुमोदन प्राप्ति हेतु महानिदेशक, प्रा.शि., हरियाणा को अग्रेषित किए गए। प्रासंगिक पेपरों की संवीक्षा ने निम्नलिखित दर्शाया:

- कुटेशनों की प्राप्ति से पहले कोई तकनीकी विशिष्टताएं तय नहीं की गई थी तथा जिला स्तर पर प्रस्तावों में भिन्न-भिन्न विशिष्टताएं उद्धृत की गई थी तथा कंटेनरों की विशिष्टताओं में कोई समानता नहीं थी तथा विभाग द्वारा तीन जिलों (पलवल[12], पंचकुला[13] तथा रोहतक[14]) के लिए 22 गेज, पानीपत[15] जिले के लिए 20 गेज तथा कैथल[16] जिले के लिए 18 गेज कंटेनरों की दरें अनुमोदित की गई थी।

- विभाग द्वारा जिलावार दरें अनुमोदित की गई थी। प्राथमिक स्कूलों के मामले में बारह जिलों में तीन क्विंटल क्षमता वाले 24 गेज, कंटेनरों की दरें ₹ 1,100 तथा ₹ 1,900 के बीच भिन्न थी। प्राथमिक स्कूलों के लिए प्रति कंटेनर मूल्य में ₹ 800 का अधिकतम अंतर था।

- उच्च प्राथमिक स्कूलों के मामले में बारह जिलों में पांच क्विंटल क्षमता वाले 24 गेज, कंटेनरों की दरें ₹ 1,400 तथा ₹ 2,500 के मध्य भिन्न थी। उच्च प्राथमिक स्कूलों के लिए प्रति कंटेनर मूल्य में ₹ 1,100 का अधिकतम अंतर था।

इस प्रकार, विभाग द्वारा उच्चतर दरों पर ₹ 3.30 करोड़ की लागत पर 18,320[17] कंटेनरों की खरीद के परिणामस्वरूप ₹ 1.06 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ (जैसा कि ***परिशिष्ट 3.2*** में वर्णित है)। जो बचाया जा सकता था यदि विभाग ने नि.आ. एवं नि., हरियाणा के माध्यम से केन्द्रीयकृत खरीद को अपनाया होता।

12 3 क्विंटल: ₹ 1,584, 5 क्विंटल: ₹ 2,150

13 3 क्विंटल: ₹ 1,867, 5 क्विंटल: ₹ 2,499

14 3 क्विंटल: ₹ कोई मांग नहीं, 5 क्विंटल: ₹ 2,263

15 3 क्विंटल: ₹ 1,500, 5 क्विंटल: ₹ 2,800

16 3 क्विंटल: ₹ 1,790, 5 क्विंटल: ₹ 2,550

17 5,285 प्राथमिक स्कूलों के लिए 10,570 कंटेनर तथा 3,875 उच्च प्राथमिक स्कूलों के लिए 7,750 कंटेनर।

निदेशक, प्रा.शि. ने अपर मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, हरियाणा के अनुमोदन से बताया (नवंबर 2014) कि भारत सरकार तथा प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार के निर्देशों के अनुसार, स्कूलों के लिए कंटेनरों की तुरंत आवश्यकता थी, जि.प्रा.शि.अ. द्वारा कुटेशन मांगी गई तथा प्राधिकारियों द्वारा न्यूनतम दरें अनुमोदित की गई तथा स्कूल स्तर पर खरीद की गई। परंतु उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि खरीद की प्रक्रिया जून 2011 में प्रारंभ की गई थी और खरीद दो वर्ष के पश्चात् की गई थी।

मामला जुलाई 2014 में प्रधान सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग को भेजा गया था। उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2015)।

पर्यावरण विभाग (हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड) तथा स्वास्थ्य विभाग

3.5 हरियाणा में बायो-मैडिकल वेस्ट प्रबंधन नियमों का कार्यान्वयन

हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा स्वास्थ्य विभाग ने बायो-मैडिकल वेस्ट (मैनेजमैंट एण्ड हैंडलिंग) नियम, 1998 लागू नहीं किए क्योंकि बायो-मैडिकल वेस्ट (बा.मै.वे.) उत्पन्न करने वाली स्थापनाओं की पहचान नहीं की गई थी तथा प्राधिकृत स्वास्थ्य देख-रेख स्थापनाओं का निरीक्षण नहीं किया गया था। बायो-मैडिकल वेस्ट, रंग कोडिड कंटेनरों में अलग-अलग नहीं किए जा रहे थे न ही उचित प्रकार से निपटान किए जा रहे थे।

पर्यावरण की सुरक्षा तथा मनुष्य, दूसरे जीवित प्राणी, पौधे एवं संपदा को खतरे से बचाने के लिए संसद ने पर्यावरण (बचाव) अधिनियम, 1986 (अधिनियम) बनाया। अधिनियम के सैक्शन 6, 8, तथा 25 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों के पालन में, भारत सरकार ने अस्पतालों, कलीनिकों तथा दूसरे संस्थानों से उत्पन्न बायो-मैडिकल वेस्ट[18] (बा.मै.वे.) के मैनेजमैंट एण्ड हैंडलिंग हेतु बायो-मैडिकल वेस्ट (मैनेजमैंट एण्ड हैंडलिंग) नियम, 1998 अधिसूचित किए। राज्य में, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (ह.रा.प्र.नि.बो.) नियमों को लागू करने हेतु प्राधिकृत प्राधिकारी था। ह.रा.प्र.नि.बो. द्वारा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (कें.प्र.नि.बो.) को प्रस्तुत वार्षिक रिपोर्टों के अनुसार राज्य में 2011 में 2,145 प्राधिकृत (नियम 8 के अंतर्गत) स्वास्थ्य देखरेख स्थापना (स्वा.दे.स्था.) थे जो मार्च 2014 को 2,505[19] तक बढ़ गए।

अधिनियम एवं नियमों के प्रावधानों के अनुपालन के प्रसार को सुनिश्चित करने के विचार से जनवरी और फरवरी 2014 में चेयरमैन, ह.रा.प्र.नि.बो.; महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं तथा ह.रा.प्र.नि.बो. के 12 क्षेत्रीय कार्यालयों (क्षे.का.) में से चार[20] के कार्यालयों में अभिलेखों की नमूना-जांच की गई। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा दल, ह.रा.प्र.नि.बो. कर्मचारी तथा

18 नियम 3 (5) प्रावधान करता है कि 'बायो-मैडिकल वेस्ट' का अर्थ है कोई अपशिष्ट जो निदान, उपचार या मनुष्यों अथवा पशुओं के टीकाकरण या इससे संबंधित अनुसंधान गतिविधियों अथवा उत्पादन में या जैविक परीक्षण के दौरान उत्पन्न होते हैं।

19 सरकारी स्वा.दे.स्था.: 471 तथा प्राइवेट स्वा.दे.स्था.: 2,034

20 (i) बल्लभगढ़ (ii) जींद (iii) पानीपत तथा (iv) यमुनानगर।

स्वा.दे.स्था. स्टाफ द्वारा हस्ताक्षरित प्रश्नावली को भरने के द्वारा 80 स्वा.दे.स्था. तथा तीन सामान्य उपचार सुविधा (सा.उ.सु.) के संचालकों की ह.रा.प्र.नि.बो. कर्मचारियों के साथ परिसरों की संयुक्त जांच भी की गई (जून और जुलाई 2014)।

लेखापरीक्षा के दौरान निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई:

(i) बायो-मैडिकल वेस्ट उत्पन्न करने वाले यूनिटों की पहचान न करना

बा.मै.वे. नियम, 1998 का नियम 6 प्रावधान करता है कि बा.मै.वे. अन्य अपशिष्टों के साथ मिलाना नहीं चाहिए तथा उत्पत्ति स्थल पर प्राधिकृत थैलों/कंटेनरों में अलग-अलग किया जाना चाहिए, उत्पन्न होने के 48 घंटों के भीतर निपटान हेतु प्राधिकृत मोटर वाहन में निपटान स्थल तक ले जाना चाहिए। आगे, नियम-7 प्रावधान करता है कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इन नियमों को लागू करने के लिए प्राधिकृत प्राधिकारी है। भारत सरकार के निर्देशों (नवंबर 2011) के अनुसार, स्वास्थ्य विभाग को यह सुनिश्चित करना था कि राज्य में कार्यरत सभी स्वा.दे.स्था., बा.मै.वे. नियम, 1998 के प्रावधानों का पालन कर रहे थे तथा इस पर समयबद्ध स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे थे।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि ह.रा.प्र.नि.बो. ने बा.मै.वे. नियमों का प्रवर्तन सुनिश्चित करने के लिए उत्पन्न करने वाले यूनिटों की पहचान नहीं की थी तथा स्वास्थ्य विभाग ने सुनिश्चित नहीं किया था कि सभी बा.मै.वे. उत्पन्न करने वाले स्वा.दे.स्था., बा.मै.वे. नियमों के अंतर्गत प्राधिकार प्राप्त करते हैं। यह भी देखा गया कि मार्च 2014 को राज्य में सभी 2,669 सरकारी पशु-चिकित्सा संस्थानों ने ह.रा.प्र.नि.बो. से निर्देशों की कमी के कारण नियमों के अंतर्गत प्राधिकरण हेतु आवेदन नहीं किया था। ह.रा.प्र.नि.बो. ने सूचित किया (सितंबर 2014) कि स्टाफ की कमी के कारण पशु चिकित्सा संस्थानों की बायो-मैडिकल वेस्ट उत्पन्न करने वाली स्वा.दे.स्था. के रूप में पहचान नहीं की थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि प्रवर्तन अधिकारी होने के नाते ह.रा.प्र.नि.बो. की बायो-मैडिकल वेस्ट उत्पन्न करने वाली प्रत्येक स्वा.दे.स्था. की पहचान करने तथा नियमानुसार बायो-मैडिकल वेस्ट के निपटान को सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी थी।

(ii) उत्पन्न बायो-मैडिकल वेस्ट की मात्रा का निर्धारण न करना

बा.मै.वे. नियम, 1988 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक एच.सी. द्वारा बा.मै.वे. की उत्पत्ति, भण्डारण, उपचार तथा निपटान से संबंधित अभिलेख अनुरक्षित किए जाने थे। नियम 10 भी प्रावधान करता है कि ह.रा.प्र.नि.बो. द्वारा एच.सीज से प्राप्त सूचना संकलित रूप में कें.प्र.नि.बो. को भेजी जानी थी।

संयुक्त निरीक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि 80 स्वा.दे.स्था. में से 39 स्वा.दे.स्था., ह.रा.प्र.नि.बो. को वार्षिक रिपोर्टें प्रस्तुत नहीं कर रहे थे तथा वर्ष 2011, 2012 तथा 2013 के लिए वार्षिक रिपोर्टें तीन से सात माह के विलंब के साथ प्रस्तुत की गई थी। ह.रा.प्र.नि.बो., प्रत्येक स्वा.दे.स्था.. द्वारा उत्पन्न एवं निपटान किए गए बायो-मैडिकल वेस्ट के विवरण की वार्षिक रिपोर्टों को संकलित नहीं कर रहा था जोकि बा.मै.वे. नियमों, 1998 के नियम 10 के उल्लंघन में था। 80 स्वा.दे.स्था. में से, नौ स्वा.दे.स्था. बा.मै.वे. की उत्पत्ति, भण्डारण, उपचार तथा निपटान से संबंधित कोई रिकार्ड अनुरक्षित नहीं कर रहे थे।

(iii) स्वा.दे.स्था. की जांच न करना

पर्यावरण विभाग ने निर्देश दिए (नवंबर 2009) कि ह.रा.प्र.नि.बो. सभी प्राधिकृत स्वा.दे.स्था. की, विशेषतया बायो-मैडिकल वेस्ट की उत्पत्ति तथा हटाने के संबंध में, एक मासिक जांच करेगी।

नमूना-जांच किए गए चार[21] क्षेत्रीय कार्यालयों में यह देखा गया कि 2009-14 की अवधि के दौरान ह.रा.प्र.नि.बो. द्वारा प्राधिकृत स्वा.दे.स्था. के 40,788 मासिक निरीक्षण की जानी अपेक्षित थी जिसके विरूद्ध केवल 1,403 निरीक्षण (तीन प्रतिशत) की गई थी। ह.रा.प्र.नि.बो. ने सूचित किया (सितंबर 2014) कि स्टाफ की कमी के कारण स्वा.दे.स्था. के निरीक्षण में कमी थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि कमी लगभग 97 प्रतिशत थी तथा कुछ स्वा.दे.स्था. पांच वर्षों की अवधि के दौरान एक बार भी निरीक्षित नहीं किए गए थे।

संयुक्त निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताएं

बा.मै.वे. के सुरक्षित निपटान को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ह.रा.प्र.नि.बो. के कर्मचारियों के साथ 80 स्वा.दे.स्था. का संयुक्त निरीक्षण किया गया। निम्नलिखित प्रमुख अनियमितताएं पाई गईं:

(iv) रंग कोडिड कंटेनरों में बायो-मैडिकल वेस्ट को अलग-अलग न करना

बा.मै.वे. नियम, 1998 के नियम 6 के अनुसार, बा.मै.वे. को उनके परिवहन, उपचार तथा निपटान से पूर्व रंग कोड स्कीम के अनुसार स्वा.दे.स्था. में उत्पत्ति स्थल पर उचित रंग कोडिड कंटेनरों/थैलों में अलग-अलग किया जाना था। 80 स्वा.दे.स्था. के संयुक्त निरीक्षण के दौरान, यह पाया गया कि:

41 स्वा.दे.स्था. (51 प्रतिशत) में बायो-मैडिकल वेस्ट को, उत्पति के स्रोत, अर्थात वार्डों/कमरों/ आप्रेशन थियेटर/ प्रयोगशालाओं इत्यादि, पर अलग नहीं किया गया था।

नौ स्वा.दे.स्था. (11 प्रतिशत) रंग कोड वाले डिब्बों को नहीं रख रहे थे तथा 14 स्वा.दे.स्था. (17 प्रतिशत) में श्रेणीवार अलग-अलग दर्शाते हुए चार्ट चिपकाए नहीं गए थे।

(v) बायो-मैडिकल वेस्ट का अनुचित भंडारण एवं संग्रहण

बा.मै.वे. नियम, 1998 का नियम 6 (1) प्रावधान करता है कि बायो-मैडिकल वेस्ट को अन्य अपशिष्टों के साथ नहीं मिलाना चाहिए तथा नियम 6(5) प्रावधान करता है कि कोई भी अनुपचारित अपशिष्ट 48 घंटों के बाद संचित नहीं रखा जाना चाहिए। संयुक्त निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि:

- 27 स्वा.दे.स्था. (34 प्रतिशत) में श्रेणीवार बा.मै.वे. रखने हेतु कोई अलग से भंडार कक्षों का प्रावधान नहीं किया गया था।

- 24 स्वा.दे.स्था. (30 प्रतिशत) में सेवा प्रदाता 48 घंटों की अनुबद्ध अवधि के बाद बा.मै.वे. उठा रहे थे।



ई.एस.आई. अस्पताल, पानीपत में खुला सार्वजनिक संग्रहण केंद्र दर्शाने वाला दिनांक 25 जून 2014 का फोटो

[21] (i) बल्लभगढ़ (ii) जींद (iii) पानीपत तथा (iv) यमुनानगर।

(vi) बायो–मैडिकल वेस्ट का अनुचित निपटान

अनुसूची – I नियम – 5 के अनुसार मानव शारीरिक अपशिष्ट तथा पशु अपशिष्ट को भस्म कर देना था अथवा गहरे दबा देना था। सूक्ष्म जैविकी तथा जैव प्रौद्योगिक अपशिष्ट, तीक्ष्ण अपशिष्ट, ठोस अपशिष्ट प्लास्टिक के रूप में आटोक्लेव तथा आटोक्लेवड की बा.मै.वे. के द्वारा उपचार किए जाने आवश्यक थे तथा तीक्ष्ण अपशिष्टों को छोटे – छोटे टुकड़ों में काटना आवश्यक था तथा भराई पर निपटान किया जाना था। 80 स्वा.दे.स्था. के संयुक्त निरीक्षण के दौरान, यह पाया गया कि:



सामान्य अस्पताल, पलवल में खुले स्थान में फेंके गए सिरिंज, नीडल तथा खाली कांच की छोटी शीशियां दर्शाने वाला दिनांक 15 जुलाई 2014 का फोटो

- दस स्वा.दे.स्था. (13 प्रतिशत) में, अनुपचारित बा.मै.वे. जैसा कि मानव शारीरिक अपशिष्ट/नीडल सूई, ब्लेड, खून से भरी हुई रूई, प्लैसन्टा इत्यादि म्यूनिसिपल अपशिष्ट के साथ मिलाए जा रहे थे।
- नौ स्वा.दे.स्था. (11 प्रतिशत) में, सिरिंज, नीडल तथा छोटी खाली कांच की शीशियां खुले स्थान में फेंके जा रहे थे।
- 29 स्वा.दे.स्था. (36 प्रतिशत) अनुपचारित लाल श्रेणी के बा.मै.वे. खुले बाजार में बेचे/निपटान किए जा रहे थे।
- 47 स्वा.दे.स्था. (59 प्रतिशत) में नीडल, सूइयों, ब्लेडों इत्यादि के सुरक्षित संग्रहण, भंडारण ले जाने के लिए पंचर प्रूफ कंटेनरों का प्रयोग नहीं किया जा रहा था।

इंगित किए जाने पर, ह.रा.प्र.नि.बो. ने बताया (दिसंबर 2014) कि 53 स्वा.दे.स्था. को कारण बताओ नोटिस जारी किए जा चुके हैं, जिसमें से 25 स्वा.दे.स्था. ने उत्तर दिया कि वे बा.मै.वे. नियमों का पालन कर रहे थे। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि ह.रा.प्र.नि.बो. ने नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए इन 25 स्वा.दे.स्था. का निरीक्षण नहीं किया था तथा लेखापरीक्षा परिणाम संयुक्त भौतिक सत्यापन, जहां ह.रा.प्र.नि.बो. से एक सदस्य शामिल था, पर आधारित थे।

(vii) सामान्य बायो–मैडिकल वेस्ट निपटान एवं उपचार सुविधा (सा.बा.मै.वे.नि.उ.सु.) का अ–प्रतिस्थापन

31 मार्च 2007 को समाप्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल) में 'बायो–मैडिकल वेस्ट मैनेजमेंट' पर लेखापरीक्षा अनुच्छेद संख्या 3.3.9 के उत्तर में, प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग ने लोक लेखा समिति को आश्वासन दिया था (सितंबर 2012) कि राज्य के चार जिलों में पी.पी.पी. आधारित चार सामान्य बायो–मैडिकल वेस्ट निपटान एवं उपचार सुविधा स्थापित की जाएगी। चार जिलों अर्थात फरीदाबाद, करनाल, हिसार, झज्जर में सामान्य सुविधाएं स्थापित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया (अगस्त 2012)। स्वास्थ्य विभाग द्वारा पी.पी.पी. आधारित सामान्य सुविधा की पहल एवं स्थापना करने की जिम्मेवारी लेनी थी। नगर निगम एवं स्थानीय निकायों को भूमि उपलब्ध करवानी थी तथा पर्यावरण विभाग/ह.रा.प्र.नि.बो. को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध करवानी थी।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि सा.बा.मै.वे.नि.उ.सु. की स्थापना हेतु 2009-14 की अवधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा ह.रा.प्र.नि.बो. को सहायता अनुदान के रूप में जारी की गई ₹ 0.97 करोड़ की राशि ह.रा.प्र.नि.बो. के पास अप्रयुक्त पड़ी रही। यह अवलोकित किया गया कि शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा भूमि का आबंटन न करने तथा स्वास्थ्य विभाग द्वारा पहल न करने के कारण निधियों का उपयोग नहीं किया जा सका।

(viii) सेवा प्रदाताओं द्वारा अननुपालना

तीन सामान्य उपचार सुविधा आपरेटर के परिसर में संयुक्त निरीक्षण के दौरान निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गईः

- राज्य सरकार ने सामान्य उपचार सुविधा पर वेब-कैमरा लगाने हेतु निर्देश दिए (मई 2012)। तीन सामान्य उपचार सुविधा आपरेटरों द्वारा उनके परिसर पर यद्यपि सी.सी.टी.वी. कैमरे लगा दिए थे, वे ह.रा.प्र.नि.बो. द्वारा गतिविधियों की मानीटरिंग हेतु इंटरनेट से जोड़े नहीं गए थे।

- ह.रा.प्र.नि.बो. द्वारा सामान्य उपचार सुविधा को जारी प्राधिकरण पत्र के क्लॉज 29 के अनुसार खतरनाक अपशिष्ट को पाली, फरीदाबाद में उपचार भंडारण एवं निपटान सुविधा (उ.भं.नि.सु.) द्वारा निपटान किया जाना चाहिए। परंतु उ.भं.नि.सु. के आपरेटर ने सूचित किया कि राज्य के कुल दस सामान्य उपचार सुविधा आपरेटरों में से पांच ने भस्मक से उत्पन्न राख के अंतिम निपटान हेतु अनुबंध नहीं किया था। अननुपचारित भस्मक सामान्य उपचार सुविधा आपरेटरों के परिसर में पड़ी थी।

- राज्य सरकार के आदेशों (मई 2012) ने प्रावधान किया कि सिविल सर्जन को सुनिश्चित करना चाहिए कि अपशिष्ट ले जाने वाले वाहन में जी.पी.एस. सिस्टम लगा होना चाहिए तथा यह देखने के लिए कि क्या वाहन वास्तव में निपटान स्थल पर पहुंच रहा था अथवा नहीं, इसका सिविल सर्जन के कार्यालय के साथ संबंध स्थापित होना चाहिए। सामान्य उपचार सुविधा आपरेटरों द्वारा स्वा.दे.स्था. से बा.मै.वे. ले जाने वाले वाहनों में जी.पी.एस. लगाए गए थे, फिर भी चार नमूना-जांच किए गए क्षेत्रीय कार्यालयों में वाहनों की आवाजाही मानीटर नहीं की गई थी जैसा कि सरकारी आदेशों में अपेक्षित था।

- 31 स्वा.दे.स्था. में, सामान्य उपचार सुविधा आपरेटर संग्रह केंद्र पर आवश्यकता के अनुसार रंग कोडिड पोलीथीन थैली की आपूर्ति नहीं कर रहे थे।

- तीन में से दो[22] सामान्य उपचार सुविधा आपरेटरों ने अपने स्टाफ को प्रतिरक्षित नहीं किया था।

इस प्रकार, बा.मै.वे. उत्पन्न यूनिटों की पहचान करने में, उत्पन्न हुए बा.मै.वे. की मात्रा का निर्धारण करने में तथा स्वा.दे.स्था. के निरीक्षण में चूक थी। बा.मै.वे. को रंग कोडिड कंटेनरों में अलग-अलग न करना तथा अनुचित संग्रहण/निपटान के उदाहरण देखे गए। बा.मै.वे. के निपटान में सेवा प्रदाताओं की ओर से भी कमियां पाई गई। आगे, सामान्य बायो-मैडिकल अपशिष्ट के निपटान एवं उपचार सुविधा स्थापित नहीं की गई थी।

[22] मैसर्ज हाट सुप्रीम वेस्टेक (प्राइवेट) लिमिटेड, करनाल तथा मैसर्ज मारूति बायो-मैडिकल वेस्ट मैनेजमैंट कंपनी, भिवानी।

उपर्युक्त प्रसंग अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग तथा प्रधान सचिव, पर्यावरण विभाग को भेजे गए (अगस्त 2014); उत्तर प्रतीक्षित थे (जनवरी 2015)।

3.6 निधियों के अवरोधन के कारण ब्याज की हानि

ह.रा.प्र.नि.बो. द्वारा निवास इकाइयों के निर्माण हेतु ले-आऊट प्लान फाइनल किए बिना जनवरी 2008 में ह.रा.कृ.वि.बो. को ₹ दो करोड़ का भुगतान किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.90 करोड़ की निधियों का अवरोधन तथा ₹ 80 लाख के ब्याज की हानि हुई।

हरियाणा सरकार द्वारा यथा अपनाए गए पंजाब वित्तीय नियम (पं.वि.नि.) खंड-1 का नियम 2.10(ए) प्रावधान करता है कि प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को व्यय करते अथवा संस्वीकृत करते समय वित्तीय औचित्य के उच्च मानकों का पालन करना चाहिए तथा प्रत्येक कदम पर सख्त मितव्यय के वित्तीय आदेश प्रवर्तन हेतु उत्तरदायी है। प्रत्येक सरकारी अधिकारी से सरकारी धन से किए गए व्यय के संबंध में उसी प्रकार की सतर्कता बरतने की अपेक्षा की जाती है जैसी कि एक साधारण विवेक का व्यक्ति अपने स्वयं के धन के व्यय के संबंध में बरतता है। आगे, पूर्ववर्ती पी.डब्ल्यू.डी. कोड के पैरा 2.92 में प्रावधान किया गया था कि उस भूमि पर कोई भी कार्य आरंभ नहीं किया जाना चाहिए जिसे उत्तरदायी सिविल अधिकारियों द्वारा विधिवत् प्रदान नहीं किया गया है।

हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (ह.रा.प्र.नि.बो.) ने अपने कर्मचारियों के लिए पंचकूला में एक आवासीय परिसर का निर्माण करने का निर्णय लिया(जुलाई 2004)। चेयरमैन, ह.रा.प्र.नि.बो. के अनुरोध पर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा) ने सूचित किया (जुलाई 2004) कि पंचकूला के सैक्टर 23 में 1.5 एकड़ भूमि पर हुडा के समूह आवास मानकों के अंतर्गत विचार किया जा सकता है जिसमें प्रावधान किया गया कि कुल 90 प्रस्तावित निवास इकाइयों में से 82 इकाइयां 75 वर्ग मीटर से कम आकार की ₹ 3,200 प्रति वर्ग मीटर की दर पर होंगी तथा ₹ 1.92 करोड़ के संपूर्ण भुगतान की प्राप्ति के बाद फ्रीहोल्ड आधार पर 6,012 मीटर माप का प्लॉट नंबर जी.एच.-5, सैक्टर 23, पंचकूला में आबंटित किया (मई 2005)। भूमि का स्वामित्व जून 2008 में सौंपा गया था।

लेखापरीक्षा में यह देखा गया (अगस्त 2013) कि ह.रा.प्र.नि.बो. ने हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड (ह.रा.कृ.वि.बो.) से जमा कार्य के रूप में आवासीय परिसर के निर्माण करवाने हेतु निर्णय लिया (दिसंबर 2006)। ह.रा.कृ.वि.बो. ने 75 वर्ग मीटर से कम क्षेत्र वाले केवल 18 मकानों से समायुक्त छः श्रेणियों[23] में मकानों के वर्गीकरण के आधार पर ₹ 15.47 करोड़ का अनुमान प्रस्तुत किया (अक्तूबर 2007)। ह.रा.प्र.नि.बो. ने ह.रा.कृ.वि.बो. को ₹ दो करोड़ का भुगतान किया (जनवरी 2008) जिसमें से ₹ 10.24 लाख चारदीवारी इत्यादि पर व्यय किया गया। ह.रा.प्र.नि.बो. ने भवन योजना में परिवर्तन के अनुमोदन हेतु हुडा से अनुरोध किया (फरवरी 2009) तथा हुडा ने निवास इकाइयों के आकार में परिवर्तन हेतु निर्धारित फीस तथा दरों में अन्तर के कारण

[23] चेयरमैन के लिए एक: 395 वर्ग मीटर, सचिव के लिए एक: 385 वर्ग मीटर, श्रेणी I के 10 मकान: 197.50 वर्ग मीटर, श्रेणी II के 12 मकान: 136.87 वर्ग मीटर, श्रेणी III के 49 मकान: 109.87 वर्ग मीटर तथा श्रेणी IV के 18 मकान: 50.38 वर्ग मीटर।

₹ 78.36 लाख की प्राप्ति (नवंबर 2011) के बाद अक्तूबर 2012 में अनुमति प्रदान की। परंतु निवास इकाइयों का संशोधित प्रस्ताव हुडा को प्रस्तुत किया गया है (जुलाई 2014) जिसके लिए अनुमोदन प्रतीक्षित था (दिसंबर 2014)।

इस प्रकार, भूमि का स्वामित्व लिए बिना तथा संशोधित भवन योजना के अनुमोदन के बिना ह.रा.कृ.वि.बो. के पास निधियां जमा करवाने के परिणामस्वरूप ₹ 1.90 करोड़ का अवरोधन तथा ₹ 80 लाख की राशि के ब्याज (सात प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर) की हानि हुई। आगे, ह.रा.प्र.नि.बो. के कर्मचारियों को आवास प्रदान करवाने का मुख्य उद्देश्य भी प्राप्त नहीं हुआ था।

यह इंगित किए जाने पर बोर्ड ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया (अप्रैल 2014) कि आवासीय परिसर का कार्य हुडा द्वारा ड्राईग का अनुमोदन न करने के कारण शुरू नहीं किया जा सका। यह आगे सूचित किया गया (जून 2014) कि निर्माण का कार्य टर्नकी आधार पर ह.रा.कृ.वि.बो. को पुनःआबंटित किया गया है इस प्रकार, तथ्य रहता है कि ले-आउट प्लान को फाइनल किए बिना निधियां ह.रा.कृ.वि.बो. के पास जमा करवाई गई थी जिसके परिणामस्वरूप छः वर्ष तक निधियों का अवरोधन हुआ।

मामला, प्रधान सचिव, पर्यावरण विभाग के पास भेजा गया था (जुलाई 2014); उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2015)।

वित्त विभाग

3.7 अप्रयुक्त निधियों पर ब्याज का दावा न करना

विभिन्न सरकारी विभागों ने हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल विकास निगम (ह.रा.स.पु.वि.नि.) से अप्रयुक्त निधियों पर ₹ 20.21 करोड़ के ब्याज की वसूली नहीं की।

वित्त विभाग ने मार्च 2011 में निर्देश जारी किए कि सभी निगमों/बोर्डों/सोसायटीज जिनको सरकारी विभागों ने निर्माण/खरीद के लिए निधियां दी थी, अप्रयुक्त निधियों पर अर्धवार्षिक आधार पर इन विभागों को प्रतिवर्ष छः प्रतिशत की दर पर ब्याज का भुगतान करेंगे। निर्देशों में आगे प्रावधान किया गया कि ऐसी इकाइयों से ब्याज वसूल करने तथा उनको सरकार के प्राप्ति शीर्ष में जमा करवाने के लिए प्रशासनिक विभाग जिम्मेदार थे। तथापि, राज्य सरकार ने, हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल विकास निगम (ह.रा.स.पु.वि.नि.) को इस नीति में इस सीमा तक रियायत दी (दिसंबर 2011) कि ह.रा.स.पु.वि.नि. प्रत्येक सरकारी विभाग के लिए पृथक आटो स्वीप फ्लैक्सी अकाउंटस में निधियां रखेगा तथा वार्षिक आधार पर इन जमाओं पर अर्जित वास्तविक ब्याज का भुगतान करेगा।

ह.रा.स.पु.वि.नि. (जनवरी 2013) के लेखाओं की लेखापरीक्षा के दौरान, यह अवलोकित किया गया था कि विभिन्न सरकारी विभागों[24] ने कार्यों के निष्पादन के लिए ह.रा.स.पु.वि.नि. को निधियां जमा की थी लेकिन न तो इन विभागों ने दावा किया था और न ही ह.रा.स.पु.वि.नि. ने इन अप्रयुक्त

[24] नागरिक उड्डयन, मत्स्य पालन, कृषि, पशुपालन, शिक्षा, स्वास्थ्य, तकनीकी शिक्षा, परिवहन, खेलकूद, कानून तथा न्याय पंचायत तथा विकास, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र निधियां।

निधियों पर किसी ब्याज का भुगतान किया तथा अप्रैल 2011 से मार्च 2014 के बीच की अवधि के लिए ह.रा.स.पु.वि.नि. से ₹ 20.21 करोड़ का ब्याज वसूलनीय बन गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, ह.रा.स.पु.वि.नि. ने सूचित किया (जुलाई 2014) कि चूंकि जैसा कि क्लाइंट विभाग ने कभी मांग नहीं की थी, किसी क्लांइट विभाग को ब्याज के लिए भुगतान नहीं किया गया था। फ्लैक्सी अकाउंट फरवरी 2012 से खोल दिए गए थे लेकिन वास्तविक आधार पर उपार्जित ब्याज भी क्लाइंट विभागों/निकायों/बोर्डों को नहीं दिया जा रहा था। अप्रयुक्त निधियों पर ब्याज के लिए मांग नहीं उठाने के लिए सरकारी विभागों से कारण मांगे गए (जून 2014) थे, जिसके उत्तर में कृषि, पशुपालन, स्वास्थ्य विभागों तथा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ने सूचित किया (जून-जुलाई 2014) कि कोई ब्याज प्राप्त नहीं किया गया था तथा मामले को ह.रा.स.पु.वि.नि. के पास उठाया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि प्रशासनिक विभाग द्वारा सरकारी निर्देशों की अनुपालना में ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित था। अन्य विभागों से उत्तर प्रतीक्षित थे (जनवरी 2015)।

इस प्रकार, सरकारी विभागों की ह.रा.स.पु.वि.नि. के पास जमा उनकी अप्रयुक्त निधियों पर ब्याज का दावा करने में विफलता के परिणामस्वरूप राज्य राजकोष को ₹ 20.21 करोड़ की हानि हुई।

मामला अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग को भेज दिया गया था (जुलाई 2014); उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2015)।

सामान्य प्रशासन विभाग (हरियाणा लोक सेवा आयोग) तथा तकनीकी शिक्षा विभाग

3.8 हरियाणा लोक सेवा आयोग के अधिकार क्षेत्र से पदों की वापसी

14 प्राध्यापकों की तदर्थ नियुक्तियों की 10 वर्षों तक निरंतरता तथा बाद में उनके विनियमन के परिणामस्वरूप वेतन एवं भत्तों पर ₹ 8.43 करोड़ का अनियमित व्यय हुआ।

हरियाणा लोक सेवा आयोग (ह.लो.से.आ.) (कर्त्तव्यों के नियंत्रण) विनियम, 1973 के विनियम 3 तथा 6 के प्रतिपादन के प्रावधानों के अनुसार जब भी किसी प्रत्यक्ष भर्ती कोटे के विरूद्ध छः मास की अवधि से अधिक समय के लिए स्थाई/अस्थाई पद पर तदर्थ नियुक्ति की जाती है तो नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में सभी प्रकार से संपूर्ण एक मांग ह.लो.से.आ. को भेजी जानी अपेक्षित है तथा उनके (ह.लो.से.आ. की) अनुमोदन के बिना कोई भी तदर्थ नियुक्ति, छः मास की अवधि से अधिक समय तक जारी रखने के लिए अनुमत न की जाए। इस पर भी बल दिया गया कि प्रत्यक्ष भर्ती कोटा पदों के विरूद्ध कोई तदर्थ नियुक्तियां नहीं की जाएंगी जब तक निर्धारित विधि द्वारा खुली प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा इन पदों को भरने के लिए कदम न उठा लिए जाएं। इसके अतिरिक्त, सर्वोच्च न्यायालय ने भी संविधान के अनुच्छेद 320 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सरकार की निंदा[25] की तथा अवलोकित किया कि राज्य सरकारें पिछले दरवाजे से प्रवेश के माध्यम से नियुक्त तदर्थ व्यक्तियों

[25] पी. रविन्द्रन तथा अन्य बनाम पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र के मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय।

की सेवाओं के विनियमन के लिए निदेश जारी करके लोक सेवा आयोग को उल्लांघ नहीं सकती। परिणामतः, हरियाणा सरकार ने तदर्थ कर्मचारियों को विनियमित करने के अनुदेश वापस ले लिए थे (दिसंबर 1997)।

ह.लो.से.आ. तथा तकनीकी शिक्षा विभाग (त.शि.वि.) के अभिलेखों (जनवरी तथा मई 2014) की नमूना-जांच ने दर्शाया कि त.शि.वि. ने वर्ष 1993 के दौरान 14 प्राध्यापक तदर्थ आधार पर नियुक्त किए थे तथा इन प्राध्यापकों की भर्ती के लिए ह.लो.से.आ. को मामला संदर्भित किए बिना उनकी सेवाएं 10 वर्षों तक जारी रखी। जुलाई 2011 की सरकार की विनियमन नीति के अनुसार तकनीकी शिक्षा विभाग ने, तदर्थ आधार पर नियुक्त 14 प्राध्यापकों के पद, जिन्होंने विभाग में 10 वर्ष तक अपनी तदर्थ सेवा पूरी कर ली थी, उनकी सेवाएं विनियमित करने के लिए ह.लो.से.आ. के अधिकार क्षेत्र से वापस लेने के लिए (जनवरी 2012) एक प्रस्ताव भेजा। ह.लो.से.आ. ने ह.लो.से.आ. (कर्त्तव्यों के नियंत्रण) विनियमन 1973 की अनुपालना को सुनिश्चित किए बिना तदर्थ आधार पर नियुक्त 14 प्राध्यापकों के विनियमन की प्रक्रिया अनुमत कर दी थी (फरवरी 2012)। तकनीकी शिक्षा विभाग ने तदर्थ आधार पर नियुक्त 14 प्राध्यापकों के पद मानवीय आधार पर विनियमित किए (मार्च 2012)।

इस प्रकार, दस वर्षों तक तदर्थ नियुक्तियों का जारी रखना तथा बाद में 14 तदर्थ प्राध्यापकों का विनियमन नियमों के प्रावधान के विरूद्ध था तथा 1993-94 से जून 2014 तक उनके वेतन एवं भत्तों पर किया गया ₹ 8.43 करोड़ का व्यय अनियमित था।

इंगित किए जाने पर, सचिव, ह.लो.से.आ. ने बताया (मई तथा सितंबर 2014) कि भर्ती नियमों के तैयार न करने के कारण, ये पद ह.लो.से.आ. के अधिकार क्षेत्र से निकाले गए। उसने आगे बताया कि पदों को निकालना तथा भर्ती की पद्धति को निश्चित करना सरकार का विशेषाधिकार था। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि ह.लो.से.आ. के अनुमोदन बिना किसी तदर्थ नियुक्ति को छः माह से अधिक समय तक जारी रखने हेतु अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

मामला, मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार तथा प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, तकनीकी शिक्षा विभाग को टिप्पणी के लिए संदर्भित किया गया था (जुलाई 2014)। बार-बार अनुस्मारकों के बावजूद उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (जनवरी 2015)।

स्वास्थ्य विभाग

3.9 अक्रियाशील ड्रग टैस्टिंग लैबोरेट्री तथा राज्य आयुर्वेदिक फार्मेसी पर निष्फल व्यय

ड्रग टैस्टिंग लैबोरेट्री तथा राज्य आयुर्वेदिक फार्मेसी के निर्माण पर ₹ 3.40 करोड़ का किया गया व्यय मानव शक्ति की अनुपलब्धता के कारण निष्फल रहा।

राज्य के आयुर्वेद, सिद्धा, यूनानी तथा होम्योपैथी (आयुष) ड्रग एनफोर्समेंट मैकेनिजम को मजबूत करने के विचार से राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार (भा.स.) ने नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आयुष ड्रग्ज की गुणवत्ता नियंत्रण के लिए केंद्रीय प्रायोजित स्कीम आरंभ की। स्कीम का मुख्य उद्देश्य आयुष दवाइयों की गुणवत्ता नियंत्रण को सुनिश्चित करने के

लिए तैयार उत्पादों तथा कच्चा माल की बैच टु बैच टैस्टिंग के लिए इन-हाउस गुणवत्ता नियंत्रण लैबोरेट्रीज तथा आयुष मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट्स स्थापित करना था।

महानिदेशक, आयुष के अभिलेखों (मई 2014) की संवीक्षा ने दर्शाया कि भारत सरकार ने, कुरूक्षेत्र में श्री कृष्ण राजकीय आयुर्वेदिक कालेज के कैम्पस में राज्य ड्रग टैस्टिंग लैबोरेट्री (ड्र.टै.लै.) तथा राज्य आयुर्वेदिक फार्मेसी (रा.आ.फा.) की स्थापना के लिए आयुष ड्रग्ज गुणवत्ता नियंत्रण के लिए केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत ₹ तीन करोड़[26] का सहायता अनुदान जारी किया। रा.आ.फा. तथा ड्र.टै.लै. दोनों के भवनों का निर्माण अक्तूबर 2008 तथा जनवरी 2009 के बीच क्रमश: ₹ 1.94 करोड़ तथा ₹ 0.94 करोड़ की लागत पर पूरा किया गया था। 2008-10 के दौरान ₹ 0.52 करोड़ की लागत पर मशीनरी/उपकरण भी खरीदे गए थे। लेकिन इन भवनों की पूर्ति के पांच वर्षों से ज्यादा समय बीतने तथा मानव शक्ति के लिए ₹ 20 लाख की निधियों की उपलब्धता के बाद भी ड्र.टै.लै. तथा रा.आ.फा. मानव शक्ति की व्यवस्था न करने के कारण क्रियाशील नहीं किए गए थे। यह अवलोकित किया गया कि उपकरण/मशीनरी की एक वर्ष की वारंटी अवधि भी खत्म हो चुकी थी। इस प्रकार, ₹ 3.40 करोड़ (भवन निर्माण: ₹ 2.88 करोड़ तथा उपकरणों की खरीद: ₹ 0.52 करोड़) का व्यय निष्फल रहा, इसके अतिरिक्त स्कीम के उद्देश्य भी अप्राप्त रहे (नवंबर 2014)।

महानिदेशक, आयुष ने प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग की सहमति से बताया (नवंबर 2014) कि वित्त विभाग ने ड्र.टै.लै. के लिए मानव शक्ति के लिए सहमति दे दी थी (जुलाई 2014), नवसृजित पदों के लिए नियम बनाए जा रहे हैं तथा ड्र.टै.लै. निकट भविष्य में काम शुरू कर देगा। डी.जी. ने आगे बताया कि बिजली कनैक्शन लेने में प्रक्रियात्मक विलंब तथा ट्रांसफार्मर/बिजली कनैक्शन के लिए निधियों की अनुपलब्धता भी रा.आ.फा. के देरी से शुरू होने के कारण थे तथा यह शीघ्र काम करना शुरू कर देगा। तथापि, तथ्य यह रहता है कि ड्र.टै.लै. तथा रा.आ.फा. ₹ 3.40 करोड़ व्यय किए जाने के बावजूद क्रियाशील नहीं किए गए (नवम्बर 2014)।

गृह विभाग

3.10 सरकारी निधियों का निष्फल व्यय/अवरोधन

पुलिस विभाग द्वारा फायरिंग रेंज के लिए अपेक्षित उपकरण के अप्रापण के परिणामस्वरूप भारत सरकार की ₹ 7.50 करोड़ की निधियों का अवरोधन हुआ इसके अतिरिक्त ₹ 1.36 करोड़ की लागत पर निर्मित भवन भी अप्रयुक्त रहा।

राज्य पुलिस फोर्स के आधुनिकीकरण की स्कीम के अंतर्गत जुलाई 2008 में भारत सरकार ने हरियाणा पुलिस अकादमी (ह.पु.अ.) मधुबन, करनाल में इंडोर फायरिंग रेंज के निर्माण के लिए स्कीम अनुमोदित की तथा उपकरणों की खरीद के लिए ₹ 7.50 करोड़ संस्वीकृत किए। बिल्डिंग का

[26] **ड्रग टैस्टिंग लेबोरेटरी:** बिल्डिंग का निर्माण: ₹ 50 लाख, मशीनरी का प्रापण: ₹ 30 लाख तथा ड्र.टै.लै. को चलाने के लिए मानवशक्ति: ₹ 20 लाख तथा
राज्य आयुर्वेदिक फार्मेसी: बिल्डिंग का निर्माण: ₹ 100 लाख, मशीनरी का प्रापण: ₹ 50 लाख, अतिरिक्त सहायता: ₹ 50 लाख।

निर्माण कार्य राज्य फंडों से अगस्त 2009 में ₹ 1.36 करोड़ की लागत पर पूरा किया गया था। निदेशक, ह.पु.अ. ने सुझाव दिया (अक्तूबर 2008) कि मैसर्ज मैग्गिट ट्रेनिंग सिस्टम, यू.एस.ए., जिसने प्रीमियर सुरक्षा संगठन के लिए समान प्रोजेक्टस स्थापित किए थे, फायरिंग रेंज के लिए उपकरणों की आपूर्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त था।

प्रधान सचिव, गृह विभाग, हरियाणा सरकार ने फरवरी 2009 में हारट्रोन[27] के माध्यम से इंडोर फायरिंग रेंज चालू करने तथा उपकरणों से सज्जित करने के लिए ₹ 7.50 करोड़ की संस्वीकृति प्रदान की। हारट्रोन ने ह.पु.अ. को सूचित किया (जून 2009) कि निगम ने पहले ऐसे उपकरण क्रय नहीं किए थे तथा कथित प्रोजेक्ट को लेने का कोई अपेक्षित अनुभव नहीं था। मामला निदेशक, आपूर्ति तथा निपटान (नि.आ. एवं नि.) हरियाणा के साथ उठाया गया था, जिसने अक्तूबर 2009 में सूचित किया कि आइटम अत्यधिक विशिष्ट प्रकृति की थी तथा उनके पास तकनीकी विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं था। नि.आ. एवं नि. ने परामर्श दिया कि मांगकर्त्ता विभाग राज्य सरकार द्वारा बनाई गई विशेष क्रेता कमेटी ले सकता है तथा उनके स्तर पर यह मद खरीद सकता है। तदनुसार, राज्य सरकार द्वारा एक विशेष क्रेता कमेटी बनाई गई (दिसंबर 2009)। कमेटी ने जून 2012 में आयोजित अपनी बैठक हारट्रोन के माध्यम से खरीद विमुक्त कर दी तथा सिफारिश की कि प्रीमियर फर्म होने के कारण मैसर्ज मैग्गिट ट्रेनिंग सिस्टम से सीधे खरीद करने के लिए पुलिस विभाग, राज्य सरकार के साथ मामले को उठा सकता है। तथापि, पुलिस विभाग ने विशेष क्रेता कमेटी की सलाह पर कोई कार्रवाई नहीं की तथा कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया था (नवंबर 2014)।

लेखापरीक्षा के दौरान यह अवलोकित किया गया कि अगस्त 2009 में बिल्डिंग के पूरा होने से, सामग्री की सीमित उपलब्धता के बारे में निदेशक, ह.पु.अ. से स्पष्ट अनुशंसाओं के बावजूद फायरिंग रेंज को क्रियाशील बनाने के लिए आवश्यक उपकरणों के खरीद का मामला निर्णीत नहीं किया गया था तथा ₹ 7.50 करोड़ राशि की निधियां हारट्रोन के पास अप्रयुक्त पड़ी थी। आगे, यह अवलोकित किया गया कि राज्य सरकार ने पहले ही भारत सरकार को उपयोगिता प्रमाण-पत्र (यू.सी.) प्रस्तुत कर दिए थे जो कि तथ्यपरक रूप से गलत था क्योंकि उपकरण अभी तक खरीदे जाने शेष थे। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, डी.जी.पी. हरियाणा ने सूचित किया (सितंबर 2014) कि विभाग ने मैसर्ज मैग्गिट ट्रेनिंग, जो इंडोर फायरिंग रेंज को स्थापित करने वाली अकेली एजेंसी थी, से सामग्री क्रय करने के लिए सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया था लेकिन सरकार ने हारट्रोन के माध्यम से खरीद करने का निर्णय लिया तथा सूचित भी किया कि इंडोर फायरिंग रेंज के लिए बनाई गई बिल्डिंग ट्रेनियों के ठहरने के लिए प्रयोग की जा रही थी।

इस प्रकार, अपेक्षित उपकरण प्राप्त करने में विभाग की विफलता के कारण फायरिंग रेंज क्रियाशील नहीं बनाई जा सकी तथा ₹ 7.50 करोड़ की भारत सरकार की निधियां अवरूद्ध रही, इसके अतिरिक्त ₹ 1.36 करोड़ की लागत पर निर्मित भवन अपेक्षित प्रयोजन हेतु उपयोग नहीं किया जा रहा था।

मामला अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग के पास भेजा गया था (जुलाई 2014); उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2015)।

[27] हरियाणा राज्य इलैक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड।

3.11 पुलिस विभाग में मानव शक्ति की तैनाती

अधिकारियों तथा आपरेशनल पुलिस फोर्स की कमी के बावजूद कुछ कार्यालयों में संस्वीकृत संख्या के आधिक्य में पुलिस कार्मिक तैनात थे। फारेंसिक साईस लेबोरेट्री में कमी 50 प्रतिशत की सीमा तक थी परिणामतः सैम्पलों की लंबनता में वृद्धि हुई। राज्य में अपराध अनुपात पड़ोसी राज्यों की तुलना में बहुत अधिक था।

पुलिस विभाग का उद्देश्य कानून-व्यवस्था बनाए रखना, अपराधों को रोकना, पता लगाना, जांच करना तथा अपराधियों का सफल अभियोजन करना है। जनवरी 2014 तक राज्य में 269 पुलिस स्टेशन तथा 323 पुलिस चौकियां थी। 2009-14 के दौरान विभाग के ₹ 8,365.43 करोड़ के कुल व्यय का लगभग 85 प्रतिशत स्थापना पर व्यय किया गया था। यह निर्धारित करने के विचार से कि मानव शक्ति आवश्यकताओं के लिए मानदंड वास्तविक थे तथा उपलब्ध मानव शक्ति दक्षता तथा प्रभावकारी ढंग से उपयोग की गई थी। 2009-14 की अवधि को आवृत्त करते हुए पुलिस महानिदेशक (डी.जी.पी.) के कार्यालय तथा 57 कार्यालयों में से 13[28] की जनवरी-अगस्त 2014 के दौरान लेखापरीक्षा की गई थी।

मानव शक्ति प्रोफाइल

- ***भारतीय पुलिस सेवा (आई.पी.एस.) तथा हरियाणा पुलिस सेवा (एच.पी.एस.) कैडर***

विभाग में 2009-14 के दौरान संस्वीकृत संख्या की तुलना में आई.पी.एस. तथा एच.पी.एस. अधिकारियों की वास्तविक संख्या ***परिशिष्ट 3.3*** में वर्णित की गई अनुसार थी। आई.पी.एस. अधिकारियों की कमी 7 तथा 23 प्रतिशत के बीच थी तथा एच.पी.एस. अधिकारियों की कमी 2 तथा 35 प्रतिशत के बीच श्रृंखलित थी।

डी.जी.पी. हरियाणा ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया (अक्तूबर 2014) कि भारत सरकार को प्रत्येक वर्ष चार आई.पी.एस. अधिकारियों के आबंटन हेतु अनुरोध किया गया था तथा एच.पी.एस. अधिकारियों से आई.पी.एस. अधिकारियों का चयन लंबित कोर्ट मामलों के कारण नहीं किया जा सका था।

- **आई.पी.एस. तथा एच.पी.एस. अधिकारियों को छोड़कर आपरेशनल पुलिस फोर्स**

2009-14 के दौरान आपरेशनल पुलिस कार्मिकों (आई.पी.एस./एच.पी.एस. से अन्य) की कमी 21 तथा 26 प्रतिशत के बीच श्रृंखलित थी जिसने कानून तथा व्यवस्था को बनाए रखने को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया क्योंकि राज्य[29] में अपराध की दर बढ़ रही थी।

[28] (i) महानिदेशक (क्राइम), पंचकूला (ii) अपर पुलिस महानिदेशक (सी.आई.डी), पंचकूला (iii) पुलिस महानिरीक्षक (दूर संचार), पंचकूला (iv) पुलिस आयुक्त, गुड़गांव (v) पुलिस उपायुक्त, पंचकूला (vi) पुलिस उपायुक्त (शहरी), अंबाला (vii) पुलिस अधीक्षक, नूंह (viii) हरियाणा सशस्त्र पुलिस प्रथम बटालियन, अंबाला शहर (ix) हरियाणा सशस्त्र पुलिस 5वीं बटालियन, मधुबन (x) फारेंसिक साईस लैबोरेट्री, मधुबन (xi) हरियाणा सशस्त्र पुलिस चौथी बटालियन, मधुबन (xii) पुलिस अधीक्षक, कमांडो, नेवल तथा (xiii) पुलिस अधीक्षक, कैथल।

[29] दर्ज किए गए क्राइम 2009 में 79,379 से 2013 में 1,04,090 तक बढ़ गए थे।

डी.जी.पी. हरियाणा ने तथ्यों को स्वीकारते हुए बताया (अक्तूबर 2014) कि 2009 तथा 2014 के बीच ए.एस.आई. तथा एस.आई. के रैंक में कोई भर्ती नहीं की गई थी। आगे, यह बताया गया कि 67 इंस्पैक्टरों की सीधी भर्ती के लिए एक प्रस्ताव सरकार को भेजा गया था (फरवरी 2012) लेकिन अनुमोदन प्रतीक्षित था (जनवरी 2015)।

डी.जी.पी. के कार्यालय के अभिलेखों की सवींक्षा ने आगे दर्शाया कि 2009-14 के दौरान स्टाफ की समग्र कमी के बावजूद विभिन्न कार्यालयों में संस्वीकृत संख्या के आधिक्य में 84 तथा 400 के बीच श्रृंखलित विभिन्न कैडरों के पुलिस कार्मिक तैनात थे जिसने अन्य कार्यालयों में मानव शक्ति की कमी में आगे वृद्धि की।

विभाग द्वारा पुलिस: जनसंख्या अनुपात भी निर्धारित नहीं किया गया है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरों (एन.सी.आर.बी.) के अनुसार राज्य में पुलिस: जनसंख्या अनुपात, पड़ोसी राज्यों अर्थात जम्मू तथा कश्मीर-1:154, पंजाब-1:365, चंडीगढ-1:254 तथा दिल्ली-1:251[30] की तुलना में बहुत कम (अर्थात 1:576) था।

एन.सी.आर.बी. के अनुसार हरियाणा में पुलिस: अपराध अनुपात बहुत ज्यादा था अर्थात् पड़ोसी राज्यों पंजाब में: 1:1.10, जम्मू तथा कश्मीर: 1:0.47, चंडीगढ़: 1:1.24 तथा दिल्ली: 1:1.49 की तुलना में 1:2.50.

1 जनवरी 2010 तक 13,637 आपरेशनल स्टाफ की कमी थी। 2012 में कमी आगे, 13,926 तक बढ़ गई। कमी के बावजूद 2014 में केवल 1,111 पुरूष सिपाहियों की भर्ती की गई थी।

राज्य सरकार ने भारत सरकार के निर्देशों पर विभाग के पुनर्गठन प्लान तैयार करने के लिए पुलिस महानिदेशक को निदेश दिए (अप्रैल 2003) जो 2007 में सरकार को प्रस्तुत कर दिया गया था। वित्त विभाग के साथ अनेक बैठकों के बावजूद प्लान अनुमोदित नहीं किया गया था। विभाग ने पुलिस: जनसंख्या अनुपात को 1:300 तक बढ़ाने के लिए सरकार को एक प्रस्ताव भेजा (मार्च 2007) सात वर्ष बीत जाने के बावजूद यह प्रस्ताव अनुमोदित नहीं किया गया था (जनवरी 2015)।

(i) असंस्वीकृत पुलिस चौकियों का संचालन

हरियाणा पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 12 प्रावधान करती है कि डी.जी.पी. की सिफारिश पर राज्य सरकार आवश्यकतानुसार पुलिस स्टेशन एवं चौकियां बना सकती है।

अभिलेखों की संवीक्षा ने दर्शाया कि राज्य में 323 पुलिस चौकियां संचालन में थी जिनमें से 252 सरकार की संस्वीकृति के बिना संचालित की जा रही थी। डी.जी.पी. ने अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग को 2012-14 के दौरान 55 असंस्वीकृत पुलिस चौकियों को संस्वीकृति प्रदान करने हेतु अनुरोध किया। लेकिन सरकार द्वारा संस्वीकृति नहीं दी गई थी (जून 2014)। ये असंस्वीकृत पुलिस चौकियां संचालन में रखी गई थी। चार एस.पीज (गुड़गांव, नूंह, अंबाला तथा पंचकुला) के अभिलेखों की संवीक्षा ने दर्शाया कि इन जिलों में 44 असंस्वीकृत पुलिस चौकियों पर 403 पुलिस कार्मिक तैनात थे। असंस्वीकृत पुलिस चौकियों के संचालन ने राज्य में आपरेशनल पुलिस बल की कमी की समस्या को आगे और बढ़ा दिया।

[30] गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानक 1:150 था।

डी.जी.पी. हरियाणा ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया (अक्तूबर 2014) कि सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को शेष असंस्वीकृत पुलिस चौकियों के विनियमन के लिए प्रस्ताव भेजने हेतु निदेश दे दिए गए थे। तथ्य रहता है कि पुलिस चौकियां सरकार की संस्वीकृति के बिना संचालन में थी।

(ii) अस्थाई तबादले

यह अवलोकित किया गया था कि 134 आपरेशनल स्टाफ को विभिन्न जिला पुलिस कार्यालयों से मिनिस्ट्रीयल कार्य करने के लिए अस्थाई आधार पर डी.जी.पी. कार्यालय में विपथित कर दिया गया था। स्टाफ अगस्त 2014 तक छ: महीने तथा 12 वर्षों के बीच श्रृंखलित अवधि के लिए तैनात था। तथापि, इस स्टाफ का वेतन संबंधित कार्यालयों से आहरित किया जा रहा था। डी.जी.पी. ने किसी चरण पर मिनिस्ट्रीयल कार्यों के लिए उनके लगातार रोके रखने के लिए औचित्य की समीक्षा नहीं की थी यद्यपि इसमें मिनिस्ट्रीयल स्टाफ तथा आपरेशनल पुलिस स्टाफ के वेतन के अंतर के कारण एक वर्ष (2013-14) के लिए ₹ 95.45 लाख की वित्तीय संलिप्ति थी। संवीक्षा ने आगे दर्शाया कि छ: कार्यालयों में 370 कर्मचारियों में से 108 क्लास-IV कर्मचारी उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर तैनात थे।

इंगित किए जाने पर डी.जी.पी. हरियाणा ने बताया (अक्तूबर 2014) कि मिनिस्ट्रीयल स्टाफ के खाली पदों के विरूद्ध अस्थाई तबादले किए गए थे। तथ्य रहता है कि आपरेशनल स्टाफ मिनिस्ट्रीयल कार्य पर तैनात थे, जिसके परिणामस्वरूप आपरेशनल स्टाफ की कमी बढ़ गई थी तथा एक महीने की सैलरी, जो मिनिस्ट्रीयल स्टाफ को देय नहीं थी, के अतिरिक्त आपरेशनल तथा मिनिस्ट्रीयल स्टाफ के वेतन तथा भत्ते के अंतर के कारण राज्य राजकोष पर भी अतिरिक्त बोझ पड़ा।

(iii) फारेंसिक विज्ञान लैबोरेट्री

फारेंसिक विज्ञान मुख्यत: विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के अनुप्रयोग से समायुक्त न्याय प्रशासन का एक सक्रिय क्षेत्र है। फारेंसिक विज्ञान विशेषज्ञ, अपराध तथा संदिग्धों के बीच लुप्त कड़ियों को स्थापित करने में पुलिस अधिकारियों की सहायता करता है। फारेंसिक विज्ञान लैबोरेट्री (एफ.एस.एल.) जो मधुबन में स्थित है, के 14 डिवीजन हैं जहां अपराध को सुलझाने में जांच अधिकारियों की सहायता करने के लिए विभिन्न सबूत विश्लेषित किए जाते हैं।

निदेशक, एफ.एस.एल. के अभिलेखों की संवीक्षा ने दर्शाया कि 280 संस्वीकृत संख्या के विरूद्ध 139 (50 प्रतिशत) पदों की कमी थी। स्टाफ की कमी के कारण सैम्पलों की टैस्टिंग की लंबनता 1,325 (दिसंबर 2009) से 3,504 (दिसंबर 2013) तक अधिक बढ़ गई थी ***(परिशिष्ट 3.4)***।

डी.जी.पी. हरियाणा ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया (अक्तूबर 2014) कि सैम्पलों की टैस्टिंग में लंबनता रिर्पोटिंग अफसरों तथा सहायक स्टाफ की भारी कमी के कारण तथा सैम्पलों की भारी संख्या में प्राप्ति के कारण भी बढ़ गई थी।

(iv) महिला पुलिस की नियुक्तियां

महिला तथा बच्चों के विरूद्ध अपराध की घटनाओं में वृद्धि तथा अपराधी गतिविधियों में महिलाओं के ज्यादा शामिल होने के कारण गृह मंत्रालय ने महिला पुलिस की संख्या की समीक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया। राष्ट्रीय पुलिस आयोग ने भी पुलिस स्टेशनों में महिला पुलिस की कम से कम 10 प्रतिशत तैनाती की अनुशंसा की (नवंबर 1980)।

हरियाणा पुलिस में महिला पुलिस की संख्या 42,753 कार्मिकों की कुल संख्या के विरूद्ध नगण्य थी, केवल 2,444 (6 प्रतिशत) महिला पुलिस राज्य में तैनात थी (जनवरी 2014)।

डी.जी.पी. हरियाणा ने तथ्यों को स्वीकारते हुए बताया (अक्तूबर 2014) कि 344 महिला सिपाहियों की भर्ती के लिए मांग हरियाणा पुलिस भर्ती बोर्ड को पहले ही भेजी जा चुकी थी लेकिन भर्ती अभी तक नहीं की गई है (जनवरी 2015)।

(v) महिला पुलिस स्टेशनों की स्थापना न होना

डी.जी.पी. ने गुड़गांव, फरीदाबाद, बहादुरगढ़ (झज्जर) तथा पंचकुला में चार महिला पुलिस स्टेशनों की स्थापना के लिए अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार (अ.मु.स.) को एक प्रस्ताव भेजा (मई 2013) तथा 176 पदों की संस्वीकृति मांगी।

डी.जी.पी. हरियाणा ने तथ्यों को स्वीकारते हुए बताया (अक्तूबर 2014) कि महिला पुलिस स्टेशनों की स्थापना के लिए प्रस्ताव दोबारा भेज दिया गया था (अगस्त 2014) लेकिन संस्वीकृति प्रतीक्षित थी (जनवरी 2015)।

(vi) मानव शक्ति की कमी/कुप्रबंधन का प्रभाव

पुलिस विभाग में मानव शक्ति की कमी का कानून तथा व्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ा है क्योंकि पुलिस अपराध न करने के लिए जनता के लिए निवारण का काम करती है। राज्य अपराध शाखा के अभिलेखों की संवीक्षा ने दिखाया कि रजिस्टर्ड अपराधों की संख्या 2009 में 79,379 से 2013 में 1,04,090 तक बढ़ गई थी।

उपर्युक्त डाटा से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि तैनाती में ज्यादा पुलिस कार्मिक प्रतिक्रिया समय में कमी, अपराध दर में वृद्धि का निवारण, डिटैक्शन तथा विश्वास में वृद्धि करेगी तथा सर्विस डिलीवरी को बढ़ाएगी।

डी.जी.पी. हरियाणा ने बताया (अक्तूबर 2014) कि विभाग द्वारा सुधारात्मक उपायों जैसे सार्वजनिक पुलिस सम्मेलन आयोजित करना, नाकों की स्थापना में वृद्धि, सी.सी.टी.वी. कैमरों की स्थापना, पुलिस पैट्रोलिंग पार्टियों/पी.सी.आर. में वृद्धि तथा महिला हैल्पलाइन नंबर जारी करना आदि शुरू किए गए थे। तथ्य रहता है कि मानव शक्ति की कमी ने राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति को प्रभावित किया था।

इस प्रकार, आई.पी.एस. तथा एच.पी.एस. अधिकारियों एवं आपरेशनल पुलिस बल की कमी थी; इसके बावजूद, विभिन्न कार्यालयों में संस्वीकृत संख्या से अधिक पुलिस कार्मिक तैनात थे। आगे, 252 पुलिस चौकियां सरकार की संस्वीकृति के बिना संचालन में थी तथा फील्ड कार्यालयों के 134 पुलिस कार्मिक डी.जी.पी. कार्यालय में विपथित किए गए थे तथा एफ.एस.एल. में 50 प्रतिशत की सीमा तक स्टाफ की कमी थी परिणामत: सैम्पलों की लंबनता में वृद्धि हुई।

उपर्युक्त बिंदु अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग के पास भेजे गए थे (जुलाई 2014); उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2015)।

बागवानी विभाग

3.12 राज्य में राष्ट्रीय बागवानी मिशन का क्रियान्वयन

जैव खेती स्कीम के अंतर्गत चार सेवा प्रदाताओं द्वारा ₹ 1.58 करोड़, जो फार्म निवेशों के लिए अभिप्रेत थे, स्टॉफ वेतन हेतु विपथित किए गए थे। नए बागान स्कीम के अंतर्गत पौधों की उत्तरजीविता दर बहुत कम थी। 237 सामुदायिक टैंक अधूरे थे और पौधा स्वास्थ्य क्लीनिक अपेक्षित उद्देश्य हेतु प्रयुक्त नहीं किए गए थे।

विशिष्ट कौशल, बागवानी उत्पादन बढ़ाने, पोषक सुरक्षा और खेती करने वाले परिवारों को आय सहायता आदि के माध्यम से बागवानी क्षेत्र की होलिस्टिक ग्रोथ प्रदान करने के विचार से भारत सरकार (भा.स.), कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय ने 2005-06 के दौरान राष्ट्रीय बागवानी मिशन (रा.बा.मि.) शुरू किया। केंद्र एवं राज्य सरकारों के मध्य निधियों का हिस्सा 85:15 के अनुपात में था। मिशन के अंतर्गत मुख्य स्कीमें जैव खेती, बागवानी यंत्रावली, जल स्रोतों का सृजन, नए बागों एवं सुरक्षित खेती की स्थापना थी। राज्य में मिशन के क्रियान्वयन हेतु बागवानी विभाग ने दिसंबर 2005 में समितियां पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत समिति के रूप में हरियाणा राज्य बागवानी विकास अभिकरण (ह.रा.बा.वि.अ.) की स्थापना की। मिशन निदेशक, ह.रा.बा.वि.अ. और पांच जिला बागवानी अधिकारियों[31] के कार्यालयों में 2009-10 से 2013-14 तक के अभिलेखों की नमूना-जांच अप्रैल 2014 से जून 2014 तक, उन्हें बिना परिवर्तन संभावित समानुपातिक आकार पद्धति द्वारा यह निर्धारित करने के लिए की गई कि क्या मिशन के अन्तर्गत स्कीमें दक्षता, मितव्ययिता और प्रभाविकता से क्रियान्वित की गई है। लेखापरीक्षा के दौरान देखी गई मुख्य अनियमितताएं निम्न थी:

वित्तीय प्रबंधन

2009-10 से 2013-14 तक की अवधि के दौरान, ह.रा.बा.वि.अ. ने ₹ 479.86 करोड़ की कुल उपलब्ध निधियों में से ₹ 443.96 करोड़ का व्यय किया था और नमूना-जांच किए गए पांच जिलों में ₹ 158.87 करोड़ का व्यय किया गया था।

[31] जिला बागवानी अधिकारी (i) भिवानी, (ii) फतेहाबाद, (iii) करनाल, (iv) यमुनानगर तथा (v) सिरसा।

नमूना-जांच के दौरान यह देखा गया कि पांच सरकारी अभिकरणों[32] से प्राप्त किए गए ₹ 34.47 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण-पत्र, लेखापरीक्षित लेखाओं की विवरणियों से समर्थित नहीं थे और सृजित परिसंपत्तियों तथा वाऊचरों का विवरण ह.रा.बा.वि.अ. के पास उपलब्ध नहीं था जो कि स्कीम के दिशानिर्देशों में अपेक्षित था। आवश्यक समर्थित प्रलेखों की अनुपस्थिति में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि निधियां स्कीम के दिशा निर्देशानुसार उपयोग की गई थी। मिशन निदेशक, ह.रा.बा.वि.अ. ने बताया (नवंबर 2014) कि ये अभिकरण सरकारी अभिकरण थे और उपयोगिता प्रमाण-पत्र उनके लेखाओं की लेखापरीक्षा के पश्चात् प्रस्तुत किए गए थे, इसलिए ह.रा.बा.वि.अ. द्वारा लेखापरीक्षित लेखाओं के विवरण कभी नहीं मांगे गए थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि समर्थित प्रलेख यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक थे कि निधियां स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार उपयोग की गई थी।

स्कीमों का क्रियान्वयन

(i) जैव खेती

जैव खेती, मुख्यत: जैविक विभिन्नता की वृद्धि, दीर्घावधि तक मिट्टी उत्पादकता अनुरक्षण और स्थानीय संगठित विधि में नवीकरणीय संसाधनों पर विश्वास करने के लिए स्कीम के अंतर्गत अभिकल्प की गई थी। ह.रा.बा.वि.अ. ने 2009-14 की अवधि के दौरान जैव खेती के अंतर्गत, नमूना-जांच किए गए पांच जिलों में, 3,454 हैक्टेयर को लाने का लक्ष्य रखा गया था जिसके विरूद्ध वास्तविक उपलब्धि मात्र 923 हैक्टेयर (27 प्रतिशत) थी और ₹ 2.40 करोड़ का व्यय किया गया था। कमियां मुख्यत: यमुनानगर, फतेहबाद और सिरसा जिले में थी।

जिला बागवानी अधिकारी (जि.बा.अ.) यमुनानगर द्वारा कमियों के कारण, कृषकों के भाग न लेने, बाढ़ संभावित क्षेत्र आदि को आरोपित किए गए और जि.बा.अ. फतेहाबाद द्वारा यह कि स्कीमें प्रारम्भिक चरण में थी और समय गुजरने के साथ-साथ कृषकों में लोकप्रिय होगी। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि स्कीम क्षेत्र की मौसम स्थिति और किसानों की रूचि को ध्यान में रखते हुए बनाई जानी चाहिए।

अस्वीकार्य मदों पर अनियमित व्यय

स्कीम के दिशानिर्देशानुसार ₹ दस हजार[33] की सहायता प्रति हैक्टेयर फार्म निवेश के लिए दिए जाने थे और ₹ पांच लाख[34] की सहायता 50 हैक्टेयर के एक क्षेत्र से आवृत किसान समूह को प्रलेखन, प्रशिक्षण, आंतरिक नियंत्रण, प्रमाणीकरण के प्रभारों के लिए दी जानी थी। इस तरह ₹ 20,000 की

[32] (i) हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार; (ii) हरियाणा बीज विकास निगम, पंचकूला; (iii) हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन, पंचकूला; (iv) हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड तथा (v) के.वी.के. (आई.ए.आर.आई.) गुड़गांव।

[33] तीन वर्ष की अवधि पर विस्तारित यानि ₹ चार हजार प्रथम वर्ष में और ₹ तीन हजार क्रमश: दूसरे तथा तीसरे वर्ष में।

[34] तीन वर्ष की अवधि पर विस्तारित यानि ₹ 1.50 लाख प्रथम वर्ष में और ₹ 1.50 लाख क्रमश: दूसरे तथा ₹ 2 लाख तीसरे वर्ष में।

सहायता प्रति हैक्टेयर निवेश और प्रमाणीकरण के लिए समान अनुपात में दी जानी थी। भारत सरकार ने 10,181 हैक्टेयर पर स्कीम के क्रियान्वयन के लिए जनवरी 2009 और अक्तूबर 2009 में ₹ 20.38 करोड़ स्वीकृत किए। ह.रा.बा.वि.अ. ने ₹ 20.38 करोड़ के लिए 10,181 हैक्टेयर क्षेत्र पर जैव खेती अपनाने एवं प्रमाणीकरण के लिए सात अभिकरणों को सेवा प्रदाताओं के रूप में कार्य आबंटित किया (जनवरी 2009 और फरवरी 2010) और 31 मार्च 2014 तक ₹ 19.99 करोड़ के व्यय द्वारा 10,095 हैक्टेयर क्षेत्र को आवृत किया।

लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि लाभभोगी किसानों को फार्म इनपुटस प्रदानगी के लिए ₹ 3.60 करोड़ चार सेवा प्रदाताओं को दिए गए थे परंतु इस राशि में से सेवा प्रदाताओं द्वारा ₹ 1.58 करोड़[35] का व्यय अस्वीकार्य मदों यथा स्टॉफ वेतन, टी.ए./डी.ए. आदि पर किया। मिशन निदेशक, ह.रा.बा.वि.अ. ने बताया (नवंबर 2014) कि फर्मों ने प्राधिकृत अभिकरणों से समझौता किया था तथा बड़े पैमाने पर प्रमाणीकरण से राशि की बचत की जो उन्होंने संसाधनो पर प्रयुक्त की। तीन वर्षों की अवधि में 50 निरीक्षण करवा कर स्कीम सही ढंग से मॉनीटर की जा रही थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि निधियां फार्म इनपुटस के लिए अभिप्रेत थी।

(ii) नए बाग स्कीम

रा.बा.मि. ने बागवानी फसलों जैसे फल, फूल, मसाले, सुगंधित पौधे तथा काजू एवं नारियल जैसी पौधीय फसलों के अन्तर्गत नया क्षेत्र लाने के उद्देश्य से नए बागों की स्थापना हेतु सहायता प्रदान की। नए बाग स्कीम के अंतर्गत, नमूना-जांच किए गए पांच जिलो में ₹ 8.29 करोड़ व्यय करके 10,233 हैक्टेयर के लक्ष्य के विरूद्ध मात्र 7,142 हैक्टेयर क्षेत्र आवृत किया गया था। जि.बा.अ. सिरसा ने बताया (मई 2014) कि न्यून उत्तरजीविता विकट मौसम स्थितियों, नहरी पानी की कमी आदि के कारण थी। जि.बा.अ. यमुनानगर और करनाल ने न्यून उत्तरजीविता के लिए बाढ़ एवं सर्दी पाला के कारणों को आरोपित किया (मई 2014)।

पौधों की कम उत्तरजीविता

रा.बा.मि. दिशानिर्देशों के अनुसार, लाभभोगियों को सहायता 60:20:20 की तीन वार्षिक किस्तों में जारी की जानी थी। दूसरी और तीसरी किस्त, पौधों के निर्धारित स्तर तक यानि कुल पौधाकरण के 75 प्रतिशत दूसरे वर्ष में और दूसरे वर्ष के 90 प्रतिशत तीसरे वर्ष में उत्तरजीविता को सुनिश्चित करने के पश्चात् ही जारी की जानी थी।

पांच जिलों की प्रगति रिपोर्टों की नमूना-जांच ने दर्शाया कि 2009-10 से 2011-12 के दौरान, 5,338.85 हैक्टेयर क्षेत्र पर फल बागानों की स्थापना हेतु सहायता की प्रथम किस्त जारी की गई थी। दूसरी किस्त 3,854.21 हैक्टेयर क्षेत्र के लिए जारी की गई थी तथा सहायता की तीसरी किस्त 3,603 हैक्टेयर[36] के लक्षित क्षेत्र के विरूद्ध मात्र 2,650.71 हैक्टेयर क्षेत्र के लिए जारी की गई। इस प्रकार से, पौधाकरण की उत्तरजीविता दर मात्र 50 प्रतिशत के लगभग थी।

[35] मैसर्ज गुलाब फल एवं सब्जियां: ₹ 8.20 लाख; मैसर्ज आई.सी.सी.ओ.ए. बंगलूरू: ₹ 113.50 लाख; मैसर्ज आई.पी.एल. नई दिल्ली: ₹ 13.66 लाख; तथा मैसर्ज के एन. बायों, हैदराबाद: ₹ 22.50 लाख।

[36] 5,338.85 हैक्टेर क्षेत्र के कुल क्षेत्र का 67.5 प्रतिशत।

मिशन निदेशक, ह.रा.बा.वि.अ. ने सुनिश्चित किया (नवंबर 2014) कि 2,650.71 हैक्टेयर की निम्न उत्तरजीविता थी। इस प्रकार, ह.रा.बा.वि.अ., क्षेत्र की मौसम विशर्तों के अनुसार समुचित फसलों के नए बागानों को स्थापित करने में विफल रहा।

(iii) जल संसाधन स्कीम का सृजन

बागबानी फसलों की सिंचाई सुनिशिचित करने के उद्देश्य से रा.बा.मि. ने सामुदायिक तालों, फार्म तालाबों/जलाशयों के निर्माण द्वारा पानी स्रोतों के सृजन हेतु सहायता प्रदान की। स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार, दो से अधिक लाभभोगी परिवारों के समुदाय/कृषक समूह को सहायता मात्र तभी दी जानी थी जब सभी समेकित घटक पूर्ण हो चुके हों। निबंधनों एवं शर्तों के मामले में सहायता की वसूली की जानी थी। इन सामुदायिक तालों के निर्माण हेतु सहायता चार किस्तों[37] में दी जानी थी। नमूना-जांच किए गए जिलों में 2009-14 के दौरान 1,121 सामुदायिक तालों के लिए ₹ 50.20 करोड़ की सहायता जारी की गई थी। लेखापरीक्षा के दौरान, यह देखा गया था कि:

- 237 सामुदायिक ताल जिसके लिए ₹ 7.84 करोड़ की सहायता जारी की गई थी, अपूर्ण थे और बागबानी उद्देश्य के लिए प्रयुक्त नहीं किए गए, इस प्रकार इन सामुदायिक तालों के लिए दी गई सहायता निष्फल हुई और सामुदायिक तालों के निर्माण का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका। मिशन निदेशक, ह.रा.बा.वि.अ. ने बताया (नवंबर 2014) कि प्रथम एवं द्वितीय किस्तों की जारी राशि की वसूली के लिए प्रयास किए जाएंगे। अंतिम कार्यवाही प्रतीक्षित थी (नवंबर 2014)।

- सहायता दो से अधिक लाभभोगी परिवारों के समूहों को दी जानी थी। आवेदन प्रपत्रों एवं अनुमोदन फाइलों की सवींक्षा के दौरान यह देखा गया कि 858 सामुदायिक तालों के लिए ₹ 36.72 करोड़ की सहायता उन समूहों को दी गई थी जिनमें मात्र दो लाभ भोगी परिवार थे।

- विभागीय अधिकारियों के साथ किए गए 52 सामुदायिक तालों के सयुंक्त भौतिक सत्यापन ने दर्शाया कि 19 सामुदायिक ताल, अपूर्ण निर्माण कार्यों, माइक्रो सिंचाई विधि की स्थापना आदि के कारण अधूरे पड़े थे। इसके अतिरिक्त, लाभभोगियों, जिन्होंने सामुदायिक ताल पूर्ण नहीं किए थे और स्कीम की शर्तों एवं विशर्तों की अवहेलना की थी, से सहायता राशि वसूल नहीं की गई थी।

मिशन निदेशक, ह.रा.बा.वि.अ. ने बताया (नवंबर 2014) कि असल में, लाभ भोगी किसानों ने पौधारोपण नहीं किया या ड्रिप सिंचाई का पूर्वाभास नहीं था। इस प्रकार, ह.रा.बा.वि.अ. स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार स्कीम को सही ढ़ग से क्रियान्वित नहीं कर सका और पूर्व में प्रदत्त सहायता की वसूली के लिए प्रक्रिया शुरू नहीं की थी।

[37] पहली तीस प्रतिशत ताल की खुदाई और ईंट लाइनिंग पूर्ण होने के पश्चात्, दूसरी तीस प्रतिशत फर्श के सीमेंट कंकरीट के पूर्ण होने तथा इनलेट चैनल के निर्माण के पश्चात्, बीस प्रतिशत की तीसरी किस्त माईक्रो सिंचाई विधि स्थापना और फल फसल के पौधारोपण के पश्चात् और चौथी किस्त सभी समेकित घटकों की पूर्णता के पश्चात्।

(iv) कमजोर वर्गों के लिए निधियों को उद्दिष्ट न करना

भारत सरकार के अनुदेशों (अप्रैल 2007) के अनुसार, 16 प्रतिशत निधियां अनुसूचित जातियों (अ.ज.) से संबंधित किसानों के लिए उद्दिष्ट की जानी थी और बजट आबंटन का कम से कम 30 प्रतिशत महिला लाभभोगियों के लिए उद्दिष्ट किया जाना था।

ह.रा.बा.वि.अ.ने समाज के कमजोर वर्गों के लिए निधियां उद्दिष्ट नहीं की थी। मिशन निदेशक ह.रा.बा.वि.अ. ने बताया (नवंबर 2014) कि महिलाओं एव एस.सी. किसानों के नाम भूमि जोत क्षेत्र नगण्य थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्यों कि सितंबर 2013[38] को राज्य में 29,015 एस.सी. परिवारों के पास 43,425 हैक्टेयर के जोत क्षेत्र थे। आगे, राज्य सरकार ने एस.सी. लाभभोगियों के लिए उपलब्ध निधियों का एक प्रतिशत आबंटन घटाने के लिए भारत सरकार से अनुमति मांगी थी (अक्तूबर 2013) परंतु भारत सरकार द्वारा अनुमति अब तक नहीं दी गई थी (नवंबर 2014)। ह.रा.बा.वि.अ. ने महिला लाभभोगियों की पहचान के लिए कोई प्रयत्न नहीं किए थे।

(v) पौधा स्वास्थ्य क्लीनिकों का दुरूपयोग

उत्पादन एवं उत्पादकता के सुधार हेतु, उन्नत तकनीकी, जिसमें मिट्टी एवं पानी की जांच हेतु पौधा स्वास्थ्य क्लीनिकों को, जिसमें बायो नियंत्रण लैब, पता/टिशु विश्लेषण लैब और पैथोलोजी लैब आदि की स्थापना शामिल थी, अपनाने पर विशेष बल दिया गया था। ह.रा.बा.वि.अ. ने राज्य में ₹ 2.88 करोड़ की लागत से 14 पौधा स्वास्थ्य क्लीनिकों का निर्माण किया (फरवरी 2007-जनवरी 2012)। तथापि, ये भवन प्रयोगशालाओं के बजाय संबंधित जि.बा.अ. के कार्यालयों के रूप में प्रयुक्त किए जा रहे थे। अत: इससे इन पौधा स्वास्थ्य क्लीनिकों के निर्माण के उद्देश्य विफल रहे। इन पी.एच.सीज के लिए उपकरणों की कोई अधिप्राप्ति नहीं की गई थी और कोई मानव शक्ति स्वीकृत नहीं की थी। मिशन निदेशक, ह.रा.बा.वि.अ. ने बताया (नवंबर 2014) कि स्टॉफ में वृद्धि के कारण पी.एच.सीज का कार्यालय के रूप में उपयोग किया जा रहा था। तथ्य रहता है कि पी.एच.सीज अभिप्रेत उद्देश्य के लिए प्रयुक्त नहीं की गई थी।

(vi) जोखिम एवं लागत क्लॉज शामिल न करने के कारण हानि

उत्तम गुणवत्ता बागबानी पौधारोपण सामग्री की अधिप्राप्ति के उद्देश्य से भारत सरकार ने पौधारोपण सामग्री आयात करने के लिए एक स्कीम प्रारंभ की (अप्रैल 2010)। ह.रा.बा.वि.अ. ने रमणीय फूलों के पौधारोपण के लिए 2011-12 में प्रावधान किया और रमणीय कंदों (बीज) के क्रय हेतु जुलाई 2011 में निविदाएं आमंत्रित की जिनके विरूद्ध आठ एजेंसियों ने अपनी बोलियां प्रस्तुत कीं। नई दिल्ली को मैसर्ज शील और कोलकाता की मैसर्ज ओ.सी.सी.एफ. दो फर्मों की दरें उचित पाई गई और क्रमश: ₹ 2.80 और 2.89 प्रति कन्द के लिए अनुमोदित की गई। तदनुसार, मैसर्ज शील, नई दिल्ली को 40.57 लाख कन्दों और मैसर्ज ओ.सी.सी.एफ को 38.96 लाख कन्दों की आपूर्ति के लिए आपूर्ति आदेश 30 सितंबर 2011 तक की समय सीमा के साथ दिए गए थे (अगस्त 2011)। मैसर्ज शील, नई दिल्ली ने आपूर्ति पूर्ण की परंतु मैसर्ज ओ.सी.सी.एफ. कोलकाता ने हालैंड से कन्दों

[38] स्रोत: कृषि विभाग, हरियाणा द्वारा किया गया सर्वेक्षण।

के आयात करने के लिए अपनी असमर्थता प्रकट की। ह.रा.बा.वि.अ. ने अक्तूबर 2011 में नई निविदाएं मांगी जिसमें एकल बोली प्राप्त हुई थी और मैसर्ज एन.ई.आर.एम.ए.सी. को अक्तूबर 2011 में ₹ 3.50 प्रति कन्द की दर से 32.09 लाख कन्दों की आपूर्ति के लिए एक आदेश दिया गया था। नई एजेंसी ने 28.25 लाख कंदों की आपूर्ति की। इस प्रकार, ह.रा.बा.वि.अ. को 28.25 लाख कंदों के क्रय पर ₹ 17.23 लाख का अतिरिक्त व्यय करना पड़ा था। लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि ओ.सी.सी.एफ. कोलकाता के साथ डी.एन.आई.टी./आपूर्ति आदेश में जोखिम एवं लागत की क्लॉज शामिल नहीं की गई थी। इस प्रकार, निविदा में जोखिम एवं लागत क्लॉज शामिल न करने के कारण ह.रा.बा.वि.अ. को ₹ 17.23 लाख की हानि उठानी पड़ी।

ह.रा.बा.वि.अ. ने अपने उत्तर में बताया (नवंबर 2014) कि फर्म से लागत भिन्नता नहीं पूछी गई थी और आश्वासन दिया कि भविष्य में निविदा में आवश्यक क्लॉज को शामिल किया जाएगा।

इस प्रकार, जैव खेती के अंतर्गत चार सेवा प्रदाताओं ने ₹ 1.58 करोड़ जो फार्म निवेश के लिए थे, स्टॉफ वेतन एवं टी.ए. डी.ए. पर व्यय किए। नई बागान स्कीम के अंतर्गत लक्षित 3,603 हैक्टेयर क्षेत्र के विरूद्ध मात्र 2,651 हैक्टेयर क्षेत्र पर पौधे उत्तरजीवित थे। 237 सामुदायिक ताल जिनके लिए ₹ 7.84 करोड़ की सहायता निर्मुक्त की गई थी, अधूरे थे। मात्र दो लाभ भोगी परिवारों के समूहों के 858 सामुदायिक तालों के लिए ₹ 36.72 करोड़ प्रदान किए गए थे और निविदा में जोखिम एवं लागत कलॉज शामिल न करने के परिणामस्वरूप ₹ 17.23 लाख की हानि हुई।

उपर्युक्त तथ्य अपर मुख्य सचिव, बागबानी विभाग को संदर्भित किए गए (अगस्त 2014); उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2015)।

सिंचाई विभाग

3.13 निकास चैनल की एकल लेयर ईंट (ए.ले.ई.) लाईनिंग पर निष्फल व्यय

प्राक्कलन तैयार करते समय भूमिगत जल स्तर की स्थिति को सुनिश्चित न करने के परिणामस्वरूप ₹ 1.95 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

हरियाणा लोक निर्माण विभाग संहिता[39] का अनुच्छेद 2.22 प्रावधान करता है कि कार्य की परियोजना में, विशिष्टीकरण, पैमाईश की विस्तृत तालिका, प्रमात्रा एवं दरें और कार्य के निष्पादन द्वारा प्राप्त उद्देश्यों को स्पष्ट शर्तों में बताने वाली रिपोर्ट और विशिष्टताएं, जिनकी व्याख्या अपेक्षित है, शामिल होनी चाहिए। आगे, अनुच्छेद 2.41 (परिशिष्ट 9(क)) स्पष्ट करता है कि अनुमोदन के लिए परियोजना को उच्चाधिकारियों को प्रस्तुत करने से पहले, सरेखण एवं मिट्टी दोनों के सर्वेक्षण सहित प्रारम्भिक कार्य पूर्ण होने चाहिए।

जे.एल.एन. नहर की कि.मी. 30.300 एल. पर निकास चैनल कि.मी. 0.00 से कि.मी. 4.700 तक निकास चैनल की लाईनिंग के लिए हरियाणा राज्य बाढ़ नियंत्रण बोर्ड (ह.रा.बा.नि.बो.) की फरवरी 2009 में हुई 40वीं बैठक में ₹ 1.87 करोड़ के लिए एक स्कीम अनुमोदित की गई थी जिसका उद्देश्य सीमित भूमि चौड़ाई में जलाशय क्षेत्र सृजित करना और जब पंप हाऊस पर पॉवर रिस्टोर की

[39] नवंबर 2009 से पहले लागू पुरानी हरियाणा पी.डब्ल्यू.डी. संहिता।

गई हो, निकास चैनल के पानी को वापस जे.एल.एन. नहर में लाना था। कार्यकारी अभियंता (का.अ.) जल सेवाएं मंडल-2 रेवाड़ी द्वारा मई 2009 में कार्य के लिए निविदाएं मांगी गई थी और कार्य ₹ 2.12 करोड़ की अनुबंधित राशि पर एक एजेंसी को दिया गया (नवंबर 2009)। विस्तृत प्राक्कलन के अनुसार प्रमात्रा के आधार पर परियोजना लागत ₹ 2.60 करोड़ तक संशोधित की और पुनः विपथन और निचले भूमिगत जल स्तर (नि.भू.ज.स्त.) के प्रावधान के कारण परियोजना की लागत में ₹ 3.01 करोड़ तक की वृद्धि की गई थी (सितंबर 2010)।

का.अ., जल सेवाएं मण्डल-2, रेवाड़ी के कार्यालय में अभिलेखों की संवीक्षा (जून 2012) ने दर्शाया कि जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (ज.स्वा.अ.वि.) द्वारा निकास चैनल में शहरी बहिस्राव के सतत् बहाव के कारण, नि.भू.ज.स्त. बढ़ गया और एजेंसी ने लगभग 1.105 कि.मी. (कि.मी. 1.915 से कि.मी. 3.020 तक) की लाईनिंग का कार्य निष्पादित नहीं किया और कार्य जून 2011 से परित्यक्त पड़ा था। कार्य पर ₹ 1.95[40] करोड़ का व्यय किया गया था। शेष कार्य को पूर्ण करने के लिए विभाग द्वारा आगे की कोई कार्यवाही नहीं की गई थी जैसा कि प्राक्कलन में विचारित था। उसी समय, निष्पादित कार्य रन्द्र जल दबाव[41] के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था। इसके अतिरिक्त, हरियाणा कैनाल एवं ड्रेनेज अधिनियम, 1974 की धारा 58 और 64 के अनुसार जो कैनाल में किसी भी उपचारित/अनुपचारित ट्रेड बहिस्राव या मल निकास बहिस्राव के बहाव की मनाही करता है, ज.स्वा.अ.वि. के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई थी (अधिसूचना जुलाई 2003)।

यह इंगित किए जाने पर (अगस्त 2013), प्रमुख अभियंता, सिंचाई विभाग ने सूचित किया (मार्च 2014) कि जब स्कीम तैयार की गई थी, सूखा क्षेत्र होने से, क्षेत्र की भूमिगत समस्या का प्रश्न नदारद था और नि.भू.ज.स्त. शहरी मल के सतत् बहाव के कारण बढ़ना शुरू हो गया। विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि प्राक्कलन तैयार करने के लिए सर्वेक्षण के समय (जून 2009) चैनल में पानी खड़ा/बह रहा था और क्योंकि ज.स्वा.अ.वि. का बहाव चैनल में सतत् रूप से बह रहा था, कार्य के निष्पादन से पहले नि.भू.ज.स्त. की स्थिति को सुनिश्चित करना अपेक्षित था।

अपर मुख्य सचिव, ज.स्वा.अ.वि. ने सूचित किया (जून 2014) कि उपचारित मल को लाल बहादुर शास्त्री (एल.बी.एस.) रिचार्ज चैनल तक ले जाने के लिए 6.2 किलोमीटर लंबी पाईप लाईन के संबंध में कार्य प्रगति पर था। प्रमुख अभियंता, ज.स्वा.अ.वि. ने सूचित किया (दिसंबर 2014) कि कार्य पूर्ण हो चुका था और उपचारित बहिस्राव का बहाव एल.बी.एस. रिचार्ज चैनल में हो रहा था। तथापि, का.अ., जल सेवाएं मण्डल संख्या 2, रेवाड़ी ने सूचित किया (दिसंबर 2014) कि मल बहिस्राव अभी भी निकास चैनल में बहा रहा था और निकास चैनल की लाईनिंग की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं था।

इस प्रकार, उचित योजना, सर्वेक्षण एवं ज.स्वा.अ.वि. के साथ बहाव के मामले के निपटान बिना कार्य करने और सरकार द्वारा जारी अनुदेश न अपनाने के परिणामस्वरूप ₹ 1.95 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ क्योंकि परियोजना का उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ था। आगे, मलजल, भू-जल, नलकों, नलकूपों आदि की गुणवत्ता को प्रभावित करते हुए नजदीकी क्षेत्र के पर्यावरण एवं भूमि जल को भी

40 ठेकेदार का भुगतान ₹ 1.92 करोड़ (नवंबर 2012 का अंतिम बिल) तथा फुटकर व्यय ₹ 0.03 करोड़।

41 रन्द्र जल दबाव, रन्द्रों के बीच रूक-रूक कर, भूमि या चट्टान के भीतर भू-जल के दबाव को संदर्भित है।

दूषित कर रहा था। निकास चैनल के अति बहाव के कारण नजदीकी कृषीय भूमि भी अकृषीय में परिवर्तित हो गई थी।

मामला मुख्य सचिव, सिंचाई विभाग को संदर्भित किया गया था (मई 2014), परन्तु उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2015)।

3.14 कमांड क्षेत्र विकास प्राधिकरण का कार्यचालन

कमांड क्षेत्र विकास प्राधिकरण ने जल मार्गों के निर्माण के लक्ष्य प्राप्त नहीं किए। किसान जागरूकता अभियान आयोजित नहीं किए गए थे। पूर्ण किए गए 438 जल मार्ग, जल प्रयोक्ता संघ को नहीं सौंपे गए थे, ठेकेदारों से ₹ 67.70 लाख का श्रमिक उपकर वसूल नहीं किया गया था तथा ₹ 38.56 लाख की प्रतिभूति जमा डिफेक्ट दायिता अवधि की समाप्ति से पहले वापस लौटा दी गई।

कमांड क्षेत्र विकास प्राधिकरण (क.क्षे.वि.प्रा.), समिति पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत 1974 में समिति के रूप में पंजीकृत की गई थी। क.क्षे.वि.प्रा. के मुख्य कार्य फील्ड चैनलों (जल मार्गों) का निर्माण करना, जल प्रयोक्ता संघ (ज.प्र.सं.) को संस्थागत समर्थन प्रदान करना तथा डेमोंस्ट्रेशन प्लाटों के माध्यम से नागरिकों के लिए जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करना था। ये परियोजनाएं केंद्रीय तथा राज्य सरकार द्वारा समान अनुपात में निधिकृत की जानी थी। राज्य में कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम राज्य के भिन्न-भिन्न भौगोलिक क्षेत्रों को आवृत्त करते हुए तीन भिन्न-भिन्न परियोजनाओं[42] के माध्यम से शुरू किए गए थे। 2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान राज्य में जल मार्गों के निर्माण पर क.क्षे.वि.प्रा. का कुल व्यय ₹ 522.74 करोड़ था।

क.क्षे.वि.प्रा. के कार्यक्रम कार्यान्वयन एवं उपलब्धियों का विश्लेषण करने के लिए प्रशासक, क.क्षे.वि.प्रा., पंचकुला तथा 12 क.क्षे.वि. मंडलों में से नौ[43] के कार्यालय में 2009-10 से 2013-14 की अवधि से संबंधित अभिलेखों की नमूना-जांच सितंबर 2013 से जनवरी 2014 के दौरान की गई थी। देखी गई कमियों पर अनुवर्ती अनुच्छेदों में चर्चा की गई है:

(i) भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी

नमूना-जांच किए गए मंडलों में क.क्षे.वि.प्रा. ने 1,744 जल मार्गों के निर्माण पर ₹ 376.59 करोड़ का व्यय किया, जिनमें से 1,283 जल मार्ग पूर्ण किए गए थे तथा 461 जल मार्गों पर कार्य प्रगति पर था (जून 2014)। तीन परियोजनाओं के अंतर्गत आवृत्त क्षेत्र के संबंध में लक्ष्य एवं प्राप्तियां **तालिका 3.2** में दी गई हैं:

[42] (ए) भाखड़ा नहर कमांड फेस-II (बी.सी.सी.-फेस-II)-3.52 लाख हेक्टेयर (2009-10 से 2019-20) (बी) पश्चिमी जमुना नहर कमांड फेस-VI (डब्ल्यू.जे.सी.-VI)-2.06 लाख हेक्टेयर (2007-08 से 2018-19) तथा (सी) जवाहर लाल नेहरू नहर कमांड फेस-II (जे.एल.एन. फेस-II)-0.99 लाख हेक्टेयर (2007-08 से 2021-22)।

[43] 1. फतेहाबाद, 2. हिसार, 3. झज्जर, 4. जींद, 5. कैथल, 6. करनाल, 7. कुरूक्षेत्र, 8. पानीपत तथा 9. सिरसा।

तालिका 3.2: 2009 – 14 के दौरान जल मार्गों के निर्माण के लक्ष्य एवं प्राप्तियां

	जे.एल.एन.-II		डब्ल्यू.जे.सी.-VI		बी.सी.सी.-II	
	समग्र रूप में राज्य	क.क्षे.वि.प्रा. मंडल झज्जर	समग्र रूप में राज्य	नमूना – जांच किए गए चार मंडल[44]	समग्र रूप में राज्य	नमूना – जांच किए गए छः मंडल[45]
लक्ष्य (एचए)	60,000*	4,600**	70,000*	50,539**	1,70,000*	1,63,530**
प्राप्ति (एचए)	5,484	3,091	80,689	46,301	1,73,785	1,76,300
कमी (-)/ आधिक्य (+)(एचए)	(-)54,516	(-)1,509	(+)10689	(-)4,238	(+)3,785	(+)12,770
% कमी (-)/ आधिक्य (+)	(-)91	(-)33	(+)15	(-)8	(+)2	(+)8
प्रयुक्त निधियां (₹ करोड़ में)		2.60		93.78		280.21

* विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार लक्ष्य ** मंडलों के लिए क.क्षे.वि.प्रा. द्वारा निर्धारित लक्ष्य

(स्रोतः क.क्षे.वि.प्रा. द्वारा आपूरित सूचना)

प्रशासक, क.क्षे.वि.प्रा. ने बताया (अप्रैल 2014) कि जे.एल.एन. फेस - II के अंतर्गत लक्ष्य प्राप्त न करने हेतु कारण अपूर्ण समेकन कार्य, कृषि से प्राप्त कम लाभ, रीयल इस्टेट मूल्यों में वृद्धि, वाणिज्यिक गतिविधियां इत्यादि थे। उत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि क.क्षे.वि.प्रा. ने लक्ष्य स्वयं निर्धारित किए थे तथापि, लक्ष्य प्राप्त नहीं किए गए थे।

(ii) हरियाणा ग्रामीण विकास निधि से किसानों के हिस्से का अनियमित अंशदान

भारत सरकार के दिशानिर्देशों (जुलाई 2005) के अनुसार फील्ड चैनलों के निर्माण एवं रख-रखाव में लाभार्थी किसानों की सहभागिता सुनिश्चित करने तथा उनमें, सृजित परिसंपत्तियों के स्वामित्व की भावना जगाने के लिए लाभार्थी किसानों से फील्ड चैनलों के निर्माण की कुल लागत के 10 प्रतिशत की वसूली अनिवार्य थी।

नमूना-जांच किए गए नौ क.क्षे.वि. मंडलों में कुल ₹ 51.01 करोड़ के लाभार्थी हिस्से में से केवल ₹ 4.53 करोड़ की राशि लाभार्थी किसानों से वसूल की गई थी तथा शेष ₹ 46.48 करोड़ का अंशदान हरियाणा ग्रामीण विकास निधि (ह.ग्रा.वि.नि.) से किया गया था जो किसानों में सृजित परिसंपत्तियों के स्वामित्व की भावना जगाने के भाव के विरूद्ध था।

(iii) पूर्ण किए गए जल मार्गों का जल प्रयोक्ता संघों को न सौंपना

भारत सरकार, जल संसाधन मंत्रालय द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के पैरा 4.4 के प्रावधानों के अनुसार जल प्रयोक्ता संघ को जल प्रभार एकत्र करने तथा जल मार्गों का परिचालन एवं रख-रखाव करने हेतु उन्हें सशक्त बनाने के लिए जल मार्गों की सुपुर्दगी अनिवार्य थी।

नमूना-जांच किए गए मंडलों में 1,283 पूर्ण किए गए लाईनड जल मार्गों में से ₹ 110.12 करोड़ की लागत पर निर्मित 438 जल मार्ग ज.प्र.सं. को नहीं सौंपे गए थे (मार्च 2014)। इसमें से ₹ 28.96 करोड़ की लागत पर 31 मार्च 2012 से पहले निर्मित 114 जलमार्ग ज.प्र.सं. को क्रियाशील

44 (i) हिसार, (ii) जींद, (iii) पानीपत तथा (iv) झज्जर।

45 (i) सिरसा, (ii) फतेहाबाद, (iii) हिसार (iv) करनाल (v) कैथल तथा (vi) कुरूक्षेत्र।

अनुदान जारी न करने के कारण सौंपे नहीं गए थे (मार्च 2014)। इसने सुपुर्दगी की तारीख तक जल मार्गों के नियमित रख-रखाव के लिए क.क्षे.वि.प्रा. को उत्तरदायी बनाया। प्रशासक, क.क्षे.वि.प्रा. ने बताया (अप्रैल 2014) कि ज.प्र.सं. को पूर्ण किए गए लाईनड जल मार्गों को यथा शीघ्र सुपुर्द करने के लिए अनुदेश जारी किए गए थे। अंतिम कार्रवाई प्रतीक्षित थी (जनवरी 2015)।

(iv) ठेकेदारों से श्रमिक उपकर की अवसूली

राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार (अगस्त 2007) निर्माण कार्य के मूल्य के एक प्रतिशत की दर पर श्रमिक उपकर ठेकेदारों के बिलों से काटा जाना था।

अप्रैल 2008 से दिसंबर 2010 की अवधि के दौरान नौ क.क्षे.वि. मंडलों में ₹ 67.70 करोड़ के ठेकेदारों के बिलों से ₹ 67.70 लाख का श्रमिक उपकर नहीं काटा गया था। प्रशासक, क.क्षे.वि.प्रा. ने बताया (अप्रैल 2014) कि अनुदेशों की प्राप्ति न होने के कारण श्रमिक उपकर नहीं काटा गया था। लेखापरीक्षा ने देखा कि प्रशासक, क.क्षे.वि.प्रा. ने अगस्त 2007 की बजाय मार्च 2009 में अनुदेश परिचालित किए थे।

(v) डिफेक्ट दायिता अवधि की समाप्ति से पहले प्रतिभूति धन जारी करना

डी.एन.आई.टी. के निबंधनों एवं शर्तों में किए गए प्रावधान के अनुसार बिल राशि के 10 प्रतिशत की दर पर प्रतिभूति जमा, जब कटौतियों की संचित राशि निविदाकृत मूल्य के पांच प्रतिशत तक पहुंचती है, ठेकेदार के बिलों से काटे जाने थे। प्रतिभूति जमाओं का 50 प्रतिशत कार्य की समाप्ति पर तथा शेष 50 प्रतिशत छ: माह की डिफेक्ट दायिता अवधि की समाप्ति के 30 दिनों के भीतर लौटाया जाना था।

नमूना-जांच किए गए क.क्षे.वि. मंडलों में 2009-14 की अवधि के दौरान ₹ 38.56 लाख के प्रतिभूति जमा डी.एन.आई.टी. की शर्तों के उल्लंघन में छ: माह की डिफेक्ट दायिता अवधि की समाप्ति से पहले 91 मामलों में ठेकेदारों को लौटाए गए थे। प्रशासक, क.क्षे.वि.प्रा. ने आश्वासन दिया कि भविष्य में प्रतिभूति जमा डी.एन.आई.टी. शर्तों के अनुसार जारी किया जाएगा।

(vi) दोषपूर्ण कार्यान्वयन के कारण अनियमित व्यय

भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार खेतों को तैयार करने से तथा पैदावार के विपणन तक अर्थात् भूमि को समतल करना, पानी लगाना, पूरी खाद, उन्नत बीज बोना, पौधा सरंक्षण उपाय इत्यादि फार्म विकास कार्य का डेमोंस्ट्रेशन प्रति प्लॉट ₹ 20,000 खर्च करके किया जाना था।

2009-14 के दौरान नमूना-जांच किए गए नौ मंडलों ने जल प्रबंधन एवं फसल पालन में सुधार के लिए किसानों को नवीनतम तकनीकों की शिक्षा हेतु डेमोंस्ट्रेशन प्लॉटों की स्थापना हेतु चार विभागों/संस्थाओं को ₹ 1.41 करोड़[46] की राशि जारी की। राशि को उपयोग किया गया दर्शाया गया था किंतु स्थापित डेमोंस्ट्रेशन प्लॉटों के संबंध में सूचना, अर्थात्, लाईन्ड जल मार्ग का नाम, डेमोंस्ट्रेशन प्लॉट का साइट प्लान, किसान की स्थिति, पैदावार के परिणाम, घटकवार व्यय के विवरण, अभिलेख में नहीं पाए गए थे। आगे, यह देखा गया था कि क.क्षे.वि.प्रा. थोड़ा-थोड़ा करके

[46] कृषि विभाग: ₹ 1.24 करोड़; हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय (ह.कृ.वि.), हिसार: ₹ नौ लाख; कृषि विज्ञान केंद्र, कैथल: ₹ सात लाख तथा बागवानी विभाग: ₹ 1.41 लाख।

इनपुटस जैसे बीज, जिंक सल्फेट, बायो फर्टिलाइजर्स तथा किसानों को ₹ 2,000 से ₹ 3,500 तक के भिन्न घासपातनाशी प्रदान कर रहा था इससे डेमोंस्ट्रेशन प्लॉटों के विकास का उद्देश्य विफल हुआ।

एक अन्य मामले में प्रशासक, क.क्षे.वि.प्रा. ने ऑन-फार्म जल प्रबंधन परियोजना के लिए कृषीय मशीनरी प्रापण हेतु मार्च 2008 में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय (एच.ए.यू.), हिसार को ₹ 52.65 लाख इस शर्त पर जारी किए कि मशीनरी चालू हालत में वापस की जाएगी। यह देखा गया था कि स्कीम के निष्पादन एवं अर्जित राजस्व का कोई विवरण क.क्षे.वि.प्रा. के साथ बांटा नहीं गया था तथा मशीनरी भी अब तक क.क्षे.वि.प्रा. को वापस नहीं की गई थी (मार्च 2014)।

इंगित किए जाने पर, प्रशासक क.क्षे.वि.प्रा. ने बताया (अप्रैल 2014) कि प्लॉटों के डेमोंस्ट्रेशन के कार्य, कृषि तथा बागवानी विभागों के माध्यम से कार्यान्वित किए जाने थे। जारी की गई निधियों के उपयोगिता प्रमाण-पत्र इन विभागों से एकत्र किए जा रहे हैं तथा मशीनरी वापस प्राप्त करने के लिए मामला एच.ए.यू. के साथ उठाया जा रहा है। उत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि परियोजना दिशानिर्देशों के अंतर्गत अपेक्षित अनुसार कार्यान्वयन संस्थाओं से परियोजना विवरण प्राप्त नहीं किए गए थे।

इस प्रकार, जे.एल.एन.-II परियोजना के अंतर्गत लक्ष्यों की प्राप्ति में अत्यंत कमी थी। किसानों में परिसंपत्तियों के स्वामित्व की भावना जगाने के उद्देश्य को विफल करते हुए किसानों के हिस्से का अनियमितरूप से अंशदान ह.ग्रा.वि.नि. से किया गया था। ₹ 110.12 करोड़ की लागत पर निर्मित 438 जल मार्ग अभी सुपुर्द किए जाने शेष थे। ₹ 67.70 लाख का श्रमिक उपकर ठेकेदारों से काटा नहीं गया था तथा डिफेक्ट दायिता अवधि की समाप्ति से पहले उनकी प्रतिभूमि जारी की गई थी।

उपर्युक्त बिंदु अपर मुख्य सचिव, सिंचाई विभाग के पास भेजे गए थे (जुलाई 2014); उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2015)।

जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग
(जल आपूर्ति एवं स्वच्छता बोर्ड)

3.15 बैंक के साथ करार न करने के कारण ब्याज की हानि

जल आपूर्ति एवं स्वच्छता बोर्ड द्वारा बचत बैंक खातों के प्रचालन के संबंध में कार्यक्रम दिशानिर्देशों की अननुपालना के परिणामस्वरूप ₹ 5.51 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।

भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (रा.ग्रा.पे.ज.का.) के अंतर्गत निधियों के आबंटन एवं रखने के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए (अप्रैल 2009)। दिशानिर्देशों में प्रावधान किया गया कि केंद्रीय आबंटन, कार्यक्रम कार्यान्वयन सांविधिक निकायों जैसे राज्यों में बोर्डों, को सीधे ही जारी किए जाएंगे। हरियाणा में, कार्यक्रम को जल आपूर्ति एवं स्वच्छता बोर्ड (ज.आ.स्व.बो.) द्वारा कार्यान्वित किया गया था। बैंक, ज.आ.स्व.बो. तथा निदेशक, पेयजल एवं स्वच्छता, भारत सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) पर हस्ताक्षर करके ज.आ.स्व.बो. द्वारा कार्यक्रम खाता तथा समर्थन गतिविधि खाता नामक दो बचत खातों

का रख-रखाव किया जाना अपेक्षित था। राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन, हरियाणा की शीर्ष समिति ने अपनी 30 नवंबर 2011 को आयोजित बैठक में कार्यक्रम खाता तथा समर्थन खाता नामक दो खातों को क्रमशः प्रमुख अभियंता तथा निदेशक, राज्य जल एवं स्वच्छता सहायता संगठन के माध्यम से परिचालित करने का निर्णय लिया।

भारत सरकार द्वारा जारी किए गए प्रारूप एम.ओ.यू. (सितंबर 2010) में प्रावधान किया गया था कि बैंक को ₹ पांच करोड़ से अधिक की निधियों को ₹ 25 लाख की इकाइयों में एक वर्ष की परिपक्वता अवधि के साथ सावधि जमाओं के रूप में स्वतः निवेश करना तथा यदि निधियां ₹ पांच करोड़ से कम हो जाएं तो अंत में निवेश की गई प्रतिभूतियों का स्वतः नकदीकरण करना तथा समयपूर्व नकदीकरण के लिए कोई प्रभार काटे बिना निवेश की तारीख से नकदीकरण की तारीख तक ब्याज का भुगतान करना था। सावधि जमा के लिए ब्याज की दर बैंक के मुख्यालय द्वारा अधिसूचित की जानी थी तथा बचत बैंक खातों में शेषों पर वर्तमान बचत बैंक ब्याज दरों पर ब्याज देय था तथा उपार्जित ब्याज कार्यक्रम खाते को क्रेडिट किया जाना था।

ज.आ.स्व.बो. के अभिलेखों की जांच (फरवरी 2014) ने दर्शाया कि ज.आ.स्व.बो. ने रा.ग्रा.पे.ज.का. के अंतर्गत निधियों की प्राप्ति एवं व्यय के लिए कार्यक्रम खाता तथा समर्थन खाता नामक दो बचत बैंक खाते खोले (अक्तूबर 2009) किंतु सितंबर 2010 तथा मार्च 2012 के मध्य भारत सरकार द्वारा जारी किए कई अनुस्मारकों के बावजूद बैंक के साथ त्रिपक्षीय एम.ओ.यू. नहीं किया गया था। यह देखा गया कि भारत सरकार ने नवंबर 2009 से फरवरी 2014 की अवधि के दौरान ₹ 1,210.14 करोड़ जारी किए। कार्यक्रम खाते में भारी शेष थे जो जनवरी 2010 तथा फरवरी 2014 के दौरान ₹ 7.48 करोड़ से ₹ 153.97 करोड़ के मध्य थे। यदि एम.ओ.यू. किया गया होता तो पांच करोड़ रूपए के आधिक्य में शेषों को स्कीम दिशानिर्देशों में विचार किए गए अनुसार सावधि जमाओं के रूप में निवेश किया जा सकता था। त्रिपक्षीय एम.ओ.यू. के अभाव में ₹ पांच करोड़ की सीमा के आधिक्य में ₹ 2.48 करोड़ तथा ₹ 148.97 करोड़ के मध्य श्रृंखलित शेष सावधि जमाओं में निवेश नहीं किए गए थे जिसके परिणामस्वरूप ₹ 5.5.1 करोड़ (बचत खाते में अर्जित ब्याज छोड़कर) के ब्याज की हानि हुई।

इंगित किए जाने पर (फरवरी 2014) सदस्य सचिव, ज.आ.स्व.बो. ने सूचित किया (मार्च 2014) कि स्कीम दिशानिर्देशों के अंतर्गत भारत सरकार के आदेश-पत्र के अनुसार बचत बैंक खाता खोला गया था। ई.आई.सी. ने आगे बताया (अगस्त 2014) कि भारतीय स्टेट बैंक, राज्य जल तथा स्वच्छता मिशन (एस.डब्ल्यू.एस.एम.) तथा राजीव गांधी पेयजल मिशन के मध्य त्रिपक्षीय एम.ओ.यू. करने के लिए सरकार से अनुमति मांगी गई थी जिसमें पार्टियां, दिशानिर्देशों के प्रावधानों को मानने के लिए सहमत होंगी। परंतु सरकार ने केवल एक कार्रवाई, अर्थात् एस.डब्ल्यू.एस.एम., पंचकुला के नाम में एस.बी.आई., सैक्टर-10, पंचकुला में बचत बैंक खाता खोलने की अनुमति अनुमोदित की। प्रधान सचिव, जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने भी प्रमुख अभियंता द्वारा प्रस्तुत उत्तर की पुष्टि की (नवंबर 2014)। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि यदि त्रिपक्षीय करार पर सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया था तो मामला पुनः प्रस्तुत किया जाना चाहिए था क्योंकि भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार त्रिपक्षीय करार का निष्पादन अनिवार्य था। खातों के परिचालन के संबंध में कार्यक्रम दिशानिर्देशों की अननुपालना के परिणामस्वरूप ब्याज के रूप में ₹ 5.51 करोड़ की हानि हुई जो कार्यक्रम के आगामी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उपयोग की जा सकती है।

3.16 अक्रियाशील जल आपूर्ति स्कीम पर व्यर्थ व्यय

भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना इनलेट चैनल के ले-आउट प्लान में परिवर्तन के परिणामस्वरूप अक्रियाशील जल आपूर्ति स्कीम पर ₹ एक करोड़ का व्यर्थ व्यय हुआ तथा परियोजना की लागत ₹ 1.09 करोड़ तक आगे बढ़ गई।

लोक निर्माण विभाग संहिता का पैरा 2.96 प्रावधान करता है कि जहां महत्वपूर्ण संरचनात्मक परिवर्तन अपेक्षित हों, यद्यपि वृद्धित परिव्यय आवश्यक रूप से शामिल न हो, संशोधित अनुमान प्रस्तुत कर मूल संस्वीकृति प्राधिकारी से आदेश प्राप्त किए जाने चाहिए। आगे, संहिता का पैरा 10.1.3 प्रावधान करता है कि किसी परियोजना का अनुमान तैयार करते समय साइट का निरीक्षण भूमि की उपलब्धता सहित फील्ड की परिस्थितियां सुनिश्चित करने के लिए किया जाए।

सदस्य सचिव, राज्य स्वच्छता बोर्ड, हरियाणा ने नाबार्ड परियोजना-आर.आई.डी.एफ.-XII के अंतर्गत झज्जर जिला में गांव बिशन की जल आपूर्ति बढ़ाने के लिए नहर आधारित स्वतंत्र वाटर वर्क्स हेतु ₹ 1.16 करोड़ का अनुमोदन प्रदान किया (मार्च 2007)। अनुमोदित अनुमान के अनुसार 350 मिलीमीटर आंतरिक व्यास की आर.सी.सी. पाइप की 2,900 मीटर लंबी इनलेट चैनल के माध्यम से आर.डी. 22,300-आर. पर जे.एल.एन. फीडर से नहरी जल प्राप्त किया जाना था। वाटर वर्क्स[47] तथा इनलेट चैनल के निर्माण का कार्य 12 माह की समय-सीमा के साथ ₹ 93.52 लाख की अनुबंध राशि पर नवंबर 2007 में एक एजेंसी को आबंटित किया गया था। कार्य के निष्पादन के दौरान का.अ. ने बेहतर परिणाम तथा ₹ पांच लाख तक परियोजना की लागत में कटौती के लिए एक गांव के कच्चे रास्ते तथा निजी भूमि के माध्यम से लंबाई को 2,115 मीटर तक कम करके इनलेट चैनल की ले-आउट प्लान परिवर्तित कर दी। ग्रामीणों ने नए ले-आउट के अनुसार इनलेट चैनल के निर्माण पर आपत्ति उठाई क्योंकि यह खेतों के रास्ते को अवरूद्ध/संकीर्ण करेगा तथा विभाग के विरूद्ध लोअर कोर्ट में निषेधाज्ञा आवेदन के साथ एक दीवानी मुकद्दमा दायर किया (जून 2010)। यद्यपि माननीय लोअर कोर्ट ने ग्रामीणों के निषेधाज्ञा आवेदन को अस्वीकार कर दिया (सितंबर 2012) किंतु एक अपील पर माननीय जिला न्यायालय ने लोअर कोर्ट के निर्णय को रद्द कर दिया (अप्रैल 2014) तथा ग्रामीणों को अंतरिम निषेधाज्ञा प्रदान की। मामले में अंतिम निर्णय प्रतीक्षित था (नवंबर 2014)।

एजेंसी ने ₹ 73.89 लाख का कार्य निष्पादित किया (जुलाई 2011) तथा फरवरी 2012 में इनलेट चैनल बिछाने के लिए 16 मरला भूमि के अधिग्रहण पर ₹ 2.93 लाख का व्यय किया। स्कीम पर ₹ एक करोड़[48] का कुल व्यय किया गया जो अपूर्ण इनलेट चैनल (जून 2014) के कारण जुलाई 2011 से अपूर्ण पड़ी थी।

47 एक भंडारण एवं अवसादन टैंक, दो स्वच्छ जल टैंक, पंप चैंबर तथा इससे संबंधित सभी अन्य आकस्मिक कार्य।

48 ठेकेदार को भुगतान जमा सामग्री सहित निर्माण कार्य पर ₹ 97.17 लाख तथा नए ले-आउट प्लान के अनुसार इनलेट चैनल बिछाने के लिए 16 मरला भूमि के अधिग्रहण पर ₹ 2.93 लाख।

का.अ., जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंडल संख्या 1, झज्जर के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान (जून 2011) यह देखा गया कि भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना तथा पी.डब्ल्यू.डी. कोड के प्रावधानों के विरूद्ध सक्षम प्राधिकारी अर्थात् प्रमुख अभियंता के अनुमोदन के बिना का.अ. द्वारा इनलेट चैनल का ले-आउट प्लान परिवर्तित कर दिया गया था जिसके परिणामस्वरूप अक्रियाशील जल आपूर्ति स्कीम पर ₹ एक करोड़ का व्यर्थ व्यय हुआ। आगे, प्रमुख अभियंता, ज.स्वा.अ.वि. ने नहरी जल के वैकल्पिक स्रोत के माध्यम अर्थात् बिशन माइनर से वाटर वर्क्स को क्रियाशील बनाने के लिए ₹ 1.09 करोड़ का अनुमान अनुमोदित किया (फरवरी 2014)।

प्रधान सचिव, जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने बताया (नवंबर 2014) कि इनलेट चैनल, ग्रामीण रास्ते (किसानों की साझी भूमि) के साथ स्रोत से निर्मित की जानी थी। परंतु ग्रामीणों ने इनलेट चैनल के निर्माण का कार्य रोक दिया। वैकल्पिक रास्ते से इनलेट चैनल के निर्माण का कार्य अगस्त 2014 में आबंटित किया गया था तथा मार्च 2015 तक पूरा किया जाएगा। उत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि कार्यकारी अभियंता ने सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना तथा पाइपलाइन बिछाने के लिए भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना ले-आउट प्लान परिवर्तित कर दिया जो कि पी.डब्ल्यू.डी. कोड के प्रावधानों के विरूद्ध था तथा परिणामस्वरूप जल आपूर्ति स्कीम अपूर्ण रही। इस कारण न केवल ₹ एक करोड़ की निधियों का अवरोधन हुआ एवं परियोजना की लागत ₹ 1.09 करोड़ तक बढ़ गई अपितु निवासी भी स्कीम के समय पर अभिप्रेत लाभों से वंचित रहे।

अक्षय ऊर्जा विभाग
(हरियाणा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी)

3.17 सोलर स्ट्रीट लाईटिंग सिस्टम कार्यक्रम का कार्यान्वयन

लाभभोगी विभाग से लिखित सहमति प्राप्त न करने के कारण ₹ 1.24 करोड़ का भारत सरकार अनुदान प्राप्त नहीं किया जा सका तथा पुराने विनिर्देशनों के साथ कम कार्य जीवन वाली 8,691 स्ट्रीट लाइटों के प्रापण पर ₹ 3.78 करोड़ का अधिक व्यय किया गया था। ₹ 2.96 करोड़ का लाभभोगी हिस्सा वसूलनीय था और एजेंसी को अनुचित लाभ दिया गया था।

हरियाणा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (हरेडा) राज्य के गांवों एवं खेड़ों (धानी) में 1997 से एवं शहरी क्षेत्रों में 2006-07 से स्ट्रीट लाईट प्रदान करने के लिए राज्य में सोलर फोटोवोल्टाईक कार्यक्रम (सो.फो.का.) के अंतर्गत स्ट्रीट लाईटिंग सिस्टम का कार्यान्वयन कर रहा था। ये सिस्टम न्यूनतम लाईटिंग को सुनिश्चित करते हैं, जनता के पावर कट तथा सुरक्षा जोखिम के परिहार के लिए इन्हें सार्वजनिक बागों एवं मैदानों में लाईटिंग के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है, इससे ये बिजली संरक्षण में सहायक हैं। उनके प्रयोग को प्रोत्साहन देने के लिए भारत सरकार (भा.स.) एवं राज्य सरकार सब्सिडी देती हैं।

2009-10 से 2013-14 के दौरान, हरेडा ने राज्य में 27,091 सिस्टमों के लक्ष्य के विरूद्ध 25,801 एस.पी.वी स्ट्रीट लाईटिंग सिस्टम के लगाने पर ₹ 42.89 करोड़[49] का व्यय किया। परियोजना की क्रियाशीलता निर्धारित करने के उद्देश्य से पंचकुला स्थित निदेशक, हरेडा एवं 21 परियोजना अधिकारियों में से यादृच्छिक[50] रूप से चयन कर पांच जिला परियोजना अधिकारियों[51] के कार्यालयों में 2009-10 से 2013-14 तक की अवधि के अभिलेखों की नमूना-जांच की गई। इसके अतिरिक्त चयन किए गए पांच जिलों के पांच गांवों में सो.फो.का. स्ट्रीट लाईटिंग सिस्टम को लगाने का भौतिक सत्यापन विभागीय अधिकारियों के साथ जुलाई से सितंबर 2014 तक किया गया।

लेखापरीक्षा के दौरान निम्नलिखित मुख्य अनियमितताएं पाई गई:

(i) भारत सरकार के अनुदान प्राप्त न करना

पुलिस स्टेशनों को लाइटिंग प्रदान करने एवं सो.फो.का. प्रौद्योगिकी के बारे जनता में जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से, हरेडा ने हरियाणा के 258 पुलिस स्टेशनों में 1,290 सो.फो.का. स्ट्रीट लाईटिंग सिस्टम (प्रत्येक पुलिस स्टेशन में 5) लगाने के लिए कुल ₹ 2.98 करोड़ की लागत से एक विशेष परियोजना तैयार की (मार्च 2009)। इस परियोजना के लिए, ₹ 1.24 करोड़ भारत सरकार द्वारा एवं ₹ 1.74 करोड़ हरियाणा पुलिस विभाग द्वारा अंशदान किए जाने थे। भारत सरकार ने इस प्रयोजन के लिए ₹ 1.24 करोड़ केंद्रीय वित्तीय सहायता के रूप में संस्वीकृत किए (अगस्त 2009) जिसकी समय सीमा संस्वीकृति जारी होने के एक वर्ष तक थी। भारत सरकार से संस्वीकृति की प्राप्ति के बाद, हरेडा ने लाभग्राही का हिस्सा जमा करवाने के लिए मामला समय-समय पर पुलिस विभाग के साथ उठाया (सितंबर 2009, अक्तूबर 2009, फरवरी 2010 एवं अप्रैल 2010) परंतु यह कार्यान्वित नहीं हुआ।

पुलिस विभाग ने हरेडा द्वारा किए गए अनुरोधों का उत्तर नहीं दिया अपितु सैक्टर-5, पंचकुला में एक पुलिस स्टेशन में परीक्षण आधार पर सो.फो.का. स्ट्रीट लाईटें लगाने की इच्छा प्रकट की। इस कारण ₹ 1.24 करोड़ की संस्वीकृति व्यपगत हो गई। इस प्रकार लाभग्राही से लिखित सहमति न लेने एवं प्रस्ताव के अन्तिमकरण से पहले लाभग्राही हिस्सा प्राप्त न करने के कारण ₹ 1.24 करोड़ का भारत सरकार का अनुदान अप्राप्त रहा। इंगित किए जाने पर, निदेशक, हरेडा ने उत्तर दिया (नवंबर 2014) कि चर्चा के दौरान पुलिस विभाग द्वारा सहमति दी गई थी। उत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि भारत सरकार से अनुदान मांगने से पहले हरेडा द्वारा कोई लिखित सहमति नहीं ली गई।

(ii) लाभग्राही हिस्से की अप्राप्ति

हरेडा ने ₹ 12.65 करोड़ की लागत से सिरसा जिले के सभी 333 गांवों में (प्रत्येक गांव में 20 स्ट्रीट लाईटें) 6,660 सो.फो.का. स्ट्रीट लाईटें लगाने का प्रस्ताव तैयार किया (जून 2009)।

[49] भारत सरकार का हिस्सा: ₹ 9.41 करोड़, राज्य का हिस्सा: ₹ 11.48 करोड़ तथा लाभग्राही का हिस्सा: ₹ 22 करोड़।

[50] बिना परिवर्तन संभावित समानुपाती आकार पद्धति द्वारा चयन किया गया था।

[51] (i) भिवानी, (ii) हिसार, (iii) झज्जर, (iv) कुरूक्षेत्र तथा (v) पानीपत।

मार्च 2010 में जिला प्रशासन ने इस परियोजना के लिए अपनी सहमति दी एवं जुलाई 2010 में भारत सरकार द्वारा इसे स्वीकृत किया गया। ₹ 12.65 करोड़ में से, ₹ 3.80 करोड़ भारत सरकार द्वारा दिए जाने थे एवं शेष ₹ 8.85 करोड़ जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (जि.ग्रा.वि.ए.), सिरसा द्वारा दिए जाने थे। लेखापरीक्षा में, यह देखा गया कि ₹ 8.85 करोड़ में से हरेडा ने जि.ग्रा.वि.ए. सिरसा से ₹ 5.94 करोड़ प्राप्त किए एवं शेष राशि ₹ 2.91 करोड़ की वसूली नहीं की गई है (नवंबर 2014)। इसी प्रकार, 2009-10 में करनाल के म्यूनिसिपल क्षेत्र में हरेडा ने 150 सो.फो.का. स्ट्रीट लाईटें लगाई। कुल ₹ 0.14 करोड़ के लाभग्राही हिस्से में से (₹ 9,100 प्रति स्ट्रीट लाईट) एम.सी., करनाल से ₹ 0.05 करोड़ वसूलनीय थे (नवंबर 2014)।

यह दर्शाता है कि हरेडा ने सो.फो.का. स्ट्रीट लाइटें लगाने का कार्य अग्रिम में लाभग्राही हिस्सा लिए बिना करवाया था जिसके परिणामस्वरूप जि.ग्रा.वि.ए., सिरसा एवं एम.सी., करनाल के पास कुल ₹ 2.96 करोड़ राशि की हरेडा की निधियां अवरूद्ध रही। एग्जिट कांफ्रेस (फरवरी 2015) के दौरान, अपर मुख्य सचिव, विद्युत एवं अक्षय ऊर्जा विभाग ने सूचित किया कि जिला प्रशासन, सिरसा ने मार्च 2015 से पूर्व राशि का भुगतान करने का वचन दिया था। अंतिम कार्रवाई अपेक्षित थी।

(iii) स्ट्रीट लाईटों का अनियमित क्रय

दिसंबर 2009 में हरेडा ने 2,500 सो.फो.का. स्ट्रीट लाईटों की सप्लाई के लिए रेट अनुबंधों के लिए टैंडर आमंत्रित किए और मार्च 2010 में राज्य की उच्च अधिकारप्राप्त क्रय समिति द्वारा ₹ 19,000 प्रति स्ट्रीट लाइट पर एक वर्ष के लिए रेट अनुबंध फाइनल कर दिया। बाद में, हरेडा ने जून 2010 में 01 सितंबर 2010 से लागू स्ट्रीट लाइट के विनिर्देशनों[52] में परिवर्तन के संबंध में सूचना प्राप्त की थी। हरेडा ने 13 अगस्त 2010 को पूर्ववर्ती विनिर्देशनों के साथ पहले से फाइनल किए गए रेट अनुबंध पर स्ट्रीट लाईटें खरीदने के बारे में स्पष्टीकरण भी मांगा था परंतु भारत सरकार से उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना, हरेडा ने 30 अगस्त 2010 को ₹ 19,000 की दर पर ₹ 12.65 करोड़ की लागत पर सिरसा जिले में 6,660 स्ट्रीट लाईटों के लिए तीन फर्मों[53] को आदेश दिए (नए विनिर्देशनों के लागू होने से एक दिन पहले)। नए विनिर्देशनों के लागू होने के बाद भी, हरेडा ने 2,031 स्ट्रीट लाईटों[54] के पुराने विनिर्देशनों के अनुसार रेट अनुबंध के अंतर्गत ₹ 3.86 करोड़ के आगे आदेश दिए। इस प्रकार, हरेडा ने पुराने विनिर्देशनों के साथ कम कार्यकाल वाली 8,691 स्ट्रीट लाईटें प्राप्त की। यह भी देखा गया कि हरेडा ने मई एवं जून 2010 में ₹ 14,650 प्रति स्ट्रीट लाईट की लागत पर एल.ई.डी. (लाईट एमिटिंग डायोड) ल्यूमनरीज वाली 42 सो.फो.का. स्ट्रीट लाईटें प्राप्त की थी। एल.ई.डी. सिस्टम न खरीदकर विभाग ने 8,691 (6,660 + 2,031) स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम के क्रय पर ₹ 3.78 करोड़[55] का अधिक व्यय किया तथा नई प्रौद्योगिकी के लाभ से भी वंचित रखा।

52 पुराने विनिर्देशनों में 15 वर्ष के विरूद्ध नए विनिर्देशन के अनुसार पी.वी. पैनल लाइफ 25 वर्ष थी तथा गारंटी अवधि 2 वर्ष के विरूद्ध 5 वर्ष थी।

53 मैसर्ज आर.जी.वी.पी एनर्जी सोर्सिज, गांधी नगर, मैसर्ज सैंट्रल इलैक्ट्रिकल लिमिटेड, साहिबाबाद तथा मैसर्ज सु सोलरटैक सिस्टमज प्राईवेट लिमिटेड, चण्डीगढ़।

54 अक्तूबर 2010-1,986 स्ट्रीट लाईटें एवं जून 2011-45 स्ट्रीट लाइटें।

55 ₹ 19,000 - ₹ 14,650 = ₹ 4,350; 8,691 * 4,350 = ₹ 3,78,05,850

उत्तर में निदेशक, हरेडा ने बताया (नवंबर 2014) कि निर्धारित समय-सीमा के भीतर परियोजना का कार्यान्वयन करने के लिए क्रय आदेश दिए गए थे और आगे बताया (दिसंबर 2014) कि सी.एफ.एल. के रेट अनुबंध केवल जून 2011 तक वैध थे। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि हरेडा ने एल.ई.डी. ल्यूमनरीज का उद्देश्यपूर्ण मूल्यांकन नहीं किया था और एक वर्ष से अधिक समय तक महंगी सी.एफ.एल. आधारित सो.फो.का. लाईट खरीदना जारी रखा। आगे, भारत सरकार ने 15 अप्रैल 2011 तक की समय-सीमा के साथ जुलाई 2010 में 6,660 सिस्टम लगाए जाने की परियोजना स्वीकृत की थी जबकि विनिर्देशन जून 2010 में परिवर्तित किए गए थे और जून 2010 में एल.ई.डी. प्रकाश-पुंजों वाली 42 सो.फो.का. स्ट्रीट लाइटें भी लगाई गई थी तथा नई एवं मितव्ययी प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए हरेडा के पास नौ माह का पर्याप्त समय उपलब्ध था (अप्रैल 2011 तक)। अपर मुख्य सचिव ने एग्जिट कांफ्रेस के दौरान विभागीय अधिकारियों को पर्याप्त जांच-पड़ताल के बाद स्पष्टीकरण देने के लिए निदेश दिए (फरवरी 2015)। अंतिम कार्रवाई प्रतीक्षित थी।

(iv) ठेकेदार को अनुचित लाभ

निदेशक, हरेडा ने सिरसा जिले के लिए 2,220 सो.फो.का. स्ट्रीट लाईटों के क्रय के लिए एक सप्लायर[56] को ₹ 4.22 करोड़ का क्रय आदेश दिया (अगस्त 2010)। सप्लाई आदेश के अनुसार, उपकरण की दो वर्ष की वारंटी होनी चाहिए एवं आगे तीन वर्ष का व्यापक रख-रखाव अनुबंध (सी.एम.सी.) यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाना था कि स्ट्रीट लाईटें पांच वर्षों की अवधि तक कार्यकारी स्थिति में रह सकें। परियोजना अधिकारी, सिरसा ने बताया (सितंबर 2014) कि 112 गांवों में उक्त सप्लायर द्वारा लगाई गई ₹ 1.81 करोड़ की लागत की 954 स्ट्रीट लाईटें कार्यकारी स्थिति में नहीं थी। यह भी देखा गया कि 6 गांवों में लगाई गई सभी 120 स्ट्रीट लाईटें कार्य नहीं कर रही थी। हरेडा ने न तो स्ट्रीट लाईटों की तुरंत मरम्मत के लिए कोई कार्यवाही की और न ही पांच वर्षों की रख-रखाव अवधि के लिए सप्लायर से प्रतिभूति के रूप में रखी गई बैंक गारंटी को कैश करवाया।

अपर मुख्य सचिव ने एग्जिट कांफ्रेस के दौरान (फरवरी 2015) विभागीय अधिकारियों को मरम्मत की अनुमानित लागत का निर्धारण करने एवं विक्रेता की बैंक गारंटी कैश करवाने के बाद उनकी मरम्मत करवाने के निर्देश दिए। अंतिम कार्रवाई अपेक्षित थी।

(v) ग्राम ऊर्जा कमेटियों का गठन न करना

गांवों में सो.फो.का. लाईटिंग सिस्टम की क्रियाशीलता का रख-रखाव व मानीटर करने के लिए जागरूकता उत्पन्न करने के लिए ग्राम ऊर्जा कमेटियों (ग्रा.ऊ.क.) का गठन परियोजना शुरू होने से पहले किया जाना था जिसके द्वारा अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को प्रोत्साहन देने, सिस्टमों के रख-रखाव के लिए योजना/प्रस्ताव तैयार किए जाने और सिस्टमों के रख-रखाव के लिए प्रशिक्षण दिलवाने के लिए एक आई.टी.आई. पास तकनीशियन को नियुक्त किया जाना अपेक्षित था। लेखापरीक्षा में देखा गया कि ऐसी कमेटियां नहीं बनाई गई थी जिसके कारण अक्षय ऊर्जा

[56] मैसर्ज आर.जी.वी.पी एनर्जी सोर्सिज, गांधी नगर, गुजरात।

प्रौद्योगिकियों के प्रोत्साहन के अभिप्रेत उद्देश्य एवं लगाए गए सिस्टमों का उचित रख-रखाव सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

निदेशक, हरेडा ने बताया (दिसंबर 2014) कि ग्रा.ऊ.क. संस्थापित करने के लिए दिशानिर्देश पहले ही दिए जा चुके थे एवं जिला प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि ये कमेटियां वारंटी एवं रख-रखाव अवधि समाप्त होने से पहले कार्यशील कर दी जाएं। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि हरेडा द्वारा नोडल एजेंसी होने के कारण लाभग्राहियों द्वारा परिसंपत्तियों का स्वामित्व/उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए परियोजना शुरू होने से पहले ग्रा.ऊ.क. का गठन सुनिश्चित किया जाना चाहिए था।

(vi) भौतिक सत्यापन के दौरान पाई गई कमियां

लेखापरीक्षा टीम एवं संबंधित जिला प्रशासन के अधिकारियों द्वारा एक संयुक्त भौतिक सत्यापन किया गया। यह देखा गया कि पांच जिलों में यादृच्छिक रूप से चयन किए गए पांच गांवों[57] में लगाई गई 256 सो.फो.का. स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टमों में से 201 स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम (79 प्रतिशत) जांच की तिथियों[58] पर क्रियाशील नहीं पाए गए। ये 201 स्ट्रीट लाईट सिस्टम ₹ 33.82 लाख का व्यय करने के बाद लगाए गए थे। ग्राम पंचायतों/लाभग्राहियों ने सूचित किया कि सप्लायरों/विभाग द्वारा सिस्टमों का रख-रखाव न किए जाने के कारण सिस्टम क्रियाशील नहीं थे। इसने सो.फो.का. स्ट्रीट लाईटिंग कार्यक्रम के कार्यान्वयन में विभाग की उचित मानीटरिंग एवं सुरक्षा की कमी प्रतिबिंबित की।

निदेशक, हरेडा ने सूचित किया (दिसंबर 2014) कि गांव दुजाना, जिला झज्जर में 127 निष्क्रिय स्ट्रीट लाइटों में से 112 स्ट्रीट लाईटों को क्रियाशील बना दिया गया था। अब केवल 89 स्ट्रीट लाईटें क्रियाशील नहीं थी।

इस प्रकार हरेडा ने राज्य में सोलर स्ट्रीट लाईटिंग सिस्टम कार्यक्रम को राज्य में दक्षता से कार्यान्वित नहीं किया था क्योंकि भारत सरकार से प्राप्त अनुदान, लाभग्राही विभाग से लिखित सहमति प्राप्त न करने के कारण उपयोग नहीं किया जा सका, लाभग्राही हिस्सा अवसूलित रहा, सी.एफ.एल. स्ट्रीट लाइटों के क्रय पर अधिक व्यय किया गया जबकि एल.ई.डी. स्ट्रीट लाइटें निम्नतर दरों पर उपलब्ध थी तथा स्ट्रीट लाइटों के काम न करने के बावजूद, कंट्रेक्टर की बैंक गारंटी नकदीकृत नहीं की गई।

उपर्युक्त बिंदु, प्रधान सचिव, अक्षय ऊर्जा विभाग को भेजे गए थे (नवंबर 2014); उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2015)।

[57] (i) मंगाली (हिसार), (ii) यारा (कुरूक्षेत्र), (iii) जट्टल (पानीपत), (iv) दुजाना (झज्जर) तथा (v) कुंगर (भिवानी)।

[58] कुरूक्षेत्र: 28 जुलाई 2014 से 1 अगस्त 2014; हिसार: 4 अगस्त 2014 से 8 अगस्त 2014; पानीपत: 26 अगस्त 2014 से 29 अगस्त 2014; झज्जर: 1 सितंबर 2014 से 3 सितंबर 2014; तथा भिवानी: 4 सितंबर 2014 से 8 सितंबर 2014 के मध्य।

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग और स्वास्थ्य विभाग

3.18 अपर्याप्त वित्तीय नियंत्रण के कारण गबन

वित्तीय नियमों के प्रावधानों की अनुपालना न करने एवं अपर्याप्त वित्तीय नियंत्रण के कारण राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग में ₹ 4.58 लाख एवं स्वास्थ्य विभाग में ₹ 1.69 लाख का गबन अवलोकित किया गया।

(ए) पंजाब वित्तीय नियम (पं.वि.नि.) वाल्यूम-I के नियम 2.21 जैसा कि हरियाणा सरकार को लागू है, प्रावधान करता है कि प्रत्येक वाउचर पर संवितरण अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित अथवा लघु हस्ताक्षरित एवं दिनांकित एक भुगतान आदेश, भुगतान योग्य राशि को शब्दों एवं अंकों में विनिर्दिष्ट करते हुए अंकित होना चाहिए। आगे, नियम 2.22 (5) प्रावधान करता है कि सभी भुगतान किए गए वाउचरों/सब वाउचरों पर 'पेड' की स्टाम्प लगाई जानी चाहिए अथवा उन्हें इस प्रकार रद्द कर देना चाहिए कि वे दोबारा प्रयोग न किए जा सकें। अपर मुख्य सचिव (अ.मु.स.), राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के वर्ष 2011-13 के अभिलेखों की संवीक्षा (मई 2013) ने दर्शाया कि आहरण एवं संवितरण अधिकारी (आ.सं.अ.) उपर्युक्त नियम का पालन नहीं कर रहा था। 97 मामलों में आ.सं.अ. द्वारा पेट्रोल, तेल एवं स्नेहकों (पी.ओ.एल.) के भुगतान किए गए वाउचरों पर 'पेड' की स्टाम्प नहीं लगाई थी और रद्द नहीं किया गया था। इसने संबंधित कर्मचारी को अग्रिम बिलों के बाद में समायोजन के समय स्टाम्प न किए गए एवं रद्द न किए गए बिलों को दोबारा प्रस्तुत करके ₹ 2,69,595 के कपटपूर्ण दावे आहरित करना सुगम बना दिया।

पंजाब वित्तीय नियमों का नियम 8.5 आगे प्रावधान करता है कि उसके द्वारा किए गए भुगतान के संबंध में प्रत्येक भुगतान प्राप्तकर्ता से वास्तविक प्राप्ति रसीद प्राप्त की जानी चाहिए तथा आ.सं.अ. को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भुगतान वास्तविक प्राप्तकर्ता को किया गया है। हरियाणा सरकार, वित्त विभाग ने स्पष्ट किया (अगस्त 2013) कि जहां तक पी.ओ.एल. अग्रिमों के डी.सी. बिलों का संबंध है, विद्यमान समय-सीमा में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा और इन्हें संबंधित ए.सी. बिल के पास होने की तिथि से एक माह की अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। नियमों के उल्लंघन में तत्रैव, पिछले अग्रिम के समायोजन के बिना पी.ओ.एल. के बिलों की सारी राशि आहरित कर ली गई। इसके अतिरिक्त, पूर्ववर्ती अधीक्षक (कैश) द्वारा समायोजन वाउचरों में नए अग्रिम आहरित किए गए और इस प्रकार नए अग्रिमों की एवज में आहरित किए गए कैश तत्कालीन कैशियर द्वारा संबंधित ड्राइवरों/वास्तविक प्राप्तकर्ताओं को वितरित किए बिना रख लिए गए। आ.सं.अ. ने इन अग्रिमों की पावती/समायोजन सुनिश्चित नहीं किए। इसके परिणामस्वरूप पूर्ववर्ती अधीक्षक (कैश) द्वारा ₹ 1,27,000 का दुरूपयोग किया गया।

पंजाब वित्तीय नियम, वाल्यूम-I नियम 2.4 प्रावधान करता है कि दिन की समाप्ति पर कैश बुक पर हस्ताक्षर करते समय, कार्यालय के अध्यक्ष को देखना चाहिए कि दिन के दौरान एकत्रित विभागीय प्राप्तियां जिनकी व्यय के प्रति उपयोगिता की पंजाब कोषालय नियमों के अंतर्गत सख्त मनाही है और उन्हें उसी दिन या अंततम अगले दिन सुबह कोषालय में जमा करवाया जाता है एवं कैशबुक के भुगतान पक्ष में अनुरूपी प्रविष्टि की जाती है। नियम 2.2(v) प्रावधान करता है कि जब

सरकारी धनराशि, सरकारी अधिकारी की अभिरक्षा में सरकारी कोषालय/बैंक में जमा करवाई जाती है, कार्यालय के अध्यक्ष को कोषालय अधिकारी अथवा चालान पर बैंक रसीदों या उसकी पासबुक से कैशबुक में प्रविष्टि के साथ इसके सत्यापन से पहले मिलान करना चाहिए कि राशियां वास्तव में कोषालय अथवा बैंक में जमा करवा दी गई हैं।

अभिलेखों की संवीक्षा ने आगे दर्शाया कि यह सुनिश्चित नहीं किया गया था कि पूर्ववर्ती अधीक्षक (कैश) द्वारा रसीद बुकों द्वारा एकत्रित धन कोषालय/बैंक में जमा करवाया गया था या नहीं। 8 जून 2012 को पुराने वाहन को बेचने से प्राप्त की गई ₹ 61,000 की राशि को 9 नवंबर 2012 को भुगतान पक्ष में कोषालय में जमा करवाई गई के रूप में दर्शाया गया तथा टिप्पणी भी दी गई कि राशि पी.ओ.एल. के विरूद्ध समायोजित की गई थी परंतु यह राशि न तो कोषालय में जमा करवाई गई पाई गई और न ही पी.ओ.एल. बिलों के विरूद्ध समायोजित पाई गई।

वित्तीय नियंत्रण की कमी एवं वित्तीय नियमों के प्रावधानों की अननुपालना के कारण ₹ 4,57,595[59] का गबन संभव हुआ। लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर अपर मुख्य सचिव ने तथ्यों को स्वीकारते हुए बताया (अक्तूबर 2013) कि संबंधित पूर्ववर्ती अधीक्षक (कैश) से ₹ 4,57,595 की वसूली की जा चुकी थी। अपर मुख्य सचिव ने आगे बताया (मई 2014) कि पूर्ववर्ती अधीक्षक (कैश) के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

(बी) पंजाब वित्तीय नियमों का नियम 2.2 प्रावधान करता है कि एक आ.सं.अ. को स्वयं को संतुष्ट कर लेना चाहिए कि सभी धन संबंधी लेन-देन उनके होने के साथ यथाशीघ्र कैश-बुक में प्रविष्ट किए जाते हैं और ये उसके द्वारा सत्यापित किए जाते हैं। नियम 2.7 एवं 2.4 तत्रैव, प्रावधान करते हैं कि यदि एक कर्मचारी, जो कैश-बुक का इंचार्ज नहीं है, सरकार की ओर से धन प्राप्त करता है तो इसे कैशबुक रखने वाले कर्मचारी के पास प्रेषित किया जाना या कोषालय/बैंक में उसी दिन या अगले दिन सुबह जमा करवाया जाना अपेक्षित है। कार्यालय के मुखिया को कैशबुक में योगों सहित सभी प्रविष्टियां सत्यापित की जानी या इसे कैशबुक लिखने वाले कर्मचारी से अन्य किसी उत्तरदायी कर्मचारी से सत्यापित करवाया जाना एवं सभी प्रविष्टियों को 'सही' के रूप में लघु हस्ताक्षरित किया जाना अपेक्षित है।

हरियाणा सरकार ने तीन[60] परियोजना जिलों के स्वास्थ्य विभाग में स्वास्थ्य कल्याण समितियों (स्वा.क.स.) द्वारा मरीजों से संगृहीत प्रयोक्ता फीस को रखने एवं सहायतानुदानों, डोनेशन इत्यादि के माध्यम से संसाधन बढ़ाने की संस्वीकृति दी (अगस्त 2003) जो बाद में (जनवरी 2004) राज्य के सभी जिलों तक बढ़ा दी गई। प्रयोक्ता प्रभारों की दैनिक संग्रहण फीस प्रतिदिन कैशबुक में प्रविष्ट की जानी है एवं इस प्रकार एकत्रित राशि को स्वा.क.स. के राष्ट्रीयकृत बैंक के बचत खाते में जमा करवाया जाना है।

चार सामान्य अस्पतालों[61] (सा.अ.) में अभिलेखों की संवीक्षा (जनवरी और मार्च 2013 के बीच) ने दर्शाया कि विभिन्न अस्पतालों द्वारा प्रयोक्ता प्रभार ओ.पी.डी. फीस, लैब टैस्टिंग फीस आदि के कारण कैश संगृहीत किए जा रहे थे और इस प्रकार संगृहीत राशि को प्रत्येक अस्पताल के स्वा.क.स. के

[59] ₹ 2,69,595 + ₹ 1,27,000 + ₹ 61,000 = ₹ 4,57,595

[60] अंबाला, करनाल तथा यमुनानगर।

[61] सोनीपत, गुडगांव, रेवाड़ी तथा फरीदाबाद।

बैंक खाते में जनवरी 2004 के सरकारी आदेशों के अनुसार जमा करवाया जा रहा था। इन समितियों की दैनिक रसीद बुक, कैश संग्रहण रजिस्टर एवं कैशबुकों की लेखापरीक्षा संवीक्षा ने दर्शाया कि दिसंबर 2010 एवं नवंबर 2012 के बीच की अवधि के दौरान कर्मचारियों द्वारा समिति के खाते में ₹ 1.69 लाख की राशि कम जमा करवाई गई। ₹ 1.69 लाख की इस राशि का गबन किया गया। यह प्राप्तियों की लेखांकन न करने, योगों में त्रुटियां, शेष का कम आगे ले जाना, वास्तविक डिपोजिट से भुगतान पक्ष में अधिक राशि की प्रविष्टि के कारण हुआ था। कैश कलैक्शन रजिस्टर एवं कैशबुक के प्रविष्टियों एवं टोटलों की जांच न करने एवं इन प्राप्ति प्रविष्टियों के आ.सं.अ. स्तर पर रसीद बुकों से मिलान न करने से यह संभव हुआ।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर ₹ 1.69 लाख[62] की कथित राशि संबंधित कर्मचारियों से वसूल कर ली गई थी और संबंधित स्वा.क.स. के बैंक खातों में जनवरी और मार्च 2013 के बीच की अवधि के दौरान जमा करवा दी गई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी[63] ने बताया (मई 2014) कि चूककर्ता कर्मचारियों को कैश प्राप्ति की सीट से हटा दिया गया है एवं ऐसी अनियमितताओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सुधारात्मक उपाय भी किए गए थे। सामान्य अस्पताल, रेवाड़ी एवं सोनीपत के चूककर्ता कर्मचारियों के विरूद्ध जांच आरंभ कर दी गई थी। लेखापरीक्षा में आगे देखा गया कि एक वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी चूककर्ता कर्मचारियों के विरूद्ध अभी तक कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की गई थी (नवंबर 2014)।

इस प्रकार, आ.सं.अ. द्वारा वित्तीय नियंत्रण की कमी एवं कैश को संभालने के लिए निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण न करने से सरकारी विभागीय प्राप्तियों का गबन संभव हुआ था।

मामला प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग को टिप्पणी के लिए प्रेषित किया गया था (मई 2014); उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2015)।

खेलकूद एवं युवा मामले विभाग

3.19 बास्केट बाल पोल की खरीद पर निष्फल व्यय

निर्धारित मानकों के अनुसार बास्केटबाल मैदानों को तैयार न करने के कारण 85 बास्केटबाल पोल के प्रतिष्ठापन पर ₹ 66.11 लाख का व्यय निष्फल किया गया।

भारत सरकार (भा.स.), युवा मामले तथा खेलकूद मंत्रालय ने केंद्र एवं राज्य सरकार के मध्य 75:25 के शेयरिंग आधार पर देश में ''पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान (पं.यु.क्री.खे.अ.)'' स्कीम कार्यान्वित की (मई 2008)। पं.यु.क्री.खे.अ. का मुख्य लक्ष्य, पंचायत स्तर पर बेसिक खेलकूद इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं उपकरण का नेटवर्क, ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों को सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करना तथा खण्ड, जिला, राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर वार्षिक प्रतियोगिताओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में खेल एवं क्रीड़ाओं को प्रोत्साहित कर युवा विकास के एकीकृत पहलू के रूप में खेल विकास को

[62] जी.एच., (i) सोनीपत: ₹ 92,730 दिनांक 21-01-2013, (ii) गुडगांव: ₹ 32,845 दिनांक 31-01-2013, (iii) रेवाड़ी: ₹ 38,510 (₹ 16,010 दिनांक 14-02-2013 एवं ₹ 22,500 दिनांक 19-02-2013) तथा (iv) फरीदाबाद: ₹ 4,550 दिनांक 14-03-2013.

[63] सरकारी अस्पताल (i) सोनीपत, (ii) गुड़गांव, (iii) रेवाड़ी तथा (iv) फरीदाबाद।

सुनिश्चित करना है। ग्राम पंचायत स्तर पर खेल इन्फ्रास्ट्रक्चर/सुविधाओं के विकास के लिए ₹ 1 लाख की वन टाइम कैपिटल ग्रांट, 4600 की न्यूनतम जनसंख्या वाले गांवों के लिए चिन्हित की गई थी तथा गांव तथा ब्लाक पंचायत स्तर पर खेल मैदान/खेल इन्फ्रास्ट्रक्चर के सृजन हेतु स्कूलों को वरीयता दी जानी थी।

खेल एवं युवा मामले विभाग, हरियाणा सरकार के 2008-09 से 2013-14 तक की अवधि के अभिलेखों की संवीक्षा (मार्च से मई 2014) ने दर्शाया कि हरियाणा सरकार ने ₹ 11.45 करोड़ का व्यय, स्कीम के अंतर्गत बास्केटबाल पोल के 1,450 सेट्स के क्रय तथा बाद में राज्य के 1,450 पं.यु.क्री.खे.अ. केंद्रों में उनके प्रतिष्ठापन पर किया। आगे, जिला खेल एवं युवा मामले अधिकारी (जि.खे.यु.मा.अ.), करनाल, कुरूक्षेत्र तथा अंबाला के कार्यालय में अभिलेखों की संवीक्षा तथा इन जिलों में 2008-09 से 2012-13 तक की अवधि के दौरान खोले गए 352 केंद्रों में से 87 पं.यु.क्री.खे.अ. केंद्रों के खेल विभाग के कोचिज के साथ एक लेखापरीक्षा दल द्वारा किए गए भौतिक सर्वेक्षण (अप्रैल-मई 2014) ने दर्शाया कि 85 केंद्रों में ₹ 66.11 लाख की राशि के बास्केटबाल पोल के 85 सेट निम्न कारणों से अप्रयुक्त पड़े थे:

- इन 85 पं.यु.क्री.खे.अ. केंद्रों में खेल मैनुअल के अनुसार बास्केटबाल मैदान तैयार नहीं किए गए थे।
- 11 पं.यु.क्री.खे.अ. केंद्रों में बास्केटबाल पोल उखड़े पड़े थे।
- तीन पं.यु.क्री.खे.अ. केंद्रों में अंबाला जिले में (जटवार, शाहपुर तथा नन्योला) बास्केटबाल मैदानों में वृक्ष खड़े थे।
- करनाल जिले में घीर तथा अंबाला जिले में तंदवाल गांव स्थित दो केंद्रों में जल से भरे हुए क्षेत्र में पोल खड़े किए गए थे।
- एक केंद्र में, बास्केटबाल पोल उच्च दाब तारों के नीचे प्रतिष्ठापित थे तथा वहां मैदान में पेवमेंट भी था।
- 17 पं.यु.क्री.खे.अ. केंद्रों में, बास्केटबाल पोल वानिकी पौधों और घास के बीच खड़े थे।
- आठ पं.यु.क्री.खे.अ. केंद्रों में, बास्केटबाल पोल बोर्ड और रिंग के बिना खड़े थे और बोर्ड टूटे हुए थे।
- दो केंद्रों में, बास्केटबाल पोल के बीच खो-खो पोल एवं बालीबाल पोल खड़े थे।



करनाल जिले में घीर स्थित जल से भरे हुए क्षेत्र में बास्केटबाल पोल (16 अप्रैल 2014)



करनाल जिले में कछवा स्थित उखड़े पड़े हुए बास्केटबाल पोल (23 अप्रैल 2014)

- 32 संस्थाओं में,[64] क्षेत्र में गांवों के युवाओं की बास्केटबाल खेल खेलने में रूचि नहीं थी तथा वालीबाल, हाकी, क्रिकेट, कबड्डी इत्यादि जैसे खेल खेलने में रूचि थी।

निदेशक, खेल तथा युवा मामले विभाग, हरियाणा सरकार द्वारा जारी निर्देशों (अगस्त 2011) के अनुसार, सभी पं.यु.क्री.खे.अ. केंद्रों का निरीक्षण, प्रतिमाह कोचिज द्वारा तथा प्रत्येक तिमाही में संबंधित जि.खे.यु.मा.अ. द्वारा किया जाना था तथा रिपोर्ट अगले माह की प्रत्येक 5 तारीख तक निदेशक, खेल विभाग को यह सुनिश्चित करने के लिए भेजी जानी थी कि स्कीम सही ढंग से कार्यान्वित की जा रही थी। लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि इन जिलों के न तो कोचिज ने और न ही जि.खे.यु.मा.अ. ने किसी पं.यु.क्री.खे.अ. केंद्र का निरीक्षण किया था। परिणामत: ये केंद्र, देखभाल तथा मानीटरिंग की कमी के कारण परित्यक्त पड़े थे।

इस प्रकार, उचित आयोजना एवं अनुवर्ती कार्रवाई के बिना मार्गनिर्देशों में यथा निर्धारित तैयार न किए गए बास्केटबाल पोल के प्रतिष्ठापन ने 85 पं.यु.क्री.खे.अ. केंद्रों के लिए बास्केटबाल पोल के प्रापण पर किया गया ₹ 66.11 लाख का व्यय निष्फल बना दिया।

प्रधान सचिव, खेल एवं युवा मामले विभाग ने बताया (सितंबर 2014) कि ब्लाक स्तरीय इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रत्येक गांव के लिए भारत सरकार से केवल ₹ 1 लाख वन टाइम ग्रांट प्राप्त हुई थी। आर.सी.सी. मैदान के लिए यह राशि पर्याप्त नहीं थी, फिर भी, लापरवाह अधिकारियों के विरूद्ध उनकी लापरवाही के लिए कार्रवाई की जाएगी तथा पं.यु.क्री.खे.अ. केंद्रों का निरीक्षण करने के लिए सभी उप निदेशकों को निर्देश (जून 2014) जारी कर दिए गए हैं। ऐसे निरीक्षणों, यदि किए गए हैं, के परिणाम लेखापरीक्षा को सूचित नहीं किए गए थे (जनवरी 2015)।

नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग

3.20 पट्टा धन तथा अन्य प्रभारों की अवसूली

संपदा अधिकारी (हुडा), पंचकुला द्वारा वैधता अवधि के भीतर बैंक गारंटी का नकदीकरण न करने के कारण ₹ 84.64 लाख की राशि के पट्टा धन तथा अन्य प्रभारों की अवसूली हुई।

संपदा अधिकारी, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा), पंचकुला ने, इंटरनेशनल ट्रेड एंड एक्जीबीशन, प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली (फर्म) को तीन वर्ष की अवधि के लिए इंद्रधनुष ऑडिटोरियम, सैक्टर-5, पंचकुला रनिंग, परिचालन आपरेशन तथा अनुरक्षण के लिए लीज (अक्तूबर 2008) पर दिया। लीज एग्रीमेंट की शर्तों एवं निबंधनों के अनुसार, पट्टेधारी द्वारा हुडा को, प्रतिमाह तीन वर्ष के लिए ₹ 3,01,131 की लीज मनी प्लस निवल आवर्त्त का 2.1 प्रतिशत का भुगतान किया जाना था। पट्टेधारी द्वारा ₹ 60.23 लाख (अर्थात् मासिक पट्टा धन के 20 गुणा के बराबर) प्रतिभूति जमा/बैंक गारंटी प्रस्तुत की जानी थी जो अग्रिम में अथवा अधिकार में लेने से पूर्व दी जानी थी तथा लीज अवधि की पूर्ति तथा ऑडिटोरियम का रिक्त अधिकार सौंपने तथा

[64] भौतिक सर्वेक्षण के दौरान, स्कूलों, जहां बास्केटबाल पोलज प्रतिष्ठापित थे, के कोचिज/प्रिंसीपलों से टिप्पणियां प्राप्त की गई थी।

पट्टेधारी द्वारा भुगतान योग्य सभी देयों के भुगतान के पश्चात् प्रत्यर्पणीय थी। इसके अतिरिक्त, सभी सेवा प्रभार जैसे विद्युत, जल आपूर्ति तथा सीवरेज इत्यादि, पट्टेधारी द्वारा वहन किए जाने थे।

संपदा अधिकारी, हुडा (सं.अ.), पंचकुला के अभिलेखों की संवीक्षा (फरवरी 2012) ने दर्शाया कि पट्टेधारी ने ₹ 60.23 लाख की राशि की बैंक गारंटी प्रस्तुत की (नवंबर 2008) जो 02 दिसंबर 2011 की बजाय 09 जुलाई 2010 तक वैध थी जो लीज एग्रीमेंट के उल्लंघन में थी। ऑडिटोरियम का अधिकार 03 दिसंबर 2008 को फर्म को सौंपा गया। फर्म ने दिसंबर 2008 से अप्रैल 2009 तक प्रथम पांच महीनों के लिए नियमित रूप से पट्टा धन का भुगतान किया। तत्पश्चात्, फर्म ने, हुडा को पट्टेधन का भुगतान बंद कर दिया। सं.अ. पंचकुला ने पट्टा धन जमा न करवाने, आवर्त्त के अद्यतित लेखाओं के अप्रस्तुतिकरण तथा भवन, फर्नीचर, के संबंध में दिसंबर 2009 तथा अप्रैल 2011 के बीच समय-समय पर फर्म को नोटिस जारी किए। फरवरी 2011 तक ₹ 76.39 लाख के कुल बकाया पट्टा धन के विरूद्ध फर्म ने केवल ₹ 16.44 लाख का भुगतान किया (₹ 13.80 लाख दिसंबर 2010 में तथा ₹ 2.64 लाख फरवरी 2011 में)। फर्म द्वारा पट्टे धन का भुगतान न करने तथा पट्टा विलेख की शर्तों एवं निबंधनों के उल्लंघन के कारण सं.अ. ने 7 जून 2011 को पट्टा विलेख समाप्त कर दिया। 14 जून 2011 को फर्म से ऑडिटोरियम का अधिकार वापस ले लिया गया। 14 जून 2011 को ₹ 84.64[65] लाख की राशि का पट्टा धन तथा अन्य प्रभार फर्म से अभी भी वसूलनीय थे (मई 2014)। पट्टा विलेख की शर्तों एवं निबंधनों के अनुसार फर्म द्वारा अपने आवर्त्त की विवरणियां हुडा को प्रस्तुत की जानी थी ताकि हुडा द्वारा आवर्त्त का 2.1 प्रतिशत वसूल किया जा सके, परंतु आवर्त्त के ब्यौरे प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि हुडा ने समग्र पट्टा अवधि (अर्थात् 2 दिसंबर 2011 तक) इसकी वैधता सुनिश्चित करने की बजाय 9 जुलाई 2010 तक वैध बैंक गारंटी स्वीकार कर पट्टेधारी को अनुचित लाभ दिया तथा फर्म ने मई 2009 से निरंतर पट्टा विलेख की शर्तों एवं निबंधनों का उल्लंघन किया था परंतु सं.अ., पंचकुला द्वारा ₹ 60.23 लाख की बैंक गारंटी को इसके 9 जुलाई 2010 को कालातीत होने से पूर्व नकदीकृत/नवीकृत नहीं करवाया गया। इस प्रकार, यदि बैंक गारंटी इसकी वैधता अवधि के भीतर नकदीकृत करवा ली जाती तो हुडा ₹ 84.64 लाख की कुल बकाया राशि में से ₹ 60.23 लाख की राशि, इससे अपनी हानि की प्रतिपूर्ति करते हुए, की वसूली कर सकता था। सं.अ., पंचकुला ने बताया (जून 2014) कि ज्ञान की कमी के कारण, बैंक गारंटी नकदीकृत नहीं करवाई जा सकी तथा प्रशासक, हुडा, पंचकुला को, इस मामले में दोषी अधिकारियों को पहचानने के लिए इंक्वायरी आफिसर नियुक्त करने हेतु अनुरोध किया गया है।

मामला प्रधान सचिव नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग को भेजा गया था (मई 2014)। उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2015)।

[65] पट्टा धन: ₹ 59.94 लाख + विद्युत प्रभार: ₹ 22.00 लाख + मरम्मत पर व्यय: ₹ 0.99 लाख + अनुरक्षण: ₹ 1.71 लाख

परिवहन विभाग

3.21 आवश्यकता से अधिक बस परिचालकों की नियुक्ति

बसों की उपलब्धता के बिना परिचालकों की नियुक्ति के परिणामस्वरूप ₹ 9.93 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

राज्य सरकार की आरक्षण नीति (जुलाई 1995) में श्रेणी - III तथा श्रेणी - IV पदों की सीधे भर्ती में अनुसूचित जातियों (अ.जा.) के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। आगे, मानकों (अगस्त 2009) के अनुसार विभाग को एक साधारण बस के परिचालन के लिए 1.4 बस परिचालक अपेक्षित हैं तथा नगर बस सेवा चलाने के लिए 2.5 बस परिचालक अपेक्षित हैं।

विभाग के पास फरवरी 2009 में 3,141 बसों के फ्लीट के परिचालन के लिए 6,036 बस परिचालक थे, उस समय यातायात आयुक्त ने हरियाणा स्टाफ चयन आयोग (ह.स्टा.च.आ.) को, 3,870 बसों के प्रस्तावित फ्लीट के लिए रिक्त पद परिकलित करते हुए 2,480 बस परिचालकों की भर्ती के लिए मांग भेजी थी। जुलाई 2009 में मांग भेजी गई जोकि 1,357 अतिरिक्त बस चालकों की भर्ती के लिए सेवानिवृतियां (212), पदोन्नतियां (770) तथा 268 अतिरिक्त बसों (375) के प्रस्तावित क्रय के द्वारा सृजित होने वाली रिक्तियों के विरूद्ध थी तथा 4,138 बसों का कुल प्रस्तावित फ्लीट बनाते हुए भेजी गई थी। भर्ती के लिए मांग आरक्षण नीति तथा प्रत्येक श्रेणी में सृजित होने वाली रिक्तियों के अनुसार भेजी गई थी।

ह.स्टा.च.आ. ने फरवरी तथा अगस्त 2009 में परिचालकों के 3,837 पदों के लिए विज्ञापन दिया गया था तथा भर्ती प्रक्रिया की पूर्ति के पश्चात् विभाग को, सभी श्रेणियों की मैरिट के क्रम में 3,507 सफल सदस्यों की एक सूची भेजी (फरवरी 2012)। सूची की वैधता अवधि, ह.स्टा.च.आ. द्वारा जारी किए गए पत्र की तिथि से एक वर्ष थी। उस समय (फरवरी, 2012) उपलब्ध रिक्तियां, 3,672 बसों के प्राधिकृत फ्लीट के आधार पर परिकलित, केवल 1,788 थी।

सरकार ने, मैरिट के क्रम में 3,507 सदस्यों की सूची में से 1,788 सदस्यों की नियुक्ति देने तथा शेष सदस्यों को प्रत्येक छः माह बाद काउंसलिंग करके रिक्तियों की वास्तविक उपलब्धता के अनुसार नियुक्त करने का निर्णय किया (मार्च 2012)। तदनुसार, 1,788 नियुक्तियां अप्रैल 2012 में विभिन्न डिपुओं के लिए की गई जिनमें 357 परिचालकों की अपेक्षित संख्या (1,788 का 20 प्रतिशत) के विरूद्ध 173 एस.सी. शामिल थे।

विभिन्न सामाजिक संगठनों ने एस.सी. सदस्यों की उचित संख्या नियुक्त न करने के लिए विरोध किया। इन अभिवेदन पर कार्य करते हुए, सरकार ने सभी शेष 1,719 सदस्यों को नियुक्त कर दिया (जून 2012) तथा तैनात पद विवरणी के अनुसार परिचालकों की कुल संख्या 7,754 हो गई। इससे, मई 2012 से दिसंबर 2013 तक की अवधि के दौरान परिचालकों की संख्या बसों की

अनुपलब्धता के कारण 240 तथा 1,316 की बीच बढ़ गई जिसके परिणामस्वरूप इन परिचालकों के वेतनों पर ₹ 9.93[66] करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ ***(परिशिष्ट 3.5)***।

महानिदेशक, राज्य परिवहन विभाग ने तथ्यों को स्वीकार करते समय बताया (मई 2014) कि ह.स्टा.च.आ. द्वारा 3,507 चयनित अभ्यर्थियों की सूची से वरिष्ठता आधार पर 1,788 बस परिचालकों की नियुक्ति की गई थी। इस प्रकार बसों की उपलब्धता के बिना परिचालकों की नियुक्ति के परिणामस्वरूप आधिक्य में नियुक्त किए गए परिचालकों को प्रदत्त वेतनों के कारण दिसंबर 2013 तक ₹ 9.93 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

मामला प्रधान सचिव, परिवहन विभाग को भेजा गया था (मई 2014); उत्तर, बार-बार अनुस्मारकों के बावजूद प्रतीक्षित था (जनवरी 2015)।

3.22 कें.मो.वा.नि. का उल्लंघन करते हुए बसों के प्रापण के कारण परिहार्य हानि

कें.मो.वा.नि., 1989 के प्रावधानों का उल्लंघन करके बसों के प्रापण के परिणामस्वरूप बसों के न चलाने, साइड ग्लासिज के परिवर्तन पर व्यय तथा भुगतान की गई पेनल्टी के कारण निवल राजस्व हानि के कारण ₹ 92.88 लाख की हानि हुई।

केंद्रीय मोटर वाहन नियम (कें.मो.वा.नि.), 1989 के नियम 100 (2) ने प्रावधान किया था कि वाहनों के साइड विंडोज के लिए प्रयुक्त ग्लास ऐसी स्थिति में रखा जाना चाहिए कि लाइट का विजुअल संचारण 50 प्रतिशत से कम न हो तथा भारतीय मानकों के अनुरूप हों।

महानिदेशक, राज्य परिवहन (म.नि.रा.प.) ने अक्तूबर 2011 में तथा नवंबर, 2011 में संशोधित शर्तों तथा निबंधनों के साथ, मर्सीडीज बैन्ज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली तथा मैसर्ज वोल्वो बस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली (मैसर्ज वोल्वो) से, विंडो ग्लासिज की उपर्युक्त विनिर्देशन का उल्लेख किए बिना हरियाणा रोडवेज में परिचालन हेतु 25 वातानुकूलित लग्जरी बसों की आपूर्ति के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए। दोनों विनिर्माताओं ने नवंबर 2011 में अपने प्रस्ताव प्रस्तुत किए जिसने साथ में बताया कि उनकी बसें कें.मो.वा.नि. नियम, 1989 को पूरा करेंगी।

विभाग की एक तकनीकी समिति[67] ने दोनों विनिर्माताओं के प्रस्ताव विभाग की अपेक्षा के अनुसार पाए (नवंबर 2011)। वित्त मंत्री द्वारा अध्यक्षता की गई उच्च अधिकार प्राप्त कमेटी ने मैसर्ज वोल्वों का प्रस्ताव निम्नतम होने के कारण अनुमोदित किया (दिसंबर 2011)। तदनुसार, म.नि.रा.प. ने ₹ 20 करोड़ की लागत पर 25 वातानुकूलित लग्जरी बसों की आपूर्ति के लिए मैसर्ज वोल्वो को आपूर्ति आदेश जारी किया (दिसंबर 2011) तथा संयुक्त राज्य परिवहन नियंत्रक (तकनीकी) ने बस बाडी के विस्तृत विनिर्देशन जारी किए (जनवरी 2012) जिसमें साइड ग्लासिज को सख्त डार्क ग्रे

[66] मई 2012 से दिसंबर, 2013 के दौरान अधिक परिचालकों का मासिक योग (प्रति बस परिचालक का मानक = 1.4 तथा 2.5) = 12,408; प्रति माह प्रति परिचालक ₹ 8,000 की दर पर वेतन = **₹ 9.93 करोड़**।

[67] संयुक्त परिवहन आयुक्त (जे.टी.सी.)-II, संयुक्त राज्य परिवहन नियंत्रक (जे.एस.टी.सी.) (तकनीकी) तथा मुख्य लेखा अधिकारी (मुख्यालय)।

होना शामिल था जो कें.मो.वा.नि., 1989 के नियम 100 (2) के अनुरूप नहीं था। महाप्रबंधक (तकनीकी), एच.आर.ई.सी., महाप्रबंधक, हरियाणा परिवहन करनाल, गुड़गांव तथा चंडीगढ़ द्वारा सुपुर्दगी लेने से पूर्व बसों का निरीक्षण किया गया था तथा फरवरी एवं जून 2012 के बीच सुपुर्दगी ली गई थी। चूंकि बसें, कें.मो.वा.नि., 1989 के नियम 100 (2) के प्रावधानों के अनुरूप नहीं थी तथा रंगीन ग्लासिज अनुमत सीमा से परे थे। दिल्ली पुलिस ने इन बसों का, दिल्ली में उनके परिचालन के दौरान चालान कर दिया (दिसंबर 2012 तथा जनवरी 2013) और विभाग ने ₹ 1.14 लाख की पेनल्टी का भुगतान किया। इस प्रकार, विभाग द्वारा ये बसें परिचालित नहीं की गई थी तथा ग्लासिज के परिवर्तन के लिए ₹ 34.41 लाख का व्यय किया गया। विभाग ने बसें परिचालित न करने से ₹ 57.33 लाख के राजस्व की हानि भी उठाई।

इंगित किए जाने पर म.नि.रा.प. ने बताया (जुलाई 2013) कि यद्यपि विनिर्देशन शीट में डार्क-ग्रे सख्त साइड विंडो ग्लासिज शामिल थे तथा कें.मो.वा.नि., 1989 की अनुमत सीमा के भीतर विजुअल लाईट संचारण की मात्रा की आवश्यकता उल्लिखित नहीं थी, विनिर्माता, मैसर्ज वोल्वो बसिज प्राइवेट लिमिटेड से कें.मो.वा.नि., 1989 के अनुसार मदें प्रयोग किए जाने की आशा थी। आगे, यह सूचित किया गया (मई 2014) कि विभाग इस मामले में मध्यस्थ निर्णय का प्रयत्न कर रहा है। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि विभाग ने, कें.मो.वा.नि., 1989 के नियम 100 (2) की अपेक्षाओं को पूरा करने वाली बसें प्राप्त नहीं की गई थी परिणामत: ₹ 92.88 लाख[68] की परिहार्य हानि हुई।

मामला, प्रधान सचिव, परिवहन विभाग को भेजा गया था (मई 2014), उत्तर बार-बार अनुस्मारकों के बावजूद प्रतीक्षित था (जनवरी 2015)।

महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य, अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण, सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता तथा शिक्षा विभाग

3.23 'कन्या शिशु के कल्याण तथा सुरक्षा' की स्कीमों के कार्यान्वयन में कमियां

1,082 दावेदारों को विवाह शगुन जारी करने में पांच से 32 माह का विलंब देखा गया। लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता स्कीम के अंतर्गत सही सत्यापन के बिना 5,153 लाभार्थियों को ₹ 10.95 करोड़ भुगतान किए गए। 4,000 कन्या विद्यार्थी योग कक्षाओं तथा स्वयं सुरक्षा परीक्षण से वंचित रखी गई। 2009-14 अवधि के दौरान जींद तथा हिसार में कन्या शिशु का अनुपात घट गया था।

परिवार तथा समाज में कन्या शिशु की स्थिति सुधारने, राज्य में घटते लिंग अनुपात के जन सांख्यिक विकार को दूर करने तथा कन्या शिशु की सामाजिक तथा स्वास्थ्य आवश्यकताओं को

[68] पेनल्टी: ₹ 1.14 लाख, ग्लास परिवर्तन प्रभार ₹ 34.41 तथा निवल राजस्व हानि: ₹ 57.33 लाख।

पूरा करने के उद्देश्य से सरकार आठ स्कीमें/कार्यक्रम[69] कार्यान्वित कर रही थी।

मई तथा जून 2014 के महीनों के दौरान लेखापरीक्षा में तीन जिलों (करनाल, हिसार तथा जींद) को आवृत्त करते हुए वर्ष 2009-14 के लिए कन्या शिशु से संबंधित चार स्कीमों[70] के अभिलेखों की नमूना-जांच की गई। महत्वपूर्ण परिणाम निम्न प्रकार से है:

(i) लाडली स्कीम (महिला एवं बाल विकास विभाग)

कन्या भ्रूण हत्या के संकट का सामना करने के लिए जो जन सांख्यिकीय तथा सामाजिक महत्वों को विध्वंस कर रही है, जनसांख्यिक लिंग अनुपात का संतुलन पुन: स्थापित करने के लिए 'लाडली' नामक एक स्कीम आरंभ की गई (अगस्त 2005)। स्कीम के अंतर्गत दूसरी कन्या के जन्म से पांच वर्षों के लिए प्रति परिवार प्रतिवर्ष ₹ 5,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जानी थी जिसे भारतीय जीवन बीमा निगम (जी.बी.नि.) के साथ निवेश किया जाना था। दूसरी कन्या को, 18 वर्ष की आयु प्राप्त होने पर इस शर्त के साथ कि वह जीवित तथा अविवाहित होनी चाहिए, संचित राशि का भुगतान किया जाना था। मृत्यु अथवा विवाह के मामले में विभाग नामांकन रद्द कर देगा तथा जी.बि.नि. से निवेश की गई निधियों को ब्याज सहित वापस ली जाएगी। 2009-14 के दौरान स्कीम के अंतर्गत 1,15,850 के लक्ष्य के विरूद्ध 1,14,351 लाभग्राहियों को वित्तीय सहायता के रूप में ₹ 57.21 करोड़ व्यय किया गया। लेखापरीक्षा में निम्न अवलोकित किया गया:

- 538 मृत्यु प्रकरणों में (जींद: 306 प्रकरण, करनाल: 116 प्रकरण तथा हिसार: 116 प्रकरण) जिला कार्यक्रम अधिकारियों (जि.का.अ.) ने जी.बी.नि. से निधियों के दावे नहीं किए थे। इंगित किए जाने पर (जुलाई 2014) जि.का.अ. ने 538 मृत्यु प्रकरणों के लिए जी.बी.नि. से दावे किए थे तथा ब्याज सहित ₹ 37.12 लाख का रिफंड प्राप्त किया।

- नवंबर 2013 में जी.बी.नि. द्वारा का.अ. जींद को 2,358 प्रकरणों में दिए गए सदस्यता प्रमाण-पत्रों में लाभग्राही की जन्मतिथि उल्लिखित नहीं थी जिसके अभाव में यह सुनिश्चित करना कठिन होगा कि लाभार्थी कब 18 वर्ष की आयु प्राप्त करेगी। महिला एवं बाल विकास विभाग ने सूचित किया (सितंबर 2014) कि राशि के साथ जन्मतिथि उल्लिखित करके नए सदस्यता प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए जी.बी.नि. चण्डीगढ़ को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए थे। तथापि, तथ्य यह रहता है कि विभाग ने लाभार्थियों के प्रमाण-पत्र जन्मतिथि के उल्लेख के बिना स्वीकार किए तथा नए सदस्यता प्रमाण-पत्र अभी प्राप्त होने शेष थे (जनवरी 2015)।

[69] 1-लाडली (महिला एवं बाल विकास) राज्य योजना, 2-के.एस.वाई. (महिला एवं बाल विकास) राज्य योजना/केंद्रीय योजना, 3-सबला (महिला एवं बाल विकास) राज्य योजना/केंद्रीय योजना, 4-किशोरी कन्या पुरस्कार (महिला एवं बाल विकास) राज्य योजना, 5-पी.एन.डी.टी. एक्ट 1994 (स्वास्थ्य विभाग) केंद्रीय योजना, 6-इंदिरा गांधी प्रियदर्शिनी विवाह शगुन स्कीम राज्य योजना, (एस.सी./बी.सी. कल्याण विभाग), 7-लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता (सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता विभाग) राज्य योजना, 8-बाल कन्या को योग कक्षाएं प्रदान करना, स्व-सुरक्षा प्रशिक्षण देना तथा मनोरंजन यात्रा (शिक्षा विभाग) राज्य/केंद्रीय हिस्सा आधारित।

[70] 1-लाडली, 2-इंदिरा गांधी प्रियदर्शिनी विवाह शगुन स्कीम (इं.गा.प्रि.वि.श. स्कीम), 3-लाडली सामाजिक सरुक्षा भत्ता (ला.सा.सु.भ.) तथा 4-लड़कियों के लिए मनोरंजन यात्रा तथा आत्म सुरक्षा प्रशिक्षण योग कक्षाएं।

(ii) इंदिरा गांधी प्रियदर्शिनी विवाह शगुन स्कीम (एस.सी/बी.सी. कल्याण विभाग)

इंदिरा गांधी प्रियदर्शिनी विवाह शगुन (इ.गा.पि.द.) स्कीम एस.सी./बी.सी. तथा निर्धनता रेखा से नीचे रह रहे समाज के अन्य वर्गों की बेटियों के विवाह के अवसर पर वित्तीय सहायता प्रदान करती है। स्कीम के मार्गनिर्देशों के अनुसार संबंधित अधिकारियों द्वारा सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए जाने थे कि विवाह की तिथि वाले दिन अथवा इससे पूर्व अनुदान वितरित किया। 2010 - 14 के दौरान नमूना - जांच किए गए जिलों में ₹ 44.95 करोड़ के बजट प्रावधान के विरूद्ध ₹ 43.32 करोड़ का व्यय किया गया।

2,232 विवाह शगुन (कन्यादान) में से 1,082[71] प्रकरणों में ₹ 2.23 करोड़ की राशि से आवेष्टित दावेदारों के आवेदन पत्रों की प्राप्ति से 5 से 32 महीनों की देरी के साथ भुगतान किए गए जिसने स्कीम के उद्देश्य को विफल कर दिया। जिला कल्याण अधिकारियों (जि.क.अ.) करनाल, जींद तथा हिसार ने बताया (जून 2014) कि स्टाफ की कमी, बजट की अनुपलब्धता तथा आवेदन प्रपत्रों का पूर्ण न होना देरी से भुगतान के कारण थे। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि स्कीम के अंतर्गत पर्याप्त बजट उपलब्ध था तथा लड़की के विवाह से पहले भुगतान किए जाने थे।

2009 - 10 से संबंधित 109 प्रकरणों में ₹ 15.36 लाख की वास्तविक प्रापक रसीदें जिला कल्याण अधिकारी (जि.क.अ.) जींद में उपलब्ध नहीं थी जिसके अभाव में वास्तविक प्रापक को भुगतानों की यर्थाथता को लेखापरीक्षा में सत्यापित नहीं किया जा सका। जि.क.अ., जींद ने बताया (जून 2014) कि संबंधित सहायक, जिसका स्थानान्तरण सितंबर 2012 में जि.क.अ. जींद से जि.क.अ. भिवानी हो गया था, ने पूर्ण कार्यभार नहीं सौंपा, इसलिए वा.प्र.र. उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि वा.प्र.र. को कार्यालय में रखने के लिए जिला कल्याण अधिकारी उत्तरदायी था।

(iii) लाडली सामाजिक सुरक्षा (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग)

'लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता' योजना के अंतर्गत बुढ़ापा भत्ता के नमूने पर 45 से 60 वर्ष की आयु वाले व्यक्तियों को केवल कन्या/कन्याएं रखने वाले प्रति परिवार को ₹ 500 भत्ता दिया जाना था। स्कीम के अंतर्गत ऐसा प्रत्येक परिवार, जाति, पंथ, प्रजाति तथा धर्म का ध्यान किए बिना जिसकी कुल वार्षिक आय ₹ 1.44 लाख से कम थी (बाद में जून 2011 में ₹ 2 लाख प्रतिवर्ष तक बढ़ाई गई) लाभ प्राप्त करने के लिए योग्य था। योग्य लाभार्थियों की पहचान के लिए जिला कल्याण अधिकारी द्वारा एक कमेटी गठित की जाएगी। नमूना - जांच किए गए जिलों में 2009 - 14 अवधि के लिए बजट तथा व्यय ₹ 11.29 करोड़ था।

[71]

जिले का नाम	5 माह से 10 माह	11 माह से 24 माह	25 माह से 32 माह	कुल
करनाल	89	260	0	349
हिसार	118	123	6	247
जींद	318	168	0	486
कुल	**525**	**551**	**6**	**1,082**

जिला समाज कल्याण अधिकारी (जि.स.क.अ.), करनाल, हिसार तथा जींद में 2011-14 के दौरान 5,153 लाभार्थियों को उचित सत्यापन किए बिना ₹ 10.95 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया। आगे विभाग ने भुगतान जारी करने से पहले लाभार्थियों की पहचान तथा आय के निर्धारित मापदण्ड के अनुसार, सत्यापन नहीं किया था।

जि.स.क.अ., करनाल तथा जींद ने बताया (जून 2014) कि लाडली स्कीम के अंतर्गत विद्यमान लाभार्थियों का सर्वेक्षण करवाया जाएगा। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि लाभार्थी की पहचान लाभार्थियों की पात्रता को स्थापित करने हेतु एक पूर्व शर्त थी।

(iv) कन्या को आत्मरक्षा प्रशिक्षण देने के लिए योग कक्षाएं प्रदान करना तथा मनोरंजन यात्रा (शिक्षा विभाग)

कन्या विद्यार्थियों को शारीरिक तथा मानसिक रूप से दुरूस्त रखने के लिए 2011-12 से सर्व शिक्षा अभियान तथा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (रा.मा.शि.अ.) के अंतर्गत विद्यालयों में योग कक्षाएं प्रदान की जाती है; विद्यालयों में आत्म सुरक्षा प्रशिक्षण भी दिया जाता है ताकि आवश्यकता पड़ने पर वे अपनी सुरक्षा स्वयं कर सके। उनके आत्म विश्वास स्तर को बढ़ाने के लिए तथा उनके ज्ञान एवं कौशल बढ़ाने के लिए विद्यालयों द्वारा कन्या विद्यार्थियों को मनोरंजन यात्रा पर ले जाया जाता रहा है। वर्ष 2011-14 के दौरान ₹ 81.76 लाख बजट आबंटन के विरूद्ध ₹ 64.31 लाख का व्यय किया गया।

2011-14 के दौरान 470 विद्यालयों में से 23,500 कन्या विद्यार्थियों अर्थात् प्रत्येक विद्यालय से 50 लड़कियों को आत्मसुरक्षा/योग प्रशिक्षण दिया जाना था तथा उन्हें मनोरंजन यात्रा पर ले जाया जाना था जिसमें से 390 विद्यालयों के 19,500 विद्यार्थियों को ये लाभ दिए गए। इस प्रकार, इस तथ्य के बावजूद कि इन कार्यक्रमों के लिए निधि/बजट उपलब्ध था, 80 विद्यालयों के 4,000[72] कन्या विद्यार्थियों को इन गतिविधियों/स्कीमों के लाभ प्राप्त करने से वंचित रखा गया।

(v) कन्या शिशु का लिंग अनुपात

उपर्युक्त स्कीमों का मुख्य उद्देश्य कन्या शिशु के लिंग अनुपात में (1,000 लड़कों के विरूद्ध कन्याएं) वृद्धि करना था। इसके विपरीत जींद जिले में, 2009-10 में लिंग अनुपात 861 से 2013-14 में 831 तक घट गया। तथा हिसार जिले में 2009-10 में लिंग अनुपात 883 से 2013-14 874 तक घट गया। केवल करनाल जिले में 2009-10 में लिंग अनुपात 845 से बढ़कर 2013-14 में 881 हो गया जो 2011 की जनगणना के अनुसार 943 के राष्ट्रीय औसत से अभी भी पीछे था।

₹ 2.23 करोड़ से आवेष्टित 1,082 दावेदारों को विवाह शगुन जारी करने में पांच से 32 महीनों की देरी थी इससे स्कीम का मूल उद्देश्य विफल हुआ। लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता स्कीम के अंतर्गत ₹ 5,153 लाभार्थियों को ₹ 10.95 करोड़ उचित सत्यापन किए बिना दिए गए। निधियों की उपलब्धता के बावजूद 80 विद्यालयों के 4,000 कन्या विद्यार्थियों को योग कक्षाएं, आत्म सुरक्षा

[72] योग कक्षाएं: 1,500, आत्म सुरक्षा प्रशिक्षण: 2,200 तथा मनोरंजन यात्रा: 300

प्रशिक्षण का लाभ प्राप्त करने से वंचित रखा गया। जींद तथा हिसार में 2009 – 14 की अवधि के दौरान कन्या शिशु का लिंग अनुपात घट गया था।

उपर्युक्त बिंदु अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग तथा प्रधान सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को भेजे गए थे (अगस्त 2014); उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (जनवरी 2015)।

चण्डीगढ़ **(महुआ पाल)**
दिनांकः **प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) हरियाणा**

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली **(शशि कान्त शर्मा)**
दिनांकः **भारत के नियन्त्रक – महालेखापरीक्षक**

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1.1

(संदर्भः अनुच्छेद 1.9; पृष्ठ 4)

बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से इंगित की गई अनियमितताओं की प्रकृति के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनियमितताओं की प्रकृति	अनुच्छेदों की संख्या	राशि
1	चोरी, दुर्विनियोजन तथा गबन के कारण हानि	8	0.04
2	ठेकेदारों/एजेंसियों से अधिक भुगतानों, सामग्री का अधिक निर्गम, उनके जोखिम एवं लागत पर किए गए कार्य की लागत तथा बिक्रीकर, आयकर एवं लिक्विडेटिड प्रभारों की अवसूली के कारण वसूलनीय राशि	49	32.76
3	सरकारी कर्मचारियों से कम/अधिक भुगतानों के कारण वसूलनीय राशि	10	0.31
4	रोकड़ की संरक्षा एवं हैण्डलिंग, खजानों से आहरणों के मिलान, रोकड़ बहियों के रख-रखाव से संबंधित नियमों की अननुपालना तथा विभागीय प्राप्तियों का अनियमित उपयोग और पी.डब्ल्यू.डी. कोड के प्रावधानों की अननुपालना	168	159.85
5	अतिरिक्त एवं परिहार्य व्यय/जमा कार्यों पर किया गया अधिक व्यय, निधियां वापस न लौटाना, सरकार की देयताएं, अनियमित, अप्राधिकृत एवं निष्फल व्यय	316	1,239.79
6	अनियमित/अविवेकी क्रय	6	6.03
7	ठेकेदारों को अदेय वित्तीय सहायता	28	19.23
8	अवमानक कार्यों का निष्पादन	2	1.71
9	निधियों का अवरोधन	32	169.08
10	सामग्री का अलेखांकन/कम प्राप्ति	16	14.29
11	औजार एवं संयंत्र विवरणियां तैयार न करना, विनिर्माण लेखाओं की चैकिंग न करना तथा मशीनरी का कम उपयोग	18	1.64
12	माप पुस्तिकाओं के असंस्वीकृत अनुमान तथा हानि	5	0.00
	कुल	**658**	**1,644.73**

(स्रोतः कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) हरियाणा में रखे गए डाटा से ली गई सूचना)

परिशिष्ट 1.2

(संदर्भः अनुच्छेद 1.10; पृष्ठ 5)

वर्ष 2009-10, 2010-11 तथा 2011-12 के लिए लोक लेखा समिति में चर्चा किए जाने वाले बकाया अनुच्छेदों की सूची

क्र. सं.	विभाग का नाम	अवधि	कुल अनुच्छेद	अनुच्छेद संख्या
1.	कृषि	2010-11	1	3.2.5
		2011-12	1	4.3.7
2.	पशुपालन एवं डेरी उद्योग विभाग	2010-11	1	4.1
3.	शिक्षा	2010-11	1	2.1
		2011-12	3	4.1.3, 4.3.1, 5.1
4.	वित्त	2009-10	1	2.6.1
5.	खाद्य एवं आपूर्ति	2010-11	1	3.3.6
		2011-12	1	4.2.5
6.	गृह (पुलिस)	2009-10	1	2.2.6
		2010-11	1	3.2.6
		2011-12	1	3.4
7.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2011-12	1	4.1.1 (ए)
8.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	2009-10	2	2.1.1, 2.5.1
		2010-11	1	3.1.1
		2011-12	1	3.3
9.	सिंचाई	2009-10	3	2.2.2, 2.2.3 तथा 2.2.4
		2010-11	4	3.1.2, 3.2.1, 3.3.1, 3.3.2
		2011-12	3	2.2, 2.3, 4.1.2
10.	गृह (जेल)	2009-10		2.6.1.(एम)
11.	लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़क)	2011-12	2	4.2.3, 4.3.5
12.	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी	2010-11	2	3.3.3, 3.3.4
		2011-12	5	4.1.1 (बी), 4.2.4, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4
13.	राजस्व	2010-11	1	2.3
14.	ग्रामीण विकास	2009-10	1	2.5.2
		2011-12	1	2.4
15.	नगर एवं ग्राम आयोजना (हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण)	2010-11	1	3.3.5
		2011-12	5	3.2, 4.2.7, 4.3.8, 4.3.9, 4.3.10
16.	परिवहन	2011-12	2	4.2.6, 4.3.6
17.	न्याय प्रशासन	2011-12	1	4.2.2
18.	श्रम एवं रोजगार	2010-11	1	3.3.7
		2011-12	1	2.1
19.	पंचायत विभाग	2011-12	1	3.1
	कुल		**52**	

(स्रोतः लोक लेखा समिति द्वारा रखे गए डाटा से ली गई सूचना)

परिशिष्ट 1.3

(संदर्भः अनुच्छेद 1.10; पृष्ठ 5)

वर्ष 2009–10, 2010–11 तथा 2011–12 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के अनुच्छेदों, जिनकी कृत कार्रवाई टिप्पणियां (कृ.का.टि.) 31 अगस्त 2014 को प्रतीक्षित हैं, के विवरण

क्र. सं.	विभाग का नाम	सी.ए.जी. लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	अनुच्छेद	अनुच्छेद संख्या
1.	कृषि	2011-12	1	4.3.7
2.	वित्त	2009-10	1	2.6.1
3.	गृह (पुलिस तथा जेल)	2009-10	1	2.2.6
		2011-12	1	3.4
4.	सिंचाई	2011-12	2	2.2, 2.3 (सिंचाई से संबंधित), 4.1.2
5.	लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़क)	2011-12	1	4.2.3
6.	राजस्व	2010-11	1	2.3
7.	परिवहन	2011-12	2	4.2.6, 4.3.6
8.	नगर एवं ग्राम आयोजना (हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण)	2010-11	1	3.3.5
9.	श्रम एवं रोजगार	2010-11	1	3.3.7
10.	ग्रामीण विकास	2011-12	1	2.4
11.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2011-12	1	4.1.1 (ए)
12.	न्याय प्रशासन विभाग	2011-12	1	4.2.2
	कुल		**15**	

(स्रोतः लोक लेखा समिति की कार्यवाहियों के कार्यवृत्तों से ली गई सूचना)

परिशिष्ट 1.4

(संदर्भः अनुच्छेद 1.10; पृष्ठ 5)

अनुच्छेदों की सूची जिनमें वसूलियां इंगित की गई किन्तु प्रशासनिक विभागों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई

क्र. सं.	प्रशासनिक विभाग का नाम	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	अनुच्छेद संख्या	राशि (₹ लाख में)
1.	कृषि	2000-01	6.3	40.45
			6.6	30.60
2.	पशुपालन	2000-01	3.4	21.96
		2001-02	6.3	747.00
3.	वित्त	2001-02	3.3	5.62
4.	खाद्य एवं आपूर्ति	2002-03	4.6.8	23.89
5.	ग्रामीण विकास (जिला ग्रामीण विकास एजेंसी)	2001-02	6.1.11	0.54
		2003-04	4.5.1	273.00
		2011-12	2.4.10.2	2.60
6.	नगर एवं ग्राम आयोजना (हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण)	2000-01	3.16	15,529.00
		2001-02	6.10	4,055.00
		2011-12	2.3.10.8	167.00
			2.3.13.2	804.00
7.	महिला एवं बाल विकास	2009-10	1.12.13.1	8.25
			1.12.13.3	4.09
8.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता (जिला रैड क्रास सोसाईटी)	2010-11	3.11	1.53
		2011-12	3.3.5.1	1,572.00
			3.3.5.2	71.00
9.	लोक निर्माण विभाग (सिंचाई)	2010-11	3.1.2	62.25
10.	श्रम एवं रोजगार	2011-12	2.1. 9.4	79.95
	कुल		**20**	**23,499.73**

अर्थात् ₹ 235 करोड़

(स्रोतः लोक लेखा समिति की कार्यवाहियों पर कृत कार्रवाई टिप्पणियां)

परिशिष्ट 1.5

(संदर्भः अनुच्छेद 1.10; पृष्ठ 5)

लोक लेखा समिति की 31 अगस्त 2014 के बकाया सिफारिशों के विवरण, जिन पर सरकार को अभी अंतिम निर्णय लेना था

क्र.सं.	पी.ए.सी. रिपोर्ट	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	बकाया सिफारिशों की कुल संख्या
1	9वीं	1971-72	1
2	14वीं	1973-74	1
3	16वीं	1975-76	1
4	18वीं	1976-77	1
5	21वीं	1978-79	1
6	22वीं	1979-80	2
7	23वीं	1979-80	1
8	25वीं	1980-81	3
9	26वीं	1981-82	2
10	28वीं	1982-83	1
11	29वीं	1983-84	2
12	32वीं	1984-85	5
13	34वीं	1985-86	5
14	36वीं	1986-87	7
15	38वीं	1987-88	6
16	40वीं	1988-89	8
17	42वीं	1989-90, 1990-91,1991-92	4
18	44वीं	1990-91, 1991-92,1992-93	8
19	46वीं	1993-94	7
20	48वीं	1993-94, 1994-95	3
21	50वीं	1993-94,1994-95, 1995-96	33
22	52वीं	1996-97	15
23	54वीं	1997-98	10
24	56वीं	1998-99	14
25	58वीं	1999-2000	40
26	60वीं	2000-01	35
27	61वीं	2001-02	12
28	62वीं	2002-03	20
29	63वीं	2005-06	25
30	64वीं	2003-04	09
31	65वीं	2004-05	21
32	67वीं	2007-08	37
33	68वीं	2006-07	58
34	70वीं	2008-09	28
		कुल	**426**

(स्रोतः लोक लेखा समिति की कार्यवाहियों पर कृत कार्रवाई टिप्पणियां)

परिशिष्ट 2.1

(संदर्भः अनुच्छेद 2.1.8; पृष्ठ 11)

माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा कार्यान्वित स्कीमों के विवरण

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष– लघु शीर्ष– उप शीर्ष	स्कीम का नाम	राज्य/केंद्र	कुल (2009–14) (₹ लाख में)	
				बजट अनुमान	व्यय
योजनेतर					
1	2202-02-001-[99]-(99)	निदेशन एवं प्रशासन-प्रशासनिक स्टाफ-मुख्यालय स्थापना	राज्य	7332.65	8071.52
2	2202-02-001-[99]-(98)	डी.ई.ओ. की स्थापना	राज्य	14225.34	9247.46
3	2202-02-004-[99]	अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, राज्य अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, गुड़गांव की स्थापना	राज्य	2748.63	2324.73
4	2202-02-053-[99]-(17)	भवनों का रख-रखाव-सरकारी स्कूलों में एडिशन एवं आलट्रेशन-लघु कार्य	राज्य	7900.00	5751.45
5	2202-02-105-[98]	अध्यापक प्रशिक्षण-जूनियर बेसिक प्रशिक्षण संस्थान	राज्य	1314.95	677.01
6	2202-02-107	स्कालरशिप	राज्य	109.50	77.38
7	2202-02-109-[99]-(99)-88)	सरकारी माध्यमिक स्कूल-अन्य स्थापना सहित टीचिंग स्टाफ-सूचना प्रौद्योगिकी	राज्य	4520.00	5396.06
8	2202-02-109-(98)	सरकारी माध्यमिक स्कूल-अन्य स्थापना सहित टीचिंग स्टाफ-स्थापना व्यय	राज्य	683709.75	574191.09
9	2202-02-110-[98]-(09)	गैर-सरकारी माध्यमिक स्कूलों को सहायता-गैर-सरकारी माध्यमिक स्कूलों को सहायता अनुदान (वेतन अनुदान)	राज्य	32700.00	30193.08
10	2202-02-110-[96]-(09)	गैर-सरकारी माध्यमिक स्कूलों को सहायता-गैर-सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों के लिए पेंशन स्कीम का आरंभ	राज्य	10700.00	9259.42
11	2202-02-110-[95]-(09)	गुरूकुलों/संस्कृत पाठशाला को सहायता अनुदान	राज्य	305.00	173.00
12	2202-02-800-[99]	अन्य व्यय-मॉक पार्लियामैंट कंपीटीशन	राज्य	0.05	0.00
13	2202-02-800-[98]	अन्य व्यय-अध्यापक कल्याण फाऊडेशन को सहायता अनुदान	राज्य	2.50	3.25
कुल				**765568.37**	**645365.44**
योजनागत					
1	2202-02-99-99	निदेशन एवं प्रशासन-प्रशासनिक स्टाफ-मुख्यालय स्थापना	राज्य	1455.74	826.17
2	2202-02-001-99-98	डी.ई.ओ. की स्थापना	राज्य	1792.29	757.24
3	2202-02-001-99-97	सूचना संचार प्रौद्योगिकी (आई.सी.टी.)	राज्य	800.00	557.69
4	2202-02-001-94-99	माध्यमिक शिक्षा का कंप्यूटरीकरण एवं ई-गवर्नेंस-कंप्यूटरीकरण	राज्य	150.00	151.20
5	2202-02-001-94-98	स्थापना व्यय	राज्य	381.00	257.50
6	2202-02-001-99-97	आई.सी.टी. (जी.आई.ए.)	राज्य	6700.00	0.00
7	2202-02-001-99-96	हरियाणा स्कूल शिक्षक चयन बोर्ड की स्थापना	राज्य	713.16	567.45
8	2202-02-001-97	स्कूलों में कंप्यूटर साक्षरता एवं अध्ययन (केंद्रीय प्लान स्कीमें-शेयरिंग बेसिज)	राज्य	9241.12	3625.00
			केंद्र	6218.00	8333.42
9	2202-02-004-98	अनुसंधान एवं प्रशिक्षण-एस.सी.ई.आर.टी. का सुदृढीकरण	राज्य	25.00	25.00
10	2202-02-004-96	अनुसंधान एवं प्रशिक्षण-जिला/राज्य स्तर पर साईंस एग्जीबीशन/फेयर का आयोजन	राज्य	110.00	108.76

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष– लघु शीर्ष– उप शीर्ष	स्कीम का नाम	राज्य/केंद्र	कुल (2009–14) (₹ लाख में)	
				बजट अनुमान	व्यय
11	2202-02-053-98	भवन का रख-रखाव-उच्च माध्यमिक स्कूलों के भवन का निर्माण/विस्तार	राज्य	3000.00	2387.68
12	2202-02-105-97	अध्यापक प्रशिक्षण-अध्यापकों को इन-सर्विस ट्रेनिंग	राज्य	520.00	415.83
13	2202-02-105-93	झज्जर में एक स्वायत राज्य स्तरीय अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना	राज्य	504.47	326.47
14	2202-02-105-92	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डी.आई.ई.टी.एस.) की स्थापना	राज्य	1483.95	946.99
			केंद्र	4451.86	2840.97
15	2202-02-105-91	खंड शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (बी.आई.ई.टी.एस.) की स्थापना	राज्य	163.08	65.32
			केंद्र	489.24	195.96
16	2202-02-105-90	राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् गुड़गांव का सुदृढ़ीकरण	राज्य	9.97	8.88
			केंद्र	29.91	26.64
17	2202-02-105-96	गुड़गांव, सोनीपत, मोहड़ा, बिहरीकलां, ईक्कस, डींग, मोहिंद्रगढ़, मदीना आदि में डाईट की स्थापना	केंद्र	13740.81	9820.22
18	2202-02-105-94-09	पाली एवं 7 नए डाईटस/भवनों का निर्माण-सहायतानुदान	केंद्र	200.00	0.00
19	2202-02-107-99-12	छात्रवृतियां-छात्रवृतियां (माध्यमिक)-छात्रवृतियां एवं स्टाइपेंड	राज्य	1322.34	1144.36
20	2202-2-107-96	बुक बैंक-क्रय	राज्य	311.50	0.00
21	2202-02-107-90	छात्र सुरक्षा बीमा पालिसी	राज्य	125.00	82.80
22	2202-02-107-87	कक्षा XI-XII में बी.पी.एल. छात्रों को मासिक स्टाइपेंड	राज्य	7528.00	5562.10
23	2202-02-107-86	कक्षा XI-XII में बी.सी.-ए छात्रों को मासिक स्टाइपेंड	राज्य	19653.70	19124.48
24	2202-02-107-85	कक्षा 9वीं से 12वीं के सामान्य वर्ग के छात्रों को नि:शुल्क पाठ्य पुस्तक प्रदान करना	राज्य	200.00	0.00
25	2202-02-107-83-99	बुक बैंक-पुस्तकालय क्रय	राज्य	1288.00	1033.00
26	2202-02-107-82	स्वतंत्रा सेनानियों के पोतों, पोतियों के कल्याण हेतु मासिक स्टाईपैंड	राज्य	32.34	43.45
27	2202-02-107-89	राष्ट्रीय मेरिट्स छात्रवृति	केंद्र	49.80	15.51
28	2202-02-108-99	राष्ट्रीय प्रतिभा खोज छात्रवृति	राज्य	47.72	39.70
29	2202-02-109-99-98	स्थापना व्यय	राज्य	28109.89	23020.05
30	2202-02-109-98	कक्षा IX-XI संस्थागत सुविधाओं का विस्तार	राज्य	9245.52	7317.69
31	2202-02-109-97	+2 पैट्रन का क्रियान्वयन	राज्य	17630.63	17185.24
32	2202-02-109-91	राज्य में मॉडल स्कूल खोलना	राज्य	200.00	200.00
33	2202-02-109-90-86	छात्र-प्रशिक्षण हेतु नम्र कौशल का विकास प्रशिक्षण	राज्य	460.00	0.00
34	2202-02-109-89	माध्यामिक शिक्षा में एजुसैट परियोजना	राज्य	1500.00	1200.00
35	2202-02-109-88	सर्व शिक्षा अभियान/माध्यामिक शिक्षा परियोजना	राज्य	4000.00	711.68
36	2202-02-109-87	राजकीय वरिष्ठ माध्यामिक विद्यालयों का सुदृढीकरण	राज्य	600.00	505.15
37	2202-02-109-83	निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन	राज्य	3512.13	543.69
38	2202-02-109-86	राष्ट्रीय माध्यामिक शिक्षा अभियान (आर.एम.एस.ए.)	राज्य	74000.00	14523.76
			केंद्र	0.00	0.00

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष– लघु शीर्ष– उप शीर्ष	स्कीम का नाम	राज्य/केंद्र	कुल (2009–14) (₹ लाख में)	
				बजट अनुमान	व्यय
39	2202-02-109-85	ई.बी.बी. में मॉडल विद्यालयों का खोलना	राज्य	13242.58	3779.93
40	2202-02-109-84	ई.बी.बी. में माध्यामिक एवं उच्चतर माध्यामिक स्कूल के छात्रों हेतु बालिका छात्रावासों का निर्माण एवं संचालन (सहायतानुदान)	राज्य	1080.00	157.25
			केंद्र	9720.00	1415.20
41	2202-02-109-81	राष्ट्रीय व्यवसायिक शिक्षा योग्यता फ्रेमवर्क (एन.वी.ई.क्यू.एफ.)	राज्य	1156.89	1498.24
			केंद्र	8992.78	1746.12
42	2202-02-109-94	शैक्षणिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए क्षेत्र प्रोत्साहन कार्यक्रम (सहायतानुदान)	केंद्र	3896.70	385.29
43	2202-02-109-82	माध्यमिक स्तर पर अपंगो हेतु समावेशी शिक्षा (आई.ई.डी.एस.एस.)	केंद्र	4326.31	917.82
44	2202-02-789-99	कक्षा 9वीं एवं 11वीं के अनुसूचित जाति के छात्रों हेतु निशुल्क बाईसिकल की प्रदानगी (एस.सी.पी.एस.)	राज्य	2014.00	157.42
45	2202-02-789-97	9वीं से 12वीं तक अनुसूचित जाति के छात्रों हेतु नकद पुरस्कार योजना (एस.सी.पी.एस.)	राज्य	18058.30	14490.60
46	2202-02-789-96	9वीं से 12वीं कक्षाओं के अनुसूचित जाति के समस्त छात्रों को मासिक स्टाईपैंड	राज्य	36159.00	28493.35
कुल				**320642.73**	**177538.27**

स्रोतः लेखापरीक्षा दल द्वारा संकलित सूचना

परिशिष्ट 2.2

(संदर्भः अनुच्छेद 2.1.8.1; पृष्ठ 13)

एवरऑन एजुकेशन लिमिटेड तथा कोर प्रोजेक्ट एण्ड टैक्नोलोजिज लिमिटेड से फीडबैक के विवरण दर्शाने वाली विवरणियां

एवरऑन एजुकेशन लिमिटेड

जिला का नाम	स्कूलों की संख्या जहां से फीडबैक प्राप्त हुआ	स्कूलों द्वारा मूल्यांकित सेवाएं					कारण			
		उत्तम	बुहत अच्छा	अच्छा	औसत	कमजोर	प्रयोगशाला उपकरण कार्यरत स्थिति में नहीं	डी.जी. सैट कार्यरत स्थिति में नहीं	उपभोगीय, अनुबंध के अनुसार आपूरित नहीं किए गए	ब्रॉड–बैंड कनेक्शन काम नहीं कर रहा
हिसार	7	0	1	2	4	0	1	2	6	0
कैथल	5	0	0	3	2	0	1	2	0	1
करनाल	2	0	0	1	1	0	1	0	1	0
कुरूक्षेत्र	9	0	0	6	3	0	2	6	1	0
मेवात	3	0	0	0	1	2	2	2	2	0
यमुनानगर	6	0	1	1	3	1	2	4	0	1
कुल	32	0	2	13	14	3	9	16	10	2

स्रोतः लेखापरीक्षा दल द्वारा संकलित डाटा।

कोर प्रोजेक्ट एण्ड टैक्नोलोजिज लिमिटेड

जिला का नाम	स्कूलों की संख्या जहां से फीडबैक प्राप्त हुआ	फीड बैक					कारण				
		उत्तम	बुहत अच्छा	अच्छा	औसत	कमजोर	प्रयोगशाला उपकरण कार्यरत स्थिति में नहीं	डी.जी. सैट कार्यरत स्थिति में नहीं	उपकरण चोरी या गुम हो गया	उपभोगीय,अनुबंध के अनुसार आपूरित नहीं किए गए	इंटरनैंट कनेक्शन का कार्यचालन
हिसार	14	0	0	0	1	13	6	3	1	14	11
कैथल	35*	0	0	0	2	33	30	27	1	34	32
करनाल	10	0	0	0	2	9	5	3	0	10	8
कुरूक्षेत्र	25	0	0	3	2	20	18	17	3	25	22
मेवात	13	0	0	1	4	8	7	7	1	13	12
रोहतक	11	0	0	0	3	8	9	8	4	11	10
यमुनानगर	15	0	1		3	11	9	8	0	14	12
कुल	**123**	**0**	**1**	**4**	**17**	**102**	**84**	**73**	**10**	**121**	**107**

स्रोतः लेखापरीक्षा दल द्वारा संकलित डाटा।

नोटः* स.व.मा.स्कू. बुड्ढाखेड़ा, संघान, कसौर में तीन कंप्यूटर प्रयोगशालाएं जली गई सूचित की गई थी।

परिशिष्ट 2.3

(संदर्भः अनुच्छेद 2.1.9.1; पृष्ठ 18)

2009 – 14 के दौरान सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों तथा सरकारी उच्च स्कूलों में विद्यार्थियों की पास प्रतिशतता के विवरण

क्र.सं.	जिले का नाम	पास प्रतिशतता											
		वरिष्ठ माध्यमिक (12वीं) परिणाम						उच्च स्कूल (10वीं) परिणाम					
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	अंबाला	90.93	88.88	67.54	60.74	57.66	68.43	70.51	64.83	42.35	41.49	31.46	38.10
2	भिवानी	92.57	90.77	70.37	63.36	57.55	75.51	82.47	81.51	67.76	61.67	51.65	62.46
3	फरीदाबाद	87.88	87.69	64.09	55.89	38.09	63.62	80.13	69.80	45.60	37.98	25.89	33.87
4	फतेहाबाद	89.20	84.66	66.83	58.09	49.51	69.18	77.21	72.63	60.54	52.14	33.45	43.13
5	गुड़गांव	93.38	93.19	75.27	69.54	60.89	71.29	82.21	80.54	62.03	61.60	50.37	60.22
6	हिसार	89.98	89.83	68.27	62.74	53.25	70.94	83.03	82.23	67.63	62.61	41.28	53.77
7	झज्जर	94.87	95.06	79.82	78.21	73.39	82.93	84.56	86.67	76.64	77.36	61.58	65.89
8	जींद	89.50	90.39	71.03	68.27	55.97	69.26	76.04	77.13	61.15	55.05	39.32	48.74
9	करनाल	84.03	86.20	61.26	59.10	50.14	60.06	75.93	75.34	46.60	45.73	28.19	32.69
10	कैथल	90.36	91.20	74.24	61.92	55.52	71.22	80.54	73.51	55.75	47.37	30.38	44.14
11	कुरूक्षेत्र	86.05	85.89	64.01	59.46	48.53	60.13	74.43	66.52	53.90	46.97	32.66	38.63
12	महेंद्रगढ़	90.72	93.40	72.89	67.94	65.99	78.61	85.54	91.16	70.47	66.22	51.71	63.22
13	पंचकूला	88.99	91.30	73.98	68.61	59.45	79.34	62.89	77.94	54.02	51.26	34.52	40.41
14	पानीपत	89.07	91.14	73.82	68.29	55.34	71.69	81.02	80.12	58.93	60.67	35.67	48.80
15	रेवाड़ी	86.71	89.38	68.00	62.93	58.35	71.96	83.86	80.70	64.67	59.02	42.34	55.21
16	रोहतक	91.16	94.67	79.07	75.37	71.69	80.89	84.34	82.62	69.15	65.97	58.44	64.80
17	सिरसा	89.58	89.16	70.62	60.69	52.93	73.35	84.54	81.33	61.98	58.53	37.81	49.31
18	सोनीपत	94.69	95.91	81.20	83.62	77.46	84.52	89.54	87.49	72.19	77.85	65.80	73.25
19	यमुनानगर	84.05	83.48	59.40	57.86	50.75	57.27	68.75	61.15	40.59	39.73	26.86	31.95
20	मेवात	82.82	87.06	72.56	67.54	45.99	67.07	84.05	88.74	69.12	54.42	50.05	56.82
21	पलवल	-	87.15	66.61	63.47	51.87	67.13	-	81.56	58.35	53.70	33.74	39.87
	औसत पास प्रतिशतता	**89.33**	**89.83**	**70.52**	**65.41**	**56.68**	**71.16**	**79.58**	**78.26**	**59.97**	**56.06**	**41.10**	**49.78**

स्रोतः शिक्षा बोर्ड, भिवानी द्वारा आपूरित डाटा।

परिशिष्ट 2.4

(संदर्भः अनुच्छेद 2.1.9.3 ; पृष्ठ 20)

अपग्रेड किए गए स्कूलों के विवरण जिन्होंने निर्धारित मानदण्ड पूर्ण नहीं किए

जिले का नाम	प्राप्त सूचना वाले स्कूलों की संख्या	उन स्कूलों की कुल संख्या जो मानक पूरा नहीं करते	विद्यार्थियों के मानक	क्लास रूम के मानक	क्षेत्र के मानक	विद्यार्थियों तथा क्लास रूम के मानक	विद्यार्थियों तथा क्षेत्र के मानक	क्लास रूम तथा क्षेत्र के मानक	विद्यार्थियों, क्लास रूम तथा क्षेत्र के मानक
रोहतक	स.उ.स्कू./स.क.उ.स्कू. - 6	6	1	3	0	2	0	0	0
	स.व.मा.स्कू./स.क.व.मा.स्कू. - 14	10	3	2	1	3	0	1	0
मेवात	स.उ.स्कू./स.क.उ.स्कू. - 5	5	1	1	0	2	1	0	0
	स.व.मा.स्कू./स.क.व.मा.स्कू. - 4	2	1	0	1	0	0	0	0
हिसार	स.व.मा.स्कू./स.क.व.मा.स्कू. - 6	2	0	2	0	0	0	0	0
कैथल	स.व.मा.स्कू./स.क.व.मा.स्कू. - 7	5	0	4	0	1	0	0	0
कुरूक्षेत्र	स.उ.स्कू./स.क.उ.स्कू. - 2	2	0	1	0	0	0	1	0
	स.व.मा.स्कू./स.क.व.मा.स्कू. - 12	7	1	3	1	1	0	0	1
यमुनानगर	स.उ.स्कू./स.क.उ.स्कू. - 8	5	0	1	0	3	0	1	0
	स.व.मा.स्कू./स.क.व.मा.स्कू. - 7	3	1	1	0	0	1	0	0
करनाल	स.उ.स्कू./स.क.उ.स्कू. - 5	3	0	1	0	1	0	1	0
	स.व.मा.स्कू./स.क.व.मा.स्कू. - 15	5	1	3	0	1	0	0	0
	कुल -91	**55**							

स्रोतः अपग्रेड किए गए स्कूलों द्वारा प्रदान की गई सूचना।

परिशिष्ट 2.5

(संदर्भः अनुच्छेद 2.1.10.2 ; पृष्ठ 21)

उम्मीदवारों के विवरण जिन्हें तैनाती आदेशों के जारी न होने के कारण बेकार वेतन का भुगतान किया गया

(₹ में)

क्र. सं.	विषय	उम्मीदवारों की संख्या जिन्होंने नियुक्ति प्राप्त की					उम्मीदवारों की संख्या जिन्होंने 27 जनवरी 2014 को तैनाती प्राप्त की					नियुक्ति की तिथि से तैनाती की तिथि तक दिनों में देरी				व्यर्थ मजदूरी				
		14 दिसंबर 2013 को	8 जनवरी 2014 को	16 जनवरी 2014 को	18 जनवरी 2014 को	कुल	जिन्होंने 14 दिसंबर 2013 को कार्यभार ग्रहण किया	जिन्होंने 08 जनवरी 2014 को कार्यभार ग्रहण किया	जिन्होंने 16 जनवरी 2014 को कार्यभार ग्रहण किया	जिन्होंने 18 जनवरी 2014 को कार्यभार ग्रहण किया	कुल	जिन्होंने 14 दिसंबर 2013 को कार्यभार ग्रहण किया	जिन्होंने 08 जनवरी 2014 को कार्यभार ग्रहण किया	जिन्होंने 16 जनवरी 2014 को कार्यभार ग्रहण किया	जिन्होंने 18 जनवरी 2014 को कार्यभार ग्रहण किया	जिन्होंने 14 दिसंबर 2013 को कार्यभार ग्रहण किया	जिन्होंने 08 जनवरी 2014 को कार्यभार ग्रहण किया	जिन्होंने 16 जनवरी 2014 को कार्यभार ग्रहण किया	जिन्होंने 18 जनवरी 2014 को कार्यभार ग्रहण किया	कुल
1	कैमिस्ट्री	703	5	25	1	734	623	4	25	1	653	44	19	11	9	30269639	85576	309650	10134	**30674999**
2	कॉमर्स	390	2	7	1	400	385	2	7	0	394	44	19	11	9	18705957	42788	86702	0	**18835447**
3	ज्योग्राफी	262	0	63	2	327	243	0	63	1	307	44	19	11	9	11806617	0	780318	10134	**12597069**
4	हिस्ट्री	194	5	29	1	229	191	5	29	1	226	44	19	11	9	9280098	106970	359194	10134	**9756396**
5	गणित	543	27	121	3	694	517	27	120	3	667	44	19	11	9	25119427	577638	1486320	30402	**27213787**
6	गृहविज्ञान	68	0	3	2	73	68	0	3	2	73	44	19	11	9	3303909	0	37158	20268	**3361335**
7	फिजिक्स	390	1	71	1	463	363	0	70	1	434	44	19	11	9	17637045	0	867020	10134	**18514199**
8	राजनीतिशास्त्र	258	0	4	3	265	253	0	4	3	260	44	19	11	9	12292486	0	49544	30402	**12372432**
9	मनोविज्ञान	177	0	4	0	181	170	0	4	0	174	44	19	11	9	8259773	0	49544	0	**8309317**
10	पंजाबी	308	0	8	1	317	293	0	8	1	302	44	19	11	9	14235962	0	99088	10134	**14345184**
11	समाजशास्त्र	89	0	13	0	102	85	0	11	0	96	44	19	11	9	4129887	0	136246	0	**4266133**
	कुल	**3382**	**40**	**348**	**15**	**3785**	**3191**	**38**	**344**	**13**	3586					**155040798**	**812972**	**4260784**	**131742**	**160246296**

बेसिक – पे 12,090 + ग्रेड – पे, डी.ए. – 14 दिसंबर 2013 से 31 दिसंबर 2013 तक 90 प्रतिशत तथा 01 जनवरी 2014 से 27 जनवरी 2014 तक 100 प्रतिशत।

परिशिष्ट 2.6

(संदर्भः अनुच्छेद 2.2.8.4; पृष्ठ 30)

सा.स्वा.के. तथा प्रा.स्वा.के. में अपर्याप्त मूलभूत संरचना के विवरण

जिले का नाम	कुल		केंद्रों की संख्या जहां सेवाएं उपलब्ध नहीं थी											
	सा.स्वा.के.	प्रा.स्वा.के.	प्रतीक्षालय		लेबर रूम		आपरेशन थियेटर		क्लीनिक कक्ष		इमरजैंसी/कैजुल्टी सेवाएं		पुरूषों व स्त्रियों के लिए अलग–अलग यूनिट	
			सा.स्वा.के.	प्रा.स्वा.के.	सा.स्वा.के.	प्रा.स्वा.के.	सा.स्वा.के.	प्रा.स्वा.के.	सा.स्वा.के.	प्रा.स्वा.के.	सा.स्वा.के.	प्रा.स्वा.के.	सा.स्वा.के.	प्रा.स्वा.के.
यमुनानगर	6	12	0	0	0	7	0	7	0	0	0	0	0	0
फतेहाबाद	4	14	0	2	0	2	0	14	0	0	0	14	0	2
सिरसा	7	18	3	6	1	2	1	5	1	1	1	3	3	5
अंबाला	4	14	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
नारनौल	7	17	0	0	0	0	4	17	0	0	3	17	3	17
भिवानी	9	33	0	0	0	0	4	30	0	0	9	33	0	0
पलवल	4	9	0	2	0	0	4	9	0	0	0	0	0	0
मेवात	3	12	0	2	0	2	0	11	0	0	0	2	0	2
कुल	**44**	**129**	**4**	**16**	**1**	**13**	**13**	**93**	**1**	**1**	**13**	**69**	**6**	**40**

स्रोतः संबंधित डी.एच.एफ.डब्ल्यू.एस. द्वारा प्रदत डाटा।

परिशिष्ट 2.7

(संदर्भः अनुच्छेद 2.2.8.6; पृष्ठ 31)

सा.स्वा.के. तथा प्रा.स्वा.के. में स्वास्थ्य सेवाओं की अनुपलब्धता के विवरण

विवरण	चयनित जिलों में केंद्रों की संख्या जहां स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं थी																कुल	
	यमुनानगर		फतेहाबाद		सिरसा		भिवानी		नारनौल		पलवल		मेवात		अंबाला			
	सा.स्वा.के.	प्रा.स्वा.के.	सा.स्वा.के.	प्रा.स्वा.के.	सा.स्वा.के.	प्रा.स्वा.के.	सा.स्वा.के.	प्रा.स्वा.के.	सा.स्वा.के.	प्रा.स्वा.के.	सा.स्वा.के.	प्रा.स्वा.के.	सा.स्वा.के.	प्रा.स्वा.के.	सा.स्वा.के.	प्रा.स्वा.के.	सा.स्वा.के.	प्रा.स्वा.के.
कुल	**6**	**12**	**4**	**14**	**7**	**18**	**9**	**33**	**7**	**17**	**4**	**9**	**3**	**12**	**4**	**14**	**44**	**129**
ब्लड स्टोरेज	6	12	4	14	6	18	9	33	7	17	4	9	3	12	0	0	39	115
न्यू बोर्न केयर	0	0	0	4	0	1	0	0	0	14	0	0	0	7	0	0	0	26
24×7 डिलीवरी	0	7	0	4	0	1	0	0	0	14	0	2	0	4	0	1	0	33
अंतरग रोगी	0	4	0	14	1	1	0	0	0	0	0	1	0	4	0	0	1	24
एक्स-रे	6	12	0	14	3	10	0	33	6	17	2	8	0	11	1	14	18	119
अल्ट्रा-सांऊड	6	12	4	14	7	18	9	33	7	17	4	9	3	12	4	14	44	129
ई.सी.जी.	6	12	0	14	4	11	0	33	5	17	4	9	0	12	4	14	23	122
प्रसूति सेवाएं	0	7	0	0	5	12	0	33	7	17	0	2	2	12	4	14	18	97
आपातकालीन सेवाएं	0	7	0	14	1	3	7	33	0	17	4	9	0	4	0	0	12	87
नलबंदी तथा नसबंदी	0	11	0	14	1	10	4	30	0	17	4	9	0	11	4	14	13	116
आंतरिक स्त्रीरोग परीक्षण	0	7	0	0	2	6	9	33	7	17	0	9	2	12	4	14	24	98
बाल चिकित्सा सेवाएं	0	0	0	4	6	18	9	33	7	17	4	9	3	12	4	14	33	107

स्रोतः संबंधित डी.एच.एफ.डब्ल्यू.एस. द्वारा प्रदत डाटा।

परिशिष्ट 2.8

(संदर्भः अनुच्छेद 2.2.10.1; पृष्ठ 33)

अनिवार्य औषधियों की उपलब्धता दर्शाने वाले विवरण

{दवाइयों की संख्या (प्रतिशतता)}

जिला	सा.अ.		सा.स्वा.के.		प्रा.स्वा.के.	
	न्यूनतम	अधिकतम	न्यूनतम	अधिकतम	न्यूनतम	अधिकतम
यमुनानगर	134 (19)	241 (38)	47 (19)	186 (76)	14 (8)	112 (60)
फतेहाबाद	165 (26)	275 (44)	39 (16)	186 (74)	22 (12)	78 (44)
सिरसा	187 (27)	220 (35)	96 (39)	198 (80)	34 (18)	134 (75)
भिवानी	196 (28)	243 (35)	33 (13)	144 (57)	27 (15)	151 (85)
नारनौल	82 (13)	408 (58)	37 (15)	242 (96)	25 (14)	163 (92)
अंबाला	207 (33)	373 (53)	85 (35)	218 (87)	62 (33)	155 (87)
मेवात	238 (34)	321 (51)	83 (34)	207 (84)	36 (19)	166 (93)
पलवल	221 (31)	271 (38)	52 (21)	170 (69)	56 (30)	136 (76)

स्रोतः संबंधित डी.एफ.डब्ल्यू.एच.एस., सा.स्वा.के. तथा प्रा.स्वा.के. द्वारा प्रदत डाटा।

नोटः सा.अ., सा.स्वा.के. तथा प्रा.स्वा.के. के लिए 2010 में ई.एम.एल. संशोधित की गई थी, जो क्रमशः 627, 246 तथा 186 दवाइयां रखते थे। दवा नीति जुलाई 2013 में संशोधित की गई तथा जुलाई 2013 से लागू की गई थी जिसके अंतर्गत सा.अ., सा.स्वा.के. तथा प्रा.स्वा.के. के लिए क्रमशः 703, 251 तथा 178 दवाइयां आवश्यक मानी गई थी।

परिशिष्ट 2.9

(संदर्भः अनुच्छेद 2.2.11.1; पृष्ठ 35)

गर्भवती महिलाओं की कुल संख्या तथा पहली तिमाही हेतु उनके पंजीकरण की स्थिति

वर्ष	पंजीकृत गर्भवती महिलाओं की कुल संख्या	पहली तिमाही के समय पंजीकृत गर्भवती महिलाओं की कुल संख्या	पहली तिमाही के समय पंजीकृत गर्भवती महिलाओं की प्रतिशतता
2009-10	6,54,276	2,91,148	44
2010-11	6,08,720	2,85,429	47
2011-12	6,01,074	3,06,650	51
2012-13	5,83,824	2,93,668	50
2013-14	5,35,739	2,66,672	50

स्रोतः एस.एच.एस. द्वारा प्रदत डाटा।

परिशिष्ट 2.10

(संदर्भः अनुच्छेद 2.2.11.2 ; पृष्ठ 37)

परिवार कल्याण आयोजना के विभिन्न घटकों के लक्ष्यों एवं उपलब्धियों के विवरण

वर्ष	नसबंदी			नलबंदी		
	लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि की प्रतिशतता	लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि की प्रतिशतता
2009-10	24000	9294	39	96000	77957	81
2010-11	24000	6193	26	96000	71965	75
2011-12	22370	6527	29	89630	71819	80
2012-12	20000	5385	27	90000	70706	79
2013-14	10000	4065	41	72000	69803	97
कुल		**31464**			**362250**	

वर्ष	आई.यू.डी			सी.सी. यूजर्स			ओ.पी. यूजर्स		
	लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि की प्रतिशतता	लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि की प्रतिशतता	लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि की प्रतिशतता
2009-10	230000	186686	81	394000	303608	77	79000	85296	108
2010-11	230000	182286	79	395000	210469	53	80000	67907	85
2011-12	240000	194541	81	395000	278382	70	80000	83795	105
2012-13	264000	192770	73	395000	244044	62	80000	76502	96
2013-14	264000	224824	85	395000	308004	78	80000	69565	87
कुल		**981107**			**1344507**			**383065**	

स्रोतः पी.आई.पी. 2014 – 15

परिशिष्ट 2.11

(संदर्भः अनुच्छेद 2.3.10.1 (ix); पृष्ठ 66)

भूमि की बिक्री पर विकासकों द्वारा अर्जित लाभ के विवरण

क्र. सं.	लाईसैंसधारक का नाम	भूमि के क्रय की तिथि	भूमि की मूल लागत (₹ करोड़ में)	लाईसैंस जारी करने की तिथि	क्रेता का नाम	बिक्री की तिथि	भूमि का बिक्री मूल्य (₹ करोड़ में)	भूमि की बिक्री पर लाभ (₹ करोड़ में)
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX (VIII-IV)
1	मैसर्ज स्काईलाइट होसपिटेलिटी प्राईवेट लिमिटेड[1]	28 जनवरी 2008	7.50	15 दिसंबर 2008	डी.एल.एफ. यूनिवर्सल लिमिटेड (18 जनवरी 2012 को लाइसैंस के हस्तांतरण के लिए सैद्धान्तिक अनुमोदन[2] के लिए आवेदन किया गया। लाइसैंस अभी तक हस्तांतरित[3] नहीं हुआ)	18 सितंबर 2012	58.00	50.50
2	मैसर्ज सन स्टार बिल्डर्ज प्राईवेट लिमिटेड, मैसर्ज विटनेस कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड[4]	1 जून 2005	0.31	6 सितंबर 2012	डी.एल.एफ. यूनिवर्सल लिमिटेड (18 जून 2013 को लाईसैंस के हस्तांतरण के लिए आवेदन किया गया। लाइसैंस 30 जुलाई 2013 को हस्तांतरित हुआ)	20 मई 2013	93.95	93.64
3	मैसर्ज बोटिल ऑयल टूल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड[5]	14/19 जून 1984	0.05	14 मार्च 2008	मैसर्ज उप्पल हाउसिंग लिमिटेड (13 जुलाई 2009 को लाइसैंस के हस्तांतरण के लिए आवेदन किया गया। लाइसैंस, 11 सितंबर 2012 को हस्तांतरित हुआ)	16 मई 2008	44.00	43.95
4	मैसर्ज उप्पल हाउसिंग प्राईवेट लिमिटेड	16 मई 2008	44.00	11 सितंबर 2012	सौम्य रियलटेक प्राइवेट लिमिटेड (अब के.एल.जी. रियलटेक प्राइवेट लिमिटेड में परिवर्तित) 17 अप्रैल 2013 को लाइसैंस के हस्तांतरण के लिए आवेदन किया गया। लाइसैंस 3 मई 2013 को हस्तांतरित हुआ।	28 मार्च 2013	69.50	25.50
5	मैसर्ज मार्क बिल्डटेक प्राईवेट लिमिटेड	6 जुलाई 2005	0.40	12 मई 2008	इनफोरमेशन टी.वी. प्राईवेट लिमिटेड (लाइसैंस के हस्तांतरण के लिए 23 जुलाई 2013 को आवेदन किया गया। लाइसैंस 14 अगस्त 2013 को हस्तांतरित हुआ)	7 जुलाई 2009	2.02	1.62
	कुल		**52.26**				**267.47**	**215.21**

1 *मैसर्ज स्काईलाइट होसपिटेलिटी प्राईवेट लिमिटेड ने 5 अगस्त 2008 को डी.एल.एफ. रिटेल डिवेलपर लिमिटेड (अब मैसर्ज डी.एल.एफ. यूनिवर्सल लिमिटेड के नाम से प्रचलित) के साथ सहयोग अनुबंध किया।*

2 *न.ग्रा.आ.वि. की प्रथा अनुसार, आवेदक द्वारा लाइसैंस के हस्तांतरण के लिए विभाग से सैद्धान्तिक अनुमोदन पहले लिया जाना है। तत्पश्चात्, आवेदक, भूमि का स्वामित्व, द्विपक्षीय अनुबंध, बैंक गारंटियों इत्यादि सूचित करते हुए बिक्री विलेख सहित सभी संबंधित दस्तावेज के साथ लाइसैंस के हस्तांतरण के लिए आवेदन करता है।*

3 *– 18 जनवरी, 2012 को लाइसैंस के हस्तांतरण के लिए सैद्धान्तिक अनुमोदन के लिए आवेदन किया*
– सिद्धांत में अनुमोदन 3 अप्रैल 2012 को प्रदान किया गया
– म.नि. चकबंदी द्वारा डी.एल.एफ. यूनिवर्सल लिमिटेड के पक्ष में 15 अक्तूबर 2012 को म्यूटेशन आदेश के निरस्तीकरण को ध्यान में रखते हुए सैद्धान्तिक अनुमोदन वापस लेने के लिए 19 अक्तूबर 2012 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
– म.नि., न.ग्रा.आ.वि. द्वारा 11 फरवरी 2014 को आदेशों और स्वामित्व की स्थिति से संबंधित पुष्टि म.नि., चकबंदी से मांगी गई।
– तब से कोई प्रगति नहीं।

4 *मैसर्ज सन स्टार बिल्डर्ज प्राईवेट लिमिटेड तथा मैसर्ज विटनेस कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड ने 6 सितंबर 2012 को राज्य सरकार के साथ द्विपक्षीय अनुबंध पर हस्ताक्षर किए जिसमें डी.एल.एफ. यूनिवर्सल लिमिटेड का वर्णन सहयोगी के रूप में है।*

5 *मैसर्ज बोटिल ऑयल टूल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने 15 जून 2007 को मैसर्ज उप्पल हाउसिंग लिमिटेड के साथ सहयोग अनुबंध हस्ताक्षरित किया तथा राज्य सरकार के साथ 14 मार्च 2008 को अपने विकासक मैसर्ज उप्पल हाउसिंग लिमिटेड के माध्यम से द्विपक्षीय अनुबंध हस्ताक्षरित किया।*

स्रोतः न.ग्रा.आ.वि. द्वारा अनुरक्षित लाइसैंस फाइलों के उपलब्ध करवाए गए अभिलेखों से

परिशिष्ट 3.1

(संदर्भः अनुच्छेद 3.1; पृष्ठ 75)

हैफेड को हस्तांतरित भूमि किंतु भूमि लागत वसूल नहीं की गई दर्शाने वाली विवरणी

क्र. सं.	मार्किट कमेटी का नाम	मंडी का नाम	हैफेड को हस्तांतरित भूमि			हस्तांतरण की तारीख	भूमि की लागत (₹ लाख में)	जमा कराने की देय तारीख	महीनों में विलंब	ब्याज @ 15% प्रतिवर्ष
			एकड़	कनाल	मरला					
1	बरवाला	बरवाला (हिसार)	7	2	17	सितंबर 2009	317.79	जून 2011	34	135.06
2	नारनौंद	नारनौंद	5	0	0	नवंबर 2009	168.75	मई 2011	35	73.83
3	शाहबाद	अजराना कलां	5	2	6	दिसंबर 2009	65.52	दिसंबर 2009	53	43.41
4	कालांवाली	बड़ा गुड्डा	3	5	18	नवंबर 2009	112.14	दिसंबर 2009	53	74.29
5	सोनीपत	दिपालपुर	8	6	19	नवंबर 2009	288.91	मार्च 2011	37	133.62
6	सोनीपत	पुंगथाला	6	7	3	फरवरी 2010	130.29	जून 2011	34	55.37
7	गन्नौर	गन्नौर	10	5	12	दिसंबर 2010	1,038.87	मार्च 2011	37	480.48
8	बेहल	बेहल	4	6	7	नवंबर 2009	546.21	मई 2011	35	238.97
9	थानेसर	किरमच	10	3	19	अक्तूबर 2009	97.11	मांग नहीं उठाई गई। भूमि की लागत कलैक्टर दर पर परिकलित की गई।		
10	मडलौडा	छिछराना	10	0	0	नवंबर 2009	130.00	मांग नहीं उठाई गई। भूमि की लागत मार्किट कमेटी द्वारा दी गई।		
			68	**36**	**101**		**2,895.59**			**1,235.03**
		अर्थात्	**73**	**1**	**1**					

क्र. सं.	मार्किट कमेटी का नाम	मंडी का नाम	हैफेड को हस्तांतरित भूमि			हस्तांतरण की तारीख	भूमि की लागत (₹ लाख में)	को प्राप्त राशि
11	रानियां	खारिया	8	2	13	नवंबर 2009	107.97	देय तारीख को राशि प्राप्त की गई
12	डबवाली	चौटाला	15	6	10	फरवरी 2010	353.14	देय तारीख को राशि प्राप्त की गई
			23	**8**	**23**		**461.11**	
		अर्थात्	**24**	**1**	**3**			
	कुल		**97**	**2**	**4**		**3,356.70**	

कुल हस्तांतरित भूमि	एकड़ 97	कनाल 2	मरला 4	₹ 3,356.70 लाख
मांग नहीं उठाई गई	20	3	19	₹ 227.11 लाख
के लिए मांग उठाई गई	**76**	**6**	**5**	**₹ 3,129.59 लाख**

(स्रोतः लेखापरीक्षा दल द्वारा संकलित सूचना)

परिशिष्ट 3.2

(संदर्भः अनुच्छेद 3.4; पृष्ठ 81)

कंटेनरों की खरीद हेतु अतिरिक्त व्यय दर्शाने वाले विवरण

क्र. सं.	जिले का नाम	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	सहायता प्राप्त प्राथमिक	सहायता प्राप्त उच्च प्राथमिक	कुल	विनिर्देशन (गेज)	प्राथमिक हेतु प्रति कंटेनर दर (3 क्विंटल)	प्राथमिक हेतु 24 गेज प्रति कंटेनर न्यूनतम दर	प्राथमिक हेतु अंतर (स्कूलों की संख्या x 2)	उच्च प्राथमिक हेतु प्रति कंटेनर दर (5 क्विंटल)	उच्च प्राथमिक हेतु 24 गेज प्रति कंटेनर न्यूनतम दर	उच्च प्राथमिक हेतु अंतर (स्कूलों की संख्या x 2)	कुल अंतर
1	अंबाला	447	284	0	0	731	24	1,400	1,100	2,68,200	1,900	1,400	2,84,000	5,52,200
2	भिवानी	705	466	0	0	1,171	24	1,900	1,100	11,28,000	2,500	1,400	10,25,200	2,153,200
3	फरीदाबाद	0	0	0	0	0	0	0	1,100	0	0	1,400	0	0
4	फतेहाबाद	243	169	0	0	412	24	1,400	1,100	1,45,800	1,750	1,400	1,18,300	2,64,100
5	गुड़गांव	0	0	0	0	0	0	0	1,100	0	0	1,400	0	0
6	हिसार	408	314	3	3	728	24	1,584	1,100	3,97,848	2,263	1,400	5,47,142	9,44,990
7	झज्जर	324	227	0	0	551	24	1,560	1,100	2,98,080	1,976	1,400	2,61,504	5,59,584
8	जींद	96	260	0	0	356	24	1,100	1,100	0	1,500	1,400	52,000	52,000
9	कैथल	394	223	0	0	617	18	1,790	1,100	5,43,720	2,550	1,400	5,12,900	10,56,620
10	करनाल	296	160	0	0	456	24	1,700	1,100	3,55,200	2,500	1,400	3,52,000	7,07,200
11	कुरूक्षेत्र	172	87	0	0	259	24	1,250	1,100	51,600	1,400	1,400	0	51,600
12	महिंद्रगढ़	196	0	0	0	196	24	1,131	1,100	12,152	0	1,400	0	12,152
13	मेवात	551	340	0	0	891	0	1,500	1,100	4,40,800	1,800	1,400	2,72,000	7,12,800
14	पलवल	104	77	0	0	181	22	1,584	1,100	1,00,672	2,150	1,400	1,15,500	2,16,172
15	पंचकूला	115	131	0	0	246	22	1,867	1,100	1,76,410	2,499	1,400	2,87,938	4,64,348
16	पानीपत	252	169	0	0	421	20	1,500	1,100	2,01,600	2,800	1,400	4,73,200	6,74,800
17	रेवाड़ी	172	175	0	0	347	24	1,200	1,100	34,400	1,540	1,400	49,000	83,400
18	रोहतक	0	198	0	18	216	22	0	1,100	0	2,263	1,400	3,72,816	3,72,816
19	सिरसा	0	0	0	0	0	0	0	1,100	0	0	1,400	0	0
20	सोनीपत	347	259	2	0	608	24	2,036	1,100	6,53,328	2,263	1,400	4,47,034	11,00,362
21	यमुनानगर	456	313	2	2	773	24	1,350	1,100	2,29,000	1,950	1,400	3,46,500	5,75,500
	कुल	**5,278**	**3,852**	**7**	**23**	**9,160**				**50,36,810**			**55,17,034**	**1,05,53,844**

टिप्पणीः 1. मेवात जिले के मामले में प्राथमिक स्कूलों के लिए चार क्विंटल की क्षमता। गेज के विनिर्देशन उल्लिखित नहीं किए गए।

2. पलवल जिले में प्राथमिक स्कूलों के लिए दो क्विंटल तथा उच्च प्राथमिक स्कूलों के लिए चार क्विंटल कंटेनर।

3. पानीपत जिले में प्राथमिक स्कूलों के लिए 2.5 क्विंटल तथा

4. सोनीपत जिले में प्राथमिक स्कूलों के लिए चार क्विंटल।

(स्रोतः विभिन्न जिलों से एकत्र की गई सूचना से लेखापरीक्षा दल द्वारा संकलित सूचना)

परिशिष्ट 3.3

(संदर्भः अनुच्छेद 3.11 ; पृष्ठ 93)

पुलिस विभाग में 2009 – 14 के दौरान संस्वीकृत संख्या की तुलना में आई.पी.एस. तथा एच.पी.एस. अधिकारियों की वास्तविक संख्या

वर्ष	आई.पी.एस.				एच.पी.एस.			
	संस्वीकृत	तैनात	रिक्त	रिक्ति की प्रतिशतता	संस्वीकृत	तैनात	रिक्त	रिक्ति की प्रतिशतता
2009-10	117	109	08	7	208	135	73	35
2010-11	137	110	27	20	207	176	31	15
2011-12	137	105	32	23	220	158	62	28
2012-13	137	107	30	22	220	178	42	19
2013-14	137	113	24	17	220	216	4	2

(स्रोतः पुलिस विभाग द्वारा आपूरित सूचना)

परिशिष्ट 3.4

(संदर्भः अनुच्छेद 3.11 ; पृष्ठ 95)

फोरेंसिक साईस लैबोरेट्री में सैम्पलों की टैस्टिंग की लंबनता दर्शाने वाले विवरण

वर्ष	आरंभिक शेष	प्राप्त सैम्पल	कुल सैम्पल	प्रस्तुत सैम्पल	लंबित सैम्पल	प्रतिशतता
2009	871	8,680	9,551	8,226	1,325	14
2010	1,325	8,948	10,273	8,713	1,560	15
2011	1,560	9,777	11,337	10,005	1,332	12
2012	1,332	9,610	10,942	9,443	1,499	14
2013	1,499	11,114	12,613	9,109	3,504	28

(स्रोतः पुलिस विभाग द्वारा आपूरित सूचना)

परिशिष्ट 3.5

(संदर्भः अनुच्छेद 3.21; पृष्ठ 122)

2012 – 13 तथा 2013 – 14 के दौरान परिचालकों की अधिक नियुक्ति पर किए गए अतिरिक्त व्यय दर्शाने वाले विवरण

माह	कुल बसें	कुल सी.एन.जी. +लो – फ्लोर	अन्य बसें	परिचालक 1:1.4 (साधारण) (कालम 4* 1.4)	परिचालक 1:2.5 (सी.एन.जी. एवं लो – फ्लोर) (कालम 3 * 2.5)	अड्डा परिचालक[1]	कुल (कालम 5+6+7)	पे रोल के अनुसार परिचालकों की वास्तविक संख्या	अधिक (9 – 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
मई 12	3610	535	3075	4305	1338	750	6393	6653	260
जून 12	3705	541	3164	4430	1353	750	6533	7754	1221
जुलाई 12	3633	526	3107	4350	1315	750	6415	7731	1316
अगस्त 12	3699	528	3171	4439	1320	750	6509	7761	1252
सितंबर 12	3745	538	3207	4490	1345	750	6585	7747	1162
अक्तूबर 12	3755	487	3268	4575	1218	750	6543	7601	1058
नवंबर 12	3829	502	3327	4658	1255	750	6663	7342	679
दिसंबर 12	3843	556	3287	4602	1390	750	6742	7289	547
जनवरी 13	3769	565	3204	4486	1413	750	6649	7093	444
फरवरी 13	3820	560	3260	4564	1400	750	6714	7093	379
मार्च 13	3844	557	3287	4602	1393	750	6745	7273	528
अप्रैल 13	3812	553	3259	4563	1383	750	6696	7266	570
मई 13	3827	553	3274	4584	1383	750	6717	7249	532
जून 13	3828	551	3277	4588	1378	750	6716	7218	502
जुलाई 13	3828	551	3277	4588	1378	750	6716	7205	489
अगस्त 13	3882	627	3255	4557	1568	750	6875	7215	340
सितंबर 13	3883	627	3256	4558	1568	750	6876	7215	339
अक्तूबर 13	3870	654	3216	4502	1635	750	6887	7202	315
नवंबर 13	3888	696	3192	4469	1740	750	6959	7194	235
दिसंबर 13	3883	696	3187	4462	1740	750	6952	7192	240
कुल									**12408**

बस फ्लीट से अधिक परिचालकों की नियुक्ति पर अतिरिक्त व्यय = = 12,408 x ₹ 8000 प्रतिमाह की दर पर वेतन = ₹ 9,92,64000

₹ 9.93 करोड़

(स्रोतः परिवहन विभाग द्वारा दी गई सूचना)

[1] अड्डा परिचालकों को बस स्टैंडों पर टिकटें काटने के लिए तैनात किया जाता है। ये परिचालक 1.4 तथा 2.5 के मानकों के ऊपर तैनात किए गए थे।